पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

1.	भारतीय पुलिस का इतिहास (अतीतकाल से मुगलकाल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी
2.	भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन	श्री एच. भीष्मपाल
3.	ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान	श्री रामलाल विवेक
4.	ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान	श्री शंकर सरौलिया
5.	विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका	श्री आर.एस. श्रीवास्तव
6.	स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व	डा. कृष्णमोहन माथुर
7.	मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका	श्री हरीश नवल
8.	सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्भव	प्रो. मीनाक्षी स्वामी
9.	समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका	श्री ललितेश्वर
10.	पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता	डा. सी. अशोकवर्धन
11.	महिला और पुलिस	श्रीमती अमिता जोशी
12.	मानवाधिकार और पुलिस	डा. जी.एस. वाजपेयी
13.	नई आर्थिक नीति एवं अपराध	डा. अर्चना त्रिपाठी
14.	बाल अपराध	डा. गिरिश्वर मिश्र
15.	न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां	डा. शरद सिंह
16.	मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा, डा. सविता शर्मा
17.	सामुदायिक पुलिस व्यवस्था	डा. तपन चक्रवर्ती, डा. रवि अम्बष्ट
18.	संगठित अपराध	श्री महेन्द्र सिंह आदिल
19.	पुलिस कार्यों का निजीकरण	डा. शंकर सरौलिया
20.	साइबर क्राइम	डा. अनुपम शर्मा
21.	अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल	डा. निशांत सिंह
22.	अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं	डा. ऋता तिवारी, डा. उपनीत लाली
23.	वैध समस्याओं के निदान हेतु बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति	श्री राकेश प्रकाश
24.	आतंकवाद एवं जन साझेदारी	श्री विश्वेश शर्मा
25.	व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास	श्रीमती नीना लांबा
26.	बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास	डा. दीप्ति श्रीवास्तव
27.	नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका	श्री राकेश कुमार सिंह

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका

डा. मंजू देवी

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका

डा. मंजू देवी

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका एवं प्रत्येक राज्य में पूर्ण महिला थानों की स्थापना की आवश्यकता

(पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत)

डा. मंजू देवी

एसोसिएट प्रोफेसर
मनोविज्ञान एवं सदस्य
किशोर न्याय बोर्ड

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने हिन्दी में पुलिस संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने 23 मई, 1979 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय विधि, अपराध शास्त्र, पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ही भाग 1 में मौलिक प्रकाशित पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है तथा वर्ष 1982 से भाग 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन कार्य कराया जाता है। इसी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।)

इन पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी है
इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की
सहमति आवश्यक नहीं है।

प्रकाशक के सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय),
3/4 मंजिल, ब्लाक–II, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

एकमात्र वितरक – नियंत्रक प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

प्रथम संस्करण – 2015

मुद्रक – प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय

विषय वस्तु

आमुख		5
दो शब्द		7
अध्याय एक :	प्रस्तावना	13
अध्याय दो :	अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका	30
अध्याय तीन :	समाज, पुलिस और महिलाएं	68
अध्याय चार :	महिला थानों की आवश्यकता क्यों?	78
अध्याय पांच :	सामाजिक परिवर्तन में महिला थानों की भूमिका	143
अध्याय छः :	महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं कानून दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013	150
अध्याय सात :	साक्षात्कार द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेशण	236
अध्याय आठ :	महत्वपूर्ण केस स्टडी	238
अध्याय नौ :	निष्कर्ष	263
अध्याय दस :	सुझाव	268
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची		274
दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013		280
साक्षात्कार प्रश्नावली		281

आमुख

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस व न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिंदी में साहित्य उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना को वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था। पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

भारत में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को नित नए प्रयोग करने पड़ रहे हैं। अपराधियों में अब केवल पुरुष ही नहीं हैं अपितु महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि होने लगी है। अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका एवं प्रत्येक राज्य में पूर्ण महिला थानों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसी संबंधित समस्या का निदान करते समय महिला पुलिस की क्या भूमिका होगी और कौन इस समस्या के निदान में कैसे सहायक हो सकता है। समस्या की गंभीरता एवं विभिन्न पहलुओं को देखते हुए ब्यूरो द्वारा संचालित पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति ने पर्याप्त विचार–विमर्श के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से इस विषय पर विचार आमंत्रित किए। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रूपरेखाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षित विषय 'अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका एवं प्रत्येक राज्य में पूर्ण महिला थानों की आवश्यकता' पर डा. मंजू देवी द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा को चुना गया। लेखिका ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ–साथ ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास भी किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं

कि लेखिका द्वारा दी गई राय उनकी निजी राय है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं भारत सरकार की इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। ये लेखिका के सामान्य प्रकाशन के लिए नहीं है।

महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

दो शब्द

'अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका और प्रत्येक राज्य में पूर्ण महिला थानों की स्थापना की आवश्यकता' पुस्तक वर्तमान समय में अत्यन्त महत्वपूण विषयों में से एक है। एक ओर महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन हेतु संघर्ष कर रही हैं तो दूसरी ओर महिलाओं पर बढ़ती हुई हिंसा के कारण पूरा विश्व चिन्तित है। महिलाओं ने ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तन हेतु कार्य किया है और लगातार करती जा रही हैं। आज महिलाओं के शोषण से जुड़े तमाम पहलू हैं, जो उनकी उपेक्षित स्थिति को बनाए हुए हैं।

वर्तमान समय में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अपेक्षित परिवर्तन हेतु बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है। आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय है।

स्त्री जीवन की गौरवमयी परम्परा को बीते कुछ वर्षों में हुए महिला आन्दोलनों ने अपेक्षित परिवर्तन के लिए दिशा प्रदान की है। आज किसी भी अन्याय या सामाजिक, दैहिक, आर्थिक शोषण की घटना के होने पर हमारा कानून, पुलिस और न्यायाधीश सभी सचेत और सक्रिय नजर आते हैं। आज स्त्रियों के जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। वे पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्रों में भी उनके समक्ष चुनौती पेश कर रही हैं। बदलाव पूरे समाज की सोच में भी आया है।

लड़कियों के जन्म को अपशकुन समझना, समाज में उनकी इज्जत कम होना और जन्मते ही लड़की का गला दबा देना या आधुनिक मायनों में भ्रूण हत्या कर देना, लड़कियों को दूसरे दर्जे पर रखने जैसे तमाम दुष्कर्म व्याप्त हैं। समाज में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं को ही संघर्ष करते हुए आगे आना होगा और समाज में अपेक्षित परिवर्तन की राह पकड़नी होगी। महिलाओं के प्रति बर्बर व्यवहार दुनिया के कुछेक देशों में ही नहीं, बल्कि सभी देशों में व्याप्त हैं।

आज की महिलाएं शिक्षित हैं, स्वावलम्बी हैं। उन्हें जब भी अवसर मिलता है, उन्होंने उसका पूरा लाभ उठाया है। महिला अपराध समाज के साथ ही हर परिवार की समस्या है। महिलाओं पर होने वाला अत्याचार एक सार्वभौमिक घटना है, जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप और मात्रा में विद्यमान है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहां तक कि उनकी हत्या कर दी जा रही है। समाज में महिला अपराध को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा नियम–कानून बनाए गए हैं।

लम्बे समय तक महिलाओं के साथ कार्य करने के अनुभवों के कारण प्रस्तुत पुस्तक को एक माला के रूप में पिरोना थोड़ा आसान सा लगा। सच्चाई यह है कि महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों की उपेक्षा की गयी है। अतः यह आवश्यक है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का दस्तावेज अवश्य तैयार किया जाए। महिलाओं ने हर परिवर्तन की लड़ाई स्वयं लड़ी है। प्रस्तुत पुस्तक में अलग–अलग महिलाओं द्वारा किए गए अपेक्षित परिवर्तन हेतु कार्यों का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय प्रस्तावना का है। द्वितीय में अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका क्या रही है, उसके सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय तीन में

समाज, पुलिस और महिलाओं से सम्बन्धित बिन्दुओं का उल्लेख है। जनता को न्याय देने की प्रमुख एजेन्सी पुलिस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। महिला, पुलिस और समाज के पारस्परिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हो, यह विषय सर्वत्र चिन्तन का है। समाज और महिला पुलिस के बीच एक नए और सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों की जरूरत है। आज महिलाओं की भूमिका बदल रही है और वे अपेक्षित परिवर्तन हेतु संघर्षरत हैं। ऐसी स्थितियों में समाज और पुलिस दोनों को महिलाओं के प्रति एक नयी सोच विकसित करनी पड़ेगी।

अध्याय चार में महिला थानों की आवश्यकता क्यों है, पर प्रकाश डाला गया है। महिलाओं पर जिस तरह की हिंसा बढ़ रही है, वैसी स्थितियों में आने वाले समय में महिला थानों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ेगा।

अध्याय पांच में सामाजिक परिवर्तन में महिला थानों की भूमिका की चर्चा की गयी है। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार होते हैं, उन्हें रोकने के लिए महिला थाने की पुलिस को आगे आना होगा।

अध्याय छः में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं उन अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। अध्याय सात में लगभग सौ लोगों का साक्षात्कार करके अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका और समस्त राज्यों में महिला थानों की स्थापना क्यों आवश्यक है का विश्लेषण किया गया है।

अध्याय आठ में उत्तर प्रदेश के जिला–संत रविदासनगर, ज्ञानपुर, भदोही के महिला थाने से कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी को लिया गया है। केस का निपटारा कैसे किया जाता है यह देखने के लिए मैं स्वयं महिला थाने में उपस्थित रही। अदालतों में जहां लम्बे समय से मुकदमें चल रहे हों और उनका निपटारा न हो रहा हो, ऐसे समय में महिला थाने में

पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन पर महीने दो महीने में समझौता हो जाता है। महिला थाने का यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है।

अध्याय नौ निष्कर्ष का है तथा अध्याय दस में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। अध्याय ग्यारह में संदर्भ ग्रंथों की सूची है।

पुस्तक लेखन में जहां कहीं भी परेशानी आयी मेरे मित्रों का सहयोग और सुझाव समय–समय पर प्राप्त होता रहा है। मेरी मित्र डा. अदिति मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी तथा डा. कमालुद्दीन शेख, एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान, डी.ए.वी.पी.जी. कालेज, वाराणसी ने समय–समय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनका मैं ह्रदय से आभार व्यक्त करती हूं।

मेरी बहन डा. लिली सिंह, अपर परियोजना प्रबन्धक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का भी मैं आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पुस्तक को उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

मैं महिला थानाध्यक्ष, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर भदोही के श्री सन्तू प्रसाद आर्या तथा महिला थाने की उपनिरीक्षक विजय लक्ष्मी जी को भी ह्रदय से धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने केस को समझने का मुझे अवसर प्रदान किया तथा पुस्तक के लिए महत्वपूर्ण केस उपलध कराए। केस निस्तारण के समय मैं स्वयं महिला थाने पर उपस्थित रही।

मैं उन सभी शिक्षकों, वकीलों, गृहिणियों को भी ह्रदय से धन्यवाद देती हूं जिन्होंने प्रश्नावली मे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने में सहयोग प्रदान किया।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना भाग–II के अन्तर्गत प्रस्तुत पुस्तक को लिखने का जो महत्वपूर्ण कार्य मुझे सौंपा गया है, उसके लिए मैं सम्पादक, हिन्दी श्री दिवाकर

शर्मा तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा योजना की मूल्यांकन समिति के सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूं।

अन्त में मैं अपने टाईपिस्ट अकरम कुरैशी और जावेद कुरैशी को विशेष धन्यवाद देती हूं जिन्होंने पाण्डुलिपि को समय से टाइप करने में सहयोग प्रदान किया।

डा. मंजू देवी

अध्याय – एक

प्रस्तावना

भारत में प्राचीन काल से ही नारी की समाज में एक विशिष्ट स्थिति रही है। वेद उसे पुरुष के समकक्ष रखते हैं। उसे प्रकृति कहा गया यानि जीवन का मूल तत्व। उसे देवी, मातृशक्ति, गृहलक्ष्मी कहा गया। अरुन्धती, सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदुषी नारियां कहीं से भी उस समय के ऋषियों से कम नहीं थीं। वीरांगना नारियों की भी भारतीय इतिहास में न जाने कितनी गाथाएं हैं।

भारत में पिछले डेढ़ दो दशकों में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वह है शहरी महिलाओं की महत्ता और शक्ति में वृद्धि। हाल के समय में भारत की हर एक घटना में इसकी झलक देखी जा सकती है। उद्योग व्यापार से लेकर राजनीति तक में महिलाएं अब पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देती नजर आ रही हैं। सभी राजनैतिक पार्टियों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ रही है।

भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के दौर में अपेक्षित परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ है। यह क्षेत्र हैं–बैंकिग, वित्त, होटल, मेडिकल, दवा उत्पादन, ऊर्जा, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी आदि विशेषज्ञता के क्षेत्र। आज अपेक्षित परिवर्तन हेतु महिलाएं आगे बढ़कर कम्पनियों की जिम्मेवारियां सभांल रही हैं और नए–नए प्रयोगों से अपनी योग्यता के झण्डे फहरा रही

हैं। रेखा मेमन, इन्दिरा नूई, कल्पना मार्गबन्धु, मीना गणेश, प्रीता रेडडी, कविता, अमृता चाण्डी जैसी अनेक महिलाएं अपने क्षेत्र में शीर्ष पर विद्यमान हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में महिलाएं उच्च पदों पर पहुंच चुकी हैं। कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए वे आज आगे बढ़ रही हैं। अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है?

स्त्री जीवन की गौरवमयी परम्परा को बीते पच्चीस वर्षों में हुए महिला आन्दोलनों ने अपेक्षित परिवर्तन के लिए दिशा प्रदान की है। आज किसी भी अन्याय या सामाजिक, दैहिक, आर्थिक शोषण की घटना के होने पर हमारा कानून, पुलिस और न्यायाधीश सभी सचेत और सक्रिय नजर आते हैं। वर्तमान में स्त्रियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। बदलाव की यह बयार शुरु हो चुकी है। आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय है। आज स्त्रियों के जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। आज महिलाएं पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में भी उनके समक्ष चुनौती पेश कर रही हैं। बदलाव पूरे समाज की सोच में भी आया है।

अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ महिलाएं अपने कैरियर को नए मुकाम पर पहुंचा रही हैं, और अपने फैसलें स्वयं कर रही हैं। अपेक्षित परिवर्तन हेतु विश्व की महिलाओं ने आज एक नयी ऊंचाईयों को छुआ है। सपनों को साकार किया है। एक खुले वातावरण में सांस लेते हुए, नयी ऊंचाईयों को प्राप्त किया है। एक सफल कार्यकर्ता से लेकर, सफल मैनेजर तक, आज प्रत्येक भूमिका में वे सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, जिन्होंने दूसरों को भी एक राह दिखायी है तथा बताया है कि अपेक्षित परिवर्तन के लिए आजादी एक जरुरी लक्ष्य है। छोटे–छोटे कस्बों से शुरु होकर महानगरों तक में, एकल परिवार से लेकर संयुक्त परिवारों तक की महिलाएं

अर्थोपार्जन और नए–नए कैरियर की खोज के लिए काम कर रही हैं। नया स्त्री विमर्श, जो नए मीडिया विमर्श के साथ–साथ आया है, में पहली बार स्त्री के अपने अनुभव 'सिद्ध' हो रहे हैं। अपेक्षित परिवर्तन की चाह लिए आज की महिला भी प्रश्न पूछती हुई, परम्परा की खामोशियों को तोड़ती हुई मीडिया की सुर्खियों में नजर आ रही हैं। चाहे यह तस्लीमा नसरीन हों या मेधा पाटकर या किरन बेदी हों या इन्दिरा नुई हों, इस परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए सभी गतिशील हैं। पौराणिक युग में भी इस परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा, लोपामुद्रा, कुन्ती, द्रौपदी, मीरा आदि ने स्वयं अनुकरणीय दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं।

कुछ दिनों पहले 'टाइम्स आफ इण्डिया' के रिव्यू सेक्शन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अमेरिका में पैंतालिस प्रतिशत महिलाएं प्रबन्धन के क्षेत्र में कुशलतापूर्वक काम कर रही हैं, और बड़ी कम्पनियां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्रबन्धन के क्षेत्र में वरीयता दे रही हैं। कुछ समय पहले तुर्की की महिला प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में दिखा दिया कि शासन कैसे चलाया जाता है?

समाज में अपेक्षित परिवर्तन हेतु एक जिले की जिला अधिकारी स्वयं केरल हाईकोर्ट गयीं और जीतीं। केरल के शबरीमाला स्थित 'आयप्पा' केरल मन्दिर में दस से पचास वर्ष की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यह मन्दिर जिस जिले में है, वहां की जिलाधिकारी कुमारी वत्सल पुजारियों और पण्डों के इस तानाशाही धर्मादेश के खिलाफ उठ खड़ी हुईं।

अपेक्षित परिवर्तन में पी.टी. उषा ने खेल में जो शुरुआत किया, उसे आगे बढ़ाते हुए, 2012 के ओलम्पिक में बॉक्सिंग में मैरी कॉम ने कांस्य पदक दिलवाकर महिलाओं को गौरवान्वित किया है। करोड़ों भारतीय उन्हें आज सलाम कर रहे हैं। दो बच्चों की मां मैरी कॉम महिलाओं के लिए रोल माडल बन गयी हैं। वर्ष 2012 में बैडमिन्टन में सायना नेहवाल

ने भी कांस्य पदक जीतकर समस्त भारतीय महिलाओं का सिर ऊपर किया है। जो लोग देश में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर रोक लगाना चाहते हैं, उन्हें मैरी कॉम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि महिलाएं घर–परिवार के साथ भी बॉक्सिंग जैसा खेल, खेल सकती हैं। आज की महिलाएं शिक्षित हैं, स्वावलम्बी हैं तथा अपना रास्ता स्वयं बनाना जानती हैं। महिलाएं जीवन और जगत के प्रत्येक क्षेत्र में दम–खम के साथ आगे बढ़ रही हैं। वह विधानसभा या लोकसभा में ही नहीं पहुंच गयी हैं, अपितु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल जैसे उच्च पदों पर आसीन हुई हैं। महिलाएं सशस्त्र सेना में राष्ट्रीय ध्वज को फहराती हुई आगे बढ़ रही हैं। वायुयान चला रही हैं, पैराशूट से कूद रही हैं। परिवर्तन की राह पर चल रही ऐसी महिलाओं को पूरा देश प्रणाम कर रहा है।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने वाली तथा राष्ट्र के निर्माण में भाग लेने वाली महिलाओं ने आज समाज को एक नयी दिशा दी।

अपेक्षित परिवर्तन में अपनी भूमिका को निभाते हुए महिलाओं ने स्वयं अपने शोषण, उत्पीड़न और प्रताड़ना के विरुद्ध आवाज उठायी है।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए गांव की स्त्री आज सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं के खिलाफ भी आवाज बुलन्द करने लगी है। इधर–उत्तर प्रदेश के कई गांवों में स्त्रियों के सामूहिक विरोध ने शराब के ठेके बन्द कराए हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती योजनाओं के खिलाफ भी ग्रामीण स्त्रियां कई जगह संगठित हुई। अपेक्षित परिवर्तन हेतु ज्यादा पढ़ी–लिखी न होने के बावजूद उन्होंने अपने काम से खुद को साबित किया। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कमर में फेंटा बांधकर आधी रात को खेत में खड़ी हो जाने से लेकर शराब के ठेके

बन्द कराने की हिम्मत रखने वाली गांव की स्त्रियां आज अपने मजबूत कन्धे पर जमाने को उठाए हुए हैं। उनमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने से लेकर गलत बात का विरोध करने का दम है। गांवों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली ये महिलाएं किसी महिला लिबरेशन आर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ी हैं और न ही पुरुष के कन्धे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करने वाली हैं। पर उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। गांधी के ग्राम–स्वराज के सपने को पूरा करने में जी–जान से जुटी ये गांवों की महिलाएं प्रेरणास्रोत हैं। उनके गांवों में अब न शराब का ठेका चलता है और न महिलाओं को मारपीट सहनी पड़ती है। अपेक्षित परिवर्तन हेतु ये जीवन्त महिलाएं निरक्षरता, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और नशा के खिलाफ अभियान चला रही हैं। गांवों में स्त्री स्वतंत्रता का यह रूप बड़ा ही प्रेरणादायी है। इस वैचारिक परिवर्तन में सरकार की भूमिका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अपेक्षित परिवर्तन हेतु महिलाएं ग्राम–प्रधान बनकर गांव से लेकर शहर तक अपने बूते सक्रियता से कार्य कर पंचायती राज का झण्डा बुलन्द कर रही हैं। पहले गांव या शहर दोनों जगह जमीन जायदाद पर नब्बे फीसदी पुरुष ही काबिज थे लेकिन अब यह मिथक टूट रहा है। अब सम्पत्ति पर स्त्रियों का वर्चस्व दिख रहा है। पहले ग्रामीण स्त्रियों के नाम रजिस्ट्री का खाता ही नहीं खुलता था। गांवों में आए सकारात्मक बदलाव और गांव की स्त्री की बेहतरी को देखकर सुखद अहसास होता है।

अपेक्षित परिवर्तन हेतु आज गांव की महिलाओं में भी बदलाव आया है। कम से कम आज वह पहले वाली अशिक्षित, अल्हड़, भोली, अन्ध विश्वासी, रुढ़ियों का अनुकरण करने वाली या घर–बाहर अन्याय को चुप रहकर बर्दाश्त कर लेने वाली तो कदापि नहीं रहीं।

स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में अनेक ऐसी महिलाएं थीं,

जिन्होंने घर के अन्दर तथा घर के बाहर भी अपनी वीरता और नेतृत्व शक्ति का परिचय दिया। अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ के लिए हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल उन महिलाओं का नाम ढूंढ़ना चाहिए, जिनका नाम इतिहास में कभी नहीं आ पाया, किन्तु उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभायी थी।

आज विश्व की महिलाएं राजनीति से लेकर वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी कार्य कर रही हैं। इनकी समाजसेवा भी ऐसी है, जिसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की जा सकती है। मान्टेसरी की शिक्षा क्रान्ति, फ्लोरेन्स नाइटिंगेल का रेडक्रास आन्दोलन, मैडम क्यूरी के वैज्ञानिक अनुसंधान, मदर टेरेसा की गरीबों के प्रति करुणा एवं मेरी स्टोप का परिवार नियोजन कार्यक्रम ऐसी उपलब्धियां हैं, जिनका चिरकाल तक भावभरा स्मरण होता रहेगा।

बदलते समय के साथ–साथ चलने की स्त्रियों की सहज इच्छा का ही परिणाम है कि वे वह सब कुछ कहीं बेहतर ढंग से कर रही हैं, जो कल तक उनके लिए वर्जित माना जाता था तथा जहां तक पहुंच पाना उनके लिए एक परिकल्पना मात्र थी। जोखिम और खतरे भरे रोजगारों में भी उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। इसीलिए अग्निशमन, सेना, वायु सेना, पुलिस जैसी चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

'मैडम क्यूरी' ने अपने पति के साथ मिलकर रेडियम की खोज की थी। एक समारोह में पहुंचकर जब मैडम क्यूरी ने वहां की महिलाओं को हीरे के आभूषणों से जगमगाता देखा तो उन्हें लगा कि इतने महंगे गहनों से तो विज्ञान के महत्वपूर्ण शोध किए जा सकते हैं। उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वे अपनी इस खोज का पेटेन्ट कराएंगी तो उनका जवाब था कि वैज्ञानिक आविष्कार अस्तित्व में आने के बाद से ही जनता के धरोहर होते हैं। उन्हें उनकी भलाई में

लगाया जाना चाहिए, न कि पेटेन्ट करा के उनसे मुनाफा कमाया जाना चाहिए। ऐसी महान सोच एक महिला ही रख सकती है।

वैज्ञानिक क्षेत्र में कदम रखने वाली डा. इन्दिरा हिन्दूजा ने 6 अगस्त, 1986 को भारत में सबसे पहले परखनली शिशु को जन्म कर करिश्मा कर दिखाया। उन्होंनें बांझपन और स्वस्थ शिशु के जन्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है।

सामाजिक नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका बढ़–चढ़ कर रही हैं। वे प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में भागीदारी करती आ रही है और यह परम्परा स्वाधीनता संग्राम में भी रही है। अपने देश के लिए गौरव की बात है कि नयी पीढ़ी की भारतीय नारियों ने भी इस पुन्य परम्परा को धूमिल नहीं पड़ने दिया है। सूचना शक्ति की प्रबल समर्थक अरुणा राय ने सन 1990 में 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' की स्थापना की। उन्होंने राजस्थान की सूचना का अधिकार विधेयक पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला।

समाज को समर्पित गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देशपाण्डे ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की शिक्षा और रोजगार के लिए कार्य किया। मेधा पाटकर को विस्थापितों का मसीहा कहा जाता है। अपेक्षित परिवर्तन हेतु इला भटट ने महिलाओं की दशा सुधारने में अथक प्रयास किया है। विगत 22 वर्षों से विकास और पर्यावरण के बीच सम्बन्ध पर काम कर रहीं सुनीता नारायण दिल्ली स्थित 'सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड एन्वायरमेंट' से जुड़ी हुई हैं।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश और विश्व में आर्थिक एवं अन्य मोर्चे पर एक मौन क्रान्ति हो रही है और इस क्रान्ति को अर्थोपार्जन क्षेत्र का सबसे सशक्त एवं सफल माध्यम माना जा रहा है। यह क्रान्ति है, कामकाज के क्षेत्र में महिलाओं का सक्रिय योगदान। अन्तरिक्ष उड़ान में भाग लेने वाली भारतीय महिलाएं

कल्पना चावला हों या फिर सुनीता विलियम्स तथा अंटार्टटिका, पर्वतारोहण, सेना तथा मैनेजमेंट जैसे जटिल एवं साहसपूर्ण क्षेत्रों में भी महिलाओं की अदभुत भागीदारी बढ़ रही है।

किरन मजूमदार शॉ जैसी उद्यमी महिलाओं ने स्वयं के हौसले पर बायोकॉन जैसी कम्पनी को खड़ा किया है। महाराष्ट्र में कई महिलाएं सहकारी बैंक के प्रमुख पदों पर हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, मीडिया, कानूनी सेवाएं और सलाहकार जैसे नए क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। देश के वस्त्र निर्यात उत्पादन में 60 फीसदी से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। चाय बागान तो महिलाओं के एकाधिकार में है। देश के पश्चिमी हिस्से में समुद्री भोजन तैयार करने वाले उद्योगों में महिलाएं ही प्रमुख हैं। 175 पुस्तकों की महान लेखिका महाश्वेता देवी का भारत में ही नहीं पूरे उपमहाद्वीप में वर्णन कर सकने लायक नाम है। सुधामूर्ति इन्फोसिस कम्पनी की संस्थापक है।

मुंह में एक भी निवाला डाले बगैर पिछले 12 साल से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के खिलाफ अकेली संघर्ष कर रही मणिपुर की 'आयरन लेडी' इरोम शर्मिला ने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए, इस विवादास्पद कानून को हटाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन पर भूख हड़ताल के दौरान आत्महत्या की कोशिश को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इरोम शर्मिला का कहना है कि लोग स्वेच्छा से उनके आन्दोलन से जुड़ना चाहते हैं। यही एक बड़ा बदलाव है। उनकी भूख हड़ताल दो नवम्बर 2000 को शुरु हुई थी। उन्होंने असम राइफल्स के जवानों द्वारा मुठभेड़ में 10 नागरिकों को मार दिए जाने के बाद इस कानून को हटाने के लिए अनशन शुरु किया था। इसके बाद से उन्हें नाक में नली लगाकर भोजन दिया जा रहा है। इरोम शर्मिला ने कहा कि वे यह भी चाहती हैं कि सरकार अफस्पा हटाने की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा की सिफारिश का सम्मान करे।

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने वर्ष 2008 में राज्यपालों के बैठक में महिलाओं पर मुकम्मल काम हेतु जोर दिया, जिसका परिणाम निकला, 'राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन' की स्थापना।

भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछली सदी में कई बदलाव हुए हैं। बदलाव के फलस्वरूप ही आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमण्डल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए विदेश सचिव से मुलाकात की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। अपेक्षित परिवर्तन हेतु भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भीकाजी कामा, डा. एनीबेसेन्ट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी आदि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय नाम हैं– मुथुलक्ष्मी रेडडी, दुर्गाबाई देशमुख आदि। सुभाष चन्द्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झांसी की रानी रेजीमेंट पूरी तरह से महिलाओं की सेना थी। जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थीं। एक कवियित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राज्य की पहली राज्यपाल थीं।

इन्दिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पन्द्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया तथा दुनिया की सबसे लम्बे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री रहीं।

स्वयं सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) जैसे एन.जी.ओ. ने भारत में महिला अधिकारों के लिए प्रमुख भूमिका निभायी है।

महिलाओं ने अपेक्षित परिवर्तन हेतु जब भी मौका मिला

कार्य किया है। 1886 में कादम्बिनी गांगुली और आनन्दी गोपाल जोशी पश्चिमी दवाओं में प्रशिक्षित होने वाली भारत की पहली महिलाएं बनीं। 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्रता के बाद सरोजिनी नायडु संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनीं और इस तरह वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं। सन 1953 ई. में विजयलक्ष्मी पण्डित यूनाइटेड नेशंस एसेम्बली की पहली महिला (पहली भारतीय) अध्यक्ष बनीं। सन 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली वे पहली महिला थीं। अपेक्षित परिवर्तन के लिए ही अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित करने वाली मदर टेरेसा ने नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त किया। भारतीय मूल की कल्पना चावला ने अन्तरिक्ष में ऊंची उड़ान भरी।

महिलाओं के अधिकारों के बारे में सर्वदा जागरुक हंसाबेन तथा राजकुमारी अमृत कौर ने संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति की बैठक में संविधान में समान नागरिक संहिता शामिल किए जाने पर बल दिया, क्योंकि वे गहराई से यह महसूस करतीं थीं कि उस संहिता से राष्ट्रीय–एकीकरण को बल मिलेगा। उस सुझाव को स्वीकार करने में जब कुछ हिचकिचाहट प्रकट की गयी तब उन दोनों ने अपनी असहमति दर्ज करायी। उस सुझाव के बाद में 'भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक तत्व' नामक 44वें अनुच्छेद में समाहित कर लिया गया। 26 जनवरी, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में हंसाबेन भी थीं। अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में 1946 में हंसाबेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 'महिलाओं के स्तर' से सम्बन्धित परमाण्विक उप आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत में वे अनेक शैक्षणिक संस्थानों के साथ जिसमें वे प्रथम उपकुल पति भी रही।

अपेक्षित परिवर्तन हेतु भारतीय महिलाओं ने अपना

वर्तमान स्तर प्राप्त करने के लिए जो सराहनीय प्रयास किया है तथा वे संघर्षों के जिस दौर से गुजरी हैं, उसे आने वाली पीढ़ी सदा ही याद रखेगी। यह अतीत अनुकरणीय है।

नयी सहस्त्राब्दि के बिहान की बेला में भारतीय महिलाओं में यह चेतना उत्पन्न हुई है कि उन्हें संवैधानिक अधिकारों तथा अवसरों के रूप में काफी कुछ मिला है।

युवा लेखिका तोरु दत्त अपने सम्पूर्ण पाश्चात्य दृष्टिकोण के बावजूद भारतीय देश के किसी भी अपमान को सहन नहीं कर पायी। तोरु का देहावसान 21 वर्ष की अल्पवय में हो गया था। उनकी कृतियों से उनके काल की गहरी झलक मिलती है। वे इंग्लैण्ड और फ्रांस में रहीं तथापि उन्हें अपने स्वदेशवासियों का तनिक सा भी अपमान सहन नहीं हो पाता था। जिस समय एक भारतीय को इस कारण तीन सप्ताह के कठोर श्रम का दण्ड दिया गया कि उसने एक अंग्रेज के पालतू कुत्तों से अपनी रक्षा की थी तब तोरु दत्त की संवेदनशीलता तुरन्त मुखर हो उठी थी। उन्होंने लिखा : ''कानून के ऐसे पैशाचिक दुरुपयोग के लिए न्यायाधीश को बर्खाश्त कर दिया जाना चाहिए।''

भारतीयता को समर्पित मीराबेन अपने समृद्ध ब्रिटिश परिवार में आराम की जिन्दगी छोड़कर गांधी जी के आश्रम के त्यागमय जीवन के साथ एकाकार हो जाने के लिए भूमि पर सोईं और उन्होंने सस्ते शाकाहारी भोजन पर जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपना जीवन ग्रामीणों की सेवा, खादी को प्रोत्साहन देने और विशेषतः निर्धनतम महिलाओं के बीच गांधी जी का संदेश फैलाने में व्यतीत किया। वैल्दी एच. फिशर ने निरक्षर लोगों के बीच शिक्षा का प्रकाश फेलाने की चेष्टा की। परम्पराओं में जकड़े हुए मध्यवर्ग की पृष्ठभूमि की महिलाओं का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे परिवर्तन की उस लहर की सच्ची प्रतिनिधि थीं, जिसने जनसाधारण को गहराई तक प्रभावित किया था। इस मिशन

में साहित्यकार, शिक्षाविद और गृहिणियां शामिल थी, जिन्होंने पुनर्जागरण का अभियान चलाया।

अपेक्षित परिवर्तन में तत्पर इन महिलाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर करने में कभी हिचक नहीं की। ऐसी महान महिलाओं में कई ऐसी महिलाएं भी थीं, जिन्हें भीषण अपमान की पीड़ा झेलनी पड़ी थी। सावित्री बाई फुले और पण्डिता रमाबाई ऐसी ही विरांगनाओं और दयालु आत्माओं की श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। सावित्रीबाई ने सताई गयी महिलाओं का पक्ष लिया तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार, दुर्व्यवहार और आक्रमण का सामना करना पड़ा। पंडिता रमाबाई ने हर तरह की यातना सहते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए आज महिलाएं राजनीतिक दलों का नेतृत्व करने लगी हैं। स्वतंत्रता के पहले और स्वतन्त्रता के बाद कार्य करने वाली महिलाओं की एक अन्तहीन सूची है। ऐसी वीरांगनाएं जिनके कारण वर्तमान पीढ़ी अपने अपेक्षाकृत सुरक्षित अस्तित्व तथा समानता के स्तर और अवसरों की सम्भावनाओं के लिए ऋणी हैं। फिर भी महिलाओं के ऊपर बढ़ती हुई हिंसा के कारण समस्त राज्यों में महिला थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर कमला देवी चटटोपाध्याय ने अगली प्राथमिकता राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को प्रदान की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं शिक्षा के बल पर कितनी महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं।

वीरांगना लक्ष्मीबाई से लेकर कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरु, सरोजिनी नायडु आदि की राष्ट्र के प्रति भूमिका अविस्मरणीय है। इन वीरांगनाओं के आहवान पर हजारों नारियों ने चौखट की परिभाषा बदलते हुए राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। अपेक्षित परिर्वान के लिए लक्ष्मीबाई ने नारी ओज, गरिमा, उसके वास्तविक सौन्दर्य तथा उसकी सबलता को रेखांकित किया।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका के सन्दर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत और कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत तक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने से गांवों की सत्ता में उनकी भागीदारी में कुछ बढ़ोत्तरी होने लगी है। कुछ पंचायतों में महिलाओं ने अच्छा काम करके अपने गांव की दशा सुधारने में सफलता भी प्राप्त की है।

बीसवीं शताब्दी के साथ ही भारतीय स्त्रियों की राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता आरम्भ हुई। सर्वप्रथम 1906 में बहिष्कार आन्दोलन के जुलूसों में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इसी दशक मे सरला देवी चौधरी ने स्त्री मण्डल के रूप में स्वयं स्त्रियों के संगठनों की स्थापना की। 1917 के भारतीय महिला संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों को मंच प्रदान किया। अपेक्षित परिवर्तन हेतु 1920 में अखिल भारतीय महिला समिति जैसी संस्थाएं भी सक्रिय रहीं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा तो लिया ही, स्त्री शिक्षा के प्रचार और बाल विवाह, पर्दा प्रथा व सती प्रथा के विरोध में माहौल बनाने का काम भी किया।

सन 1927 ई. में अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेंस का गठन हुआ जो आज तक भी सक्रिय हैं आजादी के बाद भारत के संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। सन 1972 ई. में ही सेवा (अहमदाबाद) संस्था का गठन हुआ। यह संस्था महिलाओं के लिए समान मजदूरी, रोजगार के अवसर जैसे मुद्दों को लेकर शुरु की गयी थी। 1973 में गौरा देवी के नेतृत्व में उत्तरांचल क्षेत्र में 'चिपको आन्दोलन' हुआ। महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया। इस आन्दोलन में जमीन और वनों पर महिलाओं का मानवीय अधिकार साबित हुआ। सन 1978 ई. में बोधगया (बिहार) में जमीन के मालिकाना हक के लिए औरतों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। यह अपने आप में छोटी मगर महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं के मालिकाना हक

को आवाज दी।

अपेक्षित परिवर्तन हेतु महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी आवाज को बुलन्द किया है। सन 1979 ई. में दहेज के खिलाफ आन्दोलन दिल्ली में शुरु हुआ, जो 1982 तक चला। इसी दौरान दहेज विरोधी चेतना मंच का गठन हुआ। सन 1980 ई. में मथुरा रेप केस ने देश भर में महिलाओं पर होने वाली यौन हिंसा पर चुप्पी तोड़ी। पहली बार ऐसा हुआ कि बलात्कार के लिए लड़की के अलावा किसी और को दोषी माना गया।

महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विमर्श करने के लिए सन 1980 ई. में पहला राष्ट्रीय महिला सम्मेलन मुम्बई में हुआ। इसमें 32 महिला समूहों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में बलात्कार और महिला शोषण जैसी समस्याओं पर खुली बहस की शुरुआत हुई।

1980 के दशक की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पहलू था महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन किया जाना। 1983 में भोपाल गैस काण्ड में महिला समूहों ने राहत कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 1984 में हिन्दू–सिक्ख दंगों में सिक्ख विधवाओं को एकल परिवार के रूप में समाज में इज्जत का दर्जा और उनको अपनी जगह दिलाने के लिए महिला समूहों ने मिलकर काम किया। 1986 में बिहार के जहानाबाद जिले के कंसारा गांव में घरेलू मारपीट के खिलाफ वहां पर औरतों ने घर का कामकाज बन्द कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि घरेलू हिंसा की समस्या पर लोगों का ध्यान गया। अपेक्षित परिवर्तन हेतु सन 1987 ई. में महिलाओं के समूहों ने भ्रूण लिंग परीक्षण के विरोध में आन्दोलन शुरु किया।

राजनीतिक दृष्टि से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की शुरुआत सन 1993 में हुई, जब संविधान में 73–74 वां संशोधन किया गया। इसके द्वारा पंचायतों में महिलाओं की

भागीदारी तय की गयी। सरकार ने पंचायतों में महिलाओं कें लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय किया। इसके कारण ग्रामीण स्तर पर सत्ता में औरतों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है।

पिछले दो–तीन दशकों में भारतीय स्त्रियों के आत्मविश्वास, जीवन–शैली, आचार–विचार और भूमिकाओं में काफी बदलाव आए हैं। एक डेढ़ दशकों में बदलाव का पहिया कुछ ज्यादा तेजी से घूमा है। यह तस्वीर महज महानगरों तक ही सीमित नहीं रही, बयार छोटे शहरों और कस्बों तक भी जा पहुंची है। अमेरिका और यूरोप में ज्यादातर कालेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में लड़कियों की संख्या अब लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। एक अध्ययन से पता चला है कि अगले दस सालों में दुनिया की बेहतरीन पांच सौ कम्पनियों में सौ से ज्यादा सी.ई.ओ. महिलाएं रहेंगी। महिलाओं के पास दुनिया में आगे बढ़ने के तमाम अवसर हैं। एक पूर्वानुमान के मुताबिक सन 2013 ई. में आय में उनकी भागीदारी काफी बढ़ चुकी है। भारत और चीन के आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के बाद महिलाओं की स्थिति को और बल मिला है। एक सर्वे में पाया गया कि भारत के बैंकिंग सेक्टर में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। यानि कुल मिलाकर दुनिया में महिलाओं की स्थिति और बेहतर होती जा रही है।

महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान अवसर प्रदान करने के लिए कुछ कानून बने हैं, इन कानूनों ने भारत में महिलाओं की स्थितियों पर बहुत हद तक असर डाला है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कुछ महिलाओं ने साहित्य, राजनीति, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी बनीं। गोंड की महारानी दुर्गावती ने सन 1564 ई. में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पन्द्रह वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने सन 1590 ई. के

दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। शिवाजी की मां जीजाबाई को उनकी क्षमता के कारण क्वीन रेजीमेंट के रूप में पदस्थापित किया गया। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गांवों, शहरों और जिलों पर शासन किया और सामाजिक और धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की। सन 1990 ई. में दुनिया अपने दरवाजे खोल रही थी। ग्लोबलाइजेशन का दौर दस्तक दे रहा था। इससे अपेक्षित परिवर्तन के लिए महिलाओं में नए तरह का आत्मविश्वास देखा जाने लगा।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए कार्य करने वालों में डा. किरन बेदी का नाम महत्वपूर्ण है। किरन बेदी भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी रही हैं। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्य–कुशलता का परिचय दिया है। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा स्पेशल आयुक्त, खुफिया, दिल्ली पुलिस के पद पर कार्य कर चुकी हैं। उनके मानवीय एवं निडर दृष्टिकोण ने पुलिस कार्य प्रणाली एवं जेल सुधारों के लिए अनेक आधुनिक आयाम जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्हें एशिया के मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। वे एशियाई टेनिस चैम्पियन रही हैं। उनके द्वारा दो स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

देहरादून की जुड़वा बहनों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउन्ट एवरेस्ट पर फतह किया है। 21 वर्षीय ताशी और नुंग्शी मलिक आठ मार्च 2013 को 'टवीन ए टॉप एवरेस्ट 2013' के लिए रवाना हुई। लम्बी यात्रा के बाद उन्होंने 8850 मीटर ऊंची चोटी पर झण्डा फहराया। ताशी और नुंग्शी की सफलता का मन्त्र था, पहले बड़े सपने देखो, फिर उन्हें साकार करो इसी दिशा में उनका लक्ष्य दुनिया की सात ऊंची चोटियों को फतह करना है। अपेक्षित परिवर्तन के लिए भारत की जुड़वा बहनोंने एक साथ पहली बार चोटी पर चढ़ने का रिकार्ड बनाया।

राष्ट्रीय स्तर की पूर्व बॉलीबाल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा के हौसले के आगे माउन्ट एवरेस्ट की ऊंचाई भी छोटी पड़ गयी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग खिलाडी बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। अरुणिमा ने 8848 मीटर ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर अपने हौसले का परचम लहराया।

वर्ष 2003 का 'नोबल शान्ति पुरस्कार' पाने वाली ईरान की भूतपूर्व मुस्लिम जज, वर्तमान में वकील, समाजसेवी, मानव अधिकार और लोकतंत्र संरक्षण की प्रवक्ता, रुढ़ियों के विरुद्ध हर खतरे का सामना करने वाली, महिला व बाल–अधिकारों के पक्ष में दृढ़ता से अडिग खड़ी रहने वाली 'शिरीन एवादी ने' यह सम्मान मिलने के बाद कहा ''यह जीत मानवाधिकार व लोकतंत्र की जीत है। महिला आन्दोलन अब मानवाधिकार आन्दोलन होना चाहिए, भले ही इसमें वक्त लगे। महिला एवं बाल अधिकारों की लड़ाई मानवाधिकार की लड़ाई है।''

अध्याय – दो

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका

ऐतिहासिक परिवर्तन

इतिहास में द्रौपदी, सावित्री और शकुन्तला जैसी जागरुक और तेजस्विनी स्त्रियां भी हैं, जिन्होंने समझौता परस्ती के विरुद्ध अपने अधिकारों और मान–सम्मान के लिए संघर्ष किया। द्रौपदी जैसा समग्र नारी चरित्र तो पूरे विश्व में शायद ही कोई दूसरा हो। सावित्री ने कृत संकल्प और अदम्य साहस से जिस तरह से सत्यवान को मौत के मुंह से खींच लिया, उससे वह स्वयं के बूते पर अपने दाम्पत्य और स्त्रीत्व का नया इतिहास रचती है। सन 1882 ई. का वर्ष भारतीय स्त्री के जागरण के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सन 1882 ई. में ही महाराष्ट्र की क्रान्तिकारी महिला ताराबाई शिन्दे की पुस्तक 'स्त्री–पुरुष तुलना' छपी थी। सन 1882 ई. में ही 'सीमन्तनी उपदेश' पुस्तक आयी। इस पुस्तक में अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं के जागरण का स्वर अत्यन्त प्रखर था। वैदिक संस्कृति में नारी के दिव्य रूप के साथ ही उसके सामाजिक रूप को भी स्वीकृति मिली।

वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को स्वतन्त्रता तथा समानता प्राप्त थी। वे साहित्य, सृजन, अध्यापन, बौद्धिक

एवं आध्यात्मिक चर्चाओं आदि कार्यों में समान रूप से भाग लेती थीं। अपाला, लोपमुद्रा, इन्द्राणी, रूचि आदि प्रमुख विदुषी महिलाएं थीं।

ऋग्वेद के अनेक सूत्र और मंत्र उस समय की लेखिकाओं, ऋषिकाओं और ब्रह्मचारिणियों द्वारा लिखे गए। भारतीय इतिहास और पौराणिक गाथाएं अनेक वीरांगनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी जीवनियां और उपलब्धियां लोक–कथाओं, कहानियों, कविताओं और लोकगीतों के विषय बन गए हैं।

ऋग्वैदिक काल में भारतीय नारी की स्थिति प्रायः सभी दृष्टियों में पुरुषों के समान थी। वस्तुतः आर्यों के प्रारम्भिक समाज में नारी जितनी स्वतन्त्र और मुक्त थी, उतनी परवर्ती काल में कभी नहीं रहीं। इस काल में पुत्र की तरह पुत्री का भी विद्यारम्भ से पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता था तथा पुत्र की भांति वह भी आश्रमों में जाकर शिक्षा अर्जित करती थी। इस काल के अनेक स्त्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिन्होंने ऋचाओं का निर्माण किया, यज्ञ किया, वेद–पाठ किया और समाज में सम्मानित हुई। इस काल की अनेक स्त्री ऋषियों में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा आदि महत्वपूर्ण है।

मैत्रेयी जैसी स्त्रियां सर्वप्रथम अमृतत्व के लिए सब कुछ छोड़ती देखी गयीं और मानवता की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना भी यहां सर्वप्रथम एक स्त्री के मुख से ही निकली। उपनिषदों में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद प्रसिद्ध है।

जितनी स्वतंत्रता तथा मुक्त नारी वैदिक काल में थी, उतनी परवर्तीकाल के किसी भी युग में नहीं। शिक्षा, ज्ञान, यज्ञ आदि विभिन्न क्षेत्रों में वह स्वतंत्रतापूर्वक सम्मिलित होती और सम्मान तथा आदर प्राप्त करतीं। अनेक ऐसी स्त्रियां थीं, जिन्होंने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया था। लोपामुद्रा विश्ववारा, घोषा आदि ऐसी ही विदुषी स्त्रियां थीं।

वैदिक काल में नारी की शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर

थी। नारी बुद्धि तथा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थी। यज्ञ सम्पादन तथा वेदाध्ययन का पूर्ण अधिकार था। दर्शनशास्त्र तथा तर्कशास्त्र में भी वे निपुण थीं। सूत्रकाल तक स्त्रियां यज्ञ सम्पादित किया करती थीं। महाभारत से ज्ञात होता है कि पाण्डवों की मां कुन्ती अथर्ववेद में पारंगत थीं।

आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक के दौरान भारतीय समाज में एक मात्र ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक सम्मानजनक थी। संसार के भोग—विलासों से दूर रहकर साधना, अध्ययन एवं मनन का जीवन व्यतीत कर रही थेरी गाथा में लगभग 77 विदुषी भिक्षुणियों के गीत संग्रहित हैं। महिलाओं ने राजनीतिक, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रन्थ कई महिला साध्वियों और सन्तों के बारे में बताते हैं, जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं। अपेक्षित परिवर्तन हेतु महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की।

रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी बनी। गोंड की महारानी दुर्गावती ने सन 1564 ई. में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पन्द्रह वर्षो तक शासन किया था। चांद बीबी ने सन 1590 ई. के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल राजकुमारी जहांआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवियित्रियां थीं और उन्होंने सत्तारुढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया। शिवाजी की मां जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण याद किया जाता है। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गांवों, शहरों और जिलों पर शासन किया

और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह का झण्डा बुलन्द किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है। अवध की सह—शासिका बेगम हजरत महल एक अन्य शासिका थीं, जिसने सन 1857 ई. के विद्रोह का नेतृत्व किया था। भोपाल की बेगमें भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने परदा प्रथा को नहीं अपनाया।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही हर एक भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा उठ जाता है। स्वतन्त्रता एवं मानवाधिकारों की देवी लक्ष्मीबाई ने अपने युग में न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठायी, वरन अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया। 'भारत भारतीयों के लिए' का नारा बुलन्द करने वाली रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से इन्कार कर दिया था और उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी।

स्वतंत्रता, एकता और देश की अखण्डता का महत्व रानी लक्ष्मीबाई अच्छी तरह समझती थीं, तभी तो उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और जो अंग्रेजों के पिटठू बने हुए थे, उन्हें चूड़ियां पहनने के लिए विवश किया। वीर—सावरकर ने सबसे पहले रानी झांसी के बलिदान को अपनी लेखनी से सच्ची श्रद्धांजलि दी और जिस राष्ट्रव्यापी जंग को अंग्रेज गदर की संज्ञा देते थे, उसे उन्होंने आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए मीरा बाई ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत से राजस्थान के पितृसत्तात्मक राजशाही—सामन्तशाही माहौल में अपने लिए एक सम्माननीय

जगह बना ली थी। घूंघट को उतार पर्दे की घुटन से बाहर आयी थीं और अपने पगों में घुंघरु बांध लिए थे। घुंघरु प्रतीक थे मीरा की आजादी के। मीरा के तेजस्वी व्यक्तित्व को राजस्थान का घोर परम्परावादी समाज भी नकार नहीं सका। आज भी मेवाड़ की इस बेटी को याद किया जाता है। राजस्थान की धरती पर समान बाई, सहजोबाई और रुपा बाई जैसी महिला सन्त भी हुयी है।

उत्तरांचल में महिलाओं द्वारा जंगलों की रक्षार्थ चिपको आन्दोलन चलाया गया तो लोगों को याद आया कि राजस्थान के इलाके में भी सैकड़ों साल पहले एक चिपको आन्दोलन हुआ था।

ब्रह्मवादिनी 'घोषा' रचित ऋग्वेद के दशममण्डल के सूक्तों (39वां एवं 40वां) को कौन नजरअन्दाज कर सकता है? स्पष्ट है कि स्त्रियां शिक्षित होती थीं। लोपामुद्रा, सूर्या, आपाला आदि ऋाषिकाओं को कौन भूल सकता है? बृहस्पति की पत्नी जुहू, विवस्वान की पुत्री यमी, ऋषिका श्रद्धा केवल मंत्रों की रचयित्री ही नहीं अपितु कवियित्री भी थीं। महिलाएं कविताएं करतीं, गायन करती तथा नृत्यकला को भी जानती थीं। स्पष्ट है कि ऋग्वेद हमें बताता है कि भारतीय महिलाएं विविध कलाओं में निपुण थी। मण्डन मिश्र की पत्नी स्वयं परम विदुषी थीं। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा पण्डिता थी। शकुन्तला, अनुसूया, दमयन्ती, सावित्री आदि जगत प्रसिद्ध महिलाओं का इतिहास बरबस हमें सोचने को विवश कर देता है। गार्गी, मैत्रेयी, अनुसूया, अहिल्या, सीता, द्रौपदी, रुक्मिणी, तारा, मन्दोदरी, कुन्ती, गान्धारी आदि न जाने कितनी नारियां हो चुकी हैं, जिन पर भारतवर्ष सदियों से गर्व करता आ रहा है। अपेक्षित परिवर्तन के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति प्रशंसनीय है–

बुन्देले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।

महाराणा प्रताप की बहन ने राज्य लिप्सा, भोग लिप्सा में लिप्त अकबर को धूल चटा दी थी। बीजापुर की शासिका 'चांद बीबी' की वीरता का स्मरण समस्त भारतवासी श्रद्धा से करते हैं।

बौद्ध काल में भी भारतीय समाज में नारियों की स्थिति सम्मानजनक थी। उस समय नन्दा, गौतमी, भद्रा, कपिता, ब्रह्मदत्ता, विशाखा और खेमा आदि ऐसी नारियां थीं, जिन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए उन्नीसवी सदी पर नजर डालें तो भोपाल रियासत की नवाब बेगमों का शिक्षा के प्रति रुझान और उनके द्वारा स्त्रीशिक्षा के लिए किए गए प्रयास अदभुत लगते हैं। यह भी दिलचस्प है कि इस रियासत में सन 1819 ई. से लेकर सन 1926 ई. तक नवाब बेगमों का शासन रहा, जिन्होंने सफलतापूर्वक न केवल शासन किया बल्कि अपनी जनता के बीच लोकप्रियता भी हासिल की। कुदसिया बेगम के बाद नवाब सिकन्दर बेगम, उनके बाद उनकी बेटी सुलतान शाहजहां बेगम ने सफलतापूर्वक भोपाल रियासत पर न केवल शासन किया, बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारा था सुधारा। सबसे उल्लेखनीय शासन व्यवस्था नवाब सुल्तान जहां बेगम के समय में थी जिन्होंने जून सन 1901 ई. से अप्रैल सन 1926 ई. तक भोपाल राज्य की गद्दी संभाली। भोपाल में चार पीढ़ियों तक नवाब बेगमों का शासन रहा।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए इतिहास में अनेक महिलाओं का योगदान रहा है। उन्नींसवी सदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में अनेक स्त्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। आज हमारे सामने अनेक महिला सामाजिक कार्यकर्ता है जिनकी सामाजिक सक्रियता, उपलब्धियों और ऐतिहासिक भूमिका को अतीत से खींचकर सबके सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है। उपरोक्त साहसी और समय से आगे अपनी भूमिका का निर्धारण करने वाली इन महिलाओं

को कभी तो सामने आना ही था। अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया जाना चाहिए। खासतौर पर वे अनजाने छिपे चेहरे जिन्होंने एक–एक दीपक जलाकर रोशनी फैलाने की कोशिश की है।

पर्यावरण संरक्षण में

आज की नारी उन बुलन्दियों को छू रही है, जो कल तक उसके लिए सपना भर था। यद्यपि आजादी से पहले भी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा चुकी हैं, परन्तु आज जिस तरह से ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है, इस स्थिति पर हम सबका गौरवान्वित होना स्वाभाविक है। आज की नारी ने अनेक वर्जनाओं को तोड़कर अपने विराट प्रदर्शन से सारी दुनिया को अचम्भित किया है।

वर्ष 1970 के दौरान महिलाओं ने 'चिपको आन्दोलन' में अपनी भागीदारी व अदम्य साहस का प्रदर्शन कर वन–विनाश को रोकने में सफलता प्राप्त की। इसी के साथ ही अनेक अन्य महिलाएं, महिलाओं में पर्यावरण चेतना व जागृति के बीज बोने का निरन्तर प्रयास कर रही है, जो सभी महिलाओं के लिए अनुकरणीय है। 'चिपको आन्दोलन' से सम्बन्धित सन 1974 ई. में एक अविस्मरणीय घटना घटित हुई, जिसमें उत्तराखण्ड के रैणी गांव में श्रीमती गौरां देवी की अगुवाई में महिलाओं ने अपने गांव को वनों के भीषण विनाश से बचाने में सफल हो सकीं। यह घटना उस समय हुई, जब गांव में पुरुष अपने रोजमर्रा के काम से गांव से बाहर थे और गांव में केवल महिलाएं और बच्चे ही थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस कार्य को अन्जाम दिया। गौरां देवी ने कहा कि जंगल बचेगा तो हम बचेंगे और तभी यह समाज भी बचेगा। इस आन्दोलन में महिलाओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ा और सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक गयीं। अन्ततः पेड़ काटने वालों

को खाली हाथ लौटना पड़ा। गौरां देवी ने कहा कि जंगल हमारा मायका है और ये समस्त पेड़ और वनस्पतियां हमारे ऋषि मुनि हैं। जंगल तो हमारे रोजगार हैं, जो हमें धन–धान्य व जीवन प्रदान करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में पर्यावरण संगठन की प्रमुख सुनीता नारायण के शब्दों में ''अब समय आ गया है कि हम अपनी मूर्खता से बाहर निकलें और निश्चित करें कि तीव्र आर्थिक विकास चाहिए अथवा पर्यावरण सुरक्षा। आज के इस दौर में मेधा पाटेकर, अरुन्धति राय, मेनका गांधी एवं राधा भटट जैसी अनेक सशक्त महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्षरत हैं, जो सभी महिलाओं के लिए उदाहरण स्वरूप हैं।''

जल, जंगल और जमीन समस्त मानव जाति के लिए ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र के जीवित रहने के तीन स्थायी स्तम्भ हैं।

निःसंदेह वर्तमान में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। ऐसी निराशाजनक स्थिति में पर्यावरण को संरक्षित व बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने में महिलाओं का अद्वितीय योगदान है, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी रही है।

पर्यावरण संरक्षण में बंगारी मथाई ने ग्रीन बेल्ट का आन्दोलन ही शुरु नहीं किया वरन बंगारी मथाई ने तो महिलाओं को पर्यावरण के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने के लिए निरन्तर संघर्षरत रहकर पर्यावरण आन्दोलन में महिलाओं का समावेश भी करवाया। इसी के परिणामस्वरूप वर्ष–2004 में बंगारी मथाई को नोबल शान्ति पुरस्कार से नवाजा गया, जो इस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हैं। बंगारी मथाई का अनुकरण करते हुए अन्य महिलाएं भी विश्व के पर्यावरण को दूषित होने से बचाने में सराहनीय कदम उठा रही है।

ग्रामीण महिलाओं का खेती के कार्य करते हुए प्रकृति व

पर्यावरण से सीधा जुड़ाव होता है और पशुपालन व्यवसाय में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः वे पशुओं के गोबर आदि का जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। निस्संदेह आज विश्व में जैविक उत्पादों की मांग व कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में मजबूती आ रही है।

आज पूरा विश्व जल संकट व प्रदूषित जल की भीषण त्रासदी से गुजर रहा है। इसका समाधान करने में महिलाओं की सशक्त भूमिका हो सकती है। वे वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण तथा जल के सदुपयोग को सुनिश्चित कर तथा खेती में अतिरिक्त जल को बरबादी से बचाकर इस संकट से सभी को उबार रही है। यदि महिलाओं द्वारा शुरु की गयी ''चिपको आन्दोलन'' को समझा गया होता तो उत्तराखण्ड में जून 2013 को आयी सुनायी आपदा न आयी होती। महिलाएं इस आपदा को जानती और समझती हैं। वनों से हमारा कितना गहरा नाता है यह 'चिपको आन्दोलन' से समझ आना चाहिए। वनों के अस्तित्व से ही मानव का अस्तित्व शेष है क्योंकि मनुष्य अपनी समस्त बुनियादी व ऐश्वर्ययुक्त जरुरतों को इन्हीं की बदौलत ही पूरा कर पाता है।

देहरादून में जन्मी वन्दना शिवा का नाम पर्यावरण आन्दोलन के बड़े नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने पर्यावरण व वैश्वीकरण पर करीब बीस किताबें लिखी हैं। मशहूर पर्यावरणविद वन्दना शिवा कहती हैं 'पहाड़ों के बीच में सड़क और बांध बनाने के कारण आज यहां काफी भूस्खलन होने लगे हैं। दूसरी ओर निर्माण कार्यों से निकले मलबे को नदी के तल में बहाया जा रहा है। जिस कारण ज्यादा बाढ़ आने लगी है। राज्य द्वारा किए गए इन कार्यों से मौसम में तेजी से बदलाव आरम्भ हो गए।

गढ़वाल की प्रसिद्ध पर्यावरणविद मीरा बहन ने जीवन

भर हिमालयी क्षेत्रों को बचाने के प्रयास किए।' यह सब कार्य उपरोक्त महिलाओं ने अपेक्षित परिवर्तन हेतु ही किया।

सामाजिक परिवर्तन में

सावित्रीबाई फुले और पण्डिता रमाबाई सरस्वती वीरांगनाओं की श्रेष्ठ प्रतिनिधि है। सावित्रीबाई ने सतायी गयी महिलाओं का पक्ष लिया और सामाजिक बहिष्कार, दुर्व्यवहार और आक्रमण का सामना प्रसन्नतापूर्वक किया। पण्डिता रमाबाई ने भूखमरी के कगार पर ले जाने वाली भूख की यंत्रणा सहन की तथा बेघर बंजारिन का जीवन बिताया परन्तु ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ा और महिलाओं के विरुद्ध दमनकारी पूर्वाग्रहों से जमकर लोहा लिया। सन 1889 ई. में पण्डिता रमाबाई ने कांग्रेस अधिवेशन में नौ महिला प्रतिनिधि ले जाकर क्रान्ति ही मचा दी थी। ये वे वीरांगनाएं हैं जिनके कारण वर्तमान पीढ़ी अपने अपेक्षाकृत सुरक्षित अस्तित्व तथा समानता के स्तर और अवसरों की सम्भावनाओं के लिए ऋणी है। ये देश भक्त महिलाएं अपने कार्यक्षेत्रों में निःस्वार्थ प्रयासों के लिए जानी जाती है।

उपरोक्त महान महिलाओं ने जिस सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया वह अन्य रुपों में भी अभिव्यक्त हुई। सावित्रीबाई फुले ने जब सन 1848 ई. में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की तो उस काल के परिप्रेक्ष्य में वह एक महत्वपूर्ण क्रान्ति का प्रतीक बन गया। सवित्रीबाई तथा उनके पति ने अपने आपको दलित वर्गों के साथ पूर्णतः एकाकार करके अस्पृश्यता के विरुद्ध एक सबसे बड़ा अभियान छेड़ा।

अनेक ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने संचार माध्यमों, विज्ञान, खेल, कूटनीति, लोक प्रशासन तथा अन्य अनेक नए कार्यक्षेत्रों में अपने कार्यों से उज्ज्वल आलोक प्रसारित किया है। भगिनी निवेदिता बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। कला, साहित्य तथा

मानवीयता में उनकी गहरी रूचि थी।

एनीबेसेन्ट एक प्रतिभावान महिला थीं तथा उनकी रूचियां और गतिविधियां व्यापक क्षेत्र तक फैली हुई थी। सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के पश्चात उन्होंने थियोसॉफी के मंच पर संतुष्टि प्राप्त किया। एनीबेसेन्ट का स्वभाव था कि वे सामाजिक समस्याओं का गहराई से अध्ययन करतीं और सामाजिक कुप्रभाओं एवं राजनीतिक व्याधियों के शिकार बने लोगों को राहत पहुंचाती।

रमाबाई रानाडे (सन 1862—1924 ई.) ने सामाजिक जागृति पैदा करने, महिलाओं की शिकायतों के निवारण तथा पीड़ित महिलाओं के समुचित पुनर्वास के लिए सेवा सदन सरीखी उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए घोर परिश्रम किया।

अपेक्षित परिवर्तन हेतु लेडी अबाला बोस (सन 1865—1951 ई.) ने ऐसा जीवन जीया जो अनेक प्रकार से विशिष्टतापूर्ण रहा। 19वीं तथा प्रारम्भिक 20वीं शताब्दियों की सामाजिक दशाएं अत्यन्त निराशाजनक थीं। बाल विवाह तथा पुरुषों में बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं का चलन तथा स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखना और उनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टियों से पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए विवश किया जाना, समाज के लिए आधारों को नष्ट कर रहा था। लेडी अबाला बोस सच्चे अर्थों में सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उनकी यह धारणा थी कि स्त्रियों की मुक्ति तभी सम्भव है, जब भारतीय महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत कर दी जाए। लेडी अबाला बोस ने नारी मुक्ति के अपने दृढ़ संकल्प को कार्यरूप में परिणत किया तथा यह कार्य उन्होंने निःस्वार्थ भाव से और निर्विरोध रहकर चुपचाप सम्पन्न किया।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी भूमिका समाज में, और आज के युवाओं के सामने नहीं आ पायी है, जिसे आना

चाहिए था। कुमारी लज्जावती (सन 1898—1984 ई.) ने अपना सम्पूर्ण जीवन बालिका शिक्षा और महिला उत्थान में लगा दिया। कु. लज्जावती एक राष्ट्रवादी तथा स्वतत्रंता संग्राम सैनिक थीं कु. लज्जावती छात्राओं के व्यक्तित्व को बौद्धिक और शारीरिक दृष्टि से विकसित करने के अतिरिक्त उन्हें ऐसी उत्तरदायी नागरिक बनाना चाहती थीं जो शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकें। वे छात्राओं के हृदय में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना भरना चाहती थीं। शहीद भगत सिंह तथा उनके साथियों के बचाव अभियान से भी वे घनिष्ठता से जुड़ी थीं।

अपेक्षित परिवर्तन हेतु समाज—सुधार आन्दोलन और स्त्री शिक्षा के प्रचार—प्रसार के परिणामस्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होने लगीं। इसके साथ ही स्त्री संगठन बनाने की मुहिम भी जोर पकड़ने लगी। अपर्णा बसु ने इस इतिहास को उभारने की कोशिश की है। उनके अनुसार सन 1892 ई. में स्वर्ण कुमारी देवी ने सखी समिति का गठन किया। इसी साल पंडिता रमाबाई ने पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने बम्बई प्रान्त में कई और स्त्री संगठन बनाए। सन 1901 ई. में सरला देवी चौधरानी ने अखिल भारतीय स्तर का भारत स्त्री महामण्डल की स्थापना की, परन्तु यह संगठन थोड़े समय बाद बन्द हो गया। सन 1917 ई. में ऐनीबेसेन्ट ने मद्रास में वीमेन्स इण्डियन एसोसिएशन बनाया।

सन 1927 ई. में प्रथम अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सुधार सम्मेलन पूना में सम्पन्न हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से विभिन्न जातियों और धर्मों की स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में लड़कियों का प्रस्ताव रखा। सन 1920 ई. में मद्रास प्रान्त में तथा सन 1921 ई. में बम्बई में स्त्रियों को मताधिकार मिल गया। सन 1930 ई. में छुआछूत

का मसला लेडी हीराबाई टाटा ने उठाया था। शहीदा लतीफ के अनुसार आजादी से पहले भारतीय नारी आन्दोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने असाधारण नेतृत्व तथा राष्ट्रीय आन्दोलन से अपनी निकटता की वजह से सफल रहा।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में सन 1901–1902 ई. में हैदराबाद लेडिज एसोसिएशन की स्थापना हुई। अन्य सामाजिक कार्यों के अलावा यह संस्था गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए धन जुटाने के कार्य में लगी थी। अपेक्षित परिवर्तन के लिए सन 1913 ई. में बेगम खेदिव जंग ने अंजुमन–इ–खवातीन–ई–इसलमा (मुस्लिम लेडिज एसोसिएशन) की स्थापना की। सन 1919 ई. में श्रीमती हुमायुं मिर्जा ने अंजुमन–ई–खवातीन–ई–दक्कन (दक्कन लेडिज एसोसिएशन) बनाया। 1 मार्च सन 1914 ई. में अलीगढ़ में द ऑल इण्डिया मुस्लिम लेडिज काफ्रेंस की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य भी शिक्षा तथा मुसलमान स्त्रियों के वाजिब अधिकारों को प्राप्त करना था।

रमाबाई के अनुभवों से अन्दाज लगाया जा सकता है कि लिंग समानता का सवाल या स्त्री को अपना रास्ता स्वयं निश्चित करने का अधिकार किसी भी व्यवस्था के लिए कितना संवेदनशील हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधवाओं के लिए मानवीय अस्तित्व सुलभ बनाने की कोशिश में उन्हें तत्कालीन समाज के सभी महत्वपूर्ण लोगों की भर्त्सना का शिकार होना पड़ा।

मुस्लिम एजुकेशनल कान्फ्रेन्स में सक्रिय भूमिका निभाने वाली भोपाल की बेगम ने सन 1907 ई. में अलीगढ़ में बालिका विद्यालय खोलने के लिए राशि दी। सन 1914 ई. में उन्होंने यहीं पर मुसलमान स्त्रियों की मीटिंग बुलायी। इसके पश्चात हर दो साल में अखिल भारतीय मुसलमान महिला कान्फ्रेन्स के नाम से इसका सम्मेलन देश के विभिन्न भागों में होता रहा।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए भारतवर्ष में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का विचार सबसे पहले दुर्गाबाई देशमुख ने ही रखा था। दुर्गाबाई की गतिविधियां उस समय शुरु हो गयी थीं, जब वे मुश्किल से बारह वर्ष की थीं। उन्होंने पत्नियों को पीटने वालों की निन्दा की तथा उनके सामाजिक–बहिष्कार की मांग की।

मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में

16 दिसम्बर, 2012 को हुए निर्भय बलात्कार काण्ड के बाद से भारतीय समाज में बहुत कुछ बदल गया है। इस काण्ड के बाद दिल्ली और देश के अन्य शहरों में जिस तरह के स्वतः स्फूर्त आन्दोलन हुए, उसकी चेतना अब भी लोगों में, खासकर महिलाओं और युवा वर्ग में देखी जा सकती है। इसी चेतना के दबाव का असर है कि सरकार ने बलात्कारियों को सजा देने और इस कृत्य से जुड़े अन्य कानूनों में जल्दी से जल्दी संशोधन कर दिया है।

उपरोक्त घटना से पहली बार एक साथ सामाजिक चेतना की लहर जागी है। देश के अधितर हिस्सों में आक्रोश और क्रोध दिखा है। आज अपेक्षित परिवर्तन यह जरुर हुआ है कि अब ऐसे अपराधों को माता–पिता या खुद लड़कियां छुपा नहीं रही हैं, बल्कि इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रही हैं, ताकि समाज के सामने ऐसे हैवानों का चेहरा बेनकाब किया जा सके और उन्हें कानून के शिकन्जे में कसा जा सके, जिससे वे दूसरी लड़कियों, बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए आजाद न रह सकें।

मनोवैज्ञानिक रूप से परिवारों में लड़कियों में आत्मविश्वास और स्वायत्तता आयी है। पिछले कुछ वर्षों में समाज में अपेक्षित परिवर्तन की जो बयार बही है, उसने छोटे–बड़े, अमीर–गरीब, महिलाओं–पुरुषों सभी को अपने प्रभाव में ले लिया है। मध्यमवर्गीय परिवारों में लड़कियों की

स्थिति में सुधार आया है, और उनके सपनों ने ऊंची उड़ान भरी है। मनोवैज्ञानिक रूप से हुए इस परिवर्तन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि आजादी के पहले भी इस देश की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा चुकी हैं, परन्तु आज जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है वह प्रशंसनीय है।

16 दिसम्बर, 2012 को घटी बलात्कार की घटना से पहली बार एक साथ सामाजिक चेतना की लहर जागी है। इस घटना के बाद देश के अधिकतर हिस्सों में आक्रोश और क्रोध दिखा। सख्त कानून के साथ ही कानून के रखवालों का भी सख्त, सतर्क और निष्पक्ष होना जरुरी है। निष्पक्ष न्याय के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाए जाने होंगे ताकि हर इन्सान बेखौफ जीवन जी सके और हर अपराधी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति कठोर दण्ड के डर से अपराध न करे। बलात्कार एक ऐसा अपराध है, जिसे सदैव पुरुष ही करता है और अपने से कमजोर के साथ करता है। ऐसे अपराधियों के लिए कारावास, जुर्माना या शारीरिक दण्ड निःसंदेह कम है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति अपराधों में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई है, जो वाकई चिन्ता का विषय है। अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसने की जरूरत है, जिससे वे दूसरी लड़कियों, बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए आजाद न रह सकें। आज महिलाओं के हक और न्याय की बात की जा रही है और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके मनोबल को ऊंचा किया जा रहा है। आज हमारी जरूरत है कि मानसिक रूप से महिलाओं को सम्मान दें और इसे अपने रहने और सोचने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शामिल करें। महिलाओं का सम्मान कोई अलग प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का अभिन्न अंग है। यह हमारी विरासत है। बलात्कार हमारी सम्पूर्ण अवनति का परिचायक है।

आज महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। महिलाओं में अपेक्षित परिवर्तन हेतु आत्मविश्वास बढ़ा है और उनमें विरोध करने की क्षमता तथा इच्छा में भी वृद्धि हुई है। अपेक्षित परिवर्तन के लिए महिलाओं में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रगति के मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को हटाने की क्षमता में वृद्धि हुई है। शिक्षा के बढ़ते प्रचार की वजह से महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुकूल अपने भविष्य का निर्माण करने का समुचित अवसर मिल रहा है। वकालत एवं न्याय विभाग में महिलाओं की रूचि देखकर ऐसा लगता है कि उनके कदम विश्व की समस्त बुलन्दियों को स्पर्श करने के बाद ही रुकेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं में जागरुकता आयी है। उनमें चेतना का विकास हुआ है। आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है कि महिलाएं आई.टी., बैंकिंग, सेना, पत्रकारिता, कला, फिल्म आदि क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर पहुंची हैं और अपने काम से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाएं इस हद तक सफल रही हैं कि वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को उठा रही हैं और समाधान की मांग कर रही हैं।

आज महिलाओं ने कंधे से कन्धा मिलाकर जिस तरह से अपनी सामूहिकता का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है। अपेक्षित परिवर्तन के लिए विश्व की महिलाओं ने मनोवैज्ञानिक रूप से जिस आत्मबल का परिचय प्रस्तुत किया है, वह देश के लिए अच्छा प्रतीक है। सरकार ने भी उनके बढ़ते हुए कदम को और आगे बढ़ाया है। नए-नए कानूनों को लाकर उनके कदमों को और मजबूत किया है। महिलाओं ने भी अपनी शक्ति की शुरुआत की है। पाकिस्तान की मुख्तारन बीबी को आज कौन नहीं जानता है? पहले वह सामूहिक बलात्कार की शिकार बनीं और उसके बाद कई त्रासदियों से

उन्हें गुजरना पड़ा। उसके बावजूद पाकिस्तान की मुख्तारन बीबी का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने अपने दर्द को भूलकर लड़कियों को पढ़ाने और पीड़ित महिलाओं की मदद का बीड़ा उठाया। वर्ष–2005 में 'वुमेन ऑफ दी ईयर' का अवार्ड पाने वाली मुख्तारन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिले हैं। मुख्तारन ने जो मजबूती दिखायी है और साहस का परिचय दिया है वह उदाहरण प्रस्तुत करता है।

इसी तरह मणिपुर की 'लौह महिला' इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल को पूरे बारह वर्ष हो गए है। 2 नवम्बर, 2000 को मणिपुर में एक बस स्टैण्ड पर अर्द्ध सैनिक बलों ने अंधाधुन्ध गोलियां चलायी थीं, जिसमें दस लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में छात्र व महिलाएं थीं। इससे विचलित इरोम शर्मिला ने 5 नवम्बर, सन 2000 ई. से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाए जाने की मांग को लेकर जो भूख हड़ताल शुरु की वह आज तक जारी है। मनोवैज्ञानिक रूप से जिस आत्मबल के साथ इरोम शर्मिला लड़ाई लड़ रही हैं, वह प्रशंसनीय है।

पाकिस्तान की पन्द्रह वर्षीय मासूम मलाला युसुफजई ने दुनिया को दिखा है कि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, साहस और पक्का इरादा हो तो न उम्र आड़े आती है और न ही वहां का सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक परिवेश जहां व्यक्ति रह रहा हो। तालिबान जैसी खंखार विचारधारा से टकराने वाली यह मासूम अपने साहस का परचिय देते हुए अपने अधिकारों से लड़ने की जो मिसाल पेश की है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि निर्णय लेने तथा अपने विवेक का प्रयोग आज महिलाएं आजादी के साथ कर रही हैं। महिलाओं को निर्णय लेने की आजादी है और वे सही समय पर सही निर्णय ले रही हैं। आज स्त्रियों की स्थिति में प्रगति हुई है। उनमें भी आजादी की इच्छाएं जगी हैं।

मनोवैज्ञानिक मैसलो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति में व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति पायी जाती है। मैसलों के अनुसार कुछ निचले स्तर की आवश्यकताएं होती हैं और कुछ उच्चस्तरीय आवश्यकताएं होती है। इनमें आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। आज विश्व की महिलाएं आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।

वर्तमान में स्त्रियां हर फलक पर अपना परचम लहरा रही हैं। बदलाव की यह बयार शुरु हो गयी है। महिलाएं अपने हक के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के लिए तैयार हैं। आज महिलाएं अपनी सामूहिक अस्मिता के प्रति जागृत हुई है। अस्तित्व की आवश्यकताओं ने नयी बड़ी सामाजिक इकाई बनने की ओर प्रेरित किया है। महिलाओं के जीवन के आयाम निश्चित रूप से बदले हैं। बदलाव पूरे समाज की सोच में भी आया है।

आज पूरे विश्व की महिलाएं 'पावर वुमेन' बनने को अग्रसर हैं। महिलाएं इच्छानुकूल भविष्य निर्माण की ओर बढ़ती जा रही हैं। आने वाला समय भारत और विश्व की नारियों का होगा, ऐसा माना जा रहा है। महिलाएं बुलन्दियों के उस हद तक पहुंच चुकी हैं, जहां की कल्पना भी नहीं की गयी थी। मानसिक रूप से महिलाएं आज इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि महिलाओं ने स्वयं अपने शोषण, उत्पीड़न और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठायी हैं। समान अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, तलाक के अधिकार, मताधिकार, परदे का विरोध, शिक्षा के अधिकार आदि मांगों को लेकर वे सक्रिय हैं।

आज महिलाओं का ऐसा समूह आगे बढ़ रहा है, जिसका मनोबल इतना उच्च है कि वह अपने आत्मविश्वास और स्वावलम्बन से दूसरों को भी रास्ता दिखा रही हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आज की महिलाएं साहसी, निर्भीक, उत्तरदायित्वों को समझने वाली, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने

के कारण अधिक सशक्त हैं। ऐसी सशक्त महिलाओं का दायित्व समाज के प्रति संवेदनशील होने के साथ ही ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें अतीत और वर्तमान की सर्वोत्तम खुशियां हों और जो भारत को मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण महाशक्ति बना सकें।

जागरुक शिक्षित महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। आज उच्च पदों पर वे सुशोभित हैं। महिलाएं उन मिथकों को तोड़ रही हैं, जो उनके विरुद्ध रचे गए हैं।

मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे बड़ा अपेक्षित परिवर्तन यह आया है कि नारी ने जीवन की सभी परिभाषाएं बदल दी हैं। चूंकि सशक्तीकरण की प्रक्रिया अधिकार प्राप्त करने, आत्मविकास करने और खुद फैसला लेने की और यह चेतना का वह मार्ग है, जो वृहत्तर भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करता है। अपेक्षित परिवर्तन हेतु आज समाज के हर क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का यही कहना है–

''आधा आसमान हमारा, आधी धरती हमारी, आधा इतिहास हमारा है।''

राजनैतिक परिवर्तन में

सभ्यता के प्रारम्भ से ही मानवता के विकास में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारतीय इतिहास और पौराणिक गाथाएं अनेक वीरांगनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की काफी सकारात्मक व महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सन 1857 ई. के बड़े संगठित विद्रोह के पूर्व भी जगह–जगह विदेशी शासकों के साथ जो युद्ध हुए उनमें देवी चौधरानी, रानी शिरोमणि, किन्नूर की रानी चेनम्मा ने अंग्रेजों को मार भगाने के लिए 'फिरंगियों भारत छोड़ो' की ध्वनि गुंजित की थी और अपेक्षित परिवर्तन हेतु अदम्य साहस और

फौलादी संकल्प की बदौलत अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। रानी चेनम्मा की याद में दक्षिण में 23 अक्टूबर का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1857 ई. के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सशक्त भूमिका निभायी थी। उनकी जयगाथा आज भी शत्रु संतति के सीने में अंकित है। बेगम हजरत महल, रानी तपस्विनी, रानी रामगढ़, जीनत महल, नाना की पालित बेटी मैना जिसे फिरंगियों ने जिन्दा जला दिया था आदि ज्ञात–अज्ञात कितने ही नाम हैं, जिन्होंने शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा बुलन्द किया। जान पर खेलकर लड़ी, शहीद हुई परन्तु शत्रु के सामने हार नहीं मानीं। देश की आजादी के लिए सीधे लड़ने वाली या उन परिस्थितियों की चपेट में आ शहीद होने वाली अनगिनत महिलाओं के नाम अतीत के गर्भ में विलीन हो गए।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए सन 1857 ई. के बाद अनवरत चले स्वतंत्रता आन्दोलन में भी महिलाओं ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इतिहास गवाह है कि सन 1905 ई. के बंग–भंग आन्दोलन में पहली बार 20वीं सदी के प्रथम दशक में कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और दूसरे दशक में वे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़ीं। सन 1917 ई. के कांग्रेस अध्यक्ष के प्रयास से कई अधिक पुस्तकों की लेखिका श्रीमती एनीबेसेन्ट ने नारी जागरण का बिगुल बजाया और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के सक्रिय योगदान की दिशा में यह पहला कदम था। सन 1917 ई. में ही, मद्रास में संगठन 'इण्डियन वुमेन्स एसोसिएशन' की स्थापना हुई। एनीबेसेन्ट और महात्मा गांधी इस संगठन के प्रमुख प्रेरक थे। सन 1920–22 ई. में जब असहयोग आन्दोलन हुआ तो पहली बार महिलाएं भारी संख्या में आन्दोलन से जुड़ी। सैंकड़ों महिलाएं खादी और चरखा बेचने गली–गली गयीं। उन्होंने खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए जुलूस निकाला और समूहों

में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उन्होंने शराब की दुकानों पर धरना दिया और शराब के लाइसेंसों की सरकारी नीलामी को रोका।

कमला देवी चटटोपाध्याय ने सन 1921 ई. में असहयोग आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इन्होंने बर्लिन में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन' में भारत का प्रतिनिधित्व कर तिरंगा झण्डा फहराया। सन 1921 के दौर में अली बन्धुओं की मां 'बाई अमन' ने भी लाहौर से निकल तमाम महत्वपूर्ण नगरों का दौरा किया और जगह–जगह हिन्दू–मुस्लिम एकता का संदेश फैलाया।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए इसी प्रकार अली भाईयों के राजनीतिक व धार्मिक आन्दोलन में उनकी मां ने सक्रिय भूमिका निभायी। उनके साथ उनकी बहू भी खिलाफत आन्दोलन में सक्रिय हुई तथा सन 1921 ई. में अखिल भारतीय खिलाफत की महिला शाखा गठित की।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन से राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी का एक नया चरण शुरु हुआ। सन 1930 के इस आन्दोलन ने महिलाओं की भागीदारी संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से सन 1920 ई. के दशक की शुरुआत की भागीदारी से भिन्न थी। यह सब कार्य परिवर्तन हेतु ही किया था। महिलाओं का एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने संघर्ष किया। सन 1930 में जब नमक सत्याग्रह शुरु हुआ तो इस बार गांधी जी स्त्रियों को खुले शब्दों में आन्दोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए। इस आहवान के प्रत्युत्तर में हजारों महिलाएं मैदान में कूद पड़ी। यह पहला अवसर था कि भारतीय महिलाएं सामूहिक रूप से सीधे स्वतंत्रता संग्राम में उतरीं। मुम्बई में सैकड़ों महिलाएं नमक कानून तोड़ने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गयी। देश की स्वतंत्रता के लिए तथा देश में अपेक्षित परिवर्तन हेतु हजारों महिलाओं ने नमक सत्याग्रह आन्दोलन में

नमक बनाने से लेकर नमक बेचने तक के काम किए।

कुछ बड़े नेताओं की गिरतारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विभिन्न स्थानों पर श्रीमती सरोजिनी नायडु, कमला देवी चटटोपाध्याय और रुक्मिणी आदि ने संभाल लिया। स्वतंत्रता संग्राम के हर मोर्चे पर महिलाएं तैनात हो गयी। सन 1930 के आन्दोलन में लगभग 17000 महिलाएं गिरफ्तार हुई। नेहरु जी की माता जी स्वरूप रानी ने इसी संघर्ष में लाठियों से प्रहार सहे।

सन 1942 ई. का 'भारत छोड़ो आन्दोलन' अधिक व्यापक और उग्र था। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। हजारों महिलाएं भूमिगत हुईं। श्रीमती सरोजिनी नायडु, विजयलक्ष्मी पण्डित और प्रायः सभी प्रमुख महिलाएं गिरफ्तार हुई परन्तु कुछ अन्य महिलाओं ने भूमिगत रहकर आन्दोलन को सम्भाला, जिसमें अरुणा आसफ अली, उषा मेहता तथा सुचेता कृपलानी प्रमुख थीं। आजादी की इस लड़ाई में हजारों स्त्रियों ने हिस्सा लिया और जेल की यातनाओं के साथ पारिवारिक कष्ट भी सहे।

स्वतंत्र भारत में प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, प्रिया दत्त, जयन्ती नटराजन, अम्बिका सोनी, माग्रेट अल्वा, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाओं के अपेक्षित परिवर्तन में उनकी भूमिका को कौन भूल सकता है?

माता कस्तूरबा (सन 1869–1944 ई.) एक सच्ची सत्याग्रही थीं। कस्तूरबा के भाषण और वक्तव्य प्रसंगानुकूल हुआ करते थे।

हमारे इतिहास लेखकों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के पहले और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली महिलाओं का महिमा मण्डन नहीं के बराबर किया है। जबकि देश के सभी राज्यों की महिलाओं ने राजनैतिक परिवर्तन हेतु संघर्ष किया है।

देशभक्त सरला देवी चौधरानी (सन 1872–1945 ई.) ने

अपेक्षित परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया। बंगाल में एक जुझारु और वीरत्वपूर्ण संस्कृति को प्रोत्साहित करना था जो आगे जाकर राष्ट्रीय हितों को सिद्धि में बहुत काम आयी। वे 1895 से ही प्रतिष्ठित पत्रिका 'भारती' में प्रकाशित अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त कर रही थीं। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े के लड़कों को मुक्केबाजी, तलवार, युद्ध और चाकू चलाने के खेल आदि सिखाने के लिए मुर्तुजा नाम के व्यक्ति की नियुक्ति की थी। पंजाब में सरला देवी ने महिलाओं में शिक्षा के प्रसार तथा उनके समग्र उत्थान के लिए भी कार्य करना शुरु कर दिया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए छोटे–छोटे केन्द्रों की स्थापना की तथा वे बहुधा उनको सम्बोधित करती थीं। उनके बीच कार्य करते हुए उनके मन में एक महिला संगठन की कल्पना उभरी तथा 'वीमेन्स इण्डिया एसोसिएशन' तथा 'ऑल इण्डिया वीमेन्स कांफ्रेन्स' की स्थापना से पहले 1910 में उन्होंने महिलाओं के एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में 'भारत स्त्री महामण्डल' की स्थापना की। इसकी नींव नवम्बर सन 1910 ई. में लाहौर में महिलाओं की एक अनौपचारिक बैठक में रखी गयी। महामण्डल का मुख्य प्रयोजन महिलाओं की प्रगति था।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मीरा बहन (सन 1892–1982 ई.) से शायद पूरा विश्व परिचित है। यह नाम उन्हें महात्मा गांधी ने दिया था। मीरा बहन (मैडेलीन स्लेड) का जन्म एक अत्यन्त कुलीन परिवार में हुआ था। वे अत्यन्त सादगी से जीवन व्यतीत करती थीं। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सन 1981 ई. में उन्हें राष्ट्रीय उपाधि पदम विभूषण प्रदान किया।

नौरोजी बहनें पेरिन बेन, गोशी बेन और खुर्शीद बेन देशभक्ति पूर्ण आदर्शों से प्रेरित थीं जिनकी गणना भारत की राष्ट्रीय चेतना के अग्रणी जनकों और मार्गदर्शकों में की जाती

है। पेरिन बेन राष्ट्रीय स्त्री सभा के संस्थापक सदस्यों तथा उसके सक्रिय कार्यकर्ताओं में से थीं। सन 1932 ई. में पेरिन बेन द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान गिरतार की जाने वाली महिलाओं की प्रथम टोली में थीं। पेरिन बेन राष्ट्रीय स्त्री सभा तथा उसके स्वयं सेविका दल की तो संजीवनी और आत्मा थीं।

मिठूबेन पेटिट का जीवन और कार्य सन 1930 ई. में गांधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वर्णिम काल में शुरु हुआ तथा गुजरात की जनजातियों की गरीबी, सुविधाविहीन और सर्वथा उपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए निःस्वार्थ सेवा किया।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इस परिवर्तन के लिए भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं ने कदम से कदम मिलाकर हर तरह से सहयोग किया। उन्होंने स्वयं अपने विकास के साथ–साथ राष्ट्र का विकास किया। सन 1944 ई. में कस्तूरबा का निधन हो गया। उनकी स्मृति में इकटठे किए गए कोष की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास तथा महिलाओं की सेवा था। गांधी जी ने इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र महिलाओं तक सीमित रखा तथा उसका लक्ष्य रखा गया स्त्री शक्ति का प्रबोधन और जागरण।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए अनुसूया बेन साराभाई (सन 1885 से 1972 ई.) ने भारत में श्रमसंघ आन्दोलन खड़ा करने की दिशा में पहल की। अनुसूयाबेन ने देश के प्रथम श्रम संघ कपड़ा श्रमिक संघ की नींव रखी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के एक भूतपूर्व निदेशक का यह कथन एकदम सही है कि भारतीय श्रम संघ की गाथा अनुसूया बेन की गाथा है। जिन्होंने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में शंकर लाल बैंकर सरीखे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक जुझारु किन्तु

अहिंसक श्रम संघ आन्दोलन का नेतृत्व किया। अनुसूयाबेन केवल एक श्रमिक नेता नहीं थी। वे एक समाज सुधारक, नारी मुक्ति की हिमायती, बुद्धिवादी, राष्ट्रवादी और इसके साथ ही श्रमिकों तथा निर्धनों के लिए मातृ तूल्य थीं।

भारतीय श्रम आन्दोलन की देन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यद्यपि उनके परामर्शदाता तथा मार्गदर्शक के रूप में गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथापि गांधी जी के विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यावहारिक रूप प्रदान करने का कार्य स्वयं अनुसूया बेन ने किया। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं के राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गांधी जी के प्रभाव में आकर अपना सम्पूर्ण जीवन देश सेवा में लगा दिया। चन्द्रप्रभा सैकियानी (सन 1901–1972ई.) ऐसी प्रथम असमिया महिला थी, जिसने दीर्घकाल से चली आ रही उन परम्पराओं की उपेक्षा कर दी, जो महिलाओं की स्वतंत्रता तथा गरिमा की अभिवृद्धि के लिए अनुकूल नहीं थी। वास्तव में असम में नारीमुक्ति की शुरुआत उन्होंने ही की। गांधी जी के नेतृत्व में महिलाएं जब स्वदेशी आन्दोलन के साथ जुड़ी तब चन्द्रप्रभा, असमिया महिलाओं का नेतृत्व संभालने के लिए अग्निपिण्ड की भांति सामने आयीं। समाज के असक्त वर्गों को संगठित करने की दिशा में महात्मा गांधी की भूमिका ने चन्द्रप्रभा के अन्तर्मन पर गहरी छाप डाली तथा उन्होंने अपना जीवन महिलाओं के स्तर के उत्थान एवं प्रगतिशील असमिया समाज के निर्माण के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अपेक्षित परिवर्तन हेतु असमिया महिलाओं के लिए एक प्रबुद्ध भूमिका के निर्माण की दिशा में कार्य किया तथा उनके लिए अजेय प्रेरणास्रोत बन गयीं। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अफीम निषेध आन्दोलन में गहरी दिलचस्पी ली।

सन 1889 ई. में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में बम्बई में दस महिलाओं ने भाग लिया। इससे पहले स्वर्ण कुमारी देवी

ने सखी समिति की स्थापना की। अपेक्षित परिवर्तन हेतु बंगाल विभाजन विरोधी आन्दोलन में भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। क्रान्तिकारी आन्दोलन भी महिलाओं की भागीदारी से अछूते नहीं रहे। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में कल्पना जोशी (दत्त), प्रीति वाडडादर, शान्ति सुनीति, बीना दास, श्रीमती रूपवती जैन, दुर्गा देवी क्रान्तिकारी आन्दोलनकारियों में थीं। मध्यमवर्गीय महिलाओं की भागीदारी पुरुषों को अंग्रेजी सरकार के जेलों में बन्द कर दिए जाने से ही बढ़ी।

सन 1925 ई. में प्रतापगढ़ में जे.कुमारी की अध्यक्षता में महिला कान्फ्रेन्स किसान सभा हुई। इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए वे आम भारतीय किसान औरत की समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

हर गांव की पंचायत को एक गाय पालनी चाहिए, ताकि गांव के बच्चों को दूध मिल सके।

पति की मौत के पश्चात पत्नी को उसके अधिकार मिलने चाहिए। पत्नी न होने पर ही बेटे/बेटी की बारी आनी चाहिए।

बम्बई में उषा ताई डांगे सन 1928 ई. में ही मजदूर स्त्रियों के बीच सक्रिय थीं। बिटिटयाह कपड़ा मिल में महिला कर्मचारियों को निकालने के विरोध में आठ महीने हड़ताल रही। इसी प्रकार प्रभावती गोरे ने भी मजदूरों के बीच काम किया तथा गिरनी कामगार यूनियन की सहसचिव बनीं। अपेक्षित परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने के लिए मीनाक्षी बगाईराने ने शोलापुर के कपड़ा मिल मजदूरों के बीच काम किया। मिनाक्षी बाई ने मजदूरनियों को संगठन में भी सक्रिय करने की कोशिश की। सन 1936 ई. में शहर की लगभग एक हजार बीड़ी महिला कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जो एक महीने चली। बंगाल में स्त्री आत्मरक्षा समिति बना।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से दस लाख

से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं। विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का स्तर काफी बढ़ गया है।

वस्तुतः 73वें संविधान संशोधन को लागू हुए काफी समय बीत चुका है तथा पंचायती राज के माध्यम से गांव के स्तर पर एक 'मौन क्रान्ति' की शुरुआत हो चुकी है। सत्ता के जमीनी स्तर के प्रयोग में महिलाओं को वांछित स्थान मिल गया है। उत्तर प्रदेश की पंचायतों की सफलता की कथाएं प्रदेश के कोने–कोने से सुनायी पड़ने लगी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ही समाज की दकियानुसी सोच में परिवर्तन लाएगी। यही नहीं, समाज के विकास के लिए महिलाएं नयी तरह से प्राथमिकताएं तय करेंगी।

पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता स्वतः स्फूर्त हो चुकी है। यह भारतीय राजनीतिक जीवन का एक नवीन तथ्य है, जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आवश्यकता है इसे सही दिशा देने की। इतने व्यापक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की सबल जीजिविषा का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती है।

भारत जैसे देश में महिलाओं का राजनैतिक रूप से सशक्त होना बहुत सुखद परिवर्तन प्रतीत होता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका पर किए गए शोध सर्वेक्षण के निष्कर्षानुसार 'आम जन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक कुशल, ईमानदार, निष्पक्ष तथा संवेदनशील मानता है। यही कारण है कि महिलाएं अपने आरक्षित स्थानों के अतिरिक्त सामान्य सीटों पर भी जीत का परचम फहरा रही हैं।'

आर्थिक परिवर्तन में

आर्थिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, बिजली, निर्माण, व्यापार, होटल प्रबन्धन, यातायात, संचार, वित्त, व्यापारिक गतिविधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिला कर्मियों की संख्या 32.5 प्रतिशत है। बैंकिंग के क्षेत्र में आई.सी.आई. सी.आई. की मैनेजिंग डायरेक्टर नन्दा कोचर, पेप्सी की चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर इन्दिरा नुई, बायोटेक्नोलॉजी फर्म की एम.डी. किरन मजूमदार, कृषि उपकरण बनाने वाली कम्पनी की एम.डी. मल्लिका श्रीनिवासन जो इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस की गवर्निंग बॉडी की सदस्य हैं, की महिलाओं में अलग पहचान है। मनीषा गिरोत्रा, नीलम धवन, नीरा वाडिया, प्रीथा रेडडी आदि महिलाओं ने आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की निरन्तर बढ़ती स्थिति अपेक्षित परिवर्तन में उनकी भूमिका को दर्शाता है। पिछले तीन दशकों में महिलाओं की समाज में सामाजिक व आर्थिक सहभागिता बढ़ी है। सभी समुदाय के त्वरित सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती संख्या का कारण उनमें साक्षरता के प्रतिशत का बढ़ना है। आज प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। वर्तमान समय में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का ही परिणाम है कि केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिला कर्मचारियों वाले डाकघर खोलने की तैयारी कर रही है। इन डाकघरों का संचालन और प्रबन्धन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी। अपेक्षित परिवर्तन के लिए महिलाएं पूरी तरह से सक्षम हैं, तभी तो भारत सरकार ने भी महिलाओं पर विश्वास किया है। दिल्ली में दो महिला डाकघरों का उदघाटन हो चुका है। इसी तरह के डाकघरों

का उदघाटन मुम्बई और हैदराबाद में भी हो चुका है। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार यह कदम उठा रही है।

अपेक्षित परिवर्तन में इन्द्राणी चक्रवर्ती ने मातृत्व अवकाश के हक को हासिल करने में जो सफलता पायी है, वह बताती है कि कामकाजी महिला, कानून के तहत मिले अपने विशेष अधिकारों को पाने के प्रति कितनी जागरुक हैं। एक निजी कम्पनी की वरिष्ठ ग्राफिक डिजाइनर इन्द्राणी ने गर्भवती होने पर घर से काम करने की इजाजत मांगी थी। कम्पनी सवैतनिक छः महीने की मैटरनिटी लीव का पैसा बचाना चाहती थी। इन्द्राणी अदालत गयीं और अदालत ने माना कि उनकी नियोक्ता कम्पनी ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट–1961 की धारा 21 व 23 का उल्लंघन किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कम्पनी को राहत नहीं दिया। अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ के लिए इन्द्राणी की जीत को देखा जा सकता है। इन्द्राणी की इस जीत ने साबित कर दिया है कि कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के सामने चुप्पी साधने की बजाए जागरुकता और साहस का रास्ता चुनना चाहिए। यू.जी.सी. के आंकड़े के मुताबिक, बीते दस वर्षों में इंजीनियरिंग में लड़कियों की हिस्सेदारी 122 प्रतिशत व कॉमर्स–मैनेजमेंट में 68 प्रतिशत बढ़ी है। अपेक्षित परिवर्तन के उदाहरण के लिए इस समय बंगलुरु, रांची व कोझिकोड आई.आई.एम. में 36, 39 व 36 प्रतिशत लड़कियां है। स्वतंत्र भारत की यह पहली महिला युवा पीढ़ी है, जो रोजगार के बाजार में व्यावसायिक रूप से उतर रही है। नैस्काम के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अपने देश में आई.टी. व वी.पी.ओ. उद्योग क्षेत्र में महिला श्रम शक्ति में 60 फीसदी की वृद्धि हुई है। इण्डिया इंक का जोर अधिक से अधिक महिलाओं को नौकरी देने पर है, क्योंकि महिलाएं वस्तुओं को

अलग नजरिए से देखती हैं। अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की यह महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि वह हर स्थिति में बेहतर पेशेवर बनकर सामने आयी हैं।

पहले के मुकाबले आज बदलाव आया है। वह घरों और घूंघट से बाहर निकली हैं। इस अपेक्षित परिवर्तन का कारण यही है कि महिलाएं उस पुरातन मूल्यों को नकाराने की लगातार कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से रुढ़ियों और अनुचित परम्पराओं से मुक्ति लेने के लिए वह निरन्तर संघर्ष कर रही है। आधुनिक परिस्थितियों ने महिलाओं को बहुत सचेत बना दिया है। आज की स्त्री दो मोर्चों पर मुख्य रूप से संघर्ष कर रही हैं। पहला, परम्परागत व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हुए स्वाधीनता और दूसरे अधिकारों की मांग के लिए योजनाबद्ध प्रयास करना। अपेक्षित परिवर्तन के लिए आज महिलाओं ने करवट बदलकर अपनी कमर कस ली है। अपेक्षित परिवर्तन के लिए ही आधुनिक महिलाएं संघर्षरत होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व के लिए खड़ी है।

आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन के लिए वर्ष 2000 में एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुरेखा यादव देश की पहली महिला रेल ड्राइवर बनीं। इस मामले में उन्होंने भारतीय रेलवे में पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा। वर्ष 2011 ई में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डक्कन क्वीन ट्रेन पुणे से मुम्बई लाने वाली पहली महिला बनीं। इस ट्रेन को देश की प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक माना जाता है। आज वह असाधारण सपने देखने वाली साधारण लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है। उन्हीं के नक्शेकदम पर चलती हुई प्रीति कुमारी पश्चिम रेलवे की पहली महिला ड्राइवर बनीं है। अपेक्षित परिवर्तन लाने वाली सुरेखा अपनी उपलब्धियों के बारे में कहती हैं कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि महिलाओं के प्रति सामाजिक भावना में बदलाव में उनकी भी भूमिका है।

इसी तरह रुढ़िवादी दलित परिवार से ताल्लुक रखने

वाली गांव की एक लड़की कल्पना सरोज को जब पढ़ने के लिए स्कूल जाना था तो उसकी 12 साल की उम्र में 22 साल के एक व्यक्ति से शादी कर दी गई। वह शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहने के साथ मुम्बई की झुग्गियों में गुजर करने के लिए विवश हुई। 16 साल की उम्र में उसने कपड़े सिलने का काम शुरु किया लेकिन उससे किसी तरह ही गुजर–बसर हो पाती थी। उसके बाद उसने सरकारी लोन लिया और फर्नीचर व्यवसाय शुरु किया। रोज 16 घंटे अथक परिश्रम करने के बाद वह उस मुकाम पर पहुंची कि उसने एक खस्ताहाल मेटल इंजीनियरिंग कम्पनी खरीदी। उसने कम्पनी चलाने का बीड़ा उठाया और स्टाफ के सहयोग से उस कम्पनी को डूबने से बचा लिया।

आन्ध्र प्रदेश पथ परिवहन निगम विश्व की सबसे बड़ी बस सेवा है। परिवहन निगम में महिलाओं की भर्ती के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। आन्ध्र प्रदेश में पहली महिला बस कण्डक्टर की भर्ती सन 2001 में हुई। आज महिला बस कण्डक्टरों की संख्या बहुत बढ़ गयी है।

अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन हेतु 'सेवा' ट्रेड यूनियन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण अलग तरह से विकसित हुआ है। गुजरात में असंगठित श्रम के क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करने का प्रयास इन्होंने किया है। सब्जी बेचने वाली, बोझा ढोने वाली, बीड़ी कामगार, हस्तकला उद्योगों में लगी महिलाओं आदि की बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए इन्होंने प्रयास किया है। तमाम छोटे–मोटे कामों में लगी महिलाएं 'सेवा' से जुड़ी हैं। सेवा ने कामकाजी महिलाओं के लिए 'बचत बैंकों' की भी स्थापना की है।

साहित्यिक परिवर्तन में

स्वतंत्र भारत में स्त्री जीवन के संघर्षों और सपनों को हिन्दी साहित्य में अधिक व्यापकता और गति तब प्राप्त हुई

जब भारतीय तथा पश्चिमी जगत के नारी आन्दोलनों से प्रेरणा लेते हुए अनेक महिला रचनाकारों ने लेखन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। कृष्णा सोबती की 'मित्रो मरजानी', मंजुल भगत की 'अनारो', मृदुला गर्ग की 'उसके हिस्से की धूप' व 'चितकोबरा' उषा प्रियवंदा की 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' एवं मन्नू भण्डारी की 'आपका बंटी' आदि रचनाओं ने स्त्रियों की सोच को एक नई दिशा दी। आगे चलकर ममता कालिया, चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, सुधा अरोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, रोहिणी अग्रवाल, राखी सेठ, मधु कांकरिया, रजनी गुप्त, चन्द्रकान्ता, अलका सरावगी आदि लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं से नारी विमर्श को समकालीन हिन्दी साहित्य का केन्द्रीय विमर्श बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज जनसंचार माध्यमों, पत्रकारिता, शिक्षा, कला–संस्कृति, तकनीकी ज्ञान, वाणिज्य–व्यापार, सेना–प्रशासन आदि अनेक क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तन हेतु महिलाएं संघर्षरत हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों तक की मंजिल भी महिलाओं ने तय कर ली है।

अपेक्षित परिवर्तनों के संघर्ष के सूत्रधार के रूप में मीरा का दृष्टान्त महत्वपूर्ण है। मीराबाई राजमहल के राजसी ठाठ छोड़ शहर की सड़कों पर निकल आयी थीं। पन्द्रहवीं–सोलहवीं शताब्दी के राजपूत राज्यों के रनिवासों में न केवल पर्दा प्रथा प्रचलित थी, बल्कि कई अन्य प्रकार के बन्धन और वर्जनाओं के कारण रानियों का जीवन जकड़ा हुआ था। फिर भी राजपरिवार की झूठी मर्यादाओं और प्रतिबन्धों को तोड़ मीरा ने पग में घुंघरु बांध लिए थे।

मीराबाई का तो समूचा जीवन संघर्ष ही अपेक्षित परिवर्तन का संघर्ष है। जिस सती प्रथा को बन्द करने के लिए राम मोहन राय को बाकायदा आन्दोलन चलाना पड़ा, उसके विरुद्ध पहली आवाज तो मीराबाई ने लगायी थी। किसी भी कीमत पर समझौता न करने वाली मीराबाई जैसी निडर,

साहसी और विद्रोहिणी स्त्री हमारे समाज में कम हैं। मीरा के साहित्य में रुढ़िगत समाज से टकराने का स्वर अत्यन्त तीव्र है। मीरा का साहित्य भी मील का पत्थर है। साहित्य में मीरा ने जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को सबके समक्ष प्रस्तुत किया, वह स्त्री जीवन का अदभुत पहलू है। समाज की परवाह न करते हुए मीरा ने अपने स्त्रीत्व को उदात्त भाव–भूमि दिया।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ के लिए 'थेरीगाथा' और 'सीमान्तनी उपदेश' का नाम उल्लेखनीय है। 'थेरीगाथा' में गौतम बुद्ध के समय की स्त्रियां तत्कालीन मूल्यों पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। भारतीय स्त्री लेखन में इस्मत चुगताई पहली लेखिका थीं जिन्होंने स्त्री को कथाकृतियों में अंकित किया।

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में ऐसे कई उपन्यास आए जिनमें कलात्मक प्रयोगों की सम्पन्नता और सजगता के साथ जिस विषय को अधिक महत्व दिया गया, वह स्त्री विषय ही है। आज चमत्कार की तरह अनेक क्षितिजों पर महिलाएं अपनी शर्तों पर खड़ी दिखाई देती हैं। एक ओर सेवा और समर्पण में मदर टेरेसा हैं तो संघर्ष और आन्दोलन में मेधा पाटकर हैं। तस्लीमा नसरीन का क्षेत्र विस्फोटक है तो व्यवस्था और प्रशासन में किरन बेदी हैं।

18 फरवरी, 1931 को अमेरिका के ओहियो राज्य में जन्मी टोनी मोरीसन का नाम विश्व साहित्य में अनजाना नहीं है। पुलित्जर और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित टोनी ने अपने साहित्य के जरिए अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत औरतों को खास पहचान दिलाने का काम किया है। यही नहीं, उनकी कृतियां अश्वेत महिलाओं की अस्मिता को दूसरों के बराबर लाने के साथ–साथ उन उपेक्षित महिलाओं की चेतना को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उनका साहित्य महाकाव्यों की थीम को कुछ इस तरह प्रस्तुत करता है कि पाठक उनके

उपन्यासों में आने वाले ज्वलंत संवादों को पढ़कर कहीं खो जाते हैं। टोनी बड़ी सहजता से अपने उपन्यासों में किरदारों का चरित्र चित्रण करती हैं।

स्त्री जीवन की गहराईयों से स्त्रियां जितनी वाकिफ होती हैं, उतना शायद कोई और नहीं। यही कारण है कि साहित्य लेखन की दुनिया में स्त्री अनुभूतियों को उकेरने का सबसे प्रमाणिक काम लेखिकाओं ने ही किया है। हिन्दी साहित्य में भी ऐसी गम्भीर लेखिकाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने अपनी संवेदनाओं को विस्तृत साहित्य के रूप में अभिव्यक्त किया है।

सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं शिक्षा के बल पर कितनी महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय नारीत्व की उज्ज्वलतम मणि हैं। वे प्रतिभाशाली वक्ता, महान कवयित्री, असामान्य आकर्षण एवं विनोदी प्रकृति से विभूषित व्यक्ति थीं। महोदवी वर्मा की कविताओं ने असंख्य महिला लेखिकाओं को प्रेरणा प्रदान की।

सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कहानियों के माध्यम से महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने की कोशिश की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण तथा पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उत्तरदायित्वों में समुचित भागीदारी के लिए आवाज उठाने के अधिकार का समर्थन किया एवं महिलाओं के प्रति आदर–भावना, बाल–विवाह, घर के भीतर और बाहर की स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक पराधीनता की समस्याओं को उठाया।

सरोजिनी नायडू (1876–1949) एक जन्मजात कवयित्री थीं तथा अंग्रेजी भाषा में उन्हें सहज प्रवाह प्राप्त था। गांधी जी ने उन्हें 'भारत की बुलबुल' कहा था। सरोजिनी नायडु की गतिविधियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याणकारी प्रवृत्ति तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक कमाई के लिए प्रशिक्षित करना तथा उनमें उनकी आन्तरिक शक्ति की चेतना उत्पन्न करना था।

अपेक्षित परिवर्तन में महादेवी वर्मा के योगदान को कौन भूल सकता है, महादेवी ने साहित्य को अनेक दार्शनिक, मानवीय, भक्ति प्रधान और आध्यात्मिक कृतियां भेंट की, जिन्होंने उसे समृद्ध ही नहीं किया, वरन एक नयी दिशा दी, नए लक्ष्यों की ओर मोड़ा तथा अधिक सुखद एवं आनन्ददायी मार्ग पर आगे बढ़ाया। अपेक्षित परिवर्तन के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ने समग्र जीवन को चुनौती दी। महादेवी वर्मा के चिन्तन में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, शिक्षा और जीवन की समरसता आदि के जो प्रश्न उठाए गए हैं उनका जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं ने इस देश, सभाज और विश्व को बहुत कुछ दिया हैं। ज्योतिर्मयी देवी ने महिला अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। उन्होंने विश्व को अपनी लेखनी के माध्यम से पुनः खोजा। 10 वर्ष की आयु में विवाहित और 25 वर्ष की आयु में वैधव्य से अभिशप्त ज्योतिर्मयी देवी ने हाशिए पर ढकेली गयी तथा संतप्त महिलाओं के बारे में लिखा। ज्योतिर्मयी देवी ने कलकत्ता में वेश्याओं की दशा का अध्ययन किया। वाराणसी में अकेली वृद्धाओं के साथ उनकी हवेलियों में रहीं तथा उन्होंने उनकी स्थिति का निकट से अध्ययन किया।

भारतीय साहित्य में कई प्रसिद्ध लेखिकाएं, कवियित्रियां और कथा लेखिकाएं हुई है। इनमें सरोजिनी नायडु को 'भारत कोकिला' कहा गया है। अरुंधती राय को उनके उपन्यास 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरोजिनी नायडु एक जन्मजात कवियित्री थीं तथा अंग्रेजी भाषा में उन्हें सहज प्रवाह प्राप्त था। उनकी अनेक कविताएं भारतीय महाविद्यालयों में पूर्व स्नातक पाठयक्रमों में शामिल की जाती रही हैं।

महात्मा गांधी की अनुयायी होने के नाते वे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सत्याग्रही बनीं तथा कई बार जेल गईं।

अपनी कहानियों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के प्रति अपने समाज का दृष्टिकोण बदलने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीयता, प्रयोजनों की प्रमाणिकता और चरित्र की आवश्यकता को भी उजागर किया।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में इस्मत चुगताई को कौन भूल सकता है। इस्मत शायद पहली भारतीय कथाकार हैं, जिसकी कथा नारियां न आत्म हत्याएं करती हैं, न अध्यात्म में जाती हैं, न स्थितियों को स्वीकार करके आंसू बहाती है। वे अपनी देह और मन की बात को साहस से कहती हैं। इस्मत चुगताई 'लिहाफ' के भीतर घटित होते हुए को देखती और कहती ही नहीं है, पुरुष की दुनिया को चुनौती देती तांगे वाली बनकर भी खड़ी होती हैं। भारतीय कथा साहित्य में महत्वपूर्ण लेखिका कृष्णा सोबती का 'डार से बिछुड़ी' और 'जिन्दगीनामा' नारी चेतना की टेढ़ी–मेढ़ी पगडन्डियों का इतिहास है।

महाश्वेता देवी आज अन्तर्राष्ट्रीय वामपंथी लेखिका और समाजकर्मी है। मैत्रेयी पुष्पा ने जिस तरह हिन्दी कथा साहित्य को नगरों, महानगरों की बन्द और दुहराव पीड़ित दुनिया से निकालकर गांवों, खेतों में पहुंचा दिया है, वैसा पहले कभी किसी हिन्दी लेखिका ने नहीं किया।

परम्परागत नारी चिन्ताओं और प्रश्नों से मुक्त होकर लेखिकाओं ने लेखन को एक नयी भूमि दी है। यह भूमि मानवीय सम्बन्ध, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, और शोषण जैसे अनेक प्रश्नों से निर्मित हुई है। अपेक्षित परिवर्तन हेतु आज की स्त्री अमानवीय विकास के प्रतिमानों को तथा घिसे–पीटे दकियानूसी दृष्टिकोण को बदलना चाहती हैं। स्त्री लेखन का ध्येय मानवीय समाज की स्थापना है। अपने यथार्थबोध की अनुरुपता में उनका मूल्य बोध भिन्न है। उनका लेखन जनतांत्रिक मूल्यों का, मानवाधिकारों का लेखन है। यह

लेखन हर तरह के भेदभाव, दमन और अन्याय के खिलाफ है। स्त्री मुक्ति आन्दोलन और शिक्षा की जागरुकता के कारण स्त्रियों में नयी चेतना का विकास हुआ है। समकालीन महिला लेखिकाओं ने उस दृष्टि से अपनी समस्याओं को लिखना शुरु किया है।

महिला रचनाकारों को इस वैश्वीकरण के युग में धीरे–धीरे समझ में आने लगा था कि उसे अपनी आत्मचेतना की अभिव्यक्ति दर्ज करानी होगी। उर्दू अदब में एक साहसी स्त्री का नाम खोजना हो तो इस्मत चुगताई, उनकी बेबाक बयानी, चाहे स्त्री मुद्दों पर हो या कुरीतियों पर स्त्रियों के हक में बुलन्दी से आवाज उठाती है और उनके हालातों को बखूबी उजागर करती हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस शोर में नारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उनमें रचनात्मक क्षमता है और वह साहित्य लिख सकने में समर्थ हैं तो उनके विकास को कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि कृष्णा सोबती, मन्नू भण्डारी, उषा प्रियंवदा, चन्द्रकान्ता, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, मैत्रीय पुष्पा, अलका सरावगी, इन्दिरा गोस्वामी, चित्रा मुदगल, रमणिका गुप्ता, पदमा सचदेव जैसी लेखिकाओं ने अपनी पहचान बनायी।

बहुत सी लेखिकाओं ने स्त्री लेखन की सीमाओं को वैचारिक आधार प्रदान कर उसे विस्तार दिया है। उपन्यास, कहानी, कविता, लघु कथा और आत्मकथा में उसने चुनौती स्वीकार की और जता दिया कि स्त्री लेखन का ध्येय मानवीय समाज की स्थापना है। अपेक्षित परिवर्तन हेतु बीसवीं सदी की महिला लेखिकाए और उनका लेखन अपनी सशक्त अभिव्यक्ति दे रही है।

संगीत–साम्राज्ञी हब्बा खातून (1554–1609) कश्मीरी काव्य जगत की एक ऐसी अप्रतीम विभूति हैं, जिनके गीतों से लगभग पांच दशक पहले तक कश्मीरी फिजाएं गूंजती रहती थीं। एक ग्राम बाला और राजरानी के अलावा एक संगीतज्ञ

और कवियित्री के गुणों का सुन्दर–सजीव सम्मिश्रण हब्बा खातून के कृतित्व में देखने को मिलता है। फारसी भाषा के बढ़ते प्रभाव के कारण लोक भाषा कश्मीरी में साहित्य–रचना करना प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा जाता था। हब्बा खातून का यह कश्मीरी भाषा और कविता पर बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने फारसी के राजकीय प्रभाव की चिन्ता किए बिना कश्मीरी में ही काव्य रचना की, जिससे इस भाषा को फलने–फूलने का अवसर मिला और साथ ही कश्मीरी काव्य परम्परा की छोटी सी धारा को, जो कवियित्री के लगभग एक सौ वर्ष पूर्व तक लुप्तप्राय हो चुकी थी काल के गर्भ में विलीन होने से बचाया। एक ऐसे वक्त में जबकि फारसी जबान के प्रभाव की वजह से कश्मीर के तमाम शायर अपनी मादरी जबान की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखते थे, बल्कि इसमें साहित्य सृजन करना प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते थे, हब्बा खातून के गीत जहां कश्मीरी जबान की जिन्दगी के प्रेरणास्रोत बन गए, वहीं आमलोगों, खासकर औरतों में लोकप्रिय होकर उनके दिलों को गम बर्दाश्त करने की कूवत भी बख्शते रहे।

अध्याय – तीन

समाज, पुलिस और महिलाएं

भारत में कानून व्यवस्था कायम रखने में संविधान की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान सम्मत ढंग से भारत में विधि न्याय प्रशासन का विकास किया गया है। इनके प्रमख अंग न्यायपालिका और पुलिस हैं, जो भारतीय दण्ड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, विविध अपराध अधिनियम, पुलिस एक्ट एवं इसी तरह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुरुप कार्य करती हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कार्य है। पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने एवं नियंत्रित करने वाला संगठन है। यह संगठन राज्य की कार्य प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मानव समाज में प्रारम्भ से ही ऐसा कोई न कोई संगठन रहा होगा जो उस प्राकृतिक अवस्था में भी मानव जीवन की रक्षा या उनकी चौकसी करता रहा होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणि है और प्रत्येक समाज में शान्ति व व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। यह सम्भव है कि समाज की प्रारम्भिक अवस्था में संगठन सरल और सामान्य रहा हो। जैसे–जैसे समाज जटिल होता गया वैसे–वैसे पुलिस का भी स्वरूप बदलता गया। वर्तमान पुलिस व्यवस्था अंग्रेज सरकार की दी हुई है। इसकी बुनियाद पुलिस अधिनियम 1861 में रखी गयी है। आम नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने और राष्ट्र लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की राह पर चलकर

अपनी एक विशेष पहचान बना सके इस दिशा में पुलिस/महिला पुलिस और थानों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस के अधिकारियों/महिला पुलिस और उसके कर्मियों को समाज के लोगों के साथ रहने, उनके साथ काम करने तथा समूह सहयोग की भावना विकसित करनी आवश्यक है।

जनता को न्याय देने की प्रमुख एजेन्सी पुलिस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। महिला पुलिस/पुलिस एवं जनता के पारस्परिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हों यह विषय सर्वत्र चिन्तन का है। पुलिस/महिला पुलिस की जिम्मेदारियों में समाज में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना एवं जान–माल की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाज सेवा के बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को पुलिस करती है। जनता और पुलिस के मध्य मधुर सम्बन्धों का होना अति आवश्यक है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए समस्या की तह में जाकर उन कारणों को पता लगाया जाए जो जनता और महिला थानों की पुलिस के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने में आड़े आ रहे हैं।

अपराध नियंत्रण पुलिस का प्राथमिक दायित्व है। अपने दायित्वों का निर्वाह भारतीय पुलिस प्रारम्भिक काल से ही करती चली आ रही है। पुलिस के कार्यों में जनता की भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए नगरों में नगर सुरक्षा समिति तथा गांवों में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया जा सकता है। इन समितियों के सहयोग से पुलिस अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकती है। पुलिस महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बच्चों के शोषण को प्रभावशाली तरीके से रोकने के लिए इन समितियों से सहयोग ले सकती है। नगर सुरक्षा समिति और ग्राम सुरक्षा समिति के सहयोग से महिला थानों की पुलिस अपराध की दरों में कमी ला सकती है। समाज में महिलाओं

से सम्बन्धित सामाजिक बुराईयों को रोकने में महिला थानों की पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नगर सुरक्षा समिति तथा ग्राम सुरक्षा समिति में दलगत राजनीति से दूर समाजसेवियों को रखा जा सकता है, जिनका कोई आपराधिक रिकार्ड न हो। यथासम्भव सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, इंजीनियरों, व्यवसाईयों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा महिला कार्यकर्ताओं को इन समितियों में रखा जा सकता है।

मध्य प्रदेश के रीवां जिले के नगरीय क्षेत्रों में नगर सुरक्षा समिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों का गठन हो चुका है। इन समितियों के बन जाने के बाद महिला अपराधों में गिरावट दर्ज की गयी है। वह समय दूर नहीं है जब सम्पूर्ण देश में महिला अपराधों की रोकथाम के साथ–साथ सामाजिक न्याय और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण में जनता इन बनायी गयी विभिन्न समितियों के माध्यम से महिला थानों के पुलिस को सहयोग करेगी। महिला पुलिस/पुलिस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

महिलाओं को गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त हो सके और राष्ट्र जनतांत्रिक मूल्यों, मान्यताओं एवं आदर्शों की राह पर चलकर अपनी एक अलग पहचान बना सके, इस दिशा में महिला पुलिस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महिला थानों की पुलिस में समुदाय में रहने, साथ–साथ काम करने तथा सामुदायिक सहयोग की भावना विकसित करनी आवश्यक है।

पुलिस किसी भी देश की प्रमुख संस्था होती है। उसके ऊपर देश की आन्तरिक व्यवस्था एवं जनता की सुरक्षा का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। समाज में अनैतिक तथा गैर कानूनी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस कारण से सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासन भी प्रभावित होते रहते हैं। वर्तमान समय में यह विचार–विमर्श किए जाने की जरूरत है कि सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए क्या कारगर

कदम उठाए जा सकते हैं।

पुलिस की सम्पूर्ण व्यवस्था को पूर्ण सक्षम, कुशल एवं आधुनिक बने रहना अति आवश्यक है। महिला थानों के कार्यों में एक मुख्य कार्य यह भी है कि समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम, उन पर नियंत्रण तथा अपराध एवं अपराधियों की खोज करना भी है तथा यह भी ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से निर्दोषों को यातना न झेलनी पड़े। इसके लिए हमेशा पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ता है। बुनियादी तथा स्पष्ट तौर पर किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट पहुंचाने के लिए जान–बूझकर किया गया कार्य ही हिंसा है। हिंसा परिवारों में ज्यादा होती है। जन्म से पहले ही आजकल हो रहे लिंग निर्धारण से कन्या भ्रूण का गर्भपात कराया जाता है, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर महिला पुरुष के अनुपात में विभिन्नता कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम होता चला जा रहा है। महिलाओं की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है जो कि समाज के लिए सोच का विषय है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में यह एक विकराल रूप ले लेगा तथा अपराधीकरण समाज में इस कदर फैल जाएगा कि महिला थाना तथा महिला पुलिस व्यवस्था मजबूत होने पर भी इसे नहीं संभाल पाएगी।

आज साक्षरता दर बढ़ी है, परन्तु अपराधों में वृद्धि का होना विशेषकर महिलाओं के साथ यह समाज के लिए एक चिन्ता का विषय है। इस समस्या का समाधान समाज तथा महिला थानों की पुलिस के सहयोग से ही दूर हो सकती है। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनेक कानूनों की मौजूदगी के बाद भी महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है।

विपदाग्रस्त महिला परामर्श केन्द्र

महिलाओं के उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा की दिन–प्रतिदिन

बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में ऐसी विपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता हेतु 'विपदाग्रस्त महिला परामर्श केन्द्र' शुरु किए गए हैं। ऐसा प्रथम परामर्श केन्द्र जुलाई 1984 में पुलिस आयुक्त मुम्बई के कार्यालय में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान तथा मुम्बई पुलिस ने संयुक्त रूप से प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ किया है ताकि ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं तथा जिनकी जानकारी पुलिस को मिलती है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पहल की जा सके। अप्रैल, 1988 में दूसरा 'परामर्श केन्द्र' दादर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया।

घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के मामलों में महिलाओं की शिकायतें, जिन पर तत्काल पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, इन परामर्श केन्द्रों को भेजी जाती हैं। शुरुआत में, परामर्श केन्द्रों में ऐसे मामलों को सलाहकारों द्वारा दोनों पक्षों को साथ में लाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाती है, ताकि शिकायतकर्ता महिला का परिवार न टूटे। यदि सलाहकारों द्वारा दोनों पक्षों को साथ लाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला सुलझाने के प्रत्यन सफल नहीं होते तथा विरोधी पक्ष लगातार शिकायतकर्ता को परेशान करते हैं, तो मामला आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस थाने भेज दिया जाता है।

सन 2013 से इसीलिए महिलाओं की उम्मीद बढ़ गयी हैं कि उसने समाज को अपने लिए चिन्ता और चिन्तन करते देखा है। दिसम्बर 2012 में दामिनी (काल्पनिक नाम) के साथ हुई बेदर्दी के बाद सरकार और उसके सभी तंत्र जाग गए हैं। महिला पुलिस चाक–चौबन्द है। बलात्कार हमारे समाज का एक ऐसा वीभत्स सच है, जो दिन पर दिन और बुरा रूप लेता जा रहा है। दिल्ली में दिसम्बर 2012 में 23 वर्षीय युवती की आबरु के साथ खिलवाड़ के बाद उसकी निर्मम हत्या इस धारणा को शक्ति देने के लिए काफी है कि आज भी अहिंसा

के पुजारी महात्मा गांधी के देश में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। दिल्ली पुलिस के ही आंकड़ों को देखें तो गए साल दिल्ली में दुष्कर्म के सर्वाधिक छः सौ पैंतीस मामले दर्ज हुए। दिल्ली पुलिस का विशेष महिला दस्ता चुस्ती से काम करना चाहता है। पुलिस पर केवल जनता का दबाव नहीं है। उस पर तरह–तरह के दबाव होते हैं, जिनके तहत उसे अधिकतर काम करने पड़ते हैं। देश का हर नागरिक बिना वर्दी का सिपाही होता है और समाज के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक योद्धा बनना होगा। आज हम देश की प्रगति को आर्थिक मापदण्डों पर मापते हैं जबकि इसे सामाजिक स्तर पर मापना होगा।

दिन पर दिन महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा ने सभी राज्यों की सरकारों को सोचने के लिए मजबूर किया है। दिल्ली के सभी महिला थानों में महिला सब–इंसपेक्टरों की बात कही गयी है। देश भर में त्वरित अदालतें बनायी जा रही हैं।

16 दिसम्बर, 2012 में चलती बल में हुए सामूहिक बलात्कार काण्ड से भारतीय जनमानस न केवल मर्माहत हुआ है, बल्कि उसका गुस्सा सड़कों पर फूटा है। दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, उससे उनके गुस्से की थाह ली जा सकती है। इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ समाज को खड़ा होना ही चाहिए, यही एक जीवन्त और सजग समाज की पहचान है।

महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा के कारण समाज में आयी जागरुकता महत्वपूर्ण है। महिलाओं और महिला संगठनों ने जिस तरह से अपनी आवाज को बुलन्द किया है, उससे सम्पूर्ण समाज और महिला पुलिस भी सक्रिय हुई है। महिलाओं सम्बन्धी मुद्दों पर जिस तरह से सरकार और महिला थानों की पुलिस सक्रिय और संवेदनशील हुई हैं वह प्रशंसनीय है। अगस्त, 2013 में मुम्बई में युवा फोटो महिला पत्रकार से बर्बर सामूहिक बलात्कार की घटना के तीन दिन

बाद ही मुम्बई पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को गिरतार कर लिया है। ऐसी सामूहिक बलात्कार की घटना ने समाज के हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। हमारे देश की महिलाएं हर तरह के जोखिम का सामना कर रही हैं। आज महिलाएं रात की पाली में भी कई तरह के जोखिम के बीच काम कर रही है। सरकार और महिला थाने की पुलिस चौकसी बढ़ा रही है तथा व्यावहारिक और सख्त दण्डात्मक उपाय कर रही है। देश भर में बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से लगातार सामने आती जा रही हैं उससे महिलाओं के सामने जोखिम भरी स्थितियों में काम करना आसान नहीं है। दूर–दराज के इलाकों में बलात्कार की शिकायतें दर्ज तक नहीं हो पाती हैं। बलात्कार के मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान और सजा के अलावा पुलिस–प्रशासन की ओर से सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना प्राथमिक और अनिवार्य शर्त है। आज पुलिस और महिला थाने वह माहौल देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ मध्यकालीन सामाजिक प्रवृत्तियों और पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों को खारिज किए बिना ऐसा हो पाना कठिन है।

आज कमी देश के कानून में नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन में है। दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध तब तक नहीं रोके जा सकते, जब तक कि इस तरह की वारदात में शामिल लोगों को कड़ा दण्ड नहीं दिया जाता और अपराधियों को सख्त संदेश नहीं दिया जाता। आज जरूरत इस बात की है कि दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित सुनवाई हो और उन्हें कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, महज कानून बना देने से शायद ही कुछ हासिल हो सकता है। मुम्बई में हुई घटना हम सब की कमजोरी का ही नतीजा है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की बुराईयों की जड़ें हमारे समाज में ही मौजूद हैं। घर परिवार में शुरुआत से ही यह शिक्षा और

संस्कार दिया जाता है कि लड़का कुछ भी गलती करे चलेगा लेकिन लड़की ऐसा नहीं कर सकती। लड़कियों की जायज मांगों को भी अनसुना किया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है कि वे मर्यादा का पालन करें और समाज के रीति–रिवाज के मुताबिक रहें। समाज लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करना सिखाता है और लड़कों को वरीयता देता है। इन सबका नतीजा यह है कि लड़के अधिक उच्छृंखल बनते हैं। हमारे समाज में यह एक संस्कृति सी बन गयी है कि गलती लड़के से नहीं, बल्कि लड़की से ही होती है। वर्तमान में छोटी बच्चियों से लेकर विवाहित और वृद्ध महिलाओं तक के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस–प्रशासन, मीडिया, अदालत और समाज ऐसे मामलों को संजीदगी से लें और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करे, ताकि पीड़ित महिला खुद को और अधिक अपमानित महसूस न करें। दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए देश में जो कानून है, वह पर्याप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल का मानना है कि ''यदि सरकार एक्ट के बजाय एक्शन पर जोर दे तो ऐसी वारदातों को न केवल रोका जा सकता है, बल्कि अपराधियों को ऐसी हिमाकत करने से डराया भी जा सकता है।''बेहतर पुलिसिंग की पहली मांग है कि आज आदमी की नजरों में उसकी भूमिका 'हीरो' जैसी होनी चाहिए। पुलिस व समाज के बीच की खाई को पाटने में मीडिया का रोल अहम साबित हो सकता है।

समाज में आपराधिक मनोवृत्ति, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन–उत्पीड़न के मामले अगर तेजी से बढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा गम्भीरता से इसके कारणों की खोज करनी होगी। आखिर हम इतना डरावना समाज क्यों और कैसे बना सकते हैं? क्या सिर्फ कानूनी सुधार और सजा बढ़ाने मात्र से समाधान हो जाएगा? समाज और सरकार को

महिला–उत्पीड़न के वास्तविक कारणों की खोज करनी होगी और उसे मिटाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानूनी प्रावधानों में संशोधन इसमें से एक है। आज यह भी सोचने का विषय है कि हमारी अर्थव्यवस्था और सम्पूर्ण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में ऐसी क्या खामियां हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में इतनी क्रूरता और महिला–उत्पीड़क मानसिकता पैदा हो रही है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि सबसे ज्यादा बलात्कार गरीब, दलित और आदिवासी स्त्रियों के साथ होते हैं। देश की अदालतों में बलात्कार के काफी मुकदमें चल रहे हैं। बलात्कार की संस्कृति के खिलाफ आज महिलाएं खुद सड़कों पर उतर रही है। बलात्कार की संस्कृति को केवल कानून व्यवस्था के दायरे में नहीं बदला जा सकता है।

16 दिसम्बर, 2012 की घटना के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब में थाना स्तर पर विशेष दस्ते बनाए गए हैं। पंजाब में नाइट पुलिस के नाम से अलग दस्ता बनाया गया है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की गयी है। मध्य प्रदेश, झारखण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र में विशेष हेल्पलाइन शुरु की गयी है।

पता नहीं किस बीमार मानसिकता के कारण यह माना जाता है कि स्त्री के साथ बलात्कार होने का मतलब उसकी और उसके परिवार की इज्जत चली जाना है। पहली बात यह है कि तथाकथित 'इज्जत' का कोई सम्बन्ध स्त्री के साथ हुए बलात्कार से नहीं हो सकता।

बलात्कृत स्त्री के प्रति पूरे समाज को अपना नजरिया बदलना होगा। क्या हम ऐसा ही समाज चाहते हैं, जिसमें एक स्त्री चूंकि किसी बलात्कारी पुरुष द्वारा अपमानित की गयी है, इसलिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार बार–बार किया जाना चाहिए? अगर हम ऐसा समाज नहीं चाहते है तो हम सबको अपना दिमाग बदलना होगा, ताकि स्त्रियां बलात्कृत न हों

और पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो, ताकि बलात्कारियों की हिम्मत टूटे, हौसले खत्म हों।

कानून बेहद सख्त और प्रभावी होने चाहिए। एफ.आई. आर. दर्ज करने से लेकर फास्ट ट्रैक अदालतों में अन्तिम सजा सुनाने तक की प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। इससे न केवल नए अपराधियों में खौफ पैदा होगा बल्कि जीवित बची बलात्कार पीड़ित को इंसाफ भी मिलेगा।

अब समय आ गया है कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा पर बड़ी बहस छेड़ी जाय, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले। आज पूरे समाज को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि महिलाओं पर इतने अत्याचार आखिर क्यों हो रहे हैं? इस दिशा में अब लोगों के कदम आगे बढ़ रहे हैं।

अध्याय – चार

महिला थानों की आवश्यकता क्यों?

महिला थानों में कार्यरत पुलिस/महिला पुलिस और पुलिस अधिकारियों की समाज और देश में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज देश में बढ़ते हुए अपराधों तथा महिलाओं पर बढ़ती हुई हिंसा के कारण महिला थानों की महत्ता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस की वर्दी पहनने वाली ये युवतियां इस सेवा से जुड़ी कठिनाईयों व मुश्किलों को पहचानती हैं। वे जानती हैं कि वे एक असाधारण पेशे में हैं। थानों में उनका काम कड़ी मेहनत, खतरे और संकल्प शक्ति से जुड़ा होता है। महिला थानों में वर्दी वाली महिलाएं पहले से ही मेरिट में स्थान पाने वाली, दृढ़ संकल्प वाली युवतियां होती हैं। समाज उनकी सेवाओं से एक सकारात्मक नजरिया पाना चाहता है। पुलिस पूरे समाज के लिए हैं तथा कई मामलों में महिलाओं के मुद्दे पर पूरा ध्यान भी दिया जाता है लेकिन नीति निर्धारण, प्रशिक्षण व निर्णय निर्धारण के क्षेत्र में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या कम है। वर्तमान समय में महिलाओं का एक पूरा वर्ग चुनौतियां लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, लूटपाट व घरेलू अपराधों से सहमी महिला वर्ग के लिए महिला थाना आवश्यक है। इस बात को जिला पुलिस प्रशासन भी मानती है कि किसी

अपराध में पीड़ित महिला, वारदात के बारे में महिला पुलिस को बेहिचक बता सकती है। महिला थानों में महिलाओं के खिलाफ अपराध व कार्रवाई, जांच व आरोपियों की जल्द गिरतारी पर ध्यान दिया जाता है। यदि देश के समस्त राज्यों में महिला थाना स्थापित हो जाएगा तो निश्चित तौर पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ मामलों पर तत्परता से कार्रवाई के मामलों को सुलझाने के लिए महिला थाना विशेष सेल के रूप में कार्य करेगा।

महिला थाना शोषण की शिकार महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखने में महिलाओं को झिझक नहीं होती। महिला थाने का मकसद वैसी महिलाओं को न्याय दिलाना है जो घर परिवार की समस्याओं को कोर्ट–कचहरी में नहीं ले जाना चाहती है।

कैसे मिलता है न्याय?

न्याय पाने के लिए महिला थाना में एक आवेदन देना पड़ता है। इसके बाद थाने से नोटिस जारी कर आरोपी व्यक्ति को बुलाया जाता है। परामर्श के माध्यम से दोनों पक्षों के विवाद को दूर करने का प्रयास किया जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों का फीडबैक लिया जाता है। इसके बाद भी यदि विवाद का निबटारा नहीं होता है तो आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है।

महिला थाना में ज्यादातर मामले पति द्वारा प्रताड़ित करने, दहेज, घरेलू हिंसा व सास–बहू के झगड़े आते हैं।

महिला थाना का लाभ

यहां परामर्श के माध्यम से कम समय में मामले का निबटारा किया जाता है। दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बातें

रखते हैं। प्रारम्भ में दोनों पक्षों को समझाया जाता है कि वे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लें। अगर मां के पास बेटियां होती हैं तो बेटी के भविष्य और उसकी सुरक्षा के संदर्भ में बातें की जाती हैं। पति–पत्नी के अलग हो जाने पर बच्चों के नाम कुछ पैसा/सम्पत्ति पति को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यह सब कार्रवाई मौखिक ही चलती है इसके लिए स्टाम्प पेपर पर दोनों पक्षों के फोटो, हस्ताक्षर और जो कुछ निर्णय होता है वह लिखा जाता है। निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। महिला थाना की थानाध्यक्ष के उस पर हस्ताक्षर होते हैं और इसकी रिपोर्ट जिले के पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती है। समझौता होने के बाद दोनों पक्ष अपना जीवन पुनः नए सिरे से शुरु करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

आज महिलाओं पर जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, उस हिंसा से निपटने के लिए सरकार, समाज, पुलिस, कानून और न्यायाधीश सभी को मिलकर काम करना होगा। आज देश में पुलिस बल की जितनी जरूरत है, उतनी संख्या नहीं है। फिर महिला पुलिस की संख्या तो और भी कम है। महिला पुलिस की अवधारणा बहुत ही आधुनिक है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम सन 1845 ई. में न्यूयार्क शहर में महिलाओं की पुलिस मैटर्न के रूप में नियुक्ति की गयी थी, किन्तु उन्हें पुलिस कार्यों के स्थान पर केवल साधारण बचाव के कार्य ही सौंपे गए थे।

27 अक्टूबर, 1973 को केरल के कालीकट शहर में देश का प्रथम महिला पुलिस थाना खोला गया। सन 2007 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल पुलिस कार्मिकों में मात्र 3 प्रतिशत महिलाएं हैं। महिला पुलिस और महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या सर्वप्रथम बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए प्रत्येक राज्य में पूर्ण महिला थाना का होना अति आवश्यक है तथा उस थाने में संवेदनशील और प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों का होना और भी जरुरी है।

बिहार में वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मंत्रिमण्डल सचिवालय समन्वयक विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश भर में 40 महिला थाने खोले जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

पुलिस में प्रशिक्षण का महत्व कोई छिपी हुई बात नहीं है। यह केवल प्रशिक्षण के माध्यम से ही सम्भव होता है कि कच्चे माल के रूप में प्राप्त होने वाला कोई रंगरुट (महिला/पुरुष) एक पेशेवर पुलिसकर्मी के रूप में ढलता है। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से न सिर्फ विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों को पेशेवर रूप से अपना कर्तव्य निभाने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे उनके मस्तिष्क के जाले भी साफ होंगे।

आज महिलाओं पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, छोटी–छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, पति–पत्नी के बीच मारपीट के मामले पंजीकृत कराए जा रहे हैं, उनका समाधान महिला थाने की पुलिस को करना है।

पिछले कुछ दशकों में भारत के शहरी समाज में विशेषकर महानगरों और बड़े नगरों में लोगों के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों में आमूल–चूल परिवर्तन आए हैं। पिछले कुछ समय से एक और परिदृश्य उभरा है, जिसने पुरुष और स्त्री के मध्य एक नई समस्या खड़ी कर दी है, वह है आपसी 'अहं' के टकराव की समस्या।

पिताओं द्वारा बेटियों के यौन शोषण की समस्याएं भी प्रायः होती रहती हैं। दिल्ली में 1992 में महिला अपराध शाखा में दो केस दर्ज कराया गया, जहां पिता ही अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था।

19 अक्टूबर, 1994 के ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इण्डिया में छपे एक यू.एन. आई. समाचार के अनुसर देश के हर भाग

में खासकर शहरों में अदालतें तलाक की अर्जियों से पटी पड़ी है। जहां अदालतों में केस बहुत ज्यादा हो और उनका निस्तारण न हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में महिला थाना में कार्रवाई त्वरित गति से होती हैं तथा अदालतों के चक्कर लगाने से दोनों पक्ष बच जाते हैं।

स्त्री की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह अपनी भूमिका स्वयं कभी तय नहीं करती। न परम्परा में और न ही आधुनिकता में। आज स्त्री के गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक उस पर जिस तरह के अत्याचार, घिनौने कर्म तथा शोषण हो रहे हैं, वहां सभी राज्यों में पूर्ण महिला थानों की स्थापना तो और भी आवश्यक है। महिला थाने की पुलिस को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार से निपटने के लिए संवदेनशीलता के साथ पूरे समाज को जुटना होगा।

केवल महिला थाना की स्थापना ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, महिला थाने में सरकार को समाजशास्त्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों, महिलाओं के मुद्दे पर कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं, वकीलों, न्यायाधीशों, पत्रकारों आदि को जोड़ा जा सकता है। सम्पूर्ण समाज का अध्ययन भी प्रशिक्षण का एक भाग हो सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जटिल होते जीवन में मानव कोर्ट–कचहरी के चक्कर में फंसता जा रहा है। जीवन की जटिलताएं इतनी बढ़ गयी हैं कि मानव को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कोर्ट–कचहरी के चक्कर में अपना समय गंवाना पड़ रहा है। यदि समस्याएं इसी तरह बढ़ती रहीं तो महिला थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि भविष्य में महिला थानों के स्वरूप में परिवर्तन करना पड़े। महिला थानों पर महिलाएं जब अपनी समस्याएं लेकर पहुंचती हैं तो उन्हें वहां सहयोग, सान्त्वना, प्यार, आश्वासन आदि सभी चीजों की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थितियों में

महिला थानों पर नए पदों जैसे– मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के पद भी सृजित किए जा सकते हैं, ताकि महिला थाना अपने उद्देश्यों मे पूर्णतः सफल हो।

महिलाओं की हिफाजत के लिए उ.प्र. पुलिस सुलह–समझौता केन्द्र स्थापित कर रही है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की बढ़ती संख्या देख हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस विभाग ने सुलह–समझौता केन्द्रों की स्थापना कर हफ्ते में एक दिन बैठकर मामलों के निपटारे की प्रक्रिया शुरु करने की ठानी है। अदालतों में महिला उत्पीड़न के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुलह–समझौता केन्द्र में महिला पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। महिला थानों पर महिलाएं अपनी बातों को महिला पुलिस के सामने खुलकर रख सकती हैं तथा महिला पुलिस संवेदनशीलता के साथ उनको समझने का प्रयास करती है।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2011 में इस प्रकार के मामलों की संख्या 2.25 लाख थी। आज कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा देने में आधुनिक प्रौद्योगिकी का बड़ा हाथ है।

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में, चाहे मामले छींटाकशी के हों या पीछा करने, छेड़छाड़ करने या फिर दुष्कर्म करने के प्राथमिक स्तर की जांच बेहद संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ किए जाने की आवश्यकता है। भारत में अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने का तरीका अभी बहुत आधुनिक नहीं है और इसी कारण दोषी कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। आज यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए समर्पित महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। समर्पित पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से दोषियों को सजा दिलवा सकती है। अब वह वक्त नहीं रहा कि महिलाओं पर अत्याचार होते रहें और

दोषी भी उन्हें ही ठहराया जाए। ऐसी स्थिति में महिला थानों की आवश्यकता सम्पूर्ण राज्य में और भी बढ़ जाती है।

उ.प्र. पहला राज्य है जहां सभी जिलों में महिला थाना खोले गए हैं। गृह मंत्रालय के कहने पर 1990 के शुरु में उ. प्र. में महिला थाना खोलने की बात कही गयी और पहला महिला थाना लखनऊ में खोला गया। उ.प्र. में कुल पुलिस बल का 1.3 प्रतिशत महिला पुलिस है।

महिला पुलिस की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2009 में एक राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में बताया गया है कि तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा 10225 महिला पुलिस की संख्या है जो कि पूरे पुलिस बल की 9.8 प्रतिशत है। सन 1972 में किरन बेदी भारत की प्रथम आई.पी.एस. के रूप में पुलिस सेवा में आयीं। भारत में सर्वप्रथम सन 1938 में महिला पुलिस की आवश्यकता तब अनुभव की गयी जब कानपुर में कुछ महिला श्रमिक हड़ताल विरोधी पुरुषों को रोकने हेतु एक कारखाने के द्वार पर बैठ गयीं। उन्हें वहां से हटाने में पुलिस को भारी समस्या का सामना करना पड़ा।

महिला थाना

वर्तमान में पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या पांच फीसदी भी नहीं है। यह महिलाओं की आबादी के हिसाब से बेहद कम हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों के अनुसार देश में 16 लाख पुलिसकर्मियों में महिला कार्मिकों की संख्या 71,776 है। यह आंकड़ा 2011 का है लेकिन एक साल पहले यह संख्या 66,153 थी। यानी करीब 8.47 फीसदी की बढ़ोत्तरी एक साल में हुई है।

सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी (वर्ष 2011)

1.	11,950	–	तमिलनाडु
2.	10,809	–	महाराष्ट्र
3.	5285	–	दिल्ली

सबसे कम महिला पुलिस कर्मी

1.	10	–	दमन–दीव
2.	16	–	लक्ष्यद्वीप
3.	26	–	दादर नगर हवेली

डीजीपी रैंक की महिला पुलिसकर्मी – 16

विभिन्न राज्यों में महिला पुलिसकर्मी (वर्ष 2011के अनुसार)

क्र.सं.	**राज्य**	**संख्या**
1.	हरियाणा	1480
2.	उत्तराखण्ड	1480
3.	उत्तर प्रदेश	2570
4.	राजस्थान	4558
5.	बिहार	1120
6.	झारखण्ड	1595
7.	कर्नाटक	3606
8.	मध्यप्रदेश	4558
9.	ओडिशा	3281
10	केरल	2801
11.	आन्ध्रप्रदेश	1974

देश में महिलाओं की आबादी 48 प्रतिशत है। महिलाओं से जुड़े अपराध खासकर यौन अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस में महिलाओं की संख्या का बढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

महिला अपराधों तथा महिला हिंसा को रोकने में महिला थानों में कार्यरत महिला पुलिस की विशेष भूमिका होती है। महिला पुलिस हिंसा को रोकने में, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, बाल–विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों, बलात्कार, सती प्रथा जैसी कुरीतियों, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ एवं घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के विरुद्ध महिलाओं में चेतना जागृत कर

सकती हैं। महिला अत्याचारों के सम्बन्ध में महिला होने के नाते महिला पुलिस की उपस्थिति से पीड़ित महिलाएं बिना किसी भय या संकोच के दिन या रात किसी भी समय अपनी शिकायत थाने पर दर्ज करा सकती हैं।

वर्तमान समय में महिला पुलिस, पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज पुलिस विभाग में प्रत्येक पद पर महिलाएं आसीन हैं। सम्पूर्ण भारत से पुलिस में सेवारत महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1979 में महिला पुलिस की संख्या जो कि मात्र 0.4 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 1990 में 1.05 प्रतिशत हो गयी है। 31 दिसम्बर, 2005 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिला सिविल पुलिस की कुल संख्या 40101 थी जबकि महिला, पुलिस के स्वीकृत पद 40737 हैं। कुल सिविल पुलिस में महिला सिविल पुलिस का प्रतिशत 1.26 प्रतिशत है।

भारत में महिला पुलिस की कुल संख्या (सिविल पुलिस) 31 दिसम्बर 2005 को राज्य एवं संघशासित क्षेत्रों को मिलाकर महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक एवं उपमहानिरीक्षक के पदों पर 17 महिला पुलिस अधिकारी कार्यरत हैं।

कुल (सिविल–सशस्त्र) पुलिस में महिला पुलिस का प्रतिशत

क्रमांक	राज्य	कुल स्वीकृत पद	महिला पुलिस की संख्या	सम्पूर्ण पुलिस में महिला पुलिस का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	108,075	1,719	1.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,018	288	4.79
3.	असम	62,920	559	0.89
4.	बिहार	74,188	882	1.19
5.	छत्तीसगढ़	42,236	1,107	2.62
6.	गोवा	5,055	315	6.23
7.	गुजरात	74,868	2,474	3.30
8.	हरियाणा	52,136	1,358	2.60
9.	हिमाचल प्रदेश	14,369	605	4.21
10.	जम्मू कश्मीर	94,769	1,634	1.72
11.	झारखण्ड	54,277	1,701	3.13
12.	कर्नाटक	88,679	2,783	3.10
13.	केरल	43,909	2,783	6.34
14.	मध्य प्रदेश	76,826	2,289	2.98
15.	महाराष्ट्र	201,251	9,105	4.52
16.	मणिपुर	19,064	459	2.41
17.	मेघालय	11,293	174	1.54
18.	मिजोरम	9,115	222	2.44
19.	नगालैण्ड	33,487	253	1.05
20.	उड़ीसा	47,216	3,092	6.55
21.	पंजाब	71,869	1,472	2.05
22.	राजस्थान	372,626	2,662	3.67
23.	सिक्किम	3,886	179	4.61
24.	तमिलनाडु	102,421	20,225	9.98
25.	त्रिपुरा	25.918	659	2.54
26.	उत्तरप्रदेश	166,152	2,154	1.30

स्रोत : रिपोर्ट ऑफ नेशनल कान्फ्रेंस, वीमेन इन पोलिस, 31 दिसम्बर, 2005

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला पुलिस का प्रतिशत बहुत ही कम है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला पुलिस की संख्या में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। महिला पुलिस के कारण वृद्धों, बच्चों तथा खासतौर पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा में कमी आयी है। यदि महिला थाने में कोई महिला अधिकारी तैनात है, और वह उस पीड़ित महिला से उस पर आप बीती पूछती हैं तो वह सहज रूप से सब कुछ बता सकती है, जिससे उसको शीघ्र न्याय मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। महिलाओं की स्थिति

सुधारने, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए महिला थानों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।

पाकिस्तान की सम्पूर्ण जनसंख्या में 51 प्रतिशत महिलाएं हैं लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था में उनका योगदान बहुत कम है। जहां पाकिस्तान में सम्पूर्ण जनसंख्या में 51 प्रतिशत महिलाएं हैं वहीं महिला पुलिस की संख्या 1 प्रतिशत है। आज सम्पूर्ण विश्व वैश्वीकरण और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नए–नए क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। और यह सार्थक परिवर्तन हैं कि अपेक्षित परिवर्तन हेतु हम महिलाओं को उन क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्रदान करें।

पूरे विश्व में महिला पुलिस की अवधारणा महत्वपूर्ण है और बहुत से देश महिला पुलिस को मुख्य धारा में लाने हेतु गम्भीर हैं। महिला और पुरुष दोनों ही पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण अंग हैं और यह आवश्यक है कि महिला और पुरुष दोनों ही स्वायत्तता से बिना किसी बाधा के कार्य करें। महिला थाने की पुलिस हाशिए पर पड़ी महिलाओं की सहायता कर सकती हैं और उनकी समस्याओं को सामने ला सकती है।

बहुत से देशों में स्थानीय स्तर पर महिला पुलिस स्टेशन है। ये देश हैं– (अर्जेन्टिना, बोलिविया, ब्राजील, इक्वाडोर, घाना, भारत, कोसोवो, लाइबेरिया, निकारागुआ, पेरु, फिलीपीन्स, सियरा लिओन, दक्षिण अफ्रीका, युगान्डा तथा उरुग्वे।)

ब्राजील में 1985 में विशिष्ट महिला पुलिस की स्थापना की गयी तथा ब्राजील में 475 महिला पुलिस स्टेशन खोले गए। पहला महिला पुलिस स्टेशन साव पावलो, ब्राजील में 1985 में खोला गया तथा इनकी संख्या धीरे–धीरे बढ़ती गयी। 475 महिला पुलिस स्टेशन ब्राजील मे, 34 इक्वाडोर में, 59 निकारागुआ में, 27 पेरु में तथा लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में 2010 में खोले गए।

उदाहरण के लिए ब्राजील, निकारागुआ तथा पेरु के महिला पुलिस स्टेशन, पुलिस की इकाई है, जबकि इक्वाडोर में महिला

पुलिस स्टेशन राज्य की कार्यपालिका की न्याय प्रशासन व्यवस्था है। इक्वाडोर, सियरा लिओन तथा पेरु के विधेयक के अनुसर महिला थाना केवल घरेलू हिंसा के केस को देखते हैं। अन्य देशों जैसे अर्जेन्टीना, ब्राजील और निकारागुआ के महिला पुलिस स्टेशन जीवन साथी के शिकायत के अलावा लोगों द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत को भी लेते हैं। निकारागुआ के पारिवारिक हिंसा कानून केवल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा को लेते हैं लेकिन महिला थाना किसी भी तरह की लैंगिक हिसा के लिए रिपोर्ट दर्ज करती है। ब्राजील में महिला थाने में पारिवारिक हिंसा जिसमें शारीरिक हिंसा, धमकी तथा लैंगिक हिंसा के केस को लेते हैं। महिला थानों पर विशेष प्रशिक्षित महिला स्टाफ की नियुक्ति की जाती है तथा पीड़ित महिला की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। विशेष महिला पुलिस को रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता है, पीड़िता को स्वास्थ्य सुविधाएं, परामर्श और आर्थिक तथा कानूनी सहायता विशेष महिला पुलिस दिलाती है। महिला थाने की पुलिस समाज में महिला अधिकारों की जागृति और महिला सुरक्षा का कार्य करती है। (ब्राजील)

महिलाओं ने उपरोक्त कार्यों से फायदा उठाया है और पीड़िता से सम्पर्क करके महिला पुलिस ने उन्हें उचित लाभ पहुंचाया है। सूचना के अच्छे परिणाम तथा पीड़िता को परामर्श, कानूनी सहायता तथा सामाजिक और आर्थिक सहयोग महिला थानों की पुलिस प्रदान करती है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 जनवरी, 2011 तक 442 महिला पुलिस स्टेशन थे।

तमिलनाडु में सबसे ज्यादा (196) महिला थाने हैं। उत्तर प्रदेश में 71, आन्ध्र प्रदेश में 32, गुजरात में 31, राजस्थान में 24, झारखण्ड में 22, मध्य प्रदेश में 9, पंजाब में 5, छत्तीसगढ़ में 4 हैं।

बांग्लादेश में मॉडल महिला थाना शहरी और ग्रामीण

क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं तथा पुलिस कैसे लोगों की सहयोगी हो सकती है और उनकी आवश्यकताओं और आशाओं पर कैसे खरी हो सकती है, यह बताया जाता है। मॉडल थाना में कार्यरत कर्मचारियों को जेण्डर का ज्ञान होता है तथा स्थानीय समुदाय के साथ ज्यादा अच्छे सम्बन्ध होते हैं। यह मॉडल थाना महिला पुलिस स्टेशन के प्रतिमान के रूप में कार्य करता है ताकि वह पीड़ित महिला की सहायता कर सके। पाकिस्तान में महिला पुलिस की भर्ती 1970 में होनी शुरु हुई। पाकिस्तान में 25 जनवरी, 1994 में वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुटटो ने इस्लामाबाद में प्रथम महिला थाना की स्थापना की।

पाकिस्तान में चार राज्यों में बारह महिला थाने हैं, जिसमें तीन पंजाब में, छः सिन्ध में, दो खैबर पख्तूनख्वा में तथा एक इस्लामाबाद में है। ये सभी अधिकांश महिला थाने निरोधन का कार्य करते हैं। लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में महिला थाना न्याय पाने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही महिला थाने से विशेष सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। महिला थानों का सबसे महत्वपूर्ण सहयोग यही है कि महिलाओं पर हिंसा न हो और इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से सभी को बताया जाए की यह एक अपराध है।

महिला थानों की सूची

देश के सभी भागों में महिला थानों की स्थापना हो चुकी है। कहीं यह सी.ए.डब्ल्यू. सेल, (क्राइम अगेन्ट वीमेन सेल) महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ, तो कहीं महिला पुलिस स्टेशन तो कहीं वनिथा पुलिस स्टेशन तो कहीं महिला प्रकोष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है।

अण्डमान और निकोबार –

1. डी.सी.पी., सी.ए.डब्ल्यु. विंग, (महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ) पोर्ट ब्लेयर, साऊथ अन्डमान।
2. महिला इन्सपेक्टर, पुलिस स्टेशन, कार निकोबार, निकोबार।
3. एस.एच.ओ., सी.ए.डब्ल्यु. प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन नानकावरी, निकोबार।
4. सी.ए.डब्ल्यु. प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन कटचल, कटचल, निकोबार।
5. इन्सपेक्टर, सी.ए.डब्ल्यु. प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, पहरगांव, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान।
6. सी.ए.डब्ल्यु. प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन हट बे, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान।
7. महिला इन्सपेक्टर, पुलिस स्टेशन, हैवलॉक आइसलैण्ड, दक्षिणी अण्डमान डिवीजन।
8. सी.ए.डब्ल्यु. सेक्शन, पुलिस स्टेशन नील आइसलैण्ड, अण्डमान।
9. महिला इन्सपेक्टर, पुलिस स्टेशन बैम्बूलैट मध्य अण्डमान डिवीजन, अण्डमान।
10. सी.ए.डब्ल्यु. प्रकोष्ठ, बाराटंग पुलिस स्टेशन, बाराटंग, अण्डमान।

11. एस.एच.ओ., महिला अपराध शाखा, बिल्ली–ग्राउण्ड पुलिस स्टेशन, बिल्ली–ग्राउण्ड, अण्डमान।

12. महिला इन्स्पेक्टर, मायाबण्डर पुलिस स्टेशन, मायाबण्डर, उत्तरी अण्डमान।

13. डी.एस.पी. महिला एवं बाल सहयोग यूनिट, होमगार्ड बिल्डिंग, चण्डीगढ़।

14. दादर एवं नागर हवेली, पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध प्रकोष्ठ, व्यथित महिलाएं, सिलवास्सा, दादर एवं नगर हवेली।

15. दमन एवं दीव, पुलिस इंसपेक्टर, मानव व्यापार विरोधी दस्ता, महिला अपराध प्रकोष्ठ और पी.सी.आर., पुलिस मुख्यालय, एयरपोर्ट रोड, दमन।

16. लक्षद्वीप, पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, लक्षद्वीप।

दिल्ली

1. महिला अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, ज्वाइन्ट कमिश्नर आफ पुलिस, महिलाओं एवं बच्चों की स्पेशल पुलिस यूनिट, नानकपुरा, मोती बाग, नई दिल्ली।

2. सहायक पुलिस कमिश्नर, उत्तरी राज्य महिला अपराध शाखा, पुलिस स्टेशन, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली।

3. ए.सी.पी., उत्तर पश्चिमी राज्य महिला अपराध शाखा, पुलिस स्टेशन पीतमपुरा नई दिल्ली।

4. ए.सी.पी., उत्तरी पश्चिमी राज्य महिला अपराध शाखा, नन्दनगरी, पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली.

5. ए.सी.पी., केन्द्रीय जिला महिला अपराध शाखा, प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन, नयी दिल्ली।

6. ए.सी.पी., नयी दिल्ली जिला महिला अपराध शाखा, पार्लियामेंट स्ट्रीट., नई दिल्ली।

7. ए.सी.पी., दक्षिण जिला महिला अपराध शाखा, साकेत, नयी दिल्ली।

8. ए.सी.पी., दक्षिण पश्चिम जिला महिला अपराध शाखा, द्वारका, नयी दिल्ली।

9. ए.सी.पी., दक्षिण पूर्वी जिला महिला अपराध शाखा, पुलिस स्टेशन श्रीनिवासपुरी, नयी दिल्ली।

10. ए.सी.पी., पूर्वी राज्य महिला अपराध शाखा, पुलिस स्टेशन, कृष्णा नगर, नयी दिल्ली।

11. ए.सी.पी., पश्चिमी जिला महिला अपराध शाखा, पी. एस., कीर्ति नगर, नयी दिल्ली।

12. ए.सी.पी., बाहरी जिला महिला अपराध शाखा, पुराना पुलिस स्टेशन, रोहिणी बिल्डिंग, रोहिणी, दिल्ली।

पुडुचेरी

1. दक्षिणी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, महिला इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, दक्षिणी कार स्ट्रीट, विल्लियानुर, पुडुचेरी।

2. उत्तरी पाण्डीचेरी क्षेत्र, महिला इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, पुडुचेरी।

3. कराईकल क्षेत्र, महिला इंस्पेक्टर, ऑल वीमने पुलिस स्टेशन, कराईकल।

आन्ध्र प्रदेश

1. अडीलाबाद जिला, तेलंगाना, इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, अडीलाबाद।

2. हैदराबाद जिला, तेलंगाना एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, बेगमपंत पुलिस लाइन्स, बेगमपत, हैदराबाद।

3. एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, केन्द्रीय अपराध स्टेशन, कन्ट्रोल रूम के पास, हैदराबाद।

4. एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, दक्षिणी जोन, घान्सीपुरा, हैदराबाद।

5. सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, सरुरनगर, साइबराबाद।

6. खम्माम जिला, तेलंगाना, इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला पुलिस स्टेशन, खम्माम।

7. **करीम नगर जिला, तेलंगाना—**

एस.एच.ओ. महिला पुलिस स्टेशन, करीम नगर।

8. **महबूब नगर जिला, तेलंगाना—**

महिला हेल्पलाइन, फोन नं. 1091, 9440795700/1/2

9. **मेडक जिला, तेलंगाना—**

एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, संगारेडडी।

10. **नालगोण्डा जिला, तेलंगाना—**

सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन नालगोण्डा।

11. **निजामाबाद जिला, तेलंगाना—**

आफिसर इन्चार्ज, महिला प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. ऑफिस, निजामाबाद।

12. **रंगारेडडी जिला, तेलंगाना—**

महिला अपराध शाखा, एस.पी.आफिस, रंगारेडडी।

13. **वारांगल जिला, तेलंगाना—**

एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, वारांगल।

14. **अनन्तपुर जिला, रायलसीमा—**

इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, अनन्तपुर।

15. **चित्तुर जिला, रायलसीमा—**

एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, चित्तुर।

16. **कडपा जिला, रायलसीमा—**

एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, कडपा।

17. **कुर्नुल जिला, रायलसीमा—**

एस.आई., महिला पुलिस स्टेशन, कुर्नुल।

18. **ईस्ट गोडावरी जिला, कोस्टल आन्ध्रा—**

महिला शाखा, एस.पी. ऑफिस काकीनाडा।

19. **गुन्टुर जिला, कोस्टल आन्ध्रा—**

सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, गुन्टुर।

20. **कृष्णा जिला, कोस्टल आन्ध्रा—**

महिला प्रकोष्ठ, एस.पी. आफिस, विजयवाड़ा, जिला—कृष्णा

21. **नेल्लोर जिला, कोस्टर आन्ध्रा**

सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, नेल्लोर।

22. **प्रकाशम जिला, कोस्टल आन्ध्रा—**

महिला प्रकोष्ठ, एस.पी.. ऑफिस, प्रकासम।

23. **श्रीकाकुलम जिला, कोस्टल आन्ध्रा—**

सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, श्रीकाकुलम।

24. **विशाखापटटनम, कोस्टल आन्ध्रा—**

1. सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, अनाकापल्ली।
2. सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, विशाखापटटनम।

25. **विजयानगरम, कोस्टल आन्ध्रा—**

सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, विजयानगरम।

26. **पश्चिम गोदावरी जिला कोस्टल, आन्ध्रा—**

सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, इलुरु।

बिहार

1. **अररिया—**

एस.एच.ओ., महिला थाना, मुख्य बाजार, अररिया।

2. **अरवल—**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना, मेन रोड, अरवल।

3. **औरंगाबाद—**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना, टाउन, पी. एस. परिसर, औरंगाबाद

4. **बांका—**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, जिला

न्यायालय के पास, बांका।

5. **बेगूसराय–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, टाऊन पी. एस. कम्पाउण्ड, कचहरी रोड, बेगूसराय।

6. **भागलपुर–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, कोतवाली, चौक, भागलपुर।

7. **भोजपुर–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, ओल्ड पुलिस लाइन्स, भोजपुर, आरा।

8. **बक्सर–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, बीर कुंवर सिंह चौक, बक्सर।

9. **दरभंगा**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, हेड आफिस, दरभंगा।

10. **पूर्वी चम्पारन**

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारन, मोतिहारी।

11. **गया–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, के.पी. रोड, गया।

12. **गोपालगंज–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, थाना चौक, गोपालगंज।

13. **जमुई–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, जमुई।

14. **जहानाबाद–**

सब इंस्पेक्टर, और एस.एच.ओ., महिला थाना, बाजार रोड, जहानाबाद।

15. **कैमूर–**

सब इंस्पेक्टर, और एस.एच.ओ., महिला थाना, पुलिस लाइन, भभुआ, कैमूर।

16. **कटिहार–**

एस.एच.ओ. महिला थाना, नगर थाना के पास, कटिहार।

17. **खगड़िया–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, चित्रगुप्तनगर, खगड़िया।

18. **किशनगंज–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, किशनगंज पुलिसस्टेशन के पास, किशनगंज।

19. **लक्खीसराय–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ., महिला थाना, नगर पुलिस स्टेशन के पास, लक्खीसराय।

20. **मधेपुरा–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ., महिला थाना, एस.पी. आफिस, मधेपुरा।

21. **मधुबनी–**

सब इंस्पेक्टर, नुसरतजहां, एस.एच.ओ. महिला थाना, नगर पुलिस स्टेशन (पी.एस.) कम्पाउण्ड, मधुबनी।

22. **मुंगेर–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, कोतवाली पुलिस स्टेशन परिसर, मुंगेर।

23. **मुजफ्फरपुर–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला थाना, मोतीहिल, मुजफ्फरपुर।

24. **नालन्दा–**

सब इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ., महिला थाना, बिहार शरीफ।

25. **नेवादा–**

महिला थाना, नेवादा।

26. **पटना–**

इंस्पेक्टर, महिला थाना, पटना।

27. **पूर्णियां–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, सदर थाना के पास, पूर्णियां।

28. **रोहतास–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, सासाराम, रोहतास।

29. **सहरसा–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, एस.पी. आफिस के पास, सहरसा।

30. **समस्तीपुर–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, नगर थाना परिसर, समस्तीपुर।

31. **सारन–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, छपरा, सारन।

32. **शेरपुरा–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, मुख्य बस स्टैण्ड के पास, शेखपुरा।

33. **सिहोर–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, जिला न्यायालय के पास, सिहोर।

34. **सीतामढ़ी–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, सदर, सीतामढ़ी।

35. **सीवान–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, पुलिस मुख्यालय के पास, सीवान।

36. **सुपौल–**

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, नगर पालिका आफिस के पास, सुपौल।

37. **वैशाली–**

एस.एच.ओ. महिला थाना, वैशाली पुलिस स्टेशन के पास, वैशाली।

38. **पश्चिमी चम्पारन–**

एस.पी. ऑफिस, बेतिया।

गोवा

1. **उत्तरी गोवा–**

पी.आई., महिला एवं बाल संरक्षण यूनिट, मुख्यालय, पणजी।

2. **दक्षिणी गोवा–**

पुलिस इंस्पेक्टर, महिला पुलिस स्टेशन, सेन्ट जोसफ हाईस्कूल के पास, परनेम गोवा।

हिमाचल प्रदेश

1. **बिलासपुर–**

सुपरिटेन्डेन्ट ऑफ पुलिस कार्यालय, बिलासपुर।

2. **चम्बा–**

एस.पी., महिला अपराध शाखा, चम्बा।

3. **हमीरपुर–**

सी.ओ. महिला आई.आर.बी.एन., बस्सी, हमीरपुर।

4. **कांगड़ा–**

एस.एच.ओ., महिला शाखा, धर्मशाला।

5. **किन्नौर–**

सुपरिटेण्डेट ऑफ पुलिस एण्ड ओवरआल इन्चार्ज, महिला शाखा, रिकांग पियो, तहसील काल्या, किन्नौर।

6. **कुल्लु–**

हेड कान्स्टेबल, आई/सी., महिला शाखा, कुल्लु।

7. **लाहौल और स्पीति–**

महिला प्रकोष्ठ, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कीलांग जिला–लाहौल और स्पीति।

8. **मण्डी–**

महिला प्रकोष्ठ, एस.एच.ओ., सरकाघाट पुलिस स्टेशन, मण्डी।

9. **शिमला–**

एस.एच.ओ., महिला शाखा, शिमला।

10. **सिरमौर–**

महिला प्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस, सिरमौर।

11. **सोलन–**

इंस्पेक्टर, महिला प्रकोष्ठ, एस.एच.ओ., सोलन सदर पुलिस स्टेशन।

12. **उना–**

महिला एस.एच.ओ., चिन्तपुरनी, चिन्तपुरनी पुलिस स्टेशन, चिन्तपुरनी।

झारखण्ड

1. **बोकारो–**

ओ.सी. महिला पुलिस स्टेशन, पुलिस मुख्यालय के समीप, बोकारो सिटी।

2. **चतरा–**

महिला डेस्क सदर पुलिस स्टेशन, चतरा।

3. **देवधर–**

ओ.सी. महिला पुलिस स्टेशन, नगर पुलिस स्टेशन के पीछे, देवधर।

4. **धनबाद–**

ओ.सी. महिला पुलिस स्टेशन, पुलिस मुख्यालय के पास, धनबाद।

5. **दुमका–**

ओ.सी. महिला पुलिस स्टेशन, नगर पुलिस स्टेशन के पास, दुमका।

6. **पूर्वी सिंहभूम–**

ओ.सी. महिला पुलिस स्टेशन, एस.पी. सिटी आफिस, जमदेशपुर।

7. **गढ़वा–**

ओ.सी. महिला पुलिस स्टेशन, गढ़वा थाना के पास, गढ़वा।

8. **गिरीडीह–**

महिला इंस्पेक्टर, महिला डेस्क, नगर पुलिस स्टेशन, गिरीडीह।

9. **तोडडा–**

इंस्पेक्टर, महिला डेस्क, नगर पुलिस स्टेशन, गोडडा।

10. **गुमला–**

महिला इंस्पेक्टर, महिला सेक्शन, पुलिस मुख्यालय, गुमला।

11. **हजारीबाग–**

ओ.सी. महिला थाना, हजारीबाग।

12. **जामतारा–**

ओ.सी. महिला तथा एस.सी./एस.टी. पुलिस स्टेशन, जामतारा।

13. **खुन्ती–**

इंस्पेक्टर, महिला डेस्क, खुन्ती पुलिस स्टेशन।

14. **कोडरमा–**

महिला इंस्पेक्टर, कोडरमा पुलिस स्टेशन।

15. **लातेहार–**

ओ.सी., महिला डेस्क, लातेहार ओ.सी. कार्यालय।

16. **लोहारडागा–**

ओ.सी., महिला थाना, लोहारडागा।

17. **पाकुर–**

ओ.सी., महिला पुलिस स्टेशन, पाकुर पुलिस स्टेशन परिसर, जिला मुख्यालय के पास, पाकुर।

18. **पलामू–**

महिला प्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस, पलामू।

19. **रामगढ़–**

इंस्पेक्टर, महिला डेस्क, रामगढ़ पुलिस स्टेशन।

20. **रांची**

अ– ओ.सी. महिला थाना, ऊपर बाजार, रांची।

ब– ओ.सी., महिला थाना, गोसाईं टोला, रांची।

21. **साहिबगंज–**

महिला डेस्क, सी.आई. टाउन।

22. **सरायकंला खेरसावन–**

महिला प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., सरांयकलां।

23. **सिमडेगा–**

ओ.सी. महिला पुलिस स्टेशन, सिमडेगा।

24. **पश्चिमी सिंहभूम–**

महिला डेस्क, एस.पी. ऑफिस, चाईंबासा।

केरल

अर्नाकुलम–

1. सी.आई. महिला प्रकोष्ठ, कोच्चि।
2. बनिथा, पी.एस. कोच्चि।
3. बनिथा पी.एस. हेल्पलाईन, कोच्चि।
4. सी.आई. महिला प्रकोष्ठ, अर्नाकुलम, ग्रामीण।
5. डब्ल्यु. सी.आई., वनिथा प्रकोष्ठ, अलुवा।
6. डब्ल्यु. एस.आई., वनिथा सेल, अलुवा।
7. सी.पी.ओ., वनिथा सेल, अलुवा।
8. सी.पी.ओ., वनिथासेल, अलुवा।

इडुक्की–

1. सी.आई., महिला प्रकोष्ठ, इडुक्की।
2. महिला सब–इंस्पेक्टर, महिला प्रकोष्ठ, इडुक्की।
3. डब्ल्यु. एस.आई., महिला प्रकोष्ठ, इडुक्की।

कन्नुर–

1. डब्ल्यु. एस.आई., महिला प्रकोष्ठ, कन्नुर। फोन नं. 9497980907
2. डब्ल्यु. सी.आई., महिला प्रकोष्ठ, कन्नुर। फोन नं. 9497987216
3. सी.आई., वनिथा सेल।
4. एस.आई., वनिथा सेल।

कसरागॉड–

1. डब्ल्यु.सी.आई., वनिथा सेल, डी.पी.ओ. (पी.डब्ल्यु. डी. बिल्डिंग) पाराकटटा, विदध्यानगर, कसरागाड
2. सी.आई. महिला प्रकोष्ठ, 1091.

1–सी.आई., महिला प्रकोष्ठ, कोलम सिटी.

2–एस.एच.ओ., महिला प्रकोष्ठ, फोन नं. 9497980221

3–एस.एच.ओ., महिला प्रकोष्ठ, फोन न. 9497980222

4–महिला सब इंस्पेक्टर, महिला प्रकोष्ठ, कोटटराकरा, कोलम, ग्रामीण

कोटटयम–

डब्ल्यु. सी.आई., महिला प्रकोष्ठ, कोटटयम।

कोझीकोड–

अ– एस.आई., वनिथा महिला पुलिस स्टेशन, कोझीकोड, सिटी, फोन नं. 9497963644

ब– बनिथा पुलिस स्टेशन, फोन नं. 04952724070

स– डब्ल्यु. सी.आई. महिला प्रकोष्ठ, कोझीकोड, फोन नं. 0495–2724420

द– डब्ल्यु. सी.आई., वनिथा प्रकोष्ठ, कोझीकोड, ग्रामीण फोन न.949798195

ङ– महिला प्रकोष्ठ, कोझीकोड, ग्रामीण।

मलप्पुरम–

अ– महिला सर्किल इंस्पेक्टर, वनिथा सेल, फोन नं. 9497987174

ब– महिला प्रकोष्ठ, फोन नं. 9497980677

स– महिला सब इंस्पेक्टर फोन, 949796365

पलक्कड

अ– महिला यूनिट, पलक्कड, फोन नं. 0491–2522340

ब– महिला सर्किल इंस्पेक्टर, महिला प्रकोष्ठ, फोन नं. 9497987161

स– महिला यूनिट हेल्पलाइन, पलक्कड, फोन नं. 04912–522340

पथनमथिटटा–

अ– डब्ल्यु. सी.आई., वनिथा सेल, फोन नं. 0468–2222630

2. डब्ल्यु. सी.आई., वनिथा सेल, फोन नं. 9497987057

थ्रिसुर–

1. डब्ल्यु.सी.आई., थ्रिसुर, फोन नं. 9497987145
2. वनिथा प्रकोष्ठ, थ्रिसूर, फोन नं. 0487–2428855

तिरुअनन्तपुरम–

क– राज्य वनिथा सेल, फोन नं. 0471–2338100

ख– एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, फोन नं. 0471–2338100

ग– डिप्टी एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, फोन नं. 0471–38100

घ– सी.आई. वनिथा सेल, तिरुअनन्तपुरम, फोन नं. 0471–2320486

ङ– सी.आई., वनिथा सेल, तिरुअनन्तपुरम, फोन नं. 9497987014

च– महिला सर्किल इंस्पेक्टर, वनिथा सेल, तिरुअनन्तपुरम ग्रामीण।

छ– एस.एच.ओ., वनिथा प्रकोष्ठ, फोन नं. 9497980098

ज– एस.एच.ओ. वनिथा सेल, फोन न. 9497980099

झ– एस.सी.पी.ओ., वनिथा पुलिस स्टेशन, फोन नं. 9497930416

ञ– डब्ल्यु.सी.पी.ओ. वनिथा पुलिस स्टेशन, फोन न. 9497930417

ट– डब्ल्यु.सी.पी.ओ. वनिथा पुलिस स्टेशन, फोन न. 9497930418

वायानाड–

अ– सी.आई., महिला प्रकोष्ठ, वायानाड, फोन नं. 9497987202

ब– एस.एच.ओ., महिला प्रकोष्ठ, वायानाड, फोन नं. 9497980838/39

मध्य प्रदेश

1. अलीराजपुर–

अ– सबडिविजनल पुलिस ऑफिसर, महिला प्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस, उमराली रोड, अलिराजपुर।

2. अनुपपुर–

अ– डिप्टी सुपरिटेन्डेंट ऑफ पुलिस, महिला प्रकोष्ठ, थाना कोतवाली, रेलवे स्टेशन के पास, अनुपपुर।

3. अशोक नगर–

अ– डी.एस.पी., ऑफिस इन्चार्ज, महिला प्रकोष्ठ (महिला सेल) ए.जे.के. थाना, पुराने पुलिस स्टेशन के पास, अशोक नगर।

4. बालाघाट–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, कोतवाली के पास, सर्किट हाउस रोड, बालाघाट।

ब– इंस्पेक्टर, महिला सेल, कोतवाली के पास, सर्किट हाउस रोड, बालाघाट।

5. बारवानी–

अ– मुख्य परामर्शदाता, महिला परामर्श केन्द्र, पुलिस कन्ट्रोल रूप केपास, एम.जी. रोड, बारवानी।

बैतुल–

अ– इंस्पेक्टर, महिला प्रकोष्ठ, (वीमेन सेल) एस.पी. ऑफिस, कलेक्ट्रेट, बैतुल।

भिण्ड–

अ– डी.एस.पी., महिला अपराध शाखा, (वीमेन्स क्राइम ब्रान्च) सिटी कोतवाली, पुसा कालोनी के पास, भिण्ड।

भोपाल–

अ– एस.एच.ओ., महिला थाना, पुलिस कन्ट्रोल रूप के पीछे, जहांगीराबाद, भोपाल।

ब– इंस्पेक्टर इन्चार्ज, महिला हेल्पलाइन, हबीबगंज पुलिस स्टेशन, बित्तन मार्केट, भोपाल।

बुरहानपुर–

अ– डी.एस.पी. महिला प्रकोष्ठ (वीमेन सेल) शिकारपुरा थाना परिसर, इच्चापुर, बुरहानपुर।

छतरपुर–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ (वीमेन सेल) ए.जे.के. अनुसूचित जाति कल्याण, थाना–छतरपुर, सागररोड, छतरपुर।

छिन्दवाड़ा–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ (वीमेन सेल) पुराना पुलिस कन्ट्रोल रूम, जिला अस्पताल के पीछे, छिन्दवाड़ा।

दमोह–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, जिला जेल के पीछे, जबलपुर नाका रोड, दमोह।

दतिया–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास, पीताम्बरा मार्ग, दतिया।

देवास–

अ– इंस्पेक्टर, महिला डेस्क, कोतवाली पुलिस स्टेशन, सयाजी गेट, देवास।

धार–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ पुलिस कन्ट्रोल रूप परिसर, कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीछे, धार।

डिन्डोरी–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीछे, जबलपुर रोड, डिन्डोरी।

गुना–

अ– परिवार परामर्श केन्द्र, परेड ग्राउण्ड, गुना।

ग्वालियर–

अ– इंस्पेक्टर, महिला थाना, महिला पालिटेक्निक के पीछे, लक्ष्मीबाई मार्ग, ग्वालियर।

हरदा–

अ– डी.एस.पी., महिलाप्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के पास, हरदा।

होशंगाबाद–

डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, सर्किट हाउस के पास, होशांगाबाद।

इन्दौर–

अ– थाना इन्चार्ज, महिला पुलिस स्टेशन, सेन्ट्रल कोतवाली, एम.टी. एच. कम्पाउण्ड, इन्दौर।

ब– महिला डेस्क, एस.पी. आफिस, आर.एन.टी. रोड, इन्दौर।

स– विनय आर्या, थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन) परदेशीपुरा पुलिस स्टेशन इन्दौर।

द– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन), संयोगितागंज, पुलिस स्टेशन,छावनी रोड इन्दौर।

घ– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन), बनगंगा पुलिस स्टेशन, सनवर रोड, रेलवे क्रासिंग के पास, इन्दौर।

र– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन), जूनी इन्दौर पुलिस स्टेशन, जूनी इन्दौर मेन रोड, इन्दौर।

ल– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन), एम.आई.जी. पुलिस स्टेशन, एम.आई.जी. रोड, इन्दौर।

ख– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन) मल्हारगंज पुलिस स्टेशन, मल्हारगंज, एम.जी. रोड, इन्दौर।

ग– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन), चन्दन नगर, पुलिस स्टेशन, चन्दन नगर रिंग रोड, इन्दौर।

घ– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन) देपालपुर पुलिस स्टेशन, मेन रोड, देपालपुर, इन्दौर।

ङ– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन), महू कोतवाली, महू।

च– थाना इंचार्ज (महिला हेल्पलाइन), सनवर पुलिस स्टेशन, सनवर सिटी, इन्दौर।

जबलपुर–

अ– थाना इंचार्ज, महिला थाना, शास्त्री ब्रिज के पास जबलपुर।

झाबुआ–

अ– ऑफिसर इन्चार्ज, महिला परामर्श केन्द्र, पुलिस कन्ट्रोल रूप के पास, अलीराजपुर रोड, झाबुआ।

कटनी–

डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, पुराना एस.पी. कार्यालय, रेलवे स्टेशन के पास, कटनी।

खन्डवा

डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, सिविल लाइन्स, खन्डवा।

खरगौन–

इंस्पेक्टर, महिला प्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस कैम्पस, कलेक्ट्रेट, खरगौन।

मन्डला–

अ– ऑफिस इंचार्ज, महिला प्रकोष्ठपरिवार परामर्श केन्द्र, ट्रैफिक थाना, मुख्य मार्केट रोड, मन्डला।

मन्दसौर–

अ– डी.एस.पी., महिला सेल, यशोधरमनगर के पीछे, नीमच रोड, मन्दसौर।

मोरैना–

डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस, कलेक्ट्रेट के पास, मोरैना।

नरसिंहपुर–

डी.एस.पी., महिला सेल, एस.पी. ऑफिस, कलेक्ट्रेट के पास, नरसिंहपुर।

नीमच–

डी.एस.पी. और ऑफिसर इन्चार्ज, महिला सेल, एस. पी. आफिस, नीमच।

पन्ना–

डी.एस.पी., महिला अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस लाइन, पन्ना।

रायसेन–

डी.एस.पी., महिला सेल, कोतवाली के पास, भोपाल रोड, रायसेन।

राजगढ़–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, बेओरा, राजगढ़।

ब– ऑफिसर इन्चार्ज, महिला डेस्क, राजगढ़।

रतलाम–

अ– इंस्पेक्टर और टी.आई. महिला थाना, दो बत्ती चौराहा, रतलाम।

ब– सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर इन्चार्ज, महिला हेल्पलाइन, पुलिस कन्ट्रोल रूम, रतलाम।

रीवां–

डी.एस.पी. महिला थाना, सिविल लाइन बस स्टैण्ड, सिरमौर चौराहा, रीवां।

सागर–

सब–इंस्पेक्टर, महिला थाना, पी.सी.आर. के पास, पुलिस लाइन्स, सागर।

सतना–

अ– डी.एस.पी., महिला सेल, पुलिस लाइन्स, सतना।

ब– महिला थाना, सिविल लाइन्स, सतना।

सिहोर–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, ए.जे. के थाना परिसर (एस.सी/एस.टी. पुलिस स्टेशन कम्पाउण्ड) बस स्टैण्ड के पास, सिहोर।

सिओनी–

अ– डी.एस.पी. महिला सेल, पुलिस कन्ट्रोल रुम परिसर, छिन्दवाड़ा, जलबपुर रोड, सिओनी।

शहडोल–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, डिग्री कालेज के पास, शहडोल।

शाजापुर–

अ– डी.एस.पी. महिला प्रकोष्ठ, डी.आर.पी. लाइन, ए.बी. रोड, शाजापुर।

सिहोर–

अ– टी.आई. थाना इंचार्ज, महिला सेल, अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस स्टेशन कम्पाण्ड, पाली रोड, सिहोर।

सीधी–

अ– ए.एस.आई. ऑफिसर इंचार्ज, महिला प्रकोष्ठ, कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास, सराफा बाजार, सीधी।

सिंगरौली–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, थाना रोड, बैढन, सिंगरौली।

टीकमगढ़–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, ए.जे.के. पुलिस स्टेशन कम्पाउण्ड, पुलिस लाइन, टीकमगढ़।

उज्जैन–

अ– इंस्पेक्टर और टी.आई., महिला थाना, माधव नगर, उज्जैन।

उमरिया–

अ– डी.एस.पी., महिला सेल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास, पुलिस लाइन, उमरिया।

विदिशा–

अ– डी.एस.पी., महिला प्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस, फ्लाईओवर के पास, विदिशा।

मेघालय

ईस्टगारो हिल्स

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, विलयमनगर।

ईस्टखासी हिल्स–

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, शिलांग।

जैनतिया हिल्स–

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, जोवाई, पश्चिमी जैनतिया हिल्स।

रीभोई–

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, नानगपोह।

दक्षिणी गोरा हिल्स–

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, वाघमारा।

पश्चिमी गारो हिल्स–

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, तुरा पुलिस

स्टेशन, तुरा।

पश्चिमी खासी हिल्स–

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, नान्गस्टोयान।

मिजोरम

अ– महिला संवर्ग, सकावरडाई पुलिस स्टेशन, एस.आई. , एस.आई.सी. लालरेमथन्गा।

चम्पहे–

अ– महिला प्रकोष्ठ, नगोवा पुलिस स्टेशन, एस.आई., लालरेमरुआटा।

कोलासीब–

अ– महिला प्रकोष्ठ, कोलासीब पुलिस स्टेशन।

लावन्जटलाई–

अ– महिला प्रकोष्ठ, वेसिटलान्ग पुलिस स्टेशन।

लुंगलाई–

अ– महिला प्रकोष्ठ, लुंगसेन पुलिस स्टेशन।

ममीट–

अ– महिला प्रकोष्ठ, क्वारथाह पुलिस स्टेशन।

साईहा–

महिला संवर्ग, तुईपांग पुलिस स्टेशन।

सरपीच–

महिला प्रकोष्ठ, सरपीच पुलिस स्टेशन।

नगालैण्ड

अ– महिला प्रकोष्ठ, मेडजीफेमा पुलिस स्टेशन।

कीपहीरे–

महिला प्रकोष्ठ, कीपहीरे पुलिस स्टेशन।

कोहिमा–

महिला प्रकोष्ठ, दक्षिणी पुलिस स्टेशन।

लांगलेंग–

अ– महिला प्रकोष्ठ, लांगलेंग पुलिस स्टेशन।

मोकोकचुंग–

अ– महिला प्रकोष्ठ, चांग्टोन्या।

मोन–

अ– महिला प्रकोष्ठ, टीजिट पुलिस स्टेशन।

पारेन–

अ– महिला प्रकोष्ठ, जालुकी पुलिस स्टेशन।

फेक–

अ– महिला प्रकोष्ठ, चाजोऊबा पुलिस स्टेशन।

टुईनसेंग–

अ– महिला प्रकोष्ठ, लांगखिम पुलिस स्टेशन।

बोरवा–

अ– महिला प्रकोष्ठ, बोरवा पुलिस स्टेशन कम्पाउण्ड उन्डू।

जुन्हेबोटो–

अ– महिला प्रकोष्ठ, जुन्हेबोटो पुलिस स्टेशन।

(उड़ीसा)

कटक–

अ– इंस्पेक्टर इन्चार्ज, महिला पुलिस स्टेशन,रिजर्व ऑफिस के पास, कटक।

खोरधा–

इंस्पेक्टर इन्चार्ज, महिला पुलिस स्टेशन, राजपथ, डेली मार्केट के पास, यूनिट–1, भुवनेश्वर।

पंजाब

अमृतसर–

अ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, वीमेन सेल, पुलिस स्टेशन डी डिवीजन के पास, लाहौरी गेट, अमृतसर।

ब– सब इंस्पेक्टर, हरजीत कौर, एस.एच.ओ. महिला पुलिस स्टेशन, बुरजी पुलिस लाइन, बाईपास के पास,

अमृतसर, ग्रामीण मजीठा।

बरनाला—

अ— महिला सेल बरनाला पुलिस, जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय के पास, बरनाला।

बटाला—

अ— एस.एच.ओ., महिला सेल, एस.एस.पी. बटाला ऑफिस, सिटी थाना कम्पाण्ड, गांधी चौक।

भटिन्डा—

अ— एस.एच.ओ.,, महिला पुलिस स्टेशन, मिनी सचिवालय के पास, भठिन्डा।

फिरोजपुर—

अ— सहायक सब इंस्पेक्टर, ऑफिस इंचार्ज, महिला अन्वेषण प्रकोष्ठ, एस.एस.पी. ऑफिस, फिरोजपुर।

फरीदकोट—

अ— असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऑफिस इंचार्ज, महिला पुलिस स्टेशन/ महिला सेल, एस.एस.पी. आफिस, मिनी सचिवालय, रेलवे स्टेशन के पास, फरीदकोट।

फतेहगढ़ साहिब—

अ— एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, महिला सेल, फतेहगढ़ साहिब पुलिस स्टेशन के पास, रोजा शरीफ, फतेहगढ़ साहिब।

फजील्का—

अ— ऑफिस इंचार्ज, महिला प्रकोष्ठ, थाना सदर के पास, फजील्का।

गुरदासपुर—

अ— महिला सेल, एस.एस.पी. ऑफिस, गुरदासपुर।

होशियारपुर—

अ— महिला सेल यूनिट—2, पुलिस स्टेशन सदर कम्पाउण्ड, ऊना रोड, होशियापुर।

ब— सब इंस्पेक्टर, महिला सेल यूनिट—1, पुलिस स्टेशन सदर कम्पाउण्ड, ऊना रोड होशियारपुर।

जालन्धर—

अ— एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, महिला सेल, जिला पुलिस लाइन्स, रेलवे स्टेशन के पास, जालंधर सिटी।

कपूरथला—

अ— ऑफिस इंचार्ज, महिला पुलिस स्टेशन/महिला सेल, सी.पी.आर.सी. (कम्युनिटी पुलिसिंग रिसोर्स सेन्टर) सुल्तानपुर रोड, कपूरथला।

लुधियाना—

अ— ऑफिस इंचार्ज, महिला सेल, एस.एस.पी. ऑफिस, गोविन्दगढ़ रोड, खन्ना।

ब— एस.एच.ओ., महिला अपराध प्रकोष्ठ एवं सी. सेल, लक्कड़पुल के पास, पुरानी कोर्ट।

स— महिला सेल, लुधियाना रूरल, एस.एस.पी. ऑफिस, जगरांव।

मन्सा—

अ— सब इंस्पेक्टर महिला सेल मन्सा, सिविल हास्पिटल के पास, मन्सा।

मोगा—

अ— सब इंस्पेटक्र, आफिस इंचार्ज, महिला सेल, कमरा नंम्बर—5, रवि ब्लाक, दाना मण्डी के पास, मोगा।

श्री मुक्तसर साहिब—

अ— ए.एस.आई. ऑफिस इंचार्ज, महिला सेल, नया दाना मण्डी, मुक्तसर।

पठानकोट—

अ— इंस्पेक्टर ऑफिस इंचार्ज, महिला सेल, पुलिस स्टेशन डिवीजन—1, गांधी चौक।

पटियाला—

अ— सब—इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ., महिला सेल, पटियाला।

रूपनगर (रोपड़)–

अ– एस.आई आफिस इंचार्ज, महिला सेल, सदर थाना, रूपनगर, रोपड़।

अजीतगढ़ (मोहाली/एस.ए.एस.नगर)–

अ– इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ. महिला सेल मोहाली, एस.सी. ओ. न–12, फेज–1, मोहाली।

संगरुर–

अ– इंस्पेक्टर, ऑफिस इंचार्ज, महिला सेल, पुलिस लाइन, संगरुर।

शहीद भगत सिंह नगर–

अ– लेडी इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ., महिला सेल/महिला पुलिस स्टेशन, रेलवे फाटक के पास, नवांशहर।

तरन तारन

अ– इंस्पेक्टर, एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, तरन तारन।

ब– ए.एस..आई. महिला सेल, पटटी तहसील, तरन तारन।

राजस्थान

अजमेर–

अ– सब इंस्पेक्टर, महिला थाना, अजमेर नार्थ, अजमेर।

अलवर–

अ– आर.पी.एस., डी.एस.पी./ए.सी.पी. महिला थाना, अलवर।

बीकानेर–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना, बीकानेर।

बाड़मेर–

अ– डी.एस.पी./ए.सी.पी., बाड़मेर महिला थाना।

बांसवाड़ा–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना–बांसवाड़ा।

भरतपुर–

अ– इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना, भरतपुर।

बरन–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., बरन महिला थाना, बरन।

बूंदी–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना, बूंदी।

भीलवाड़ा–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना, भीलवाड़ा सिटी, भीलवाड़ा।

चुरु–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना, चुरु।

चित्तौड़गढ़–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., चित्तौरगढ़ महिला थाना, चित्तौड़गढ़।

दौसा–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. दौसा महिला थाना, दौसा।

धौलपुर–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, ध ौलपुर।

डुंगरपुर–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, डुंगरपुर।

हनुमानगढ़–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, हनुमानगढ़।

झुन्झुनु–

अ– सर्किल इंस्पेक्टर, महिला थाना, झुन्झुनु।

जालोर–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. जालोर महिला थाना, जालोर।

जोधपुर–

अ– असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, महिला थाना जोधपुर सेन्ट्रल, जोधपुर।

ब– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, जोधपुर रुरल।

जयपुर–

अ– सर्किल इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना नार्थ, बड़ी चौपर, हवा महल के पीछे, जयपुर।

ब– सर्किल इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ., महिला थाना दक्षिण, मानसरोवर।

स– इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, ईस्ट, गांधी नगर।

द– इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, वेस्ट, सदर जयपुर।

य– डी.एस.पी./ए.सी.पी., महिला थाना जयपुर ग्रामीण, जल महल, रिजर्व पुलिस लाइन, जयपुर।

जैसलमेर–

अ– डी.एस.पी./ए.सी.पी., जैसलमेर महिला थाना, जैसलमेर।

कराउली–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, कराउली।

कोटा–

अ– सर्किल ऑफिसर, डी.एस.पी., ए.सी.पी., महिला थाना, कोटा।

ब– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. कोटा ग्रामीण महिला थाना, कोटा।

नागौर–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, नागौर।

पाली–

अ– डी.एस.पी./ए.सी.पी., महिला थाना पाली, पाली सिटी।

प्रतापगढ़–

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, प्रतापगढ़।

राजसमन्द–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. राजसमन्द महिला थाना, राजसमंद।

सीकर–

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, सीकर

सवाईं माधोपुर–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, सवाई माधोपुर।

सिरोही–

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना सिरोही, सिरोही।

श्रीगंगा नगर–

सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, श्रीगंगानगर।

टौंक–

अ– सब इंस्पेक्टर और एस.एच.ओ. महिला थाना, टोंक।

उदयपुर–

सब इंस्पेक्टर और महिला थाना, उदयपुर।

सिक्किम

पूर्वी सिक्किम–

अ– महिला अपराध प्रकोष्ठ सेल, एस.पी. ऑफिस, पूर्वी सिक्किम।

उत्तरी सिक्किम–

अ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.एस.पी. ऑफिस, उत्तरी सिक्किम।

दक्षिणी सिक्किम–

अ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.पी. ऑफिस, दक्षिणी सिक्किम।

पश्चिमी सिक्किम–

अ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.एस.पी. ऑफिस, पश्चिमी सिक्किम।

तमिलनाडु

अरियालपुर–

अ– इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, आल विमेन पुलिस स्टेशन, अरियालपुर।

ब– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल विमेन पुलिस स्टेशन, जियानकोन्डम।

चेन्नई–

अ– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, अदयार।

ब– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, अम्बत्तूर।

स– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, अन्नानगर।

द– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, अशोक नगर।

य– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन,

अयानवरम।

ख– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, इगमोर।

ग– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, इन्नोर।

घ– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, लावर बाजार।

च– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, ग्युनडीं।

छ– हारबर, हाईकोर्ट, किलपाक, ए.के.बी. नगर, माधवराम, माडीपक्कम, माइलेपोर, पूरेवल्लुर, पुनेमल्ली, पुल्लीयानथोवे, रोयापीटटेह, रोयापुरम, सायदाएट, सेन्ट थॉमस माउण्ट, टी नगर, टम्बाराम, टीनामपेट, थीरुमंगलम, थीरुवोट्रीयुर, टाउसेंण्ड लाइटस, ट्रीपलीकेन वाडापलानी, वीपरी, विल्लीवक्कम, वायशरमेनपेंट आदि जगहों पर महिला पुलिस स्टेशन है।

कोयम्बटूर–

पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन निम्न जगहों पर है–

पेरुर, पोल्लेची, थुडीयालुर, अविनाशी, पल्लाडम पोल्लेची, तिरुप्पुर, उडुमालापेट, कोयम्बटुर, कोयरम्बटुर पूर्व, कोयम्बटुर पश्चिम, आर.एस.पुरम, केन्द्रीय ए.डब्ल्यु.पी.एस., केन्द्रीय मनीक्कम, पश्चिमी साथी, ईस्ट मुनीराबेगेम।

कुडडालोर–

ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन निम्न जगहों पर है–

चिदम्बरम, कुडडालोर, नीवेली, पनरुती, सेथिया थोपे, विरीयुधाचलम।

धर्मापुरी–

अ– धर्मापुरी, हरुर, पेन्नागरमवेकेन्ट।

डिन्डीगुल–

डिन्डीगुल, कोडईकनाल, नीलाकोटटई, ओटटानचाथीराम, पलानी, वडामाडुरई।

ईरोड–

भवानी, ईरोड, गोबीचेटटीपलयम, सत्थयमंगलम ध ारापुरम, ईरोड, गोबीचेटटीपलयम, कगेपम।

इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, गोबीचेटटीपलयम।

इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, कनगेयम

इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, परुनथुराई।

इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, सत्थयमंगलम।

कांचीपुरम–

चेनगालपटटु, कांचीपुरम, मामाल्लपुरम, मेलमारुवाथुर, श्रीपेरुम्बुदुर में ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं।

कन्या कुमारी–

अ– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, कोलचिल।

ब– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, कन्या कुमारी।

स– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, कुज्झीथुरई।

द– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, नागेरक्णायल।

करुर–

अ– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन,, कुलिथेलाई।

ब– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, करुर।

स– पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन,कुलिथेलाई।

कृष्णागिरी–

अ– बरगुर, डेनकानिकोटटई, होसूर, कृष्णागिरी।

ब– बरगुर, डैनकानिकोटटई, होसूर, कृष्णागिरी।

मदुरई–

ऑल वीमेन, पुलिस स्टेशन निम्न जगहों पर है– मेलुर, समयनिल्लुर, थिरुमंगलम थिरुप्यार कुण्डरम, उसीलामपटटी, उत्तरी, दक्षिणी, टाउन, वेकेन्ट।

नागापटटीनम–

मईलाडुथुरई, नागापटटीनम, सिरकाझी, वेदानन्यम।

नीलगिरीज–

कूनुर, डेवाला, गुडालूर, ऊटी रुरल, उटी टाऊन।

नामाक्कल

ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं–

नामाक्कल, रासीपुरम, तिरुचेनगोडे, वेलूर।

पेराम्बलुर–

पुलिस इंस्पेक्टर, ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, पेराम्बलुर।

पुडुकोटटई–

ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं– अलानगुडी, अरानथेनगी, कीरानुर, पुडुकोटटई, थिरुमंयाम।

रामानाथपुरम–

ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं– कामुथी, किलाकराई, परमाकुड़ी, रामनाथपुरम, रामेश्वरम, थिरुबेडानई।

सेलम–

ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं (महिला थाना)–'आथुर, कोन्डालमपटटी (सेलम, ग्रामीण) मिटटुर, ओमालुर, संगागिरी, अम्मापेट, सलेम (शहर), सुरामनगालम।

सिवागंगई–

ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं– करईकुड़ी,

मानामदुरई, सिवागंगई, देवाकोटटई, थिरुप्पाथुर।

तिरुपुर–

आल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं– अनिवासी, धारापुरम कन्गेअ तिरुप्पुर, ऊडुमालाएट, पल्लाडेम।

तिरुचिरापल्ली–

आल वीमेन पुलिस स्टेशन हैं– लालगुडी, मानापराई, मुसीरी, थिरुवरेम्बुर, कैन्टोनमेंट, फोर्ट, गोल्डेन रॉक, श्रीरंगम मारागाथम।

थेनी–

एन्डीपटटी, बोडीनायाक्कानुर, थेनी, उथमापायाम।

तिरुनेलवली–

अलानकुलम, अम्बई, नानगुनेरी, सनकरनकोआल, तेनकासी, तिरुनेलवली, वेल्लीपुर, वालायामकोटटई, तिरुनेलवली जंक्शन।

थन्जावुर–

कुम्बाकोमन, पापानासम, पटटुकोटटई, थन्जावुर, थिरुवैयारु, वल्लभ।

थुथुकुडी–

कदाम्बुर, कोविलपटटी, पुडुकोटटई, श्री वैकुण्डम, थीरुचेन्डुर, टुटीकोरिन, विलाथीकुलम।

तिरुवैल्लुर–

पोन्नेरी, थिरुथानी, थिरुवेल्लुर, ऊथुकोटटई।

तिरुवरुर–

मन्नारकुडी, नन्नीलम, थिरुथुरई पोण्डी, थिरुवरुर।

तिरुवन्नामलाई–

अरनी, चियार, पोलुर, तिरुवन्नामलाई, वन्दावासी, चेन्गम।

वेल्लोर–

अम्बुर, अराकोनम, गुडयाथम, रानीपेट, थिरुपाथुर, वानियमबड़ी, वेल्लोर।

विल्युप्पुरम–

गिन्गी, कल्लाकुरिची, कोटटाकुप्पम, थिरुकोईलुर, टिण्डीवनम, विल्लुपुरम।

विरुधुनगर–

अरुप्पुकोटटई, राजपालयम, सेत्तुर सिवाकासी, श्रीविल्लीपुथुर, विरुधुनगर।

त्रिपुरा

धलाई–

अ– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. कमालपुर।

ब– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. अमबस्सा, अमबस्सा।

स– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. गण्डाचेर्रा, गण्डाचेर्रा।

द– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. लांग तराई वैली।

र– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. मनु।

गोमती–

सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., उदयपुर, ओम्बीप, अमरपुर, करबुक।

खोवई–

अ– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. तेलियामूरा।

ब– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. खोवई।

उत्तरी त्रिपुरा–

अ– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., दमचेर्रा/पानीसागर, दमचेरा।

ब– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., धर्मानगर।

स– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., कंचनपुर, कंचनपुर।

सेपाहीजला–

अ– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., विशालगढ़।

ब– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., सोनामुरा।

दक्षिणी त्रिपुरा–

अ– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., बेलोनिया।

ब– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., सबरुम।

स– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ. संतीर बाजार।

उनेकोटी–

अ– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., कालियाशहर।

ब– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., कुमारघाट।

पश्चिमी त्रिपुरा–

अ– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., सदर।

ब– सी.ए.डब्ल्यु सेक्शन, एस.डी.पी.ओ., जिरानिया।

स– ओ.सी., अगरतला, महिला पुलिस स्टेशन, अगरतला।

उत्तर प्रदेश

आगरा–

अ– स्टेशन ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, महिला थाना, आगरा, कचहरी रोड, रकाबगंज, आगरा।

अलीगढ़–

अ– स्टेशन ऑफिसर, महिला थाना, अलीगढ़, जेल चौकी।

इलाहाबाद–

अ– स्टेशन ऑफिसर, महिला थाना, इलाहाबाद, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स।

अम्बेडकरनगर–

अ– स्टेशन ऑफिसर, महिला थाना, अम्बेडकर नगर, एस.पी. आवास के पास, टाण्डा रोड, अकबरपुर।

अमेठी–

अ– स्टेशन ऑफिसर, महिला थाना, अमेठी, गौरीगंज।

अमरोहा–

अ– एस.ओ., महिला थाना, अमरोहा।

औरैया–

एस.ओ., महिला थाना, औरेया।

आजमगढ़–

अ– स्टेशन ऑफिसर, महिला थाना, आजमगढ़, कोतवाली नगर परिसर, आजमगढ़।

बागपत–

अ– एस.ओ., महिला थाना, बागपत, चांदीनगर रोड, बागपत।

ब– महिला हेल्पलाइन, बागपत।

बहराइच–

अ– एस.ओ., महिला थाना, बहराइच।

बलिया–

अ– सर्किल ऑफिसर, महिला थाना, सदर, बलिया।

बलरामपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, बलरामपुर।

बांदा–

अ– एस.ओ., महिला थाना, बांदा, पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर।

बाराबंकी–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस लाइन, बाराबंकी।

बरेली–

अ– एस.ओ., महिला थाना, बरेली, पुलिस स्टेशन, कोतवाली नगर।

बस्ती–

अ– एस.ओ., महिला थाना, बस्ती, एस.एस.पी. / एस.पी. ऑफिस।

बिजनौर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, तहसील के पीछे, बिजनौर।

बदायूं–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन्स, बदायूं।

बुलन्दशहर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कोतवाली नगर परिसर, बुलन्दशहर।

चन्दौली–

अ– एस.ओ., महिला थाना, चन्दौली।

चित्रकूट–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस स्टेशन कर्वी, चित्रकूट।

देवरिया–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कोतवाली सदर, देवरिया।

एटा–

अ– एस.ओ., महिला थाना, जेल रोड, पुलिस लाइन, एटा।

इटावा–

अ– एस.ओ., महिला थाना, हैबस, इटावा।

फैजाबाद–

अ– एस.ओ., महिला थाना, सी.ओ. सिटी ऑफिस के पास, फैजाबाद।

फर्रुखाबाद–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कोतवाली नगर, फर्रुखाबाद।

फतेहपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, फतेहपुर, फतेहपुर टाऊन।

फिरोजाबाद–

अ– एस.ओ., महिला थाना, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तरी।

ब– एस.ओ., महिला थाना, दक्षिणी फिरोजाबाद, दक्षिणी।

गौतम बुद्ध नगर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, नोयडा, सेक्टर 39, नोएडा।

गाजियाबाद–

अ– स्टेशन ऑफिसर, महिला थाना, पुलिस लाइन्स, गाजियाबाद।

गाजीपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, गोरा बाजार, पुलिस स्टेशन कोतवाली, गाजीपुर।

गोण्डा–

अ– एस.ओ., महिला थाना, हाउसिंग कालोनी, गोन्डा।

गोरखपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, रेलवे चौकी के पास, पुलिस स्टेशन कैन्ट, गोरखपुर।

हमीरपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कलेक्ट्रेट भवन, हमीरपुर।

हापुड़ (पंचशील नगर)–

अ– सर्किल ऑफिसर, हापुड़

हरदोई

अ– एस.ओ., महिला थाना, मजहिला, हरदोई।

हाथरस–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कोतवाली के पास, हाथरस।

जालौन–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कोतवाली, उरई, जालौन।

जौनपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, जौनपुर।

झांसी–

अ– एस.ओ., महिला थाना, एस.एस.पी. ऑफिस, पुलिस स्टेशन, नवाबाद, झांसी।

कन्नौज–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस स्टेशन, कोतवाली,

कन्नौज।

कानपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस स्टेशन, कोतवाली नगर, कानपुर नगर।

कानपुर देहात–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कानपुर देहात, जेल के पीछे, पुलिस स्टेशन अकबरपुर, कानपुर देहात।

कासगंज–

अ– एस.ओ., महिला थाना, सोरोन गेट, पुलिस स्टेशन कोतवाली, कासगंज।

कौशाम्बी–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कौशाम्बी।

कुशीनगर

अ– एस.ओ., महिला थाना, पडरौना, कुशीनगर।

लखीमपुर खीरी–

अ– एस.ओ., महिला थाना, लखीमपुर खीरी, पुलिस लाइन, सिकटिहा रोड, पुलिस स्टेशन सदर, खीरी।

ललितपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस लाइन, ललितपुर।

लखनऊ–

अ– एस.ओ., महिला थाना, हजरतगंज, लखनऊ।

महाराजगंज–

अ– एस.ओ., महिला थाना, नवतनवा, महाराजगंज।

महोबा–

अ– एस.ओ., महिला थाना, तहसील महोबा, पुलिस स्टेशन कोतवाली, महोबा।

मैनपुरी–

अ– सर्किल ऑफिसर, भोगांव सर्किल, मैनपुरी।

मथुरा–

अ– एस.ओ., महिला थाना, एस.एस.पी. ऑफिस,

कोतवाली, मथुरा।

मऊ–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कोर्ट परिसर के पीछे, मऊ।

मेरठ–

अ– एस.ओ., महिला थाना, एम.डी.ए. ऑफिस के पीछे, सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन, मेरठ।

मिर्जापुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर, मिर्जापुर।

मुरादाबाद–

अ– एस.ओ., महिला थाना, सिविल लाइन चौराहा, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

मुजफ्फरनगर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर।

पीलीभीत–

अ– एस.ओ., महिला थाना, चौकी परिसर ठेका, पुलिस स्टेशन कोतवाली, पीलीभीत।

प्रतापगढ़–

अ– एस.ओ., महिला थाना, कोतवाली सिटी, प्रतापगढ़।

रायबरेली–

अ– एस.ओ., महिला थाना, फायर स्टेशन के पास, रायबरेली।

रामपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, रामपुर।

सहारनपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, हकीकत नगर, सहारनपुर।

सम्भल–

अ– एस.ओ., महिला थाना, एस.पी. ऑफिस, सम्भल।

संत कबीर नगर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, संत कबीर नगर।

संत रविदास नगर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, संत रविदास नगर, पुलिस लाइन, ज्ञानपुर।

शाहजहांपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, रेलवे स्टेशन के पास, अशफाक नगर, सदर बाजार, शाहजहांपुर।

शामली–

अ– सर्किल ऑफिसर, महिला थाना, शामली।

श्रावस्ती–

अ– सर्किल ऑफिसर, इकौना सर्किल, श्रावस्ती।

सिद्धार्थनगर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, एस.पी. ऑफिस के पास, सिद्धार्थनगर।

सीतापुर–

अ– सर्किल ऑफिसर, नगर सर्किल, सीतापुर।

सोनभद्र–

अ– सर्किल ऑफिसर, राबर्टसगंज सिटी सर्किल, कोतवाली, राबर्टसगंज।

सुल्तानपुर–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस लाइन के पास, सुल्तानपुर।

उन्नाव–

अ– एस.ओ., महिला थाना, पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर, उन्नाव।

वाराणसी–

अ– एस.ओ., महिला थाना, वाराणसी।

उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा–

अ– डी.एस.पी. (महिला), एस.पी. ऑफिस, अल्मोड़ा।

ब– सर्किल ऑफिसर, रानीखेत।

स– महिला थाना, अल्मोड़ा।

द– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, भट्रोजखान।

र– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन लामघेघा।

ल– एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन, भिकियासेन।

बागेश्वर–

अ– महिला सेक्शन, पुलिस स्टेशन, कोतवाली, बागेश्वर।

ब– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, बैजनाथ।

स– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, कापकोट।

चमोली–

अ– डी.एस.पी. (महिला) एस.पी. ऑफिस, चमोली।

ब– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, गोपेश्वर।

स– महिला सेक्शन, सी.ओ. कर्ण प्रयाग।

द– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन जोशीमठ, जोशीमठ।

य– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, बद्रीनाथ।

र– सब इंस्पेक्टर, पुलिस चौकी, गैरसेण।

चम्पावत–

अ– महिला प्रकोष्ठ, सी.ओ. चम्पावत, चम्पावत।

ब– महिला प्रकोष्ठ, सी.ओ. टनकपुर, टनकपुर।

स– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन पंचेश्वर, पंचेश्वर।

द– महिला थाना, लोहाघाट।

य– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन रीथा साहिब।

र– इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन तामली।

देहरादून–

अ– महिला हेल्पलाइन, देहरादून।

ब– एडिशनल एस.पी., महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.एस. पी. ऑफिस, देहरादून।

स– महिला प्रकोष्ठ, सी.ओ. मसूरी।

द– महिला प्रकोष्ठ, सी.ओ., ऋषिकेश।

य– महिला प्रकोष्ठ, सी.ओ., बसन्त विहार

र– महिला थाना, चकराता।

ल– महिला थाना, रानी पोखरी।

ह– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, क्लीमेंट टाऊन।

हरिद्वार–

अ– महिला हेल्पलाइन, हरिद्वार।

ब– अतिरिक्त एस.पी., महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.एस. पी. ऑफिस, हरिद्वार।

स– महिला प्रकोष्ठ, सहायक एस.पी. बहादराबाद।

द– सी.ओ. महिला मन्गलोर।

य– महिला प्रकोष्ठ, सी.ओ. रुड़की।

र– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन कोतवाली, मंगनहर।

च– महिला थाना, झबरेडा।

नैनीताल–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला) सीनियर सुपरिटेण्डेन्ट पुलिस कार्यालय, नैनीताल।

ब– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.पी. सिटी, हल्दवानी।

स– महिला पुलिस स्टेशन, हल्दवानी।

र– महिला पुलिस स्टेशन, मल्लीताल।

द– महिला थाना, रामनगर।

च– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, तल्लीताल।

छ– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, भीमताल।

ज– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, काठगोदाम।

झ– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, कलाढुन्गी।

पौड़ी गढ़वाल–

अ– डिप्टी एस.पी. महिला, पुलिस सुपरिटेण्डेन्ट

कार्यालय, पौड़ी।

ब– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, श्रीनगर।

स– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, लैन्सडाउन।

द– महिला पुलिस स्टेशन, श्रीनगर।

र– महिला थाना, धूमकोट।

ल– महिला थाना, रिकहनीखाल।

य– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, कोटद्वार।

पिथौरागढ़–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला) पुलिस, सुपरिटेण्डेट कार्यालय, पिथौरागढ़।

ब– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन कोतवाली, पिथौरागढ़

स– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, मुनस्यारी।

द– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, बेरीनाग।

य– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, झूलाघाट।

र– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, कनालीचहीना।

ल– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, धारचूला।

ह– सब–इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, जौलजीवी।

रुद्रप्रयाग–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला) पुलिस सुपरिटेंडेन्ट कार्यालय, रुद्रप्रयाग।

ब– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, ऊखीमठ।

स– महिला हेल्पलाइन, रुद्रप्रयाग।

टिहरी गढ़वाल–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला), पुलिस सुपरिटेंडेन्ट कार्यालय, टिहरी।

ब– महिला थाना, नरेन्द्र नगर।

स– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, देवप्रयाग।

द– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, मुनी की रेती।

य– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, चम्बा।

उधम सिंह नगर–

अ– डी.एस.पी. (महिला) सीनियर सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस कार्यालय, उधम सिंह नगर।

ब– महिला अपराध प्रकोष्ठ, अतिरिक्त एस.पी., काशीपुर।

स– महिला अपराध प्रकोष्ठ, अतिरिक्त एस.पी., रुद्रपुर।

द– महिला थाना, बाजपुर।

य– महिला थाना, पन्तनगर।

र– महिला हेल्पलाइन, फोन नं. 0544–244100

ल– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन कुण्डा।

ह– महिला प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, किच्छा।

उत्तरकाशी–

अ– अतिरिक्त एस.पी. (महिला), उत्तरकाशी।

ब– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, कोतवाली, उत्तरकाशी।

स– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, बारकोट।

द– जिला नियंत्रण कक्ष, फोन नं. 01374–222667

पश्चिम बंगाल

बांकुरा–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला), पुलिस सुपरिटेण्डेन्ट कार्यालय, बांकुरा।

ब– सर्किल इंस्पेक्टर, सदर, बाकुंरा।

स– सर्किल इंस्पेक्टर, गंगाजल घाटी।

द– महिला इंस्पेक्टर, चैतन्य पुलिस स्टेशन, चैतन्य।

र– एस.एच.ओ. बेलियाटोर महिला पुलिस स्टेशन, बेलियाटोर।

ल– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., खटरा।

ह– सब इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, झिलीमिली।

क– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, सरेन्गा।

ख– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., विष्णुपुर।

ग– एस.एच.ओ., काटुलपुर पुलिस स्टेशन, काटुलपुर।

घ– सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, पटरेसेयर।

वर्द्धमान–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला) पुलिस सुपरिटेंण्डेट कार्यालय, वर्द्धमान।

ब– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. कालना।

स– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. कटवा।

द– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन गालसी।

र– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन मेमरी।

ल– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, मदहबडीही, मदहबडीही।

ख– सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, केटुग्राम।

ग– सब इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, पूरबास्थली।

घ– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, बड–बड।

ङ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, अतिरिक्त डी.सी.पी., भट बंगला, आसनसोल पुलिस लाइन्स के पास।

च– महिला अपराध प्रकोष्ठ, अतिरिक्त डी.सी.पी. पूर्वी, दुर्गापुर पुलिस लाइन्स, अरविन्द एवेन्यू, डी.जी.पी.–6

छ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, अतिरिक्त डी.सी.पी. पश्चिम, कुल्टी क्लब रोड, गोल्फ ग्राउण्ड, कुल्टी।

ज– एस.एच.ओ., आसनसोल महिला पुलिस स्टेशन, आसनसोल।

वीरभूम–

क– डिप्टी एस.पी. (महिला) पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट कार्यालय, वीरभूम।

ख– सर्किल इंस्पेक्टर, सदर (ए), सुरी।

ग– सर्किल इंस्पेक्टर, सदर (बी), डुबराजपुर।

घ– महिला इंस्पेक्टर, खैरासोल पुलिस स्टेशन, खैरासोल।

ङ– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, कन्करटला।

च– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. बोलपुर।

छ– सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, ननूर।

ज– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, शान्ति निकेतन।

झ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., रामपुरहाट।

प– सर्किल इंस्पेक्टर, मुराराई।

फ– सब इंस्पेक्टर, मोल्लारपुर।

ब– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, नलहटी।

कूच बिहार–

क– डिप्टी एस.पी., महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय, कूच बिहार।

ख– एस.एच.ओ., कोतवाली पुलिस स्टेशन, सदर, कूच बिहार।

ग– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., तूफानगंज।

घ– महिला इंस्पेक्टर, बक्सीरहाट पुलिस स्टेशन।

च– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, दिनहाटा।

छ– महिला इंस्पेक्टर, नयारहाट पुलिस स्टेशन, नयारहाट।

ज– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., मढ़भंगा।

झ– सब इंस्पेक्टर, सीतल कुची पुलिस स्टेशन।

ञ– एस.एच.ओ., घोकसाडंगा पुलिस स्टेशन।

प– सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, मेखलीगंज।

फ– एस.एच.ओ., कुचलीबारी पुलिस स्टेशन।

दक्षिण दिनाजपुर–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला), पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय, दक्षिण दिनाजपुर।

ब– सर्किल इंस्पेक्टर, सदर, बेलुरघाट।

स– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., गंगारामपुर।

द– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, बंशीहारी।

य– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, हीली।

र– सब इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, कुशमण्डी।

दार्जिलिंग–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला), पुलिस सुपरिटेंडेन्ट कार्यालय, दार्जिलिंग।

ब– सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, सदर, दार्जिलिंग।

स– एस.एच.ओ., रंगली रंगलायट, पुलिस स्टेशन।

द– एस.एच.ओ., सुखियापोखरी पुलिस स्टेशन।

र– महिला अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, नक्सलबारी।

ल– महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, पहन्शीदेवा।

झ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. कुर्सियांग।

ज– महिला इंस्पेक्टर, तिनधरिया।

प– अतिरिक्त एस.पी., कलिंगपांग।

फ– एस.एच.ओ., जलधाका पुलिस स्टेशन।

ब– एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, बैगडोगरा।

भ– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, सिलीगुड़ी।

हुगली–

अ– डिप्टी एस.पी. (महिला), पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय, हुगली।

ब– डी.आई.जी., सदर सब डिवीजन, हुगली।

स– एस.एच.ओ., धनियाखाली पुलिस स्टेशन।

द– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., चन्दनागोरे।

क– सर्किल इंस्पेक्टर, चन्दरनागोर पुलिस स्टेशन।

ख– महिला इंस्पेक्टर, चम्पदानी टॉप, चम्पदानी।

ग– महिला अपराध प्रकोष्ठ, तेलेनीपारा टॉप।

घ– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. सेरेमपोरे।

ङ– महिला इंस्पेक्टर, शेओराफुल्ली टॉप।

च– महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., आरामबाग।

छ– सब इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन खानाकुल।

ज– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, चिनसुराह।

हावड़ा–

क– एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, रेड कोर्ट

बिल्डिंग, 7 ऋषि बंकिम चन्द्र रोड, हावड़ा।

ख— महिला अपराध प्रकोष्ठ, अतिरिक्त, डी.सी.पी. उत्तरी, मुखर्जी रोड, हाबड़ा।

ग— महिला अपराध प्रकोष्ठ, अतिरिक्त डी.सी.पी. दक्षिणी, पुलिस स्टेशन, हावड़ा।

घ— डिप्टी एस.पी. (महिला), पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय, हाबड़ा (ग्रामीण)

च— महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. ऊलुबेरिया, हावड़ा (ग्रामीण)

छ— सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन गरहचुमुक।

ज— महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन जगत वल्लवपुर।

झ— एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, डोमजुर।

प— एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, मालीपंचधारा।

जलपाईगुड़ी—

क— डिप्टी एस.पी. (महिला) पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय, जलपाईगुड़ी।

ख— महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन कोतवाली।

ग— एस.एच.ओ., महिला पुलिस स्टेशन, धूपगुरी।

घ— महिला अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस स्टेशन, मैनागुरी।

ङ— महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ., माल बाजार।

च— एस.एच.ओ., नग्रकाटा पुलिस स्टेशन।

छ— एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन, मेतली।

ज— महिला अपराध प्रकोष्ठ, एस.डी.पी.ओ. अलीपुरदूर।

झ— सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, बीरपारा।

प— महिला इंस्पेक्टर, मादरीहाट पुलिस स्टेशन।

फ— महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन समुकतला।

ब— महिला इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, कामाख्यागुरी।

कोलकाता—

क— डी.सी.पी. (महिला अपराध प्रकोष्ठ) उत्तरी और

उत्तरी सुबुरबन डिवीजन कोलकाता।

ख— डी.सी.पी. (महिला अपराध प्रकोष्ठ), केन्द्रीय डिवीजन, 138, एस.एन. बनर्जी रोड कोलकाता।

ग— डी.सी.पी. (महिला अपराध प्रकोष्ठ) पूर्वी उपनगरीय संवर्ग, 105, हेम चन्द्र नस्कर रोड, कलकत्ता।

इसके अतिरिक्त दक्षिणी संवर्ग, पोर्ट संवर्ग, दक्षिणी पूर्वी संवर्ग, दक्षिणी उपनगरीय संवर्ग, दक्षिणी पश्चिमी संवर्ग, दक्षिणी में महिला अपराध प्रकोष्ठ है।

मालदा—

मालदा, चंचल, गजोल, बैसनाबनगर, कलियाचक, बैमोनगोला, खेर्जुटाघाट में महिला अपराध प्रकोष्ठ है।

मुर्शिदाबाद—

मुर्शिदाबाद, बेराहमपुर, हरिहरपरा, कण्डी, खेरग्राम, लालबाग, भगवान गोला, दोमकल, जलन्गी, जन्गीपुर, सागर डीधी, फरक्का में महिला अपराध प्रकोष्ठ है।

नाडिया—

नाडिया, कृष्णनगर, नाकाशिपारा, घूरनी, मायापुर, तेहत्ता, थानापार, होगोलबेरिया, कल्यानी, हरिंगहाटा, रानाघाट, चकडह, कूपर्स, नाटूनहाट, तहरपुर।

नार्थ 24 परगना—

नार्थ 24 परगना, बराकपोरे, बेलघोरिया, बसीरहाट, बिधान नगर, बारासात, बोनगान, राजरहाट, डम—डम, नैहाटी, टीटागढ़, बटुरिया, विधाननगर, विधान नगर जोन—(साल्ट लेक स्टेडियम काम्पलेक्स)

पश्चिम मेदिनीपुर—

पश्चिमी मेदिनीपुर, खड़गपुर, झारग्राम, घटल, बेल्दा, गरहबेटा, केशियारी, चन्द्रकोना।

पूर्व मेदिनीपुर—

पूर्वी मेदिनीपुर, टमलुक, पन्सकुरा, मोयना, हल्दिया, दुर्गाचक, तकहाली, इगरा, पताशपुर, कोन्तई, दिघा, खेजुरी,

हेरिया।

पुरुलिया–

पुरुलिया, बलरामपुर, पुन्चा, बगमुण्डी, झालदा, रघुनाथपुर, सन्तालडीह, नटुरिया।

दक्षिणी 24 परगना–

अलीपुर, महेशटला, बटाला, डायमण्ड हारबर, फाल्टा, रायडीघी, ककद्वीप, हरीनबारी, बेरुअपुर, भंगोर, कैनिंग, कुटाली।

उत्तर दीनाजपुर–

राजगंज, इस्लामपुर, कालियागंज, चोपरा।

अध्याय – पांच

सामाजिक परिवर्तन में महिला थानों की भूमिका

देश की आधी आबादी की सुरक्षा क्या केवल सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है या समाज भी इसमें शामिल है। वह समाज जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। आज महिलाएं यदि अपना हक मांग रही हैं तो पुरुष के हक की कीमत पर नहीं बल्कि सदियों और बरसों से चली आ रही उन दकियानुसी प्रथाओं की कीमत पर जो महिलाओं को कम करके देखते हैं।

वर्तमान समय में समाज संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। समाज में महिला थानों की पुलिस को हर तरह से पारंगत और योग्य होना होगा तभी समाज में महिलाओं के संदर्भ में परिवर्तन होगा। चाहे पुरुष हों या महिला पुलिस, उचित यह होगा कि हर पांच–सात वर्ष के बाद और प्रत्येक तरक्की के पहले विभिन्न श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य जोर मानव व्यवहार के अध्ययन पर होना चाहिए। विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए महिला पुलिस को महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर जोर दिया जाना चाहिए। महिला पुलिस

को यह बताना अति आवश्यक है कि उसकी निष्ठा सिर्फ संविधान और देश के विभिन्न कानूनों के प्रति है। महिला थाने की पुलिस के प्रशिक्षण के लिए जो पाठयक्रम तैयार किया जाए उसमें समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, महिलाओं के मुद्दों पर कार्य कर रही स्वयं सेवी संगठनों, वकीलों, न्यायाधीशों, पत्रकारों आदि को जोड़ा जा सकता है। सम्पूर्ण समाज का अध्ययन भी प्रशिक्षण का एक भाग हो सकता है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा महिला शरणार्थियों की समस्या समाधान हेतु महिला पुलिस की आवश्यकता का अनुभव किया गया। यह अफसोसजनक है कि हमारे देश में जहां महिलाओं ने हर क्षेत्र में कदम रखा है और सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दिए गए कार्यों को पूरा किया है, वहीं महिला पुलिस की संख्या आज भी जितनी होनी चाहिए, उससे बहुत कम है, जबकि महिलाएं, उन सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरी हैं, जिस कार्य की उनसे आशा की गयी है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि महिलाओं ने सूझ—बूझ के साथ समस्याओं को सुलझाया है। देश और विदेशों में सभी जगह महिला पुलिस से जनता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं और महिला थाने की पुलिस बहुत से दबावों को झेलते हुए भी सामाजिक परिवर्तन हेतु कार्य कर रही है। पुलिस और महिला पुलिस आम जनता के प्रति कैसा व्यवहार करती है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आम पुलिस की तरह महिला पुलिस को भी जनसेवक की तरह कार्य करना पड़ता है और उसे अपने कार्य में हर वर्ग के सम्पर्क में आना पड़ता है। महिला थानों को पुलिस अपना कार्य तभी सफलतापूर्वक कर सकती है जब उसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का पर्याप्त ज्ञान हो।

महिला थाने की पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराधियों तथा सामान्य व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि,

उसकी शिक्षा, जाति तथा समुदाय आदि के बारे में जानकारी रखें तो वह अपेक्षाकृत अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। महिला हो या पुरुष पुलिस, देश में जितने पुलिस बल की जरूरत है, उतनी पुलिस की संख्या नहीं होने के कारण पुलिस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारतीय पुलिस में महिलाओं की संख्या कम हैं तमिलनाडु इसका अपवाद है। यहां प्रति 12 पुलिसकर्मियों पर एक महिला पुलिसकर्मी हैं। यद्यपि पुलिस का कार्य बहुत ही चुनौतिपूर्ण है, फिर भी महिलाएं इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक हैं और जो महिलाएं इस क्षेत्र में आ चुकी हैं वे सामाजिक परिवर्तन हेतु नया इतिहास रचने को अग्रसर हैं। चाहे महिला कान्सटेबल हों या महिला अधिकारी के रूप में पुलिस हों, सभी ने मिलकर भारतीय पुलिस इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों को जोड़ा है। सामाजिक परिवर्तन हेतु महिला थानों में कार्यरत पुलिस कामयाबी के शिखर पर पहुंचती जा रही है। राज्य पुलिस सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या तथा युवतियों का इस सेवा को प्राथमिकता के आधार पर चुनना इसका उदाहरण है।

महिला थानों में कार्यरत पुलिस से सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि वह मां है, स्त्री है, उसमें वह अर्न्तदृष्टि है, जो शायद अन्य लोगों में नहीं है। उस अन्तर्दृष्टि का प्रयोग करती हुई महिला पुलिस, पुलिस की छवि, जहां कहीं भी खराब हुई है, उसमें बदलाव लाए तथा उस सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करे जो उसे करने के लिए दिया गया है। वर्तमान समय में महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसमें महिला थानों की पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाओं पर बढ़ती हुई हिंसा से महिला थाने की पुलिस को जूझना पड़ता है। आज महिलाओं की भूमिका बदल रही है, लेकिन समाज और उसके लोग उस तेजी से नहीं बदल रहे है जिस तेजी से उन्हें बदलना चाहिए। ऐसी

स्थिति में एक टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। उस टकराहट के कारण कई बार परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती है कि कोर्ट–कचहरी तक की नौबत आ जाती है। अच्छा हो कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले महिला थाने की पुलिस के सहयोग से समस्या का समाधान हो जाए। महिला थाने की पुलिस का कार्य ऐसा हो कि पूरा विश्व एक स्वर में कहे कि कर्तव्यों के बारे में देखना हो तो भारतीय महिला पुलिस को देखा जा सकता है।

देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। आज महिलाओं से जुड़े अपराधों और समस्याओं की भी संख्या बढ़ी है। महिला होने के नाते भावनात्मक तादात्म्य जल्दी स्थापित करने की क्षमता व उनके दुःख, दर्द, उन पर होने वाले अत्याचारों और उनसे सम्बन्धित अपराधों को महिला थानों की पुलिस अधिक समझ सकती है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुलिस में बढ़े, इसके लिए अब तक ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया है। समय–समय पर विभिन्न आयोग और कमेटियां महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने की सिफारिश करती रही है।

आज समाज में विघटन तेजी से हो रहा है। इस बिखराव के दौर में परिवार जैसी संस्था भी सुरक्षित नहीं है। छोटे–छोटे परिवारों में भी आपसी तनाव व सम्बन्ध विच्छेद जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। दहेज जैसी समस्याएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उपरोक्त सामाजिक समस्याओं के समाधान में महिला पुलिस की सहभागिता से समाज की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। महिला पुलिस समाज में रहने वाले लोगों की दोस्त बनकर उनका विश्वास प्राप्त कर सकती है तथा महिला थाने की पुलिस से यह आशा की जा सकती है कि वह सामाजिक समस्याओं के समाधान में लोगों की दोस्त बनकर कार्य करे।

अपराधों के नियंत्रण के लिए महिला पुलिस जनता की

दोस्त बनकर ऐसी समिति का गठन कर सकती है जिसमें पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के अलावा समाज के हर वर्ग से जैसे प्रोफेसर, समाजसेवी, पत्रकार, वरिष्ठ खिलाड़ी, सेवानिवृत्त अधिकारी, वकील, रिटायर्ड जज आदि सम्मिलित हो सकते हैं। इस समिति में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें 50 प्रतिशत महिलाएं हों। समाज में ऐसी अनेक समस्याएं हैं, जिसे भारी–भरकम कानून बनाकर भी नहीं रोक पाया जा रहा है, जिसे महिला थाने की पुलिस जनता की दोस्त बनकर रोक सकती है। जैसे– बाल विवाह। बाल विवाह के द्वारा बच्चियों के शरीर और मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उसे विभिन्न समूहों में जाकर महिला थाने की पुलिस बता सकती है। ए समस्याएं ऐसी हैं, जिसे सदभावपूर्ण वातावरण में वैज्ञानिक तरीके से जनता को समझाकर कम किया जा सकता है।

यद्यपि महिला थाने की पुलिस के पास वर्तमान समय में बहुत सारे कार्य हैं और वह स्टाफ की कमी से जूझ रही हैं, लेकिन उसके पास जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों में से उसे बीच का रास्ता निकालते हुए अपना कार्य करना है। महिला थाने की पुलिस एक ऐसी सच्ची दोस्त बन सकती है, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हो सकती है। जैसे– बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, नीलामी प्रथा, देवदासी प्रथा, बच्चों को जिन्दा दफनाने की प्रथा को रोक सकती है तथा विधवाओं की स्थिति में सुधार ला सकती है।

महिलाओं पर किए जाने वाले अपराधों में बलात्कार सबसे अधिक निर्मम अपराध है। यह महिलाओं की मान–मर्यादा एवं उनकी इज्जत पर धब्बा लगाने वाला गम्भीर अपराध है। बलात्कार के बाद महिलाओं का शारीरिक शोषण तो होता ही है, साथ ही स्त्री मानसिक रूप से इतनी टूट जाती है कि उसे संभालने के लिए महिला थाने की पुलिस को

विशेष प्रयास करना पड़ता है। आज महिलाओं पर बढ़ती हिंसा से पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। यदि महिला पुलिस की नियुक्ति अधिकाधिक संख्या में थानों पर की जाए तो कम से कम समाचार पत्रों में यह पढ़ने को तो नहीं मिलेगा कि थाने के अन्दर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ। थाने में महिलापुलिस के होने पर भयमुक्त वातावरण बनेगा। प्रायः यह देखा जाता है कि महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति समाज का नजरिया बहुत ही असंवेदनशील एवं अमानवीय होता है। यदि महिला थाने में महिला पुलिस की संख्या ज्यादा होती है तो महिलाओं पर यौन हिंसा/उत्पीड़न कम होंगे।

सरकार को चाहिए कि पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की भर्ती करें, ताकि महिला अपराधों को रोकने में उनकी अधिक से अधिक सहायता ली जा सके। प्रायः यह देखा जाता है कि महिलाओं की प्रारम्भिक शिकायत पर विश्वास नहीं किया जाता है। पीड़ित महिला को अपनी शिकायत पर जोर देने से हतोत्साहित किया जाता है। उस पर तरह–तरह के दबाव डाले जाते हैं। महिला के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी डाक्टरी परीक्षा कराने में देर की जाती है।

महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को रोकने में महिला पुलिस थाने की सबसे अहम भूमिका हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15–49 वर्ष की 70 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। सरकार यदि चाहे तो प्रत्येक बस्ती/मुहल्ले में महिला पुलिस की नियुक्ति कर सकती है। इसके लिए नीति–निर्माताओं को यह निर्धारित करना होगा कि कितनी बड़ी जनसंख्या पर कितनी महिला पुलिस हों।

महिलाओं की हिफाजत के लिए उ.प्र. पुलिस, सुलह–समझौता केन्द्र स्थापित कर रही है। महिलाओं पर

होने वाले अत्याचारों की बढ़ती संख्या देख हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस विभाग ने सुलह समझौता केन्द्रों की स्थापना कर हफ्ते में एक दिन बैठकर मामलों के निपटाने की प्रक्रिया शुरु करने की ठानी है। अदालतों में महिला उत्पीड़न के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए अदालत ने सुलह समझौता केन्द्र स्थापित करने पर जोर दिया है। आए दिन अपहरण, हत्या, दुराचार, आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। सुलह–समझौता केन्द्र में महिला थाने की पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

आज विकास जितनी तीव्र गति से हो रहा है, उतनी ही तीव्र गति से अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। महिला थाने की पुलिस के लिए यह एक चुनौती है कि वह अपराधियों से कैसे निपटे? वर्तमान समय में समाज जटिल होता जा रहा है। इस जटिलता का परिणाम है कि मानवीय सम्बन्ध क्षीण होते जा रहे हैं। स्थिति यहां तक खराब हो चुकी है कि व्यक्ति आज यह भी भूल गया है कि वह क्या कर रहा है या उसे क्या करना चाहिए। जैसे– एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को झूठे मुकदमों में फंसा देना।

बढ़ते हुए अपराध और सामाजिक समस्या को देखते हुए देश के समस्त राज्यों के प्रत्येक जिले में महिला थानों की संख्या बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। पुलिस विभाग एक अनुशासनबद्ध विभाग है और वह महिलाओं पर बढ़ती हुयी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है।

अध्याय – छः

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं संबंधित कानून

हाल के समय में महिलाओं पर हो रही हिंसा के विरुद्ध कई सशक्त आवाजें उठीं हैं और अधिक मजबूत कानून की मांग होती रही है। अनुभवी लोग स्वीकार करते हैं कि कानून कितने भी अच्छे बनें पर जब तक विभिन्न समुदायों में इसकी मान्यता नहीं बढ़ती है, तब तक व्यापक और वास्तविक बदलाव की उम्मीद कम होती है इसलिए जमीनी स्तर पर हिंसा के विरुद्ध माहौल तैयार करना सबसे आवश्यक है।

उत्तराखण्ड के देहरादून जिले के सहसपुर और विकासनगर प्रखण्डो में हाल के सालों में 'दिशा' संस्था महिला हिंसा को कम करने के जो प्रयास कर रही हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत कम समय में ही महिला हिंसा के विरुद्ध माहौल बनाने में सफलता मिली है।

महिलाएं इस बात को जानती हैं कि उनके अधिकारों की बात चाहे जितनी भी कर ली जाए, परन्तु उनके अधिकारों के बारे में कोई भी आश्वस्त नहीं है। महिलाओं के प्रति अनेकानेक दुष्कृत्यों, दुर्व्यवहारों, अपराधों एवं कुरीतियों से सभी दुखी हैं। लिंग आधारित हिंसा किसी आर्थिक सामाजिक या भौगोलिक सीमा से बंधी नहीं होती। लिंग आधारित हिंसा

वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। दुनिया में हर तीन में से एक महिला के साथ मारपीट की जाती है, उसे अवांछित यौन सम्बन्धों या दुरुपयोग के लिए विवश किया जाता है।

लिंग आधारित मानसिक और शारीरिक हिंसा के अनेक रुप हैं। इनमें घर के भीतर हिंसा, बलात्कार, महिला जननांग भंग करना, काटना तथा इज्जत के नाम पर या दहेज के लिए हत्याएं करना शामिल है। एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में जनवरी से अगस्त सन 1993 के बीच 25 नवजात कन्याओं की हत्या उनके पिताओं या अन्य सम्बन्धियों ने की। इन नवजात कन्याओं की माताओं ने गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच कराने में सहयोग नहीं दिया था।

''महिला विकास अध्ययन केन्द्र'' ने 2002 में एक अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि भारत में प्रत्येक घंटे में पांच महिलाएं अपने घर में निर्दयता का शिकार होती हैं। 2004 में अपने एक अन्य अध्ययन में कहा कि प्रत्येक छः घंटे में भारत के किसी भी हिस्सें में, एक विवाहित नवयुवती जिन्दा जला दी जाती है। इण्डियन नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो के 'क्राइम क्लॉक' 2005 के अनुसार 2004 में भारत में हर 15 मिनट में एक महिला को प्रताड़ित किया गया, प्रत्येक 3 मिनट में महिलाओं के खिलाफ एक अपराध हुआ, प्रत्येक 77 मिनट में एक दहेज मृत्यु, प्रत्येक 29 मिनट में एक बलात्कार, हर 16 मिनट में एक हत्या और प्रत्येक 53 मिनट में यौन अत्याचार होता है।

अति सम्पन्न, विकसित, समृद्ध और लगभग 98 प्रतिशत साक्षरता वाले राष्ट्र अमेरिका की औरतों को भी आम भारतीय औरतों की तरह घरेलू हिंसा का जबरदस्त शिकार बनाया जाता है। दुनिया की 30 औरतें इस घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं।

अमेरिकन मेडिकल ऐसोसिएशन द्वारा हाल ही में करवाए

गए एक अध्ययन के नतीजे इतने चौंकाने वाले हैं कि सारी दुनिया की औरतें इनसे घबरा जाएं। इस रपट में माना कि वहां होने वाले अपराधों में सबसे अधिक यौन हमले हैं। जिनकी हर 45 मिनट में एक औरत शिकार हो रही है।

इन यौन हमलों को वहां बहुत गम्भीरता से लिया जा रहा है, और इसे मूक आक्रामक महामारी का नाम दिया गया है। अमेरिका के 'राष्ट्रीय पीड़िता केन्द्र' के अनुसार प्रतिवर्ष सात लाख से ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है या उन पर विभिन्न तरह के यौन हमले हो रहे हैं।

दिसम्बर 2012 में हुई बलात्कार की घटना के बाद सरकार ने न्यायमूर्ति वर्मा की अगुवाई में स्त्रियों पर होते आत्याचारों के प्रतिकार से जुड़ी अपराध न्याय प्रक्रिया में सुधार करने के किए एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा और यही वह अपेक्षित कारण रही जिसने उनतीस दिनों में एक युगान्तकारी रिपोर्ट तैयार करा दी, जो गृह मंत्रालय को सौंप दी गयी। छः सौ इकतीस पेज की यह रिपोर्ट महिला सुरक्षा और सबलीकरण के समकालीन विमर्श में कई प्रस्थापना परिवर्तन करने वाली है।

यह रिपोर्ट बलात्कारी की कैद की अवधि जीवनपर्यन्त तक करने और बलात्कार की परिभाषा का पुनर्निर्धारण करने की सलाह देती है। छेड़छाड़, पीछा करने और ताकझांक को भी रिपोर्ट अपराध की कोटि में मानती है। यह महज एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि भारतीय स्त्री के स्पेस की नयी परिभाषा देने वाली, परिवर्तनकारी रिपोर्ट है। वह स्त्री विरोधी अपराधों के प्रचलित नाना रूपों पर विचार कर एक नयी न्याय–व्यवस्था की पेशकश करने वाली है। एक आवाज यह भी है, जो कहती है कि इस देश में कानून मात्र पर्याप्त नहीं है। जरुरी है, समाज की मानसिकता बदले। समाज अपना दिमाग बदले। बदलाव के उपायों पर खुद विचार करे। अपेक्षित संवदेना युक्त बने। अपने जरुरी और बुनियादी

बदलाव की नींव स्वयं रखे।

कानूनी बदलाव के अतिरिक्त एक बड़ा एजेण्डा समाज के सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव का है। कानून से न्याय की प्रक्रिया अधिक मानवीय और फौरी भले हो जाए, लेकिन कानून लोगों के दिमाग नहीं बदला करते।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.–2013) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं की सर्वोच्च वृद्धि दर असम में दर्ज की गयी और देश में इसका स्थान सातवां है। पिछले एक साल में असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 हजार 544 घटनाएं हुई, और देश में इसका स्थान सातवां है। पश्चिम बंगाल में इस तरह से तीस हजार 942 मामलों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद आन्ध्र प्रदेश में 28 हजार 171, उत्तर प्रदेश में 23 हजार 569, राजस्थान में 21 हजार 106, मध्य प्रदेश में 16 हजार 832 और महाराष्ट्र में 16 हजार 353 मामले दर्ज किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नगालैण्ड महिलाओं के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य रहा। यहां महिलाओं के खिलाफ की सिर्फ 51 घटनाएं रिपोर्ट की गयी। इसके बाद सिक्किम का स्थान रहा। वहां इस तरह के 68 मामले हुए। त्रिपुरा में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 1559 घटनाएं दर्ज की गयी। मणिपुर में 304, मेघालय में 255, अरुणाचल प्रदेश में 201 और मिजोरम में 199 घटनाएं दर्ज हुईं।

बलात्कार के मामलों में असम का देश में छठा स्थान रहा। मध्य प्रदेश 3425 मामलों के साथ इस मामले में शीर्ष पर रहा। उसके बाद 2049 मामलों के साथ राजस्थान का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल में बलात्कार के 2046 मामले, उत्तर प्रदेश में 1963 मामले और महाराष्ट्र में 1839 मामले दर्ज किए गए। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में त्रिपुरा में बलात्कार के 229, मेघालय में 164, मिजोरम में 103, मणिपुर में 63, अरुणाचल प्रदेश में 46, सिक्किम में 34 और नगालैण्ड में 21 मामले दर्ज

किए गए। महिलाओं के अपहरण के मामले में असम देश में चौथे स्थान पर रहा। असम में 3360 मामले दर्ज किए गए। वहीं 1910 मामलों के साथ इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। वहां महिलाओं के अपहरण के 4168 मामले दर्ज किए गए। जबकि बिहार में 3789 मामले दर्ज किए गए।

पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में मणिपुर में महिलाओं के अपहरण के 133 मामले, अरुणाचल प्रदेश में 58, त्रिपुरा में 114 और मेघालय में 24 मामले दर्ज किए गए। इस तरह के मामले में मिजोरम महिलाओं के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य रहा। वहां महिलाओं के अपहरण की सिर्फ तीन घटनाएं हुईं, जबकि नगालैण्ड और सिक्किम में इस तरह के 10–10 मामले दर्ज किए गए।

दहेज हत्या के मामले में असम की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी बेहतर रही। दहेज हत्या के 140 मामलों के साथ इस सम्बन्ध में देश में उसका दसवां स्थान रहा। वहीं 2244 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश इस मामले में शीर्ष पर रहा। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की भी स्थिति बेहतर रही। नगालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम में इस तरह की कोई घटना नहीं हुयी, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में एक–एक मामले दर्ज किए गए।

त्रिपुरा में दहेज हत्या के 37 मामले दर्ज किए गए। पतियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के खिलाफ की जाने वाली क्रूरता के मामलों में असम 6407 मामलों के साथ देश में चौथे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश इस तरह के 7761 मामलों के साथ शीर्ष पर रहा। उसके बाद 7415 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर व 6658 मामलों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। इस श्रेणी में त्रिपुरा में 858 मामले, मणिपुर में 43 मामले, अरूणाचल प्रदेश में 26 मामले और मेघालय में 16 मामले दर्ज किए गए। नागालैण्ड में इस

श्रेणी में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, जबकि मिजोरम और सिक्किम में क्रमशः आठ और चार घटनाएं दर्ज की गयीं।

आज स्कूलों में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुयी है, तथा साक्षरता दर भी बढ़ी है, परन्तु अपराधों में वृद्धि का होना विशेषकर महिलाओं के साथ, यह एक चिन्ता का विषय है, जो कि समाज तथा पुलिस के सहयोग से ही दूर हो सकता है।

सन 2002 से 2005 तक महिलाओं पर घटित अपराधों का ब्योरा निम्नलिखित है। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनेक कानूनों की मौजूदगी के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुयी है। सन 2005 के दौरान 1,55,553 अपराधों की तुलना में 2004 में महिलाओं के प्रति 1,54,333 अपराध प्रकाश में आए। इस प्रकार 2005 के दौरान 0.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों की घटना सारणी में नीचे दी गयी है –

महिलाओं के प्रति अपराध, 2005

	अपराध का शीर्षक	महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या 2002	2004	2005	2004 और 2005 के बीच अंतर (प्रतिशत)	कुल अपराधों में महिलाओं के प्रति अपराध (प्रतिशत)
1.	बलात्कार	16373	18233	18359	0.7	11.8
2.	अपहरण और भगाना (धारा 363 से 373 आई.पी.सी)	14506	15578	15750	1.1	10.1
3.	दहेज मृत्यु (धारा 302/304 आई.पी.सी)	6822	7026	6787	3.4	4.4
4.	उत्पीड़न (धारा 498 ए आई.पी.सी)	49237	58121	58319	0.3	37.5
5.	छेड़छाड़ (धारा–354 आई.पी.सी)	33943	34567	34175	–1.1	22.0
6.	यौन उत्पीड़न (धारा–509 आई.पी.सी)	10155	10001	9984	–0.2	6.4
7.	बालिकाओं का आयात (धारा–366 बी.आई.पी.सी)	76	89	149	67.4	0.1
8.	सती निवारक अधिनियम–1987	0	0	1	100.0	0.0
9.	अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम– 1956	6598	5748	5908	2.8	3.8
10.	स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिबन्ध अधि. 1986)	2508	1378	2917	111.7	1.9
11.	दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम–1961	2816	3592	3204	–10.8	2.1
	कुल	143034	154333	155553	0.8	100.0

स्रोतः भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (2006) भारत में अपराध–2005.

भारतवर्ष में महिलाएं हिंसा की जर्बदस्त शिकार हैं। पत्नी की पिटाई करना या उसे धमकाना, गालियां देना, उसके साथ बदसलूकी से पेश आना, उसे दुत्कारना, अपमान करना आदि आम बात है। पूरी दुनिया आज घरेलू हिंसा की चपेट में है।

बलात्कार महिलाओं पर होने वाला सबसे अमानवीय कृत्य है, जिसका असर वह ताउम्र झेलती है। कोई लड़की या महिला यदि बलात्कार की बात किसी से कहे तो उसे बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की हिदायत दी जाती है। यदि महिलाएं बलात्कार की बात कहें तो बदनामी और न कहें एवं पकड़ी जाएं तो चरित्रहीनता का आरोप। पहले बलात्कार शब्द बोलने पर भी पाबन्दी थी। खोटा काम, इज्जत लुटी जैसे शब्दों से उसे काम चलाना पड़ता था। जिसका निहितार्थ था कि कोई जोर जबर्दस्ती करे, यौन शोषण करे तो औरत की ही इज्जत लुटती है। पहले कोई बलात्कार करे तो कहा जाता था कि "यह तो जूठी हो गयी। अब पति क्या जूठी थाली में खाएगा? इसलिए पति उसे छोड़ दिया करते थे। परिवार के अन्दर यौन शोषण की बात उठे तो कहा जाता था कि यह तो अपवाद है। यौन हिंसा हो तो भी दोष औरत का ही माना जाता था। कहा जाता है कि यह तो है ही चरित्रहीन, पुरुष के साथ घूमती है।" ऐसी घटना घटित होने पर अन्य औरतें भी अपने को उस औरत से अलग कर लेंती, यह कहकर कि हमारे साथ तो कभी भी ऐसी कोई घटना नही हुयी।

राजस्थान में तो वहां के जकड़न भरे माहौल के बाद भी वहां की महिलाओं ने बलात्कार से जुड़ी चुप्पी की संस्कृति को तोड़ा। देखते ही देखते यौन हिंसा के खिलाफ राज्य में आन्दोलन उठ खड़ा हुआ।

कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिन्हें देखकर देश की आधी आबादी की हकीकत की जानकारी हो सकती है —

1. तीस सालों में कन्या भ्रूण हत्या के 1.2 करोड़ मामले दर्ज हुए।

2. दिल्ली सामुहिक दुष्कर्म के बाद 1 से 15 जनवरी, 2013 के बीच एक सौ इक्यासी बलात्कार हुए। औसतन चार महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार होता है।

3. देह व्यापार और भीख मंगवाने के लिए चौतीस हजार महिलाओं का अपहरण हुआ।

4. ग्रामीण इलाकों में 56 प्रतिशत लड़कियां सुरक्षा की वजह से कालेज नहीं जा पाती हैं।

बिहार सरकार ने कहा है कि 2011 में अपहरण, बलात्कार, हत्या सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध के 10231 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से निपटने के लिए उनकी सरकार राज्य भर में 65 महिला पुलिस थाने स्थापित कर रही है।

दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में कमी होती नही दिखती। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की एक तिहाई से ज्यादा महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हैं, जिनमें से अधिकतर मामलों में उनके जीवन साथी या करीबियों का हाथ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) द्वारा लन्दन स्कूल ऑफ हाइजिन एण्ड ट्रापिकल मेडिसिन और साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउन्सिल के सहयोग से कराए गए अध्ययन में यह बात सामने आयी है। रिपोर्ट के, मुताबिक शारीरिक और यौन हिंसा जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुयी समस्या है, जो विश्व की एक तिहाई से ज्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है। वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का आकलन नामक रिपोर्ट पति या अन्य के द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अपनी तरह का पहला अर्न्तराष्ट्रीय अध्ययन है। (समाचार, दैनिक जागरण, 2013) आमतौर पर देखा जाता

है कि महिलाएं अपने अधिकारों व कानून की जानकारी के अभाव में किसी राशि या सम्पत्ति पर अधिकार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर पाती। महिलाओं के हित में उनके कुछ अधिकार निम्न हैं–

1. हिन्दू महिलाओं को संयुक्त परिवार में हक – सामाजिक सुधार और हिन्दू महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिलाने की दिशा में एक नया अधिनियम जिसका नाम है "हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005" पारित किया गया है। नए संशोधित कानून से हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा–6 के स्थान पर एक नयी धारा स्थानापन्न की गयी है, जिसके अनुसार सितम्बर 2005 से हर हिन्दू पुत्री के जन्म से ही उसकी संयुक्त परिवार में पुत्र के बराबर भागीदारी गिनी जाएगी।

घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण – घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक विधेयक संसद द्वारा वर्ष 2005 के मानसून सत्र में पारित किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने सितम्बर 2005 में स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न सहित सभी तरह की पारिवारिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

संसद ने महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम (2005) (घरेलू हिंसा अधिनियम) पारित किया है। यह अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है। यह अधिनियम आमूल–चूल परिवर्तन करता है।

इस अधिनियम में जिस तरह से घरेलू सम्बन्धों को परिभाषित किया गया है, उसके कारण यह उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो –

1. किसी पुरूष के साथ बिना शादी किए पत्नी की तरह रह रही है या

2. ऐसे पुरूष के साथ पत्नी की तरह रह रही है अथवा थी जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती है।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाएं, मजिस्ट्रेट के समक्ष, मकान में रहने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, गुजारे के लिए आवेदन पत्र दे सकती है ओर यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी भी न्यायालय में कोई भी पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वह न्यायालय भी इस बारे में आज्ञा दे सकता है।

आज विश्व के अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी महिलाओं पर अत्याचार एवं हिंसा के आंकड़ों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, पिछले पांच दशकों में घटता महिला पुरूष अनुपात। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तात्कालिक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन 20 लाख से 50 लाख तक कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। वह भी आर्थिक रूप से सम्पन्न प्रान्तों–पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एवं देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले छेड़छाड़ के अपराधों में करीब 39.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को पति व सम्बन्धियों द्वारा दी जाने वाली मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं में 67.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वही दहेज हत्याओं के मामले में 47.73 प्रतिशत और बलात्कार की घटनाओं में 39.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार आज स्वतंत्र भारत में प्रति 26 मिनट पर एक महिला का बलात्कार होता है ओर प्रत्येक 102 मिनट पर एक दहेज हत्या। हर 51 मिनट पर यौन उत्पीड़न व हर 33 मिनट पर महिला उत्पीड़न होता

है, जबकि महिला उत्पीड़न के 94 प्रतिशत मामलों में अपराधी घर का व्यक्ति व निकट सम्बन्धी होता है। "सेन्टर फॉर विमेन्स डेवलपमेन्ट स्टडीज" दिल्ली की रिपोर्ट (2002) के अनुसार 45 प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपने पतियों की पिटाई का शिकार होती है।

1. कन्या भ्रूण हत्या संरक्षण – भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 312–314 के मध्य गर्भपात विषयक प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे गर्भपात दण्डनीय अपराध है जो स्त्री के जीवन रक्षार्थ न किए गए हों तथा उसकी स्वीकृति के बिना किए गए है। यदि गर्भपात स्त्री के जीवन रक्षा के उददेश्य से किया गया है तो यह दण्डनीय नहीं होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट–1971 में इस प्रकार की व्यवस्था है। इससे न केवल गर्भवती स्त्री के अधिकारों को संरक्षित किया गया है, वरन गर्भ में विद्यमान शिशुको भी संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में महिलाओं की घटती संख्या कोई जीव वैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि कन्या भ्रूण हत्या का परिणाम है जो बालिकाओं के प्रति सामाजिक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 19 अगस्त, 2006 को कन्या भ्रूण हत्या को कठोरता से प्रतिबन्धित करने के लिए सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।

बाल विवाह संरक्षण अधिनियम– भारतीय कानून में प्रणय सूत्र में बंधने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है जो बाल विवाह का निषेध करता है। राजा राममोहन राय और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसे चिन्तकों के प्रयास से "बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929" अस्तित्व में आया। वर्ष 1978 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके पश्चात वर्तमान समय में लड़कों की विवाह आयु 21वर्ष तथा लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। जिसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है। कुछ समय पहले बाल विधवाओं को बेहद यातनापूर्ण जिन्दगी देने, सिर को मुंडाने अलग–थलग रहने और समाज

से बहिष्कृत करने का दण्ड दिया जाता था। बाल–विवाह पर नियन्त्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नया कानून बनाया गया है। इसके लिए बाल–विवाह निषेध विधेयक 2004 राज्य सभा द्वारा दिसम्बर 2006 में पारित किया जा चुका है। इस नए कानून में बाल–विवाह कराने वाले माता–पिता के लिए सजा का प्रावधान है।

दहेज उत्पीड़न से संरक्षण – दहेज जैसी कुरीति का सामना महिलाओं को न करना पड़े इसके लिए "दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961" बनाया गया। जिसे सन 1984 में संशोधित किया गया। दहेज के लिए क्रूरता व्यवहार को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में दो नई धाराएं 304ख और 498क जोड़ी गयी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113अ और ब भी इसी कानून को लागू करने में सहायक है।

हिन्दू विवाह अधिनियम – कोई भी महिला भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण–पोषण की मांग कर सकती है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अनुसार भी आवेदन करने पर न्यायालय स्थायी भरण–पोषण दिला सकता है। दाम्पत्य विवादों के मामले में वाद कालीन भरण–पोषण अथवा अन्तरिम भरण–पोषण दिलाने की व्यवस्था भी कानून में है।

हिन्दू विधवाओं को पुनः विवाह पर उत्तराधिकार की सुविधा– इन नए संशोधन अधिनियम के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 24 को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पूर्व दिवंगत पुत्र या भाई की विधवाओं को पुनः विवाह पर सम्पत्ति उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलता था। अब ऐसी विधवा को उसके पुनः विवाह के पश्चात भी अपने पिता या संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त करने का पूरा अधिकार रहेगा।

दाम्पत्य एवं परिवार सम्बन्धी विवाद– दाम्पत्य एवं परिवार सम्बन्धी विवादों के एक ही स्थान पर समझौते के साथ निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम–1984 लागू है। जिस स्थान पर पारिवारिक न्यायालय का गठन नहीं किया गया है वहां जिला न्यायालय को पारिवारिक न्यायालय का दर्जा दिया गया है।

यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश– कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और सभी निजी, सार्वजनिक तथा अन्य संस्थानों में लागू है। इस प्रकार के गलत आचरण को रोकने की जिम्मेदारी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पर डाली गयी है।

गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान– महिलाओं को यह विशेषाधिकार है कि उन्हें केवल महिला पुलिस सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच गिरतार कर सकती है। पूछताछ के लिए उन्हें थाने में नहीं बुलाया जा सकता। गिरफ्तारी के बाद उन्हें केवल महिलाओं के कक्ष में ही रखा जा सकता है।

तस्करी– अनैतिक तस्करी (रोक) अधिनियम (1956) में पारित किया गया था। हांलाकि युवा लड़कियों और महिलाओं की तस्करी के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति, घरेलू कार्य या बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता है।

लिंग आधारित हिंसा किसी आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक सीमा से बंधी नहीं होती। लिंग आधारित हिंसा वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

आजादी के इतने सालों में इस देश की औरतों को जब भी मौका मिला है, उन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि झूठे बहाने बनाकर या मिथ्या अवधारणाओं का कवच ओढ़ कर

समाज उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस सदी के शुरु में स्त्री और पुरुष का अनुपात 971 : 1000 का था जो 1991 में 927 : 1000 का रहा गया। इसे देखकर निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि औरतों के प्रति भारतीय समाज में हिंसा बढ़ रही है। इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किए जाते हैं।

आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013

संसद ने 16 दिसम्बर, 2012 को एक 23 वर्षीय लड़की के साथ हुए वीभत्स बलाकार के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) विधएक, 2013 को पारित किया है और इसे अधिक कठोर बनाया है। इस दरिंदगी (बलात्कार) ने देश को झकझोर दिया। पूरे देश में युवाओं, महिलाओं, सिविल अधिकार वाले समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और महिलाओं के विरुद्ध नृशंस अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून लाने की मांग की।

विधएक में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए और अधिक दण्ड का प्रावधान है, जिसमें एक से अधिक बार बलात्कार करने वाले अपराधियों के लिए और जहां पीड़ित स्थायी तौर पर कोमा में चली जाती हैं, आजीवन कारवास अथवा मृत्युदण्ड देने की व्यवस्था है। विधेयक के अनुसार सामूहिक बलात्कार के दोषी को ऐसी अवधि के लिए जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु जिसे आजीवन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अर्थात उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि के लिए और जुर्माने सहित, कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है।

पहली बार नए बलात्कार रोधी कानून में पीछा करने, यौन हरकतें और तेजाब फेंकने के लिए दण्ड का प्रावधान रखा गया है। पीछा करना और यौन हरकतें दुबारा करने पर

गैर जमानती अपराध माना गया हैं। तेजाब फेंकने को अपराध परिभाषित किया गया है और विधेयक में पीड़िता को स्वयं की सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। जबकि कोई ऐसे अपराध करने के लिए जैसे पीड़िता के शरीर के किसी भी भाग को स्थायी अथवा आंशिक नुकसान पहुंचाने अथवा कुरुप करने अथवा जलाने अथवा अंग–भंग करने अथवा विकृत करने का दोषी पाया जाता है तो 10 वर्ष की न्यूनतम कारावास जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

कानून में भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की बात कही गयी है। विधेयक में बलात्कार को महिला विशेष की श्रेणी में रखा गया है, जहां ऐसे अपराध करने पर केवल पुरुष के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें यौन सहमति के लिए 18वर्ष की आयु रखी गयी है। विधेयक में सभी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा किसी अन्य चिकित्सा केन्द्र के लिए यौन दुराचार और तेजाब फेंकने के पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने और निःशुल्क मेडिकल इलाज करना अनिवार्य बना दिया गया है। इससे इनकार करना अब दाण्डिक अपराध होगा। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे पीड़ितों का इलाज तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए और पुलिस के आने तक इन्तजार नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि ये सभी नए कानून महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने में तब तक समर्थ नहीं हो सकेंगे जब तक कि समाज की सोच में परिवर्तन नहीं लाया जाता और दण्ड न्याय व्यवस्था में महिलाओं के प्रति पक्षपात को समाप्त नहीं किया जाता है। इसलिए इन कानूनों के साथ सुधार अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, जिससे विशेषकर पुलिस कार्मिक और सामान्य तौर पर जनता पुरुष और महिला की

बराबरी के अधिकारों के प्रति जागरुक बन सके और उनमें महिलाओं के प्रति आदर की भावना आएगी।

महिला के संवदेनशील अंगों से छेड़छाड़ को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून के तहत सरकार ने महिलाओं से जुड़े अपराधों को वर्गीकृत कर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा है। अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस रेप और उत्पीड़न के मामले दर्ज करने में नाकाम रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

यौन उत्पीड़न का मतलब–बिना सहमति से शिश्न यानि पेनिस या किसी दूसरे चीज को मुंह या गुदा, मूत्रमार्ग और योनि में डालना, बिना सहमति से ओरल सेक्स करना। सहमति से सेक्स की उम्र 18 वर्ष रखी गयी है। सहमति साबित करने में पीड़िता के चरित्र की भूमिका देखी जाएगी। अगर पत्नी की उम्र 16 साल से ज्यादा है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। यौन उत्पीड़न या रेप के लिए सात साल से लेकर उम्र कैद तक सजा हो सकती है।

न्यायालय द्वारा पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न या रेप होने पर दो साल से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर प्रथम दृष्टया अपराध लगता है तो अदालत संज्ञान ले सकता है। सेना के जवान द्वारा यौन उत्पीड़न या रेप करने पर अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।

यौन उत्पीड़न के कारण मौत होने पर अपराध की गम्भीरता को देखकर सजा तय होगी। 20 साल से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की सजा हो सकती है। महिला की इज्जत से छेड़छाड़ करने पर एक से पांच साल तक की सजा हो सकती है। महिला के शरीर को छूने और जबरदस्ती सेक्स की पहल करने पर पांच साल तक की सजा हो सकती है।

महिला के गुप्तांग को छूने पर सात साल की सजा हो सकती है। मौखिक यौन उत्पीड़न या रेप में अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है। (सेक्स के लिए आग्रह या मांग

करना)। मौखिक तौर पर महिला से छेड़खानी करने पर तीन साल की सजा हो सकती है। कामुक टिप्पणी करने या जबरदस्ती पोर्नोग्राफी फिल्म दिखाने पर अधिकतम एक साल की सजा हो सकती है। महिला की पिटाई या निर्वस्त्र करने पर तीन से सात साल की सजा हो सकती है। व्यारिज्म (प्राइवेट जीवन में ताक–झांक) पर एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है। एसिड अटैक पर सात से 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। तस्करी पर सात से 10 साल की सजा हो सकती है।

सजा के अतिरिक्त दुष्कर्म पीड़ित के इलाज के लिए अभियुक्त पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। महिला के कपड़े फाड़ने पर भी सजा का प्रावधान है। धमकी देकर शोषण करने के लिए सात से दस साल कैद तक की सजा हो सकती है। बलात्कार के कारण हुई मौत या स्थायी विकलांगता आने पर आरोपी को मौत की सजा हो सकती है। ताकझांक करना, पीछा करना और घूरना जमानतीय अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं।

बलात्कार के मामलों की सुनवाई में महिला के बयान या पूछताछ के दौरान आरोपी पीड़ित महिला के सामने मौजूद नहीं रहेगी। पुलिस रिकॉर्ड में महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराधों का उच्च स्तर दिखायी पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 1998 में यह जानकारी दी थी कि 2010 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या वृद्धि से कहीं ज्यादा हो जाएगी। पहले बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों को इनसे जुड़े सामाजिक कलंक की वजह से कई मामलों को पुलिस में दर्ज ही नहीं कराया जाता था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।

भारत में 2012 में तेजाबी हमलों के बहत्तर मामले सामने आए ऐसा 'एसिड सर्वाइवर्स फाउण्डेशन' के सर्वे से पता

चलता है। इन हमलों से जुड़े अधिकारिक सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन हमलों को रोकने के मामले में बांग्लादेश भारतवर्ष से एक कदम आगे हैं। उसने आसानी से मिलने वाले तेजाब तक अपराधियों की पहुंच रोकने के लिए लाइसेंस की कड़ी जोड़ दी। तेजाबी हमलों की शिकार महिलाओं को अन्तहीन त्रासदी से छुटकारा दिलाना आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने बलात्कार रोधी विधेयक पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें जहां बलात्कारियों को आजीवन कारावास और मौत की सजा देने का प्रावधान है, वहीं तेजाबी हमलों, पीछा करने और छुप–छुपकर घूरने जैसे अपराधों के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए विधेयक को "आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम–2013" के नाम से जाना जाएगा। विधेयक के जरिए भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया है। बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधान करने के मकसद से नए कानून में कहा गया है कि अपराधी को कड़े कारावास तक की सजा दी जा सकती है जो 20 साल से कम नहीं होगी। लेकिन इसे आजीवन कारावास तक में तब्दील किया जा सकता है। आजीवन कारावास का मतलब दोषी के प्राकृतिक जीवन काल तक है और इसमें जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून में पहली बार पीछा करने और घूर–घूर कर देखने को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है।

महिला संगठनों की कड़ी मांग की वजह से पीछा करने और घूर कर देखने के सम्बन्ध में कानून में नए प्रावधान किए गए हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरन्त प्राथमिक सहायता या उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा।

कानून में न्यूनतम सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

कानून में भारतीय सक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके तहत बलात्कार पीड़िता को, अगर वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है तो उसे अपना बयान दुभाषिएं या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की भी इजाजत दी गयी है। दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2012 की सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जो अदभुत स्वतः स्फूर्त प्रतिरोध उठा, वह सचमुच भारतीय नारी की चेतना के एक नए स्तर पर पहुंचने की अभिव्यक्ति थी।

16 दिसम्बर 2012 की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सुझाव देने के लिए बनायी गयी वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट को प्रतिरोध की प्रगतिशील धारा द्वारा उठाए गए मुद्दों के इर्द–गिर्द तैयार किया। उसने अपनी अनुशंसाएं न्याय की मानवीय और आधुनिक धारणा के दायरे में प्रस्तुत की। उसने निर्धारित समय–सीमा के भीतर महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित गम्भीर एवं व्यापक प्रश्न पर उचित संदर्भों में विचार करते हुए ऐसी रिपोर्ट पेश की, जिसे कुछ महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने महिला स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की घोषणा पत्र कहा है। इस रिपोर्ट की विशेषता यह है कि इसमें यौन हिंसा या यौन उत्पीड़न को व्यापक सामाजिक आर्थिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों के ढांचे में रखकर देखा गया है। समिति ने प्रशासन, कानून, राजनीति और सामाजिक नजरिए की समग्रता में इस प्रश्न पर विचार किया। उसने पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की लाचारी को जड़ में रखते हुए इस समस्या को देखा। वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट को सिर्फ कुछ कानूनी प्रावधानों में हेर–फेर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बलात्कार या महिलाओं की असुरक्षा के प्रश्न को संस्कृति के व्यापक

दायरे में रखकर देखा। उसने महिलाओं पर हिंसा के सवाल को संविधान से मिले मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में रखा। महिला अधिकार आन्दोलन जिन मुद्दों को लेकर दशकों से संघर्ष करता रहा, उनमें से अनेक को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर वर्मा समिति ने उन्हें एक सरकारी दस्तावेज में जगह दिला दी।

वर्मा समिति ने बलात्कार की परिभाषा फिर से तय करने का सुझाव दिया है। अभी स्त्री के यौनांग के उल्लंघन के बाद ही बलात्कार हुआ माना जाता है। समिति ने उस स्थिति से पहले स्त्री पर हुए यौन आक्रमण को बलात्कार मानते हुए ऐसी घटनाओं पर भी इस इल्जाम में मुकदमा चलाने की सलाह दी है। साथ ही उसने सक्रिय प्रतिरोध नहीं होने का मतलब यौन सम्बन्ध के लिए सहमति समझने की मान्यता खत्म करने की सिफारिश की है। वर्मा समिति ने कहा है कि अगर स्त्री यह कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ तो उसे मानते हुए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ायी जानी चाहिए। वैवाहिक सम्बन्ध के भीतर बलात्कार की बात आज भी भारत में बहुत से लोगों को अटपटी लगती है। यह सम्भवतः पहला मौका है, जब न्यायविदों की एक समिति ने विवाह सम्बन्ध के भीतर के बलात्कार को अपराध बनाने की सिफारिश की है। अगर महिला यह इल्जाम लगाती है कि सम्बन्ध की आड़ में वह यौन हिंसा की शिकार हैं तो यह कानून के तहत जुर्म होना चाहिए।

वर्मा कमेटी को इस बात का श्रेय जरुर है कि उसने भारत में पहली बार यौन हिंसा के मुद्दे को ''इज्जत'' और 'यौन शुचिता' की स्त्री विरोधी सोच से निकालकर इसे आधुनिक समतावादी और संवैधानिक संदर्भों में देखा है। प्रशासनिक कदमों, विधायी पहल, सामाजिक प्रयासों एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की जरूरत को उसने स्पष्टता के साथ स्वर दिया। इस अर्थ में यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

हाल के इस देशव्यापी स्वतःस्फूर्त प्रतिरोध ने समाज–खासकर मध्यवर्ग, मीडिया और शिक्षित तबकों में स्त्री सम्बन्धी मुद्दों पर वैसा खुलापन पैदा किया है, जो भारतीय समाज के लिए एक नयी चीज है। महिलाओं पर तेजाबी हमले की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सामाजिक संगठनों की ओर से इस मसले पर स्पष्ट और सख्त कानून बनाने की मांग की जाती रही है। देश भर में रोजाना लड़कियों पर तेजाबी हमले हो रहे हैं और वे मर रही है। प्रयोगशालाओं और औद्योगिक इकाईयों में रसायन के तौर पर इस्तेमाल होनेवाले तेजाब काफी समय से महिलाओं पर हमले का हथियार भी है। किसी लड़की या स्त्री के चेहरे को विरुप कर देने से उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसी मंशा से तेजाब फेंका जाता है।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं कानून (अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति)

आस्ट्रेलिया : आस्ट्रेलिया में ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने 1996 में महिला सुरक्षा सर्वे में 18 वर्ष से ऊपर की 6300 औरतों में पिछले 12 महीने के आंकड़ों से यह पाया कि 1.9 प्रतिशत महिलाओं को लैंगिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। जिसमें से दो तिहाई को परिचित पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था और केवल 15 प्रतिशत महिलाओं ने पुलिस में रिपोर्ट किया था।

कम्बोडिया : स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के आंकलन के द्वारा यह बताया गया कि बलात्कार एक सामान्य घटना है, परन्तु यह बहुत कम लोगों द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि लैंगिक अपराध की पीड़िता के साथ जुड़ी यह सोच कि विवाह के पहले कौमार्य भंग होने के भय से तथा सामाजिक स्टिग्मा के कारण। 2008–09 में पुलिस ने 468 बलात्कार के प्रयास और लैंगिक उत्पीड़न के मुकदमें दर्ज किए जो पिछले वर्ष 2.4 प्रतिशत ज्यादा थे। सामान्यतः

बलात्कार में कानून लागू करने वाले पुलिस और न्यायालय के स्टाफ पीड़ित और अपराधी के बीच समझौता करवा देते हैं और इस पैसे को पीड़िता और पुलिस बांट लेती हैं और मुकदमा वापस ले लिया जाता है। यदि मुकदमा चलता है तो भी शिकायतकर्ता को पुलिस को पैसा देने पर ही जल्दी जांच हो पाती है।

कनाडा : कनाडा में 1992 में एक सर्वेक्षण हुआ। जिसमें यह पाया गया कि प्रत्येक 3 में से एक महिला ने लैंगिक उत्पीड़न झेला था और केवल 6 प्रतिशत लोगों ने पुलिस में सूचना दी थी।

कांगों का लोकतांत्रिक गणराज्य : बलात्कार तथा अन्य लैंगिक हिंसा के बारे में यह दुनिया का सबसे बुरा देश है। एक अध्ययन के अनुसार हर साल 4 लाख से अधिक महिलाओं का बलात्कार होता है। जबकि इस देश में बलात्कार को युद्ध का हथियार भी माना जाता है। बलात्कार सस्ता और सरल हथियार है।

डेनमार्क : 2008 में एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने स्वीडन, फिनलैण्ड, नार्वे और डेनमार्क की सबसे ज्यादा चिन्ता जतायी है, जहां लैंगिक अपराध के प्रावधान पिछले तीस साल से नहीं बदले हैं। एमनेस्टी के अनुसार डेनमार्क का बलात्कार और लैंगिक हिंसा के कानून मानव अधिकार के सिद्धान्तों से टकराते हैं। डेनमार्क में लैंगिक अपराध को पाप अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। यहां बलात्कार की परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है और केवल हिंसा पर केन्द्रित है। विवाह के भीतर भी बलात्कार दण्डनीय है, परन्तु बलात्कार की परिभाषा से लैंगिक अन्तःक्रिया जो बलात्कार की सीमा से बाहर है, अन्य प्रावधानों में ली जाती है, और इन प्रावधानों में यह तभी अपराध है, जब यह विवाहेत्तर लैंगिक सम्बन्धों में किया जाए, और इस तरह विवाहित पीड़िताएं इससे अलग कर दी जाती हैं। यदि बलात्कार के बाद अपराधी पीड़िता से शादी कर ले

तो दण्ड घटाया या समाप्त किया जा सकता है।

इटली : इटली में परम्परागत रूप से जिनके साथ बलात्कार होता है, उनसे शादी के लिए दबाव पड़ता है। 1999 में एक व्यक्ति को बलात्कार के अपराध में दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि महिला कसी हुई जींस पहनी हुई थी और यह दावा किया गया कि यदि महिला प्रतिरोध करती तो उसके सहयोग किए बिना जीन्स उतारी नहीं जा सकती थी। इसी तरह 2006 के एक केस में एक 41 वर्ष के पुरुष को अपनी सौतली पुत्री के बलात्कार में घटी हुई सजा दी गयी क्योंकि कहा गया कि लड़की पहले से ही सेक्स करने के प्रति सक्रिय थी और 13 साल की उम्र से ही अनेक पुरुषों से उसके सम्बन्ध थे।

साउथ अफ्रीका : दक्षिण अफ्रीका में आपराधिक नियम, लैंगिक अपराध तथा सम्बन्धित मामले संशोधन विधेयक लागू किया गया। इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा बाल एवं शिशु बलात्कार के 67000 मामले सामने आए जबकि इससे दस गुना ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसके साथ–साथ दक्षिण अफ्रीका में यह भ्रान्ति भी है कि एक वर्जिन के साथ संभोग से एडस का इलाज हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो नगर में 1500 स्कूल विद्यार्थियों में 1/4 लड़कों ने माना कि सामूहिक बलात्कार में उन्हें मजा आया। दक्षिण अफ्रीका के अलावा जाम्बिया, जिम्बाबवे और नाइजीरिया में भी यह भ्रान्ति है कि एडस का इलाज वर्जिन के सम्भोग से किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में मार्च 2012 में होने वाले वर्ष में 6500 बलात्कार और लैंगिक हिंसा के मामले पाए गए अर्थात प्रत्येक एक लाख पर 127.6 व्यक्ति पर अत्याचार हुआ।

स्वीडन : यूरोप में सर्वाधिक तथा विश्व के अधिकतम बलात्कार की घटनाओं का राज्य है। 2009 में प्रत्येक 1 लाख नागरिकों में 46 बलात्कार की घटनाएं पायी गईं। स्वीडन की

अपराध नियंत्रण की राष्ट्रीय परिषद का दावा है कि स्वीडन में बलात्कार की अत्यन्त विस्तृत परिभाषा के कारण सभी संदिग्ध और दोहराए गए बलात्कारों को शामिल किए गए संख्या से यह संख्या ज्यादा है।

इंग्लैण्ड : इंग्लैण्ड में 2003 में लैंगिक अपराध अधिनियम (इग्लैण्ड और वेल्स के लिए) 2008 में उत्तर आयरलैण्ड के लिए, 2009 में स्कॉटलैण्ड के लिए लैंगिक अपराध अधिनियम बनाया गया। एक सर्वे में पाया गया कि 18 से 25 वर्ष के पुरूष से यदि कोई महिला सेक्स जारी रखने के लिए अपना मन बदल दे तो जर्बदस्ती करना बलात्कार नहीं मानते है।

अमेरिका : अमेरिकी न्याय विभाग के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार पीड़ितों में 91 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं और 9 प्रतिशत पुरूष हैं। परन्तु बलात्कारी 99 प्रतिशत पुरूष होते हैं। कुछ प्रकार के बलात्कार सरकारी आंकड़ों में नहीं शामिल किए जाते क्योंकि काफी संख्या में पुलिस में रिपोर्ट किए गए बलात्कार अभियोजन तक बढ़ते नहीं हैं। अमेरिका में 6 में से एक महिला ऐसी हैं जिसने बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अनुभव किया है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के आंकड़े अलग–अलग रखे जाते है। परन्तु श्वेत की श्रेणी में हिस्पैनिक को भी शामिल किया जाता हैं। 2006 में एक लाख 94 हजार 270 श्वेत और 17 हजार 920 अश्वेत पीड़ित की संख्या बतायी गयी। 45 वर्ष के बलात्कार के आंकड़ों से पाया गया कि औसतन अश्वेत को श्वेतों की तुलना में बलात्कार के लिए 6.52 प्रतिशत बार ज्यादा गिरफ्तार किया गया। बलात्कार करने वालों में मादक औषधि और एल्कोहल अधिकतर पायी जाती है। 47 प्रतिशत बलात्कार में पीड़ित और अत्याचारी दोनों शराब पीए हुए थे। 17 प्रतिशत केवल अत्याचारी ने और 7 प्रतिशत केवल पीड़ित ने शराब पी हुईं थी। अधिकांश बलात्कार घर में होते हैं। 31 प्रतिशत बलात्कारी के घर में, 27 प्रतिशत पीड़िता के घर में, 10 प्रतिशत जिसमें दोनों रहते हों,

7 प्रतिशत पार्टियों में, 7 प्रतिशत गाड़ियों में, 4 प्रतिशत घर के बाहर, 2 प्रतिशत शराबखाने में बलात्कार होते हैं। बलात्कार के सम्बन्ध में दूसरी गलत अवधारणा है कि यह अजनबियों द्वारा किए जाते हैं। 2012 में अलास्का फेडरेशन के मूल निवासियों के सर्वे में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा राष्ट्रीय दर की 12 गुना से भी अधिक पायी जाती है। अमेरिका की जनजातीय लोगों में कुछ ही महिला लैंगिक हिंसा से बच पाती हैं। 1987 में 6000 विद्यार्थियों पर 32 कालेज का सर्वे किया गया तो 15 प्रतिशत ने बलात्कार की परिभाषा में आने वाले घटना का अनुभव किया था ओर 12 प्रतिशत ने सम्भावित बलात्कार का। 2004 में 25000 महिलाओं पर किए गए सर्वे में पाया गया कि 4.7 प्रतिशत ने एक सत्र में बलात्कार या सम्भावित बलात्कार का सामना किया। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि अस्सी हजार बच्चे प्रत्येक वर्ष लैंगिक रूप से पीड़ित किए जाते है। 2005 की न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख 91 हजार 670 बलात्कार या लैंगिक उत्पीड़न के मामले रिपोर्ट किए गए। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 59 प्रतिशत बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की जाती है। जबकि कालेज विद्यार्थियों के लिए यह संख्या 95 प्रतिशत है। 1993 से 60 प्रतिशत की ह्रास के बावजूद अमेरिका में बलात्कार की दर अन्य विकसित देशों से ज्यादा है और अधिकांश बलात्कार रिपोर्ट न किए जाने के साथ–साथ केवल 25 प्रतिशत बलात्कार के ऐसे मामले जिनकी रिपोर्ट की गयी है, गिरफ्तारी की जाती है। तेजाब के हमले ने कई महिलाओं की पूरी जिन्दगी को झुलसाकर रख दिया है। वर्षों बीत जाने के बाद भी यह जख्म ऐसा है, जो आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देता है। तेजाब के हमले ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचाया बल्कि वे सामान्य जिन्दगी जीने के लिए भी संघर्ष करती रहीं। हाल के कुछ वर्षों में देश भर में ऐसी घटनाओं में

बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। तेजाब हमले की सबसे ज्यादा घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं। इसके चलते इस प्रकार के हमलों के खिलाफ सबसे प्रभावी और विशिष्ट कानून भी इसी देश में हैं। इसकी शुरूआत 2002 में हुयी जब बांग्लादेशी सरकार ने एसिड फेंकने पर मौत की सजा लागू की। साथ ही एसिड की बिक्री, उपयोग, भण्डारण और उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नियन्त्रण करने के लिए कानून को और भी सख्त किया गया। इस कानूनी कार्रवाई से बांग्लादेश में एसिड हमले के मामले बीस से तीस प्रतिशत तक कम हो गयी।

कम्बोडिया में एसिड हमले सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुरूषों पर भी ऐसे हमले देखने को मिले हैं। 1980 के दशक के बाद से कम्बोडिया में 300 से भी अधिक एसिड अटैक के मामले दर्ज हुए हैं। यहां के कानून के तहत एसिड द्वारा जानबूझ कर हत्या करने पर 15 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वहीं एसिड का यातना और क्रूर कृत्यों में इस्तेमाल करने पर 10 से 30 साल तक की सजा सुनायी जा सकती है।

पाकिस्तान में भी एसिड अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2011 में वहां एसिड नियन्त्रण और एसिड अपराध निरोधक बिल लागू हुआ था। इस बिल के अनुसार एसिड फेंकने वाले को बतौर सजा भारी जुर्माना देना पड़ सकता है साथ ही आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हाल ही में पाकिस्तान की एक अदालत ने एसिड अटैक के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनायी है। यह विडम्बना है कि जिस देश में देवियों की पूजा होती है वहां महिलाओं को डायन बताकर उनपर तरह–तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। यह बेहद अफसोस की बात है कि आज के आधुनिक युग में भी दुनिया भर में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं को डायन बताकर उन्हें मौत के घाट उतारने में पीछे नहीं रहते। महिलाओं को डायन करार देकर उनके साथ

अमानवीय व्यवहार करना, उन्हें निर्वस्त्र घुमाना, जबरन अपशिष्ट पदार्थ पिलाना, उनकी आंखे फोड़ देना, उनके साथ दुराचार करना, उनके बाल कटवाना या सिर मुंडवा देना आदि मामले अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। ऐसी घटनाएं पीड़ित महिलाओं की पारिवारिक ही नहीं बल्कि उनके सामाजिक जीवन को भी तहस–नहस करके रख देती है वे मानसिक तथा शारीरिक कष्ट झेलने को मजबूर हो जाती हैं। महिला थाना ऐसी घटनाओं को रोकने में सहायक होती है।

देश में डायन प्रतिषेध कानून 1999 से लागू है। इसके बावजूद डायन प्रथा पर पूरी तरह रोक नहीं लग पायी है। इस कानून के मुताबिक किसी महिला को सिर्फ डायन करार देने पर सम्बन्धित व्यक्ति को तीन माह की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही एक हजार रूपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। किसी महिला को डायन करार देकर उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को छह माह की कैद अथवा दो हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है।

डायन प्रथा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इससे प्रभावित इलाकों में प्रशासन द्वारा शिविर आदि लगाकर लोगों को जागरूक करने की सारी कवायद धरी की धरी रह जाती है। डायन प्रथा के पीछे कई कारण है, जिनमें विधवा महिलाओं को परिवार की सम्पत्ति से बेदखल करना, आपसी रंजिश और उनका शारीरिक शोषण करना आदि शामिल है।

झारखण्ड में पिछले एक दशक में डेढ़ हजार से ज्यादा महिलाओं की जानें जा चुकी हैं, साथ ही डायन प्रताड़ना के करीब 1200 मामले दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के 50 से ज्यादा जिलों में महिलाओं को डायन बताकर उन पर अत्याचार किए जाते है। यहां तक कि काला–जादू या टोने–टोटके करने के आरोप लगाकर महिला को बेरहमी से

कत्ल कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 1987 से लेकर 2003 तक 2556 महिलाओं की हत्या की गयी।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नियम व विधान है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान स्थिति व अधिकार प्रदान किए हैं, फिर भी उन्हें भेदभाव व हिंसा का सामना करना पड़ता है। डायन जैसी कुप्रथा से निपटने के लिए तो महिला थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अकेली और विधवा महिला की सम्पत्ति हड़पने के लिए पूरा गांव यदि उसे डायन घोषित करके मारने पीटने लगे तो ऐसी महिला का सहयोग महिला थाना ही कर सकता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रति एक हजार की जनसंख्या पर एक महिला थाना होना चाहिए। आज जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा–पीटा जा रहा है, वैसी स्थिति में प्रत्येक मुहल्ले/बस्ती में एक महिला पुलिस मित्र का होना आवश्यक है। आज महिलाओं पर तरह–तरह के अत्याचार एवं हिंसा हो रही है। महिलाएं इज्जत के नाम पर कभी–कभी कहीं रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराती हैं। महिला थानों की संवेदनशील पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आकर उनकी रक्षा करने का दायित्व उठाना होगा।

1980 के दशक में दहेज के खिलाफ आन्दोलन में देश के तमाम भागों से महिलाएं एकजुट हुई। दहेज हर वर्ग और जाति की समस्या बन गया हैं महिला समूहों ने दहेज की बढ़ती मांग, उससे जुड़ी हिंसा उत्पीड़न और दहेज हत्या के खिलाफ आवाजें उठायी हैं। घरेलू हिंसा, महिलाओं को वस्तु समझना तथा उनके नाम सम्पत्ति का न होना आदि मुद्दे भी बराबर उठाए जाते रहे हैं। यौनिक हिंसा और बलात्कार के खिलाफ आन्दोलन इसी दौरान उभरा। बलात्कार के मुद्दों पर खुलकर चर्चा होना इन आन्दोलनों का ही नतीजा है। 1980

के दशक के शुरु में कोई लड़की यौनिक छेड़छाड़ तक पर खुलकर बात करने में हिचकिचाती थीं। आज मीडिया और सार्वजनिक सोच बहुत बदल गए हैं। अब यौन और बलात्कार शब्दों पर कोई रोक–टोक नहीं है। इन पर खुलकर चर्चा होना अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका का बहुत अच्छा उदाहरण है। वर्तमान समय में बलात्कार के मामलों में कमी भले ही न आयी हों पर अब कम से कम घटनाएं सामने आने लगी हैं और न्याय पाने के लिए संघर्ष जारी है। 1990 के दशक के मध्य में सरकार के महिला विकास कार्यक्रम की कार्यकर्ता भंवरी देवी के सामूहिक बलात्कार का केस प्रकाश में आया। भंवरी देवी ने बाल–विवाह रोकने का प्रयास किया था। बाल विवाह कानूनन अपराध है और भंवरी ने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करायी थी। उसको सबक सिखाने के लिए गांव के कुछ उच्च जाति के लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। सबूतों के बावजूद सेशन जज ने फैसला दिया कि यह तो सभव नहीं है कि भंवरी देवी के साथ बलात्कार हुआ है। सामाजिक बहिष्कार, बदनामी के बावजूद इस बहादुर महिला ने न्याय के लिए संघर्ष जारी रखा।

1990 के दशक में बच्चियों के यौन उत्पीड़न आपराध का भी पर्दाफाश हुआ। महिला समूहों ने इस तथ्य का खुलासा किया कि यह घरों के भीतर रिश्तेदारों और पड़ोसियों द्वारा भी होता है। आज धीरे–धीरे तमाम तथ्य उजागर हो रहे हैं और यह स्पष्ट हो रहा है कि यौन उत्पीड़न बहुत आम घटना है।

महिला आन्दोलनों के प्रभावों व दबावों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर 'महिलाओं के विकास' और 'महिलाओं के सशक्तीकरण ' के मुद्दों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश चल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के साथ भेदभाव दूर करने और न्याय दिलाने के लिए हुई।

भंवरी के साथ प्रभावी जाति के पुरुषों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया तो भंवरी चुप नहीं बैठी। उसने

हिम्मत दिखायी, रिपोर्ट दर्ज करवायी, उसने आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण निर्णय नहीं किया, बल्कि अपने साथ हुए अत्याचार को मुद्दा बनाया। अपेक्षित परिवर्तन में इसे ऐतिहासिक, अनुकरणीय और प्रशंसनीय बदलाव का प्रारम्भ कहा जाएगा।

दिसम्बर–12 में आन्दोलित जनता के आक्रोश ने सरकार, राजनीतिक दलों और स्थानीय पुलिस को सक्रिय किया। वर्तमान समय में सामाजिक रुख और महिला पुलिस के रुख पर गहराई से और सम्पूर्ण में विचार किए जाने एवं दृढ़ निश्चय के साथ नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है। वह सामाजिक रुख भी बदलना होगा जो भारत में आमतौर पर व्याप्त है और जिसके परिणामस्वरूप ऐसी बर्बर घटनाएं रोजाना सामने आती रहती हैं। अगर समाज के स्तर पर इसके खिलाफ पहल नहीं हुई तो कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है। भारतीय समाज को अपने भीतर गहरे तक झांकना होगा, यह पता लगाने के लिए कि ऐसी विकृत यौन मानसिकता क्यों आम होती जा रही है? स्पष्ट है कि परिवार, मोहल्ले, स्कूल और समाज से मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। उनकी जगह ऐसे विकृत विचार ले रहे हैं जो महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं। दुष्कर्म की ऐसी घटनाएं यदि आक्रोश पैदा करना बन्द करे दें और बदलाव की मांग न हो तो और भी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है।

16 दिसम्बर सन 2012 की घटना ने समूचे देश को झकझोर दिया और लोगों में जबर्दस्त आक्रोश फैला। वे सड़कों पर आकर इसका विरोध करने लगे। आज बलात्कारियों के लिए मृत्युदण्ड मांगने के बजाय दीर्घकालीन समाधान पर जोर देना चाहिए। बलात्कार के मामलों पर समयबद्ध तरीके से द्रुत न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और शीघ्र मुकदमा चला कर इस वर्तमान मामले को एक उदाहरण के रूप में रखा जाना चाहिए। पुलिस बल

विशेषकर महिला पुलिस की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए और उन्हें महिला संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। महिला पुलिस को अपराध संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करनी चाहिए क्योंकि पुलिस की अधिक संख्या में उपस्थिति से अपराधी निरुत्साहित होंगे और अधिक संख्या में पुलिस कन्ट्रोल रुम गाड़ियां चलायी जानी चाहिए जो नगर के सभी भागों में गश्त करें। केवल कानून, चाहे वे कितने भी कठोर क्यों न हों, ऐसे वीभत्स अपराधों से निबटने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, जब तक कि हमारे पुरुष प्रधान समाज की सोच में परिवर्तन नहीं आता है। हमें अपने बच्चों के मन में आरम्भ से ही, जिसकी शुरुआत परिवार, स्कूल और शैक्षिक संस्थाओं से हो, महिला–पुरुष की समानता और महिलाओं और उनमें अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना डालनी चाहिए।

वर्तमान में एक उत्तरदायी सिविल सोसायटी की आवश्यकता है। जब भी कोई असामाजिक तत्व किसी लड़की को परेशान करता है अथवा उससे छेड़खानी करता है तो वह उसके विरुद्ध आवाज उठाए अथवा कम से कम पुलिस में शिकायत करें। स्त्री और यौन हिंसा एक ऐसी जटिल समस्या है, जिससे रातोंरात किसी जादुई चिराग से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक सभी मोर्चों पर पूरी ताकत से एक साथ संगठित और दीर्घकालिक अभियान शुरु करना होगा। सबसे पहले दुनिया के कुछ विकसित देशों पर नजर डालना होगा। अमेरिका जैसे देश में भी बलात्कार के सिर्फ 12 प्रतिशत मामलों में ही अभियुक्त की गिरतारी हो पाती है और केवल तीन प्रतिशत मामलों में सजा हो पाती है। वहां भी बलात्कार के आधे से ज्यादा मामलों में महिलाएं पुलिस से शिकायत नहीं करतीं और केवल 46 प्रतिशत मामले ही पुलिस तक पहुंचते हैं। ''क्राइम सर्वे फॉर इंग्लैण्ड एण्ड वेल्स–2013' के मुताबिक ब्रिटेन में तो बलात्कार के केवल 15 प्रतिशत मामलों में ही

महिलाएं पुलिस से शिकायत दर्ज कराती हैं। केवल तीन प्रतिशत मामलों में सजा हो पाती है।

आज स्त्रियों पर बढ़ रही हिंसा को देखने से स्पष्ट है कि हमारे सामने कैसी कठिन चुनौती है और उससे पार पाने के लिए आक्रामकता, जुझारुपन और मनोयोग के साथ लम्बी लड़ाई लड़नी होगी। महिला थानों की यहां महत्वपूर्ण भूमिका है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध की जांच एक खास किस्म की संवेदनशीलता की मांग करती है। बलात्कार के मामलों में पीड़िता और उसके परिजनों पर केवल शारीरिक मानसिक आघात ही नहीं होता, बल्कि यह हमला उनके समूचे अस्तित्व पर होता है।

बलात्कार के खिलाफ कड़ा कानून तो बन गया, लेकिन इक्का–दुक्का फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने के अलावा न्यायिक व्यवस्था जस की तस है। बरसों–बरस मामले घिसटते रहते हैं। पीड़ित परिवार एक अन्तहीन त्रासदी से गुजरता रहता है। जो सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, उससे कहीं बड़ा दंश पीड़िता और उसके परिवार को झेलना पड़ता है। कोई समय सीमा अवश्य होनी चाहिए कि कोर्ट के अन्दर मामला जल्दी से जल्दी निपट जाए। तभी अपराधी को मिलने वाले दण्ड का कोई प्रभाव समाज पर पड़ेगा।

बलात्कार एवं महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा को लेकर एक देशव्यापी जन–जागरण अभियान चलाने की जरूरत है। विशेष रूप से छोटी–छोटी बच्चियों, छात्राओं और महिलाओं को जागरुक किया जाना चाहिए कि वे कैसे खतरे को पहचाने और ऐसी किसी भी हरकत से वे कैसे अपना बचाव कर सकती हैं। महिला थाने की पुलिस उनको इसमें सहयोग कर सकती है।

एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था (नोडल एजेन्सी) बनाने की जरूरत है जो केन्द्र और राज्य सरकारों, पुलिस बल और

तमाम दूसरी एजेन्सियों से तालमेल रखते हुए बलात्कार यौन अपराधों के बारे में कार्य योजना बनाए, चलाए और समय–समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा कर रणनीति तैयार करती रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग या ऐसी ही किसी संस्था को यह काम दिया जा सकता है।

बलात्कारियों का एक राष्ट्रीय डेटा–बेस तैयार करके एक वेबसाइट पर उनकी तस्वीर लगा देनी चाहिए। समस्त महिला थानों पर इन्टरनेट की सुविधा होनी चाहिए ताकि महिला थानों से उनकी जानकारी कभी भी ली जा सके।

बलात्कार, छोड़खानी के अलावा कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, खाप पंचायतों के तुगलकी फैसले जैसी समस्याओं से भी स्त्रियों को लगभग रोज ही दो चार होना पड़ता है। अपेक्षित परिवर्तन हेतु आज दुनिया भर की औरतें अपने लिए लड़कर इनमें से कई समस्याओं को दूर करने में कामयाब हुई हैं।

भारतवर्ष में महिलाएं एक ही वक्त में कई युगों में जी रही है। एक तरफ इक्कीसवीं सदी की वे महिलाएं हैं, जो हर उस ओहदे और शिखर को छू रही हैं, जिसे पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था और दूसरी तरफ वे महिलाएं हैं, जिन्हें जरा सी हरकत करने पर भी मध्य युग के बर्बर और हिंसक खाईयों में ढकेल दिया जाता है। देश में तेजाब फेंकने की 80 फीसदी घटनाओं में स्त्रियां ही शिकार होती हैं। भारत में तेजाब फेंकने का पहला मामला 1967 में प्रकाश में आया था। आज स्थिति कहीं ज्यादा भयंकर है। ज्यादातर मामलों में पुरुष लिंग भेदी सोच के कारण ऐसा हमला करते हैं।

यह पुरुषों की शान के खिलाफ हैं कि कोई लड़की या स्त्री निर्णय करे और वे उसके फैसले को मानने के लिए बाध्य हों। ऐसे पुरुष लड़कियों को बताना चाहते हैं कि उनके फैसलों को इनकार करने की कीमत चुकानी पड़ती है। वे चाहते हैं कि उनके इनकार की कीमत लड़की न सिर्फ एक

बार बल्कि सारी जिन्दगी चुकाए। लड़की का चेहरा जलाकर ऐसे लोग सारे समाज को लड़की के बहिष्कार के लिए अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। जब व्यक्ति किसी से प्रतिशोध लेना चाहता है तो अपने विरोधी को ऐसी स्थिति में छोड़ना चाहता है जहां वह समाज में जीने के लायक न बचे।

बलात्कार निरोधी कानून में जो नया संशोधन आया है, उसमें तेजाब फेंकने वालों के लिए दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून बेहतर है, बशर्ते कि सजा हो ही जाए। लेकिन कानूनी सजा से परे भी कई काम है। जो समाज, परिवार और संस्थाएं तेजाब पीड़ितों के लिए अपने स्तर पर कर सकते हैं। सबसे पहला और बुनियादी काम लड़कियों को यह हौसला दिया जाए कि सुन्दर चेहरे और देह से परे भी एक दुनिया है जो सपनों से भरी है। साथ ही लड़कों को बचपन से सिखाया जाए कि वे लड़कियों के निर्णयों का सम्मान करें ताकि बड़े होकर अचानक से किसी लड़की का इनकार उनके लिए सहज सामान्य हो, न कि उग्रता का कारण बने। सरकार को ऐसी लड़कियों के लिए अच्छी चिकित्सा और आर्थिक मदद की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही ऐसी लड़कियों के लिए निःशुल्क तकनीकी शिक्षा और नौकरी की गारण्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह आर्थिक आत्मनिर्भरता उन पीड़ित लड़कियों को जीने का हौसला देगी।

कई मायनों में तेजाब पीड़ित लड़की बलात्कार की शिकार से कहीं ज्यादा दर्द भरे अनुभव से गुजरती है। तेजाब फेंके जाने से वह अपने शरीर का सबसे प्रमुख हिस्सा ही गवां देती हैं। जला हुआ डरावना सा दिखने वाला चेहरा हर पल लड़की के जेहन में उस हादसे की याद ताजा रखता है। वह जब तक जीवित रहती हैं तब तक हर क्षण उस विकृत कर दिए गए चेहरे के साथ जीने को विवश होती है। चेहरा न सिर्फ देह और सौन्दर्य से जुड़ा है बल्कि व्यक्तित्व का सबसे

अहम हिस्सा है, उसकी भरपाई ताउम्र नहीं की जा सकती। यह शरीर, मन, भावना और व्यक्तित्व के साथ की गयी सबसे बड़ी हिंसा है।

8 जुलाई, 2012 को साहिबाबाद इलाके में अपनी विकलांग मां के साथ घर लौटते समय दो लड़कियों पर बदमाशों ने तेजाब फेंककर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोपी युवक लड़कियों से शारीरिक सम्बन्ध बनाना चाहते थे और उन्होंनें लताड़ दिया था। 11 अगस्त, 2009 को गाजियाबाद की एक शिक्षिका पर तेजाब से हमला कर दिया गया। शिक्षिका ने उन लड़कों की अभद्रता का विरोध किया था। हमले में शिक्षिका की एक आंख, एक कान, दोनों हाथ और पैर बुरी तरह जल गए। बुलन्दशहर में रहने वाली अर्चना ने एक युवक की छेड़खानी का विरोध किया तो युवक ने 15 नवम्बर 2008 को घर में घुसकर उस पर तेजाब से हमला कर दिया और जहर खा कर खुदकुशी कर ली। 22 अप्रैल 2003 में झारखण्ड की सोनाली मुखर्जी के चेहरे पर तेजाब फेंका गया। सोनाली अब न तो देख सकती हैं और न ही सुन सकती है। अब तक उसके चेहरे के 24 आपरेशन हो चुके हैं, लेकिन वह सामान्य जीवन जी पाने के लायक नहीं हैं। दो साल पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पहले शराब में तेजाब डालकर पीने को मजबूर किया और पत्नी के विरोध करने पर कई बोतल उस पर उड़ेल दी। अस्सी फीसद जली अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

उपरोक्त कुछ घटनाओं से ही स्त्री के प्रति हमारे समाज के सोच का पता चलता है। पूरा सच तो कहीं ज्यादा भयावह और दर्दनाक है। ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के चेहरे पर तमाचा है। महिला थाने की पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकती है।

भारत में 2012 में तेजाब के हमलों के 71 मामले सामने

आए थे। ये आंकड़े हमलों से पीड़ितों के लिए काम कर रहे संगठन ''एसिड सर्वाइवर्स फाउण्डेशन'' के सर्वे से पता चले। एक दशक पहले यानि 1999 में भारत में कुल 166 तेजाब हमले के मामले थे। पहले की अपेक्षा मामलों में कमी तो आयी, लेकिन अब भी पीड़ितों में सतहत्तर फीसदी महिलाएं है। भारतीय कानून आयोग की 2009 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तेजाब हमलों में महिलाओं को इसलिए निशाना बनाया जाता है, क्योंकि हमलावर महिला को कमजोर समझते है। ऐसे मामलों में पुरुष उस महिला के चेहरे और शरीर नष्ट करने की कोशिश करता है, जो उसके खिलाफ खड़ी होती है।

तेजाब हमले की घटनाएं सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों में भी महिलाओं पर ऐसे हमले होते हैं, 2004 में ईरान में शादी से मना करने पर एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया। 2007 में कम्बोडिया में 23 साल की विवियाना पर तेजाब फेंका गया और फरवरी 2012 में इंग्लैण्ड की एक मॉडल पर उसके पूर्व दोस्त ने तेजाब फिकवाया। जून 2012 में पाकिस्तान की दो महिलाओं पर तेजाब फेंका गया। सभी मामलों में या तो आरोपी गिरफ्त में नहीं आए या उन्हें मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया। पड़ोसी मुल्कों—बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो भारत की ही तरह तेजाब से हमला आमबात है। बांग्लादेश की सरकार ने संगठनों के दबाव पर 2002 में ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त सजा की व्यवस्था की और तेजाब की खुलेआम बिक्री पर रोक लगा दी। पाकिस्तान में भी महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाएं आए दिन सुर्खियां बनती हैं। आज तेजाब से हमले को गम्भीर अपराध माना गया है।

तेजाब हमले में पीड़ित को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ती है। इन हादसों का लम्बे समय तक मन—मस्तिष्क पर प्रभाव बना रहता है। आंखों पर तेजाब पड़ने से आंखों की रोशनी

चली जाती है। हडिडयां वक्त से पहले कमजोर पड़ जाती हैं। कई शहरों में तेजाब पीड़ितों ने आपस में एकता कायम की है। मुम्बई और बेंगलूर में तेजाब पीड़ितों ने मिसाल पेश करते हुए अपना एक संगठन भी बनाया है।

छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाएं इसलिए भी होती हैं कि स्त्री को केवल भोग की वस्तु और सेविका के रूप में देखने का अभ्यस्त पुरुष मन उसको एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और बराबरी की स्थिति में देखकर चुनौती महसूस करता है और उसके अन्दर नफरत व प्रतिहिंसा की एक भावना बन जाती है। आज भारत में स्त्रियां असुरक्षित हैं। घरों के अन्दर उनकी पिटाई आम बात है। उनके खिलाफ हिंसा और भेदभाव का सिलसिला तो अब जन्म से पहले भ्रूण हत्या के रूप में शुरु हो जाता है। जो पूरे बचपन में होते हुए शादी के बाद भी जारी रहता है।

पहले यह सोचा जाता था कि स्त्रियों के प्रति भेदभाव और अत्याचार समाज की एक बीमारी है। लेकिन यह आधुनिकता के साथ भी कम नहीं हुई है। शहर और महानगर मध्यम और उच्चवर्ग भी इससे मुक्त नहीं हुए हैं। तेजी से बढ़ती गैर–बराबरी, अमीर–गरीब की खाई, उपभोक्ता संस्कृति द्वारा फैलायी जा रही लालसा व ललक आदि ने भी समाज में नई कुण्ठाओ को जन्म दिया है। बेरोजगारी और बढ़ते नशे ने समाज के बढ़ते अपराधीकरण में अपनी भूमिका अदा की है। आधुनिकता और वैश्वीकरण के हमले से बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। परिवार, समुदाय और समाज का ढांचा टूट रहा है। पुराने मूल्य खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह नए मूल्य स्थापित करने की चिन्ता किसी को नहीं हैं। बलात्कारों और अत्याचारों में कमी लाने के लिए, एक बेहतर सभ्य समाज बनाने के लिए इन सब व्यवस्थागत कारणों पर भी गहराई से सोचना होगा और इन्हें बदलने के लिए बहुत कुछ करना होगा।

जहां समाज में नारी की स्थिति में काफी बदलाव आया हैं और उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है, वहीं बदलते परिवेश में उसे अनेक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस स्वतंत्रता और आधुनिकता के चलते वह घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर देश व समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है, वहीं उसके लिए अभिशाप बनता नजर आ रहा है। छेड़छाड़ और यौन शोषण का शिकंजा घर–बाहर सब जगह लड़कियों और महिलाओं की हिम्मत तोड़ता रहता है। छः महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्धा तक से बलात्कार हत्या, छेड़छाड़ और अन्य ज्यादतियों की घटनाएं सुनायी पड़ती है।

महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा का माहौल बना पाने में सबसे बड़ी अड़चन संकुचित सामाजिक नजरिया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2011 में देश में बलात्कार के चौबीस हजार दो सौ छः और दहेज हत्या के आठ हजार छ सौ अठारह मामले दर्ज हुए। इसके अलावा महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के तहत कुल दो लाख अटठाईस हजार छः सौ पचास मामले दर्ज हुए। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2011 में पांच सौ बहत्तर, मध्य प्रदेश में तीन हजार चार सौ छः, पश्चिम बंगाल में दो हजार तीन सौ तिरसठ, उत्तर प्रदेश में दो हजार बयालीस, आन्ध्र प्रदेश में एक हजार चार सौ बयालीस, राजस्थान में एक हजार आठ सौ, महाराष्ट्र में एक हजार सात सौ एक और असम में सत्रह सौ मामले दर्ज किए गए थे। इसके बरक्स अपने देश में बलात्कार के मामले में सजा की दर बेहद कम है। जबकि 2010 में आस्ट्रेलिया में बलात्कार के लगभग बानबे फीसद मुलजिम दोषी करार दिए गए थे। इसी साल स्वीडन में 63.5, अमेरिका में 27.3, ब्रिटेन में 28.8, नार्वे में 19.2, बांग्ला देश में 10.13, रूस और स्पेन में 3.4 और कनाडा में 1.7 फीसदी बलात्कार के आरोपी मुजरिम ठहराए गए। इन देशों के

मुकाबले भारत में बलात्कार मामले के 1.8 प्रतिशत मुलजिमों को ही दोषी साबित किया जा सका।

दुनिया में बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के सामने आकर आन्दोलन करने और उनके अपने अपराधों को सजा दिलवाने के अनेक उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण अपने यहां भी हैं और पाकिस्तान की मुख्तारन माई का उदाहरण तो दुनिया भर में चर्चित हैं; जिसने अपने बलात्कार के मामले में न सिर्फ दोषियों को सजा दिलवाई, बल्कि उनके जुर्माने से मिली बड़ी रकम से अपने कबायली इलाके में लड़कियों की शिक्षा का इंतजाम किया। भारतवर्ष में भंवरी देवी का मामला पहले से ही चला आ रहा है। अपेक्षित परिवर्तन में इन दोनों महिलाओं की भूमिका को कौन अस्वीकार कर सकता है।

एक पाकिस्तानी बच्ची मलाला ने हिम्मत और जज्बे की नई इबारत लिखी है। मलाला वह लड़की है जिसने तालिबान की धमकियों का सामना करते हुए अपने मुल्क की बच्चियों को लिखने–पढ़ने की प्रेरणा दी है। तालिबान ने मलाला पर हमला कर उसे और मजबूत बना दिया। इस घटना ने मलाला के इरादों को और मजबूत किया और दुनिया भर की लड़कियों को संदेश दिया कि शिक्षा उनका अधिकार है, यह हक उनसे कोई नहीं छीन सकता है। जिन दिनों मलाला अस्पताल में भर्ती थी, एक संस्था ने दुनिया के सौ प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। इस सूची में मलाला का नाम छठें नम्बर पर था। मलाला की हिम्मत और समझदारी उम्मीद की नयी किरण दिखाती है। भारत में ही कई ऐसे समाज हैं, जहां बलात्कार नहीं होते, बच्चियों की भ्रूण हत्याएं नहीं होतीं, जहां अपराध की दर तथाकथित सभ्य माने जाने वाले समाज की तुलना में न के बराबर है। उदाहण के लिए तिब्बत समाज, आदिवासी समाज, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा जा सकता है। अपराध न हो इसके लिए बेहतर मूल्यों वाले समाज की रचना करनी होगी। जहां हर महिलाओं तथा

महिला थाना की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अनेक कारकों और स्वरूपों की जड़ दरअसल पितृसत्तात्मक ढांचे में हैं इसलिए समग्र नजरिया अपनाते हुए वर्मा समिति की सिफारिशों में बिल्कुल ठीक ही महिलाओं के बलात्कार और यौन शोषण के सभी रूपों को संज्ञान लिया गया है, चाहे वे व्यावसायिक हों या गैर व्यावसायिक। 16 दिसम्बर, 2012 को दिल्ली में बलात्कार की वीभत्स घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के अलग–अलग स्वरुपों पर विस्तृत राय देने के लिए सरकार ने न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। अब इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत देह व्यापार का संचालन करने वालों से निपटने के अपने कानूनी तौर तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। वर्तमान दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश–2013 तथा दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित बदलावों और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के चलते आखिरकार भारत ने देह–व्यापार की परिभाषा व्यापक कर दी है और अब इसमें दासता के सभी रूप यानी गुलामी से लेकर वेश्यावृत्ति तक शामिल होंगे। इन संशोधनों के साथ ही भारत इंसानों, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के व्यापार का अन्त करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकाल के समकक्ष आ जाएगा।

कानून में यह बदलाव अगर अपने वास्तविक रूप में आता है तो देह व्यापार में ढकेली गई हजारों महिलाओं और लड़कियों के सपनों और उम्मीदों को हकीकत में बदलने का नजरिया बनेगा।

समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अनेक कारकों और स्वरूपों की जड़ दरअसल पितृसत्तात्मक ढांचे में है। इसलिए समग्र नजरिया अपनाते हुए वर्मा समिति की सिफारिशों में बिल्कुल ठीक ही महिलाओं के बलात्कार और यौन शोषण के सभी रूपों का संज्ञान लिया गया है, चाहे वे

व्यावसायिक हों या गैर व्यावसायिक।

वर्मा समिति की सिफारिशें हमारे देश में सामयिक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिसमें महिलाओं और लड़कियों का अपने शरीर पर हक हो।

तेजी से बढ़ रही तकनीकी, सामाजिक–सांस्कृतिक बदलाव आदि के चलते नए–नए तरह के अपराध सामने आते रहते हैं। महिलाओं के पक्ष में ये कानून बनाने होंगे। भारतीय स्त्री ने आज जो आजादी, सम्मान प्रतिष्ठा और पद हासिल किए वे उसने अपने स्वयं के बल पर संघर्षों द्वारा किए हैं। इसमें अपेक्षित परिवर्तन की चाह रखने वाली महिलाओं का सराहनीय योगदान भी शामिल हैं।

यौन हिंसा विरोधी कानूनों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति जे.एम. वर्मा की अध्यक्षता में गठित किए गए आयोग को अस्सी हजार ज्ञापन, सुझाव, मांग पत्र आदि दिए गए थे और देशभर में शायद इतनी ही रैलियां जुलूस निकल चुके हैं, जिनके जरिए आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की मांग की गई।

सारणी संख्या – 01

नागरिक पुलिस की स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या (जिला सशस्त्र बल सहित) 31.12.2011 तक (केवल महिलाएं)

राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	डी.जी./एडि.डी.जी/आई.जी./डी.आई.जी.		एस.एस.पी./एस.पी./एडि.एस.पी./ए.एस.पी./डिप्टी एस.पी.		इन्स्पेक्टर, एस.आई. एवं ए.एस.आई.		पर्सनेल बिलो ए.एस.आई. रैंक		महायोग	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
राज्य											
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	118	77	1621	1771	1739	1848
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	15	24	52	386	67	410
3	असम	0	0	0	0	22	22	310	164	332	186
4	बिहार	0	3	0	8	247	163	505	1058	752	1232
5	छत्तीसगढ़	0	0	30	30	136	131	1782	1782	1948	1943
6	गोवा	0	0	0	2	4	20	215	325	219	347
7	गुजरात	1	2	23	8	511	363	3335	1655	3870	2028
8	हरियाणा	0	1	0	25	323	209	2722	2328	3045	2563

9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	9	3	42	137	547	140	599
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	1	0	8	0	117	0	889	0	1015
11	झारखण्ड	0	5	0	8	0	136	0	1443	0	1592
12	कर्नाटक	0	2	0	25	0	285	0	3301	0	3613
13	केरल	0	0	1	1	95	95	2679	2643	2775	2739
14	मध्य प्रदेश	5	8	60	63	196	276	1509	1844	1770	2191
15	महाराष्ट्र	0	5	0	48	0	1834	0	22331	0	24218
16	मणीपुर	0	0	0	0	357	158	2008	527	2365	685
17	मेघालय	0	0	0	7	3	62	41	68	44	137
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नगालैण्ड	0	0	2	1	6	8	87	57	95	66
20	उड़ीसा	6	6	23	23	472	472	3174	3174	3675	3675
21	पंजाब	0	2	0	12	0	184	0	2310	0	2508
22	राजस्थान	0	2	0	54	106	168	1044	4661	1150	4885
23	सिक्किम	0	0	0	12	0	26	0	147	0	185
24	तमिलनाडु	6	6	109	109	1699	1623	11726	10218	13540	11956
25	त्रिपुरा	0	0	3	6	127	87	805	608	935	701
26	उत्तरप्रदेश	5	5	81	81	338	221	2274	2047	2698	2354
27	उत्तराखण्ड	0	0	0	16	0	55	772	1220	772	1291
28	पश्चिम बंगाल	0	1	1	10	688	382	2419	1947	3108	2340
	योग	23	50	333	566	5466	7240	39217	69451	45039	77307
केन्द्र शासित राज्य											
29	अण्डमान और निकोबार	0	0	0	0	1	21	18	369	19	390
30	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	36	0	800	0	836
31	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	2	2	7	7	9	9
32	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	2	1	24	645	948	3765	4206	4411	5180
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	1	6	15	7	16
35	पुडुचेरी	0	0	0	1	5	15	76	75	81	91
	योग (के.शा.)	0	2	1	25	654	1023	3872	5472	4527	6522
	योग (सम्पूर्ण भारत)	23	52	334	591	6120	8263	43089	74923	49566	83829

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 02

सशस्त्र पुलिस की स्वीकृत और वास्तविक संख्या 31.12.2011 तक

(राज्य एवं संघशासित क्षेत्र के अनुसार) (केवल महिलाएं)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	डी.जी./ऐडि.डी.जी/आई.जी./डी.आई.जी.		एस.एस.पी./एस.पी./ऐडि.एस.पी./ए.एस.पी./डिप्टी एस.पी.		इन्स्पेक्टर, एस.आई. एवं ए.एस.आई.		पर्सनेल बिलो ए.एस.आई. रैंक		महायोग	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	राज्य										
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	10	3	240	78	250	81
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	19	12	179	151	198	163
4	बिहार	0	0	11	3	49	14	853	244	913	261
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	3	0	134	0	137
7	गुजरात	0	0	0	1	0	3	0	472	0	476
8	हरियाणा	0	0	0	0	9	7	0	0	9	7
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	51	8	871	811	922	821
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	11	0	33	0	1336	0	1380
11	झारखण्ड	0	0	8	3	44	0	1040	867	1092	870
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	15	14	22	118	113	132	150
15	महाराष्ट्र	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	मणीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	100	89	100	89
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नगालैण्ड	0	0	1	0	0	0	13	0	14	0
20	ओडीशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	13	0	0	0	236	0	249
22	राजस्थान	0	0	0	2	25	24	865	787	890	813
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	4114	3908	4114	3908
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तरप्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	8	9	238	236	246	245
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2

	योग	0	1	20	52	229	138	8631	9462	8880	9653
केन्द्र शासित राज्य											
29	अण्डमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	149	0	149
31	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0	4	4	12	408	160	412	176
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	योग (के.शा.)	0	0	0	4	4	12	408	379	412	395
	योग (सम्पूर्ण भारत)	0	1	20	56	233	150	9039	9841	9292	10048

स्रोतः राश्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 03

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	पीड़ा पहुँचाना (से. 323–333, 335–338 आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अन्तर	दहेज हत्या (से. 304बी. आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राज्य							
1	आन्ध्र प्रदेश	46777	54452	16.4	588	599	1.9
2	अरुणाचल प्रदेश	439	379	–13.7	0	0	–
3	असम	5744	6306	9.8	175	121	–30.9
4	बिहार	15328	19391	26.5	1257	1413	12.4
5	छत्तीसगढ़	10188	11105	9.0	115	104	–9.6
6	गोवा	177	215	21.5	1	1	0.0
7	गुजरात	10131	10159	0.3	19	30	57.9
8	हरियाणा	3733	3423	–8.3	284	255	–10.2
9	हिमाचल प्रदेश	1374	1251	–9.0	2	4	100.0
10	जम्मू एवं कश्मीर	278	246	–11.5	9	11	22.2
11	झारखण्ड	4271	4403	3.1	276	282	2.2
12	कर्नाटक	21835	21295	–2.5	248	267	7.7
13	केरल	18532	21747	17.3	22	15	–31.8
14	मध्य प्रदेश	39193	35711	–8.9	892	811	–9.1

15	महाराष्ट्र	29696	29769	0.2	393	339	−13.7
16	मणीपुर	227	292	28.6	0	1	–
17	मेघालय	154	197	27.9	0	1	–
18	मिजोरम	116	97	−16.4	0	0	–
19	नागालैण्ड	36	55	52.8	0	0	–
20	ओडीशा	7181	7894	9.9	388	465	19.8
21	पंजाब	4873	4757	−2.4	121	143	18.2
22	राजस्थान	19247	17977	−6.6	462	514	11.3
23	सिक्किम	73	75	2.7	1	0	−100.0
24	तमिलनाडु	2139	21167	−0.7	165	152	−7.9
25	त्रिपुरा	1136	1340	18.0	25	30	20.0
26	उत्तरप्रदेश	10336	12234	18.4	2217	2322	4.7
27	उत्तराखण्ड	974	852	−12.5	75	83	10.7
28	पश्चिम बंगाल	12764	13094	2.6	507	510	0.6
	योग	286122	299886	4.8	8242	8473	2.8
केन्द्र शासित राज्य							
29	अण्डमान और निकोबार	80	81	1.3	0	0	–
30	चण्डीगढ़	65	45	−30.8	5	2	−60.0
31	दादर एवं नगर हवेली	11	25	127.3	0	0	–
32	दमन एवं दीव	12	11	−8.3	0	0	–
33	दिल्ली	1925	1946	1.1	143	142	−0.7
34	लक्षद्वीप	1	3	200.0	0	0	–
35	पुडुचेरी	806	853	5.8	1	1	0.0
	योग (के.शा.)	2900	2964	2.2	149	145	−2.7
(सम्पूर्ण भारत)	योग	289022	302847	4.8	8391	8618	2.7

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 04

क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित राज्य	पीड़ा पहुँचाना (से. 323–333, 335–338 आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अन्तर	दहेज हत्या (से. 304बी. आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अन्तर
1	आगरा	268	344	28.4	39	56	43.6
2	अहमदाबाद	1365	1427	4.5	12	19	58.3
3	इलाहाबाद	255	220	–13.7	14	10	–28.6
4	अमृतसर	152	154	1.3	10	4	–60.0
5	आसनसोल	69	173	150.7	19	10	–47.4
6	औरंगाबाद	एन.आर	470	–	एन.आर	7	–
7	बैंगूलूरु	3153	2927	–7.2	52	53	1.9
8	भोपाल	1286	655	–49.1	25	14	–44.0
9	चण्डीगढ़ (सी)	एन.आर	43	–	एन.आर	2	–
10	चेन्नई	773	1466	89.7	16	20	25.0
11	कोयम्बटूर	357	398	11.5	1	2	100.0
12	दिल्ली (शहर)	1700	1684	–0.9	112	115	2.7
13	धनबाद	71	92	29.6	12	8	–33.3
14	दुर्ग–भिलाईनगर	एन.आर	179	–	एन.आर	0	–
15	फरीदाबाद	191	213	11.5	23	10	–56.6
16	गाजियाबाद	एन.आर	10	–	एन.आर	22	–
17	ग्वालियर	एन.आर	706	–	एन.आर	22	–
18	हैदराबाद	3425	3334	–2.7	44	37	–15.9
19	इन्दौर	2800	2286	–18.4	26	21	–19.2
20	जबलपुर	875	2327	165.9	25	26	4.0
21	जयपुर	597	749	25.5	30	39	30.0
22	जमशेदपुर	578	480	–17.0	13	12	–7.7
23	जोधपुर	एन.आर	641	–	एन.आर	13	–
24	कन्नूर	एन.आर	351	–	एन.आर	0	–
25	कानपुर	407	309	–24.1	92	69	–25.0
26	कोच्चि	282	376	33.3	2	0	–100.0
27	कोलकाता	2007	2271	13.2	12	11	–8.3
28	कोल्लम	एन.आर	1146	–	एन.आर	1	–
29	कोटा	एन.आर	144	–	एन.आर	5	–
30	कोझिकोड	एन.आर	685	–	एन.आर	0	–
31	लखनऊ	35	33	–5.7	50	32	–36.0
32	लुधियाना	217	203	–6.5	7	13	85.7
33	मदुरई	130	171	31.5	11	5	–54.5
34	मालापुरम	एन.आर	179	–	एन.आर	0	–
35	मेरठ	12	12	0.0	14	18	28.6

36	मुम्बई	4487	4302	–4.1	21	14	–33.3
37	नागपुर	842	876	4.0	8	4	–50.0
38	नासिक	268	258	–3.7	2	5	150.0
39	पटना	34	425	1150.0	30	45	50.0
40	पुणे	1169	991	–15.2	4	8	100.0
41	रायपुर	एन.आर	1745	–	एन.आर	4	–
42	राजकोट	393	360	–8.4	0	0	
43	राची	एन.आर	327	–	एन.आर	11	–
44	श्रीनगर	एन.आर	9	–	एन.आर	0	–
45	सूरत	556	455	–18.2	3	0	–100.0
46	त्रिरूअन्तपुरम	एन.आर	982	–	एन.आर	0	–
47	त्रिसूर	एन.आर	340	–	एन.आर	0	–
48	त्रिरूचरापल्ली	एन.आर	142	–	एन.आर	2	–
49	बड़ोदरा	276	315	14.1	0	1	
50	वाराणसी	94	55	–41.5	11	20	81.8
51	वसई विरार	एन.आर	168	–	एन.आर	0	–
52	विजयवाड़ा	1565	1842	17.7	17	17	0.0
53	विशाखापट्टनम	2443	1308	–46.5	11	12	9.1
	योग (शहर)	**33132**	**41758**	**26.0**	**768**	**819**	**6.6**

सारणी संख्या – 05

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	सताना (सेक्शन 354 आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अन्तर	लैंगिक उत्पीड़न (सेक्शन 509 आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिषत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	राज्य						
1	आन्ध्र प्रदेश	4634	4849	4.6	4562	3658	–19.8
2	अरुणाचल प्रदेश	84	51	–39.3	1	0	–100.0
3	असम	1400	1193	–14.8	20	8	–60.0
4	बिहार	534	790	47.9	16	11	–31.3
5	छत्तीसगढ़	1706	1654	–3.0	182	174	–4.4
6	गोवा	36	29	–19.4	16	12	–25.0
7	गुजरात	668	685	2.5	110	93	–15.5
8	हरियाणा	476	474	–0.4	580	490	–15.5
9	हिमाचल प्रदेश	350	331	–5.4	78	62	–20.5
10	जम्मू एवं कश्मीर	1038	1194	15.0	262	350	33.6
11	झारखण्ड	245	317	29.4	16	7	–56.3
12	कर्नाटक	2544	2608	2.5	83	81	–2.4
13	केरल	2936	3756	27.9	537	573	6.7
14	मध्य प्रदेश	6646	6665	0.3	918	762	–17.0

15	महाराष्ट्र	3661	3794	3.6	1180	1071	–9.2
16	मणीपुर	31	38	22.6	0	0	
17	मेघालय	48	74	54.2	0	1	
18	मिजोरम	75	72	–4.0	0	1	
19	नागालैण्ड	13	9	–30.8	3	0	–100.0
20	उड़ीसा	2905	3207	10.4	232	235	1.3
21	पंजाब	349	282	–19.2	38	31	–18.4
22	राजस्थान	2339	2447	4.6	23	9	–60.9
23	सिक्किम	11	24	118.2	0	0	
24	तमिलनाडू	1405	1467	4.4	638	464	–27.3
25	त्रिपुरा	376	294	–21.8	9	9	0.0
26	उत्तरप्रदेष	2793	3455	23.7	11	3	–72.7
27	उत्तराखण्ड	125	116	–7.2	165	72	–56.4
28	पष्चिम बंगाल	2465	2363	–4.1	163	200	22.7
	योग	39893	42238	5.9	9843	8377	–14.9
केन्द्र षासित राज्य							
29	अण्डमान और निकोबार आइसलैण्ड	31	15	–51.6	10	3	–70.0
30	चण्डीगढ़	29	21	–27.6	4	12	200.0
31	दादर एवं नगर हवेली	11	2	–81.8	2	0	–100.0
32	दमन एवं दीव	2	0	–100.0	0	0	
33	दिल्ली	601	657	9.3	80	162	102.5
34	लक्षद्वीप	0	0		0	0	
35	पुडुचेरी	46	35	–23.9	22	16	–27.3
	योग (के.शा.)	720	730	1.4	118	193	63.6
	योग (सम्पूर्ण भारत)	40613	42968	5.8	9961	8570	–14.0

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 06

क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित राज्य	सताना (सेक्शन 354 आई.पी.सी.) 2010	सताना 2011	सताना प्रतिशत अन्तर	लैंगिक उत्पीड़न (सेक्शन 509 आई.पी.सी.) 2010	लैंगिक उत्पीड़न 2011	लैंगिक उत्पीड़न प्रतिशत अन्तर
राज्य							
36	आगरा	54	190	251.9	61	0	–100.0
37	अहमदाबाद	73	83	13.7	9	16	77.8
38	इलाहाबाद	9	11	22.2	0	1	
39	अमृतसर	10	7	–30.0	4	1	–75.0
40	आसनसोल	13	30	130.8	0	7	
41	औरंगाबाद	एन.आर.	65	–	एन.आर.	29	–
42	बैंगूलूरु	308	250	–18.8	50	40	–20.0
43	भोपाल	21	93	342.9	139	16	–88.5
44	चण्डीगढ़ (सी)	एन.आर.	16	–	एन.आर.	11	–
45	चेन्नई	45	73	62.2	23	121	426.1
46	कोयम्बटूर	35	32	–8.6	1	5	400.0
47	दिल्ली (शहर)	550	556	1.1	73	149	104.1
48	धनबाद	6	9	50.0	0	0	
49	दुर्ग–भिलाईनगर	एन.आर.	147	–	एन.आर.	35	–
50	फरीदाबाद	27	31	14.8	78	59	–24.4
51	गाजियाबाद	एन.आर.	35	–	एन.आर.	47	–
52	ग्वालियर	एन.आर.	97	–	एन.आर.	13	–
53	हैदराबाद	171	157	–8.2	60	93	55.0
54	इन्दौर	211	229	8.5	47	49	4.3
55	जबलपुर	114	171	50.0	49	27	–44.9
56	जयपुर	115	125	8.7	0	0	
57	जमषेदपुर	6	18	200.0	1	0	–100.0
58	जोधपुर	एन.आर.	57	–	एन.आर.	1	–
59	कन्नूर	एन.आर.	43	–	एन.आर.	8	–
60	कानपुर	118	140	18.6	7	2	–71.4
61	कोच्चि	67	105	56.7	23	32	39.1
62	कोलकाता	226	254	12.4	133	144	8.3
63	कोल्लम	एन.आर.	192	–	एन.आर.	19	–
64	कोटा	एन.आर.	58	–	एन.आर.	0	–
65	कोझिकोड	एन.आर.	124	–	एन.आर.	100	–

66	लखनऊ	97	104	7.2	0	0	
67	लुधियाना	27	22	–18.5	11	10	–9.1
68	मदुरई	12	22	83.3	20	4	–80.0
69	मालापुरम	एन.आर.	37	208.3	एन.आर.	2	–90.0
70	मेरठ	34	47	38.2	0	0	
71	मुम्बई	475	553	16.4	138	162	17.4
72	नागपुर	87	68	–21.8	48	53	10.4
73	नासिक	46	37	–19.6	18	10	–44.4
74	पटना	4	1	–75.0	3	1	–66.7
75	पुणे	78	118	51.3	91	80	–12.1
76	रायपुर	एन.आर.	195	–	एन.आर.	27	–
77	राजकोट	14	17	21.4	7	3	–57.1
78	रांची	एन.आर.	5	–	एन.आर.	0	–
79	श्रीनगर	एन.आर.	171	–	एन.आर.	70	–
80	सूरत	24	34	41.7	1	3	200.0
81	त्रिरूवन्तपुरम	एन.आर.	241	–	एन.आर.	46	–
82	त्रिसूर	एन.आर.	100	–	एन.आर.	28	–
83	त्रिरूचिरापल्ली	एन.आर.	17	–	एन.आर.	26	–
84	बड़ोदरा	18	15	–16.7	0	2	
85	वाराणसी	3	1	–66.7	0	0	
86	वसई विहार	एन.आर.	19	–	एन.आर.	10	
87	विजयवाड़ा	172	248	44.2	219	355	62.1
88	विशाखापट्टनम	59	31	–47.5	52	50	–3.8
	योग (शहर)	3329	5501	65.2	1366	1967	44.0

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 07

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	पति एवं सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता (सेक्शन 498ए आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अंतर	लड़कियों का आयात करना (सेक्शन 366बी आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अंतर	लपरवाही के कारण मृत्यु (सेक्शन 304ए आई.पी.सी) 2010	2011	प्रतिशत अंतर
राज्य										
1	आन्ध्र प्रदेश	12080	13376	10.7	0	0		14085	13973	–0.8
2	अरुणाचल प्रदेश	12	18	50.0	0	0		106	98	–7.5
3	असम	5410	5246	–3.0	0	2		2847	2915	2.4
4	बिहार	2271	2607	14.8	8	10	25.0	5615	5877	4.7
5	छत्तीसगढ़	861	834	–3.1	2	2	0.0	2907	2856	–1.8
6	गोवा	17	18	5.9	0	0		256	263	2.7
7	गुजरात	5600	6052	8.1	0	0		5907	5827	–1.4
8	हरियाणा	2720	2740	0.7	0	0		1595	1505	–5.6
9	हिमाचल प्रदेश	275	239	–13.1	0	0		610	563	–7.7
10	जम्मू एवं कश्मीर	211	286	35.5	0	0		494	385	–22.1
11	झारखण्ड	650	659	1.4	8	6	–25.0	1745	1728	–1.0
12	कर्नाटक	3441	3712	7.9	0	12		471	750	59.2
13	केरल	4797	5377	12.1	0	0		47	65	38.3
14	मध्य प्रदेश	3756	3732	–0.6	5	45	800.0	7038	7478	6.3
15	महाराष्ट्र	7434	7136	–4.0	0	0		13508	13024	–3.6
16	मणिपुर	18	39	116.7	0	0		1	2	100.0
17	मेघालय	24	21	–12.5	0	3		53	90	69.8
18	मिजोरम	3	9	200.0	0	0		44	37	–15.9
19	नगालैण्ड	1	1	0.0	0	0		22	15	–31.8
20	ओडीशा	2067	2320	12.2	5	0	–100.0	3450	3778	9.5
21	पंजाब	1163	1136	–2.3	0	0		3350	3576	6.7
22	राजस्थान	11145	12218	9.6	0	0		7978	8122	1.8
23	सिक्किम	3	4	33.3	0	0		47	57	21.3
24	तमिलनाडु	1570	1812	15.4	0	0		14644	16076	9.8
25	त्रिपुरा	937	702	–25.1	0	0		237	14	–94.1
26	उत्तरप्रदेश	7978	7121	–10.7	0	0		14472	14380	–0.6
27	उत्तराखण्ड	334	307	–8.1	0	0		738	696	–5.7
28	पष्चिम बंगाल	17796	19772	11.1	8	0	–100.0	2847	3249	14.1
	योग राज्य	92574	97494	5.3	36	80	122.2	105114	107399	2.2
केन्द्र शासित राज्य										
29	अण्डमान और निकोबार	9	5	–44.4	0	0		9	6	–33.3

30	चण्डीगढ़	41	46	12.2	0	0		6	7	16.7
31	दादर एवं नगर हवेली	3	3	0.0	0	0		20	24	20.0
32	दमन एवं दीव	3	2	−33.3	0	0		38	43	13.2
33	दिल्ली	1404	1575	12.2	0	0		914	1168	27.8
34	लक्षद्वीप	0	0		0	0		0	0	
35	पाण्डिचेरी	7	10	42.9	0	0		242	243	0.4
	योग (के.शा.)	1467	1641	11.9	0	0		1229	1491	21.3
	योग (सम्पूर्ण भारत)	94041	99135	5.4	36	80	122.2	106343	108890	2.4

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 08

क्र. सं.	शहर	पति एवं सम्बन्धित द्वारा क्रूरता (सेक्शन 498ए आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अंतर	लड़कियों का आयात करना (सेक्शन 366बी आई.पी.सी.) 2010	2011	प्रतिशत अंतर	लपरवाही के कारण मृत्यु (सेक्शन 304ए आई.पी.सी) 2010	2011	प्रतिशत अंतर
36	आगरा	285	282	−1.1	0	0		216	468	116.7
37	अहमदाबाद	1230	1390	13.0	0	0		203	187	−7.9
38	इलाहाबाद	64	92	43.8	0	0		307	178	−42.0
39	अमृतसर	87	101	16.1	0	0		70	66	−5.7
40	आसनसोल	310	461	48.7	0	0		109	169	55.0
41	औरंगाबाद	एन.आर.	122	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	168	–
42	बैंगूलूरु	398	458	15.1	0	0		104	108	3.8
43	भोपाल	191	272	42.4	1	1	0.0	219	164	−25.1
44	चण्डीगढ़ (सी)	एन.आर.	42	–	एन.आर.	0		एन.आर.	7	–
45	चेन्नई	125	229	83.2	0	0		604	1431	136.9
46	कोयम्बटूर	45	83	84.4	0	0		324	283	−12.7
47	दिल्ली (शहर)	1273	1498	17.7	0	0		868	1098	26.5
48	धनबाद	11	8	27.3	0	0		1	2	100.0

49	दुर्ग–भिलाईनगर	एन.आर.	96	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	225	–
50	फरीदाबाद	224	218	–2.7	0	0		224	229	2.2
51	गाजियाबाद	एन.आर.	135	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	241	–
52	ग्वालियर	एन.आर.	133	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	135	–
53	हैदराबाद	1420	1355	–4.6	0	0		542	505	–6.8
54	इन्दौर	259	306	18.1	2	3	50.0	220	244	10.9
55	जबलपुर	118	129	9.3	1	2	100.0	97	111	14.4
56	जयपुर	720	936	30.0	0	0		499	755	51.3
57	जमशेदपुर	22	61	177.3	0	0		100	120	20.0
58	जोधपुर	एन.आर.	338	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	241	–
59	कन्नूर	एन.आर.	107	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	2	–
60	कानपुर	447	284	–36.5	0	0		571	453	–20.7
61	कोच्चि	146	136	–6.8	0	0		3	2	–33.3
62	कोलकाता	400	557	39.3	3	0	–100.0	362	414	14.4
63	कोल्लम	एन.आर.	319	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	1	–
64	कोटा	एन.आर.	413	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	108	–
65	कोझीकोड	एन.आर.	171	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	0	–
66	लखनऊ	605	454	–25.0	0	0		375	408	8.8

67	लुधियाना	109	102	–6.4	0	0		200	200	0.0
68	मदुरई	69	71	2.9	0	0		120	123	2.5
69	मालापुरम	एन.आर.	126	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	2	–
70	मेरठ	215	99	–54.0	0	0		204	146	–28.4
71	मुम्बई	312	393	26.0	0	0		690	656	–4.9
72	नागपुर	175	174	–6.0	0	0		332	243	–26.8
73	नासिक	124	115	–7.3	0	0		217	177	–18.4
74	पटना	197	199	1.0	0	0		228	282	23.7
75	पुणे	214	251	17.3	0	0		620	538	–13.2
76	रायपुर	एन.आर.	59	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	212	–
77	राजकोट	294	246	–16.3	0	0		117	161	37.6
78	रांची	एन.आर.	43	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	170	–
79	श्रीनगर	एन.आर.	54	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	71	–
80	सूरत	268	276	3.0	0	0		364	241	–33.8
81	त्रिरूअनन्तपुरम	एन.आर.	156	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	4	–
82	त्रिसूर	एन.आर.	131	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	3	–
83	त्रिरूचिरापल्ली	एन.आर.	28	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	174	–
84	बड़ोदरा	216	240	11.1	0	0		180	156	–13.3

85	वाराणसी	50	53	6.0	0	0		177	73	−58.8
86	वसई विहार	एन.आर.	12	–	एन.आर.	0	–	एन.आर.	163	–
87	विजयवाड़ा	626	1066	70.3	0	0		363	313	−13.8
88	विशाखापट्टनम	393	386	−1.8	0	0		466	410	−12.0
	योग (शहर)	11642	15466	32.8	7	6	−14.3	10296	13041	26.7

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 09

सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण और भगा ले जाना (सेक्शन 363–369, 371–373 आई.पी.सी.) (योग)			(लड़कियों और औरतों का)			(दूसरों के द्वारा)		
		2010	2011	प्रतिशत अंतर	2010	2011	प्रतिशत अंतर	2010	2011	प्रतिशत अंतर
राज्य										
1	आन्ध्र प्रदेश	2053	2154	4.9	1531	1612	5.3	522	542	3.8
2	अरुणाचल प्रदेश	67	93	38.8	46	60	30.4	21	33	57.1
3	असम	3250	3764	15.8	2767	3192	15.4	483	572	18.4
4	बिहार	3674	4268	16.2	2569	3050	18.7	1105	1218	10.2
5	छत्तीसगढ़	359	472	31.5	279	365	13.8	80	107	33.8
6	गोवा	25	28	12.0	18	17	−5.6	7	11	57.1
7	गुजरात	1447	1614	11.5	1290	1442	11.8	157	172	9.6
8	हरियाणा	963	959	−0.4	714	733	2.7	249	226	−9.2
9	हिमाचल प्रदेश	194	212	9.3	162	191	17.9	32	21	−34.4
10	जम्मू एवं कश्मीर	896	1077	20.2	840	1023	21.8	56	54	−3.6
11	झारखण्ड	978	941	−3.8	696	660	−5.2	282	281	−0.4
12	कर्नाटक	1374	1395	1.5	586	715	22.0	788	680	−13.7
13	केरल	261	299	14.6	184	221	20.1	77	78	1.3

14	मध्य प्रदेश	1187	1288	8.5	1030	1088	5.6	157	200	27.4
15	महाराष्ट्र	1508	1669	10.7	1124	1252	11.4	384	417	8.6
16	मणिपुर	199	169	−15.1	107	116	8.4	92	53	−42.4
17	मेघालय	71	87	22.5	37	37	0.0	34	50	47.1
18	मिजोरम	9	6	−33.3	0	0		9	6	−33.3
19	नगालैण्ड	50	34	−32.0	6	3	−50.0	44	31	−29.5
20	उड़ीसा	1016	1139	12.1	912	1008	10.5	104	131	26.0
21	पंजाब	789	681	−13.7	576	517	−10.2	213	164	−23.0
22	राजस्थान	2985	3204	7.3	2477	2713	9.5	508	491	−3.3
23	सिक्किम	6	10	66.7	6	10	66.7	0	0	
24	तमिलनाडू	1720	1984	15.3	1464	1743	19.1	256	241	−5.9
25	त्रिपुरा	114	154	35.1	91	116	27.5	23	38	65.2
26	उत्तरप्रदेश	6321	8500	34.5	5468	7525	37.6	853	975	14.3
27	उत्तराखण्ड	286	314	9.8	249	283	13.7	37	31	−16.2
28	पश्चिम बंगाल	3345	4285	28.1	2764	3711	34.3	581	574	−1.2
	योग	35147	40800	16.1	27993	33403	19.3	7154	7397	3.4
केन्द्र शासित राज्य										
29	अण्डमान और निकोबार	10	15	50.0	8	12	50.0	2	3	50.0
30	चण्डीगढ़	38	58	52.6	28	46	64.3	10	12	20.0
31	दादर एवं नगर हवेली	18	9	−50.0	10	8	−20.0	8	1	−87.5
32	दमन एवं दीव	2	3	50.0	2	2	0.0	0	1	
33	दिल्ली	3208	3767	17.4	1740	2085	19.8	1468	1682	14.6
34	लक्षद्वीप	0	0		0	0		0	0	
35	पुडुचेरी	17	12	−29.4	14	9	−35.7	3	3	0.0
	योग (के.शा.)	3293	3864	17.3	1802	2162	20.0	1491	1702	14.2
	योग (सम्पूर्ण भारत)	38440	44664	16.2	29795	35565	19.4	8645	9099	5.3

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 10

सं.	शहर	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण और भगा ले जाना								
		योग						दूसरों के द्वारा		
		2010	2011	प्रतिशत अंतर	2010	2011	प्रतिशत अंतर	2010	2011	प्रतिशत अंतर
36	आगरा	171	286	67.3	145	241	67.2	26	45	73.1
37	अहमदाबाद	207	230	11.1	177	184	4.0	30	46	53.3
38	इलाहाबाद	40	68	70.0	30	56	86.7	10	12	20.0
39	अमृतसर	51	43	–15.7	43	34	–20.9	8	9	12.5
40	आसनसोल	21	64	204.8	13	50	284.6	8	14	75.0
41	औरंगाबाद	एन.आर.	35	–	एन.आर.	24	–	एन.आर.	11	–
42	बैंगूलूरु	513	573	11.7	29	206	610.3	484	367	–24.2
43	भोपाल	59	32	–45.8	53	26	–50.9	6	6	0.0
44	चण्डीगढ़ (सी)	एन.आर.	49	–	एन.आर.	40	–	एन.आर.	9	–
45	चेन्नई	47	56	19.1	30	41	36.7	17	15	–11.8
46	कोयम्बटूर	22	27	22.7	10	10	0.0	12	17	41.7
47	दिल्ली (षहर)	2629	3007	14.4	1422	1681	18.2	1207	1326	9.9
48	धनबाद	46	36	–21.7	40	30	–25.0	6	6	0.0
49	दुर्ग–भिलाईनगर	एन.आर.	72	–	एन.आर.	58	–	एन.आर.	14	–
50	फरीदाबाद	102	105	2.9	86	82	–4.7	16	23	43.8
51	गाजियाबाद	एन.आर.	129	–	एन.आर.	103	–	एन.आर.	26	–
52	ग्वालियर	एन.आर.	71	–	एन.आर.	65	–	एन.आर.	6	–
53	हैदराबाद	121	95	–21.5	41	39	–4.9	80	56	–30.0
54	इन्दौर	30	59	96.7	23	47	104.3	7	12	71.4
55	जबलपुर	27	24	–11.1	25	17	–32.0	2	7	250.0
56	जयपुर	207	262	26.6	193	226	17.1	14	36	157.1
57	जमशेदपुर	43	52	20.9	25	40	60.0	18	12	–33.3
58	जोधपुर	एन.आर.	58	–	एन.आर.	45	–	एन.आर.	13	–
59	कन्नूर	एन.आर.	2	–	एन.आर.	2	–	एन.आर.	0	–
60	कानपुर	136	343	8.5	263	303	15.2	53	40	–24.5
61	कोच्चि	8	11	37.5	5	10	100.0	3	1	–66.7
62	कोलकाता	125	148	18.4	91	116	27.5	34	32	–5.9
63	कोल्लम	एन.आर.	21	–	एन.आर.	20	–	एन.आर.	1	–
64	कोटा	एन.आर.	91	–	एन.आर.	74	–	एन.आर.	17	–
65	कोझीकोड	एन.आर.	11	–	एन.आर.	10	–	एन.आर.	1	–
66	लखनऊ	251	219	–12.7	246	210	–14.6	5	9	80.0

67	लुधियाना	143	76	−46.9	102	64	−37.3	41	12	−70.7
68	मदुरई	15	25	66.7	9	18	100.0	6	7	16.7
69	मालापुरम	एन.आर.	7	−	एन.आर.	4	−	एन.आर.	3	−
70	मेरठ	93	157	68.8	75	139	85.3	18	18	0.0
71	मुम्बई	194	221	13.9	146	166	13.7	48	55	14.6
72	नागपुर	57	40	−29.8	34	24	−29.4	23	16	−30.4
73	नासिक	27	16	−40.7	19	11	−42.1	8	5	−37.5
74	पटना	183	246	34.4	58	125	115.5	125	121	−3.2
75	पुणे	129	104	−19.4	94	72	−23.4	35	32	−8.6
76	रायपुर	एन.आर.	16	−	एन.आर.	9	−	एन.आर.	7	−
77	राजकोट	39	40	2.6	32	34	6.3	7	6	−14.3
78	राँची	एन.आर.	100	−	एन.आर.	92	−	एन.आर.	8	−
79	श्रीनगर	एन.आर.	118	−	एन.आर.	110	−	एन.आर.	8	−
80	सूरत	82	112	36.6	63	83	31.7	19	29	52.6
81	त्रिरूअन्तपुरम	एन.आर.	25	−	एन.आर.	13	−	एन.आर.	12	−
82	त्रिसूर	एन.आर.	12	−	एन.आर.	10	−	एन.आर.	2	−
83	त्रिरूचिरापल्ली	एन.आर.	28	−	एन.आर.	21	−	एन.आर.	7	−
84	बड़ोदरा	36	50	38.9	30	44	46.7	6	6	0.0
85	वाराणसी	48	57	18.8	34	53	55.9	14	4	−71.4
86	वसई विहार	एन.आर.	16	−	एन.आर.	6	−	एन.आर.	10	−
87	विजयवाड़ा	87	70	−19.5	65	50	−23.1	22	20	−9.1
88	विशाखापट्टनम	34	50	47.1	24	48	100.0	10	2	−80.0
	योग (शहर)	6203	7865	26.8	3775	5286	40.0	2428	2579	6.2

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो − 2011

सारणी संख्या – 11

	राज्य/केंद्र शासित राज्य	पीड़ा पहुंचाना (सेक्शन 323–333, 335–338आई.पी.सी)		दहेज हत्या (सेक्शन 304बी आई.पी.सी)		सताना (सेक्शन 354 आई.पी.सी.)		लैंगिक उत्पीड़न (सेक्शन 509 आई.पी.सी.)	
		आई	आर	आई	आर	आई	आर	आई	आर
राज्य									
1	आन्ध्र प्रदेश	54452	64.3	599	0.7	4849	5.7	3658	4.3
2	अरुणाचल प्रदेश	379	27.4	0	0.0	51	3.7	0	0.0
3	असम	6306	20.2	121	0.4	1193	3.8	8	0.0
4	बिहार	19391	18.7	1413	1.4	790	08	11	0.0
5	छत्तीसगढ़	11105	43.5	104	0.4	1654	6.5	174	0.7
6	गोवा	215	14.7	1	0.1	29	2.0	12	0.8
7	गुजरात	10159	16.8	30	0.0	685	1.1	93	0.2
8	हरियाणा	3423	13.5	255	1.0	474	1.9	490	1.9
9	हिमाचल प्रदेश	1251	18.2	4	0.1	331	4.8	62	0.9
10	जम्मू एवं कश्मीर	246	2.0	11	0.1	1194	9.5	350	2.8
11	झारखण्ड	4403	13.4	282	0.9	317	1.0	7	0.0
12	कर्नाटक	21295	34.8	267	0.4	2608	4.3	81	0.1
13	केरल	21747	65.1	15	0.0	3756	11.2	573	1.7
14	मध्य प्रदेश	35711	49.2	811	1.1	6665	9.2	762	1.0
15	महाराष्ट्र	29769	26.5	339	0.3	3794	3.4	1071	1.0
16	मणिपुर	292	10.7	1	0.0	38	1.4	0	0.0
17	मेघालय	197	6.6	1	0.0	74	2.5	1	0.0
18	मिजोरम	97	8.9	0	0.0	72	6.6	1	0.1
19	नगालैण्ड	55	2.8	0	0.0	9	0.5	0	0.0
20	उड़ीसा	7894	18.8	465	1.1	3207	7.6	235	0.6
21	पंजाब	4757	17.2	143	0.5	282	1.0	31	0.1
22	राजस्थान	17977	26.2	514	0.7	2447	3.6	9	0.0
23	सिक्किम	75	12.3	0	0.0	24	3.9	0	0.0
24	तमिलनाडू	21167	29.3	152	0.2	1467	2.0	464	0.6
25	त्रिपुरा	1340	36.5	30	0.8	294	8.0	9	0.2
26	उत्तरप्रदेश	12234	6.1	2322	1.2	3455	1.7	3	0.0
27	उत्तराखण्ड	852	8.4	83	0.8	116	1.1	72	0.7
28	पश्चिम बंगाल	13094	14.3	510	0.6	2363	2.6	200	0.2
	योग	299883	25.2	8473	0.7	42238	3.5	8377	0.7
केन्द्र शासित राज्य									
29	अण्डमान और निकोबार	81	21.3	0	0.0	15	3.9	3	0.8
30	चण्डीगढ़	45	4.3	2	0.2	21	2.0	12	1.1

31	दादर एवं नागर हवेली	25	7.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0
32	दमन एवं दीव	11	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0.
33	दिल्ली	1946	11.6	142	0.8	657	3.9	162	1.0
34	लक्षद्वीप	3	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35	पुडुचेरी	853	68.6	1	0.1	35	2.8	16	1.3
	योग (के.शा.)	2964	14.8	145	0.7	730	3.6	193	1.0
(सम्पूर्ण भारत)	योग	302847	25.0	8618	0.7	42968	3.6	8570	0.7

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 12

		पीड़ा पहुँचना (सेक्शन 323–333, 335–338 आई.पी.सी)		दहेज हत्या (सेक्शन 304बी आई.पी.सी)		सताना (सेक्शन 354 आई.पी.सी.)		लैंगिक उत्पीड़न (सेक्शन 509 आई.पी.सी.)	
		आई	आर	आई	आर	आई	आर	आई	आर
राज्य									
36	आगरा	344	19.7	56	3.2	190	10.9	0	0.0
37	अहमदाबाद	1427	22.5	19	0.3	83	1.3	16	0.3
38	इलाहाबाद	220	18.1	10	0.8	11	0.9	1	0.1
39	अमृतसर	154	13.0	4	0.3	7	0.6	1	0.1
40	आसनसोल	173	13.9	10	0.8	30	2.4	7	0.6
41	औरंगाबाद	470	39.5	7	0.6	65	5.5	29	2.4
42	बैंगूलूर	2927	34.4	53	0.6	250	2.9	40	0.5
43	भोपाल	655	34.8	14	0.7	93	4.9	16	0.8
44	चण्डीगढ़ (सी)	43	4.2	2	0.2	16	1.6	11	1.1
45	चेन्नई	1466	16.9	20	0.2	73	0.8	121	1.4
46	कोयम्बटूर	398	18.5	2	0.1	32	1.5	5	0.2
47	दिल्ली (शहर)	1684	10.3	115	0.7	556	3.4	149	0.9
48	धनबाद	92	7.7	8	0.7	9	0.8	0	0.0

49	दुर्ग–भिलाईनगर	179	16.8	0	0.0	147	13.8	35	3.3
50	फरीदाबाद	213	15.2	10	0.7	31	2.2	59	4.2
51	गाजियाबाद	10	0.4	22	0.9	35	1.5	47	2.0
52	ग्वालियर	706	64.1	22	2.0	97	8.8	13	1.2
53	हैदराबाद	3334	43.0	37	0.5	157	2.0	93	1.2
54	इन्दौर	2286	105.5	21	1.0	229	10.6	49	2.3
55	जबलपुर	2327	183.5	26	2.1	171	13.5	27	2.1
56	जयपुर	749	24.4	39	1.3	125	4.1	0	0.0
57	जमशेदपुर	480	35.9	12	0.9	18	1.3	0	0.0
58	जोधपुर	641	56.3	13	1.1	57	5.0	1	0.1
59	कन्नूर	351	21.4	0	0.0	43	2.6	8	0.5
60	कानपुर	309	10.6	69	2.4	140	4.8	2	0.1
61	कोच्चि	376	17.8	0	0.0	105	5.0	32	1.5
62	कोलकाता	2271	16.1	11	0.1	254	1.8	144	1.0
63	कोल्लम	1146	103.2	1	0.1	192	17.3	19	1.7
64	कोटा	144	14.4	5	0.5	58	5.8	0	0.0
65	कोझीकोड	685	33.7	0	0.0	124	6.1	100	4.9
66	लखनऊ	33	1.1	32	1.1	104	3.6	0	0.0
67	लुधियाना	203	12.6	13	0.8	22	1.4	10	0.6

68	मधुरई	171	11.7	5	0.3	22	1.5	4	0.3
69	मालापुरम	179	10.5	0	0.0	37	2.2	2	0.1
70	मेरूत	12	0.8	18	1.3	47	3.3	0	0.0
71	मुम्बई	4302	23.4	14	0.1	553	3.0	162	0.9
72	नागपुर	876	35.1	4	0.2	68	2.7	53	2.1
73	नासिक	258	16.5	5	0.3	37	2.4	10	0.6
74	पटना	425	20.8	45	2.2	1	0.0	1	0.0
75	पुणे	991	19.6	8	0.2	118	2.3	80	1.6
76	रायपुर	1745	155.4	4	0.4	195	17.4	27	2.4
77	राजकोट	360	25.9	0	0.0	17	1.2	3	0.2
78	रांची	327	29.0	11	1.0	5	0.4	0	0.0
79	श्रीनगर	9	0.7	0	0.0	171	13.4	70	5.5
80	सूरत	455	9.9	0	0.0	34	0.7	3	0.1
81	त्रिरूअन्न्तपुरम	982	58.2	0	0.0	241	14.3	46	2.7
82	त्रिसूर	340	18.3	0	0.0	100	5.4	28	1.5
83	त्रिरूचनापल्ली	142	10.1	2	0.1	17	1.2	26	1.9
84	बड़ोदरा	315	17.3	1	0.1	15	0.8	2	0.1
85	वाराणसी	55	3.8	20	1.4	1	0.1	0	0.0
86	वासी विहार	168	13.8	0	0.0	19	1.6	10	0.8

87	विजयवाड़ा	1842	123.5	17	1.1	248	16.6	355	23.8
88	विषाखापट्नम	1308	75.6	12	0.7	31	1.8	50	2.9
	योग (षहर)	41758	25.9	819	0.5	5501	3.4	1967	1.2

स्रोतः राश्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

सारणी संख्या – 13

क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित राज्य	पति और संबंधियों के द्वारा क्रूरता सेक. 498ए –आई.पी.सी.		लड़कियों का आयात सेक. 366बी. –आई.पी.सी.		लापरवाही के कारण मृत्यु सेक. 304ए –आई.पी.सी.		अन्य भारतीय दण्ड संहिता के अपराध		कुल संज्ञेय अपराध (आई.पी.सी. के अन्तर्गत)	
		आई	आर	आई	आर	आई	आर	आई	आर	आई	आर
राज्य											
1	आन्ध्र प्रदेश	13376	15.8	0	0.0	13973	16.5	38392	45.3	189780	224.2
2	अरुणाचल प्रदेश	18	1.3	0	0.0	98	7.1	622	45.0	2286	165.3
3	असम	5246	16.8	2	0.0	2915	9.4	25513	81.9	66714	214.0
4	बिहार	2607	2.5	10	0.0	5877	5.7	55705	53.7	135896	130.9
5	छत्तीसगढ़	834	3.3	2	0.0	2856	11.2	25223	98.8	57218	224.0
6	गोवा	18	1.2	0	0.0	263	18.0	1001	68.7	3449	236.6
7	गुजरात	6052	10.0	0	0.0	5827	9.7	69788	11506	123371	204.3
8	हरियाणा	2740	10.8	0	0.0	1505	5.9	20549	81.1	60741	239.6
9	हिमाचल प्रदेश	239	3.5	0	0.0	563	8.2	8102	118.2	14312	208.7
10	जम्मू एवं कश्मीर	286	2.3	0	0.0	385	3.1	13257	105.6	24504	195.3
11	झारखण्ड	659	2.0	6	0.0	1728	5.2	11940	36.2	35838	108.7
12	कर्नाटक	3712	6.1	12	0.0	750	1.2	60505	99.0	137600	225.1

13	केरल	5377	16.1	0	0.0	65	0.2	112665	337.4	172137	515.6
14	मध्य प्रदेश	3732	5.1	45	0.1	7478	10.3	112082	154.4	217094	299.0
15	महाराष्ट्र	7136	6.4	0	0.0	13024	11.6	45114	40.1	204902	182.3
16	मणीपुर	39	1.4	0	0.0	2	0.1	1015	37.3	3218	118.2
17	मेघालय	21	0.7	3	0.1	90	3.0	701	23.7	2755	92.9
18	मिजोरम	9	0.8	0	0.0	37	3.4	279	25.6	1821	166.9
19	नागालैण्ड	1	0.1	0	0.0	15	0.8	292	14.7	1083	54.7
20	उड़ीसा	2320	5.5	0	0.0	3778	9.0	20509	48.9	61277	146.1
21	पंजाब	1136	4.1	0	0.0	3576	12.9	10175	36.7	34883	125.9
22	राजस्थान	12218	17.8	0	0.0	8122	11.8	70250	102.4	165622	241.4
23	सिक्किम	4	0.7	0	0.0	57	9.4	177	29.1	596	98.0
24	तमिलनाडू	1812	2.5	0	0.0	16076	22.3	115163	159.6	192879	267.4
25	त्रिपुरा	702	19.1	0	0.0	14	0.4	1640	44.7	5803	158.1
26	उत्तरप्रदेश	7121	3.6	0	0.0	14380	7.2	68575	34.4	195135	97.8
27	उत्तराखण्ड	307	3.0	0	0.0	696	6.9	2078	20.5	8774	86.7
28	पश्चिम बंगाल	19772	21.6	0	0.0	3249	3.6	56614	62.0	143197	156.8
	योग राज्य	97494	8.2	80	0.0	107399	9.0	947926	79.7	2262885	190.1
केन्द्र शासित राज्य											
29	अण्डमान और निकोबार	5	1.3	0	0.0	6	1.6	392	103.2	793	208.7
30	चण्डीगढ़	46	4.4	0	0.0	7	0.7	1036	98.2	3542	335.7
31	दादर एवं नगर हवेली	3	0.9	0	0.0	24	7.0	134	39.1	372	108.5
32	दमन एवं दीव	2	0.8	0	0.0	43	17.7	35	14.4	224	92.2
33	दिल्ली	1575	9.4	0	0.0	1168	7.0	14363	85.7	53353	318.5
34	लक्षद्वीप	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	42.2	44	68.8
35	पाण्डिचेरी	10	0.8	0	0.0	243	19.5	2119	170.3	4362	350.6
	योग (के.शा.)	1641	8.2	0	0.0	1491	7.4	18106	90.2	62690	312.2
	योग (सम्पूर्ण भारत)	99135	8.2	80	0.0	108890	9.0	966032	79.8	2325575	192.2

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो – 2011

अध्याय – सात

साक्षात्कार से प्राप्त आंकडों का विश्लेषण

पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिए सौ लोगों से साक्षात्कार किया गया, जिनमें डिग्री कालेज के शिक्षक, वकील और गृहिणियां शामिल थीं। जिन लोगों का साक्षात्कार लिया गया वे सभी वाराणसी, इलाहाबाद और ज्ञानपुर (संत रविदास नगर) उत्तर प्रदेश के निवासी थे तथा जिनकी उम्र 30–55 वर्ष के बीच थी।

साक्षात्कार के लिए मुख्य रूप से विषय से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे। (प्रश्नावली पुस्तक में संलग्न है।) साक्षात्कार में उम्र, शिक्षा, पद और लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। पचास प्रतिशत पुरुष और पचास प्रतिशत महिलाओं को अध्ययन में शामिल किया गया। अधिकांश साक्षात्कार देने वाले ग्रेजुएट से ऊपर की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे।

अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं/देखते हैं के प्रश्न के जवाब में सभी ने स्वीकार किया कि आज महिलाओं की भूमिका बदल रही है। महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।

इस बात को पचहत्तर प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया है कि अपेक्षित परिवर्तन में समाज के सभी सदस्यों की

सहभागिता आवश्यक है, ताकि एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो। इस बात को सभी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन में महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया है तथा प्रमुख प्रेरणास्रोत भी रहीं। ऐतिहासिक परिदृश्य पर महिलाओं की भूमिका सशक्त दिखायी पड़ती है। प्रत्येक युग में उन्हें नयी चुनौतियों के साथ ही चली आ रही समस्याओं से भी जूझना पड़ा है। इस बात को सभी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि अनेक प्रतिबन्धों एवं वर्जनाओं के बावजूद प्राचीन काल से ही अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका रही है। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रायत्री, आदि ऋषिकाओं के रूप में तथा आधुनिक काल में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल आदि के रूप में देखा जा सकता है।

इस बात को अस्सी प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि अपेक्षित साहित्यिक परिवर्तन में महिलाओं की रचनात्मक भूमिका रही है। वर्तमान समय में महिलाएं अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज में अपेक्षित परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। साहित्यिक परिवर्तन विलक्षण रूप से समाज का प्रतिबिम्ब रहे हैं और दर्शाते रहे हैं कि वंचितों की समस्याएं क्या है, उनसे संघर्ष कैसे करना है? साहित्यिक क्षेत्र में महिलाएं मुखर और संगठित होती जा रही हैं। लगभग सभी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि साहित्य के क्षेत्र में स्त्री की भूमिका प्राचीन काल से आज तक बनी हुई है। लोक साहित्य में स्त्री की अभिव्यक्ति अधिक मुखर है। स्त्रियों के वैचारिक लेखन में पुरुषों से अधिक तेज था। कविता, कहानी, लेख, सम्पादन के क्षेत्र में वे उपस्थित हैं।

अध्याय – आठ

महत्वपूर्ण केस स्टडी

महिला थाना महिलाओं पर होने वाली हिंसा से कैसे महिलाओं को सहयोग करती है, इस संदर्भ हेतु कुछ केस उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं यदि कोई पीड़िता महिला थाने में सुलह करने हेतु आवेदन देती है तो महिला थानाध्यक्ष उसके आवेदन पर विचार करते हुए दूसरे पक्ष को बुलाकर समझौता कराने का प्रयास करती है। महिला थानाध्यक्ष दोनों पक्षों को बुलाकर समझाती हैं कि जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए या तो एक–दूसरे से अलग हो जाए या एक–दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखते हुए जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा ले। यह समझौता एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए कई–कई बैठकें करनी पड़ती हैं। इन बैठकों में पति–पत्नी के अलावा दोनों पक्षों के परिवार वाले भी महिला थाने में बैठकों में उपस्थित रहते हैं। यदि समझौता हो जाता है तो स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से दोनों के हस्ताक्षर के साथ महिला थाने में यह कागज सुरक्षित रख लिया जाता है, ताकि कोई भी पक्ष इसका दुरुपयोग न कर सके। अगर समझौता नहीं होता है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए सभी केस उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर, संत रविदासन नगर, भदोही जनपद के हैं। कई सुलह–समझौता के समय लेखिका स्वयं महिला थाने पर

उपस्थित रही। ऐसा माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन, दहेज या शादी के बाद दोनों परिवारों की लड़ाई–झगड़ों की समस्याएं शहरी समाज में ज्यादा है, लेकिन महिला थाने पर जाकर यह अनुभव हुआ कि ग्रामीण समाज में ये समस्याएं कहीं से भी शहरी समाज से कम नहीं हैं। महिला थाने पर प्रतिदिन ऐसे सैंकड़ों केस आते हैं और महिला थाने पर नियुक्त थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिसकर्मी बहुत ही सफलतापूर्वक उनकी समस्याओं से सुलह करवाती हैं।

केस नं.–01

प्रथम पक्ष– जनक तिवारी पुत्री राधेश्याम,
निवासी रामपुर घाट, थाना–गोपीगंज,
जिला–सं.र.न, भदोही।

द्वितीय पक्ष–राजू सरोज पुत्र श्री बंशू सरोज
ग्राम नेवादा कलॉ, थाना–भदोही।

दोनों पक्षों के बीच आज दिनांक 26.05.13 को प्रथम पक्ष द्वारा दहेज में टी.वी. व 20,000/– रू. व दहेज मिलने पर प्रताड़ित करने का प्रार्थना पत्र जनक कुमारी द्वारा दिया गया था। दिनांक 26.5.013 को दोनों पक्ष उपस्थित होकर आपस में इस बात का समझौता हुआ कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में मन–मुटाव भविष्य में नहीं होगा। दोनों पक्ष पक्षकार न होकर पति–पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे एवं भविष्य में बढ़ा–चढ़ाकर प्रार्थना पत्र नहीं देंगे एवं पति द्वारा अपने पत्नी जनक कुमारी को धार्मिक अनुष्ठान के लिए गए शपथ के अनुरुप रखूंगा। भविष्य में पुनः प्रताड़ित करने व अमानवीय व्यवहार करने पर बतौर जुर्माना उ.प्र. सरकार को 50,000/– रू. लगातार (पचास हजार रू.) अदा करुंगा। मेरे वे मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा मेरी पत्नी उक्त को किसी भी प्रकार कष्ट नहीं देंगे।

यह समझौता स्वस्थ मस्तिष्क से लिखा कर पढ़ा कर

सुना, ठीक खुद लिखा हूं व समझौता अपने पत्नी को पढ़ाकर सुनाया, ठीक लिखा है। समझौता जो वक्त पर काम आए (सनद रहे) दोनों पक्षों पर हस्ताक्षर बनाया व परिवार के लोग भी समझौता के समय मौजूद थे। हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा बनवाया गया, दिया गया। प्रार्थना पत्र पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

हस्ताक्षर		हस्ताक्षर
वकील	गवाहों के हस्ताक्षर	प्रथम पक्ष
		द्वितीय पक्ष

केस नं. – 02

सेवा में,
श्रीमान महिला थानाध्यक्ष महोदय,
ज्ञानपुर, सं.र.न., भदोही
महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी श्रीमती सितारा देवी पुत्री कन्हैया लाल निवासी लीलाधरपुर, थाना–औराई, जनपद–संत रविदास नगर, भदोही की है। प्रार्थिनी की शादी आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व–विजई पुत्र लल्लन निवासी ग्राम– डिगांव, थाना–कछवां, जनपद– मिर्जापुर के साथ हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार हुई है। शादी के बाद प्रार्थिनी विदा होकर अपनी ससुराल गयी और विपक्षी विजई के संसर्ग से दो लड़के पैदा हुए। बड़ा लड़का सतीश कुमार उम्र लगभग 5 साल, दूसरा मनीष कुमार की उम्र लगभग 1 साल है। प्रार्थिनी के पिता ने शादी में अपने हैसियत के अनुसार विजई को उपहार स्वरूप रजाई–गद्दा, पलंग, आलमारी, साइकिल, पंखा आदि सामान एवं तिलक बरच्छा व शादी में लगभग रूपया 25 हजार दिया था। उपहार में दिए गए उक्त सामान से विपक्षी विजई व उसके परिवार के माता पिता व मामा खुश नहीं थे। शुरु में

प्रार्थिनी से कायदे से व्यवहार किया लेकिन आज से लगभग 2 साल पूर्व से विपक्षी विजई उसे पिता लल्लन पुत्र बरसाती व उसकी मां रध्घी देवी व शादी के अगुवा ममिया ससुर छब्बन निवासीगण–बरधना, थाना– मिर्जामुराद, जिला–वाराणसी, प्रार्थिनी से दहेज में हीरो होण्डा मोटर–साइकिल की मांग करने लगे। प्रार्थिनी ने कहा कि हमारे पिता जी गरीब आदमी हैं। दहेज में आप लोगों को मोटर साइकिल नहीं दे सकते। उसके बाद से उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थिनी के साथ दहेज के लिए मारने–पीटने एवं प्रताड़ित करने लगे। खाना–कपड़ा, कायदे से नहीं देते रहे। प्रार्थिनी सब कुछ सहती रही, प्रार्थिनी इनके क्रूरता पूर्वक व्यवहार के बारे में अपने माता–पिता से बताई तो माता–पिता भी विपक्षीगण को समझाए लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और अगुआ विपक्षी छब्बन ने धमकी दिया कि अगर मोटरसाइकिल नहीं दिलवाओगी तो हम विजई की शादी दूसरे के साथ करवा देंगे। हम प्रार्थिनी जब असमर्थता जाहिर किया तो उपरोक्त सभी विपक्षीगण आज से दो माह पूर्व प्रार्थिनी से दहेज में हीरो होण्डा मोटर साइकिल की मांग किया तथा दहेज में मोटर साइकिल के लिए सभी विपक्षीगण प्रार्थिनी को लात–घूंसो से मारे और मारपीट कर मार्शल जीप से लाकर मायके के पास सड़क पर बच्चों के साथ छोड़ दिया और कहा कि बिना दहेज में मोटरसाइकिल के हम लोगों के घर आओगी तो तुम्हें जलाकर मार डालेंगे। घटना को गांव के सन्तलाल व अन्य लोगों ने देखा है। चूंकि प्रार्थिनी के पास विपक्षी विजई के संसर्ग से दो बच्चे हैं। प्रार्थिनी के पिता व रिश्तेदार ड्राइवर व अन्य विपक्षी को समझाने के लिए दिनांक 5.5.13 को समय 10 बजे दिन में पंचायत किया तो विपक्षीगण कहे कि जब तक दहेज में मोटर साइकिल नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें अपने घर नहीं लिवा जाऊंगा। आने की कोशिश किया तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। विपक्षी बब्बन जो अगुवा था वह

विजई की शादी कराने के सिलसिले में साजिश करके एक लड़की जिसका नाम संजू देवी है जो अन्तर्गत थाना–सुरियावां की है को बहका–फुसलाकर अवैध ढंग से लेकर भागा जिसके सम्बन्ध से पता चला कि विजई के विरुद्ध थाना सुरियावां में मुकदमा भी कायम हो गया है। पुलिस उसको खोज रही है। पता चला है कि विजई, छब्बन के साजिश में होकर उक्त संजू देवी से शादी भी कर लिया है। इस प्रकार एक पत्नी और दो बच्चे के रहने में विपक्षी विजई अपराध कारित किया है। प्रार्थिनी घटना की सूचना देने थाना औराई गयी तो प्रार्थिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, तब प्रार्थिनी घटना की सूचना सही–सही श्रीमान जी को दे रही हूं।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाय, ताकि न्याय हो।

प्रार्थिनी
नाम
पता
मो.नं.

समझौता

प्रथम पक्ष– श्रीमती सितारा देवी पत्नी विजय लाल यादव, पुत्री कन्हैया लाल, पता– रईयांव, थाना–कछवां बाजार, जिला–मिर्जापुर, हाल पता– लीलाधरपुर, थाना– औराई, जिला– संत रविदासन नगर, भदोही।

द्वितीय पक्ष–विजय लाल यादव, पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव, निवासी–डियांव, थाना– कछवां बाजार, जिला– मिर्जापुर।

हम दोनों पक्षों की शादी आज से ही करीब नौ साल पहले हुई थी। हम दोनों के संसर्ग से दो बच्चे सनी यादव, उम्र–5 वर्ष, सिवान यादव, उम्र– डेढ़ वर्ष पैदा हुए। आपसी

कुछ बातों को लेकर मनमुटाव होने के कारण प्रथम पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना– महिला थाना, ज्ञानपुर, स.र.न. भदोही में दिनांक 10.5.13 ई. को दिया। जिस पर हम दोनों पक्ष पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से जीवन यापन करने के लिए बिना किसी जोर दबाव से स्वच्छ मन से वचनबद्ध होते हैं। हम दोनों पक्ष किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार का मानसिक, आर्थिक, शारीरिक प्रताड़ना या कष्ट नहीं देंगे। एक–दूसरे के प्रति अपने–अपने कर्तव्यों का सौहार्दपूर्वक पालन करेंगे। माया छलन हम दोनों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

हम दोनों पक्ष राजी खुशी से बिना किसी दबाव के यह समझौता पत्र लिख दिया कि सनद रहे कि वक्त जरूरत पर काम आए।

हस्ताक्षर		हस्ताक्षर
वकील	गवाहों का हस्ताक्षर	प्रथम पक्ष
		द्वितीय पक्ष

केस नं. – 3

महिला थाना– 6.4.13
संगीता देवी और संजय कुमार यादव
दहेज के लिए प्रार्थी की पुत्री को ससुराल द्वारा प्रताड़ना
महोदय

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री का विवाह सन 2011 में लक्षागीर थाना हण्डिया के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के हिसाब से किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप सामान देकर बेटी की विदाई कर दिया। बेटी जब से अपने ससुराल गयी तभी से आज तक

दहेज के लिए लड़के व उनके माता–पिता व भाभी ने मेरी पुत्री को तरह–तरह से प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। प्रार्थी को पुत्री द्वारा फोन पर बात मालूम होती रही है। इसी बीच पुत्री गर्भवती हो गयी तब से उपरोक्त लोग काफी परेशान और प्रताड़ित करने लगे कि किसी तरह से घर से भाग जाए। प्रार्थी लक्षागीर गया, लेकिन संगीता को अपने घर नहीं ले आया। ससुराल वाले बार–बार प्रार्थी को फोन कर बुलाते रहे कि वह मैके जाना चाहती है। एक माह पहले मेरी पुत्री को पुत्री पैदा हुई। इसके बाद से उसके ऊपर और ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। दामाद बाम्बे में है। उसी के कहने पर वे लोग मेरी बेटी को मारना–पीटना शुरु कर दिया है। दिनांक 5.3.13 को उन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मारना–पीटना शुरु कर दिया है और घायल कर दिया। खाना–पीना दो दिन से नहीं दे रही हैं कि यदि अपने से यहां से नहीं जाती है तो पीट–पीटकर मार डालेंगे और दस माह पहले किसी बाहरी आदमी को बुलाकर घर में घुसाकर मेरी पुत्री को मारा–पीटा था। यह सभी कार्रवाई मेरे दामाद के कहने पर हो रही है। प्रार्थी अपनी फरियाद लेकर थाने आया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मौके पर जांच करके विपक्षीगण के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लायी जाए ताकि उसे न्याय मिले।

भवदीया

विवाह विच्छेद

हम दोनों पक्षों की शादी 11 मई, सन 2011 ई. में हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार शादी हुई थी। परिवारिक जनों के बीच हम दोनों पक्षों में आपसी मतभेद होने के कारण भावी जीवन साथी पति–पत्नी के रूप में एक साथ चलना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम दोनों पक्ष अलग–अलग रहकर अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं और आपसी

विवाह विच्छेद करना चाहते हैं। इसी बीच एक पुत्री का जन्म हुआ है जो दोनों पक्षों के निर्णय के अनुसार प्रथम पक्ष (लड़की) के पास आजीवन रहेगी एवं उसका पूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष पर होगा(लड़की)। हम दोनों पक्ष बिना किसी जोर दबाव के स्वतत्रं मन से आपस में विवाह विच्छेद (छुटटा–छुटटी) कर रहे हैं। प्रथम पक्ष का एक मुश्त मुवलिग (75000/– रूपया) पचहत्तर हजार रूपया दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में किसी भी प्रकार का अन्य कोई लेन–देन शेष नहीं रह गया है। हम दोनों अपने–अपने फोटो इस लेखपत्र 'विवाह विच्छेद' पर चस्पा कर स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित कर रहे हैं। हम दोनों पक्ष इस लेखपत्र 'विवाह विच्छेद' के बाद से कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में या थाने में कोई भी वाद या मुकदमा किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी भी पक्ष द्वारा नहीं दाखिल किया जाएगा। यदि दाखिल करता है तो वह गैरकानूनी व असंवैधानिक होगा और इस लेखपत्र के प्रस्तुति के बाद स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। हम दोनों पक्ष जो बोले वही लिखा गया है। हम दोनों पक्षों द्वारा आपस में स्वतंत्र रूप से अपना–अपना शादी विवाह कहीं किसी जगह कर सकते हैं। किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति आज या न तो भविष्य में होगी। हम दोनों पक्षों द्वारा अपना–अपना हस्ताक्षर संभ्रान्त व्यक्तियों के समक्ष गवाहान बना दिए हैं ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत पर काम आए।

हस्ताक्षर गवाहान   हस्ताक्षर

सेवा में,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
सन्त रविदास नगर, भदोही
दरख्वास्त मिनजानिब राकेश यादव पुत्र जटाशंकर,
निवास भरतपुर, ...तहसील व थाना औराई, जिला–सरन,
भदोही

बनाम

1. विनय कुमार यादव पुत्र श्यामलाल
2. श्यामलाल यादव पुत्र अज्ञात ससुर
3. सुदेवी पत्नी श्यामलाल (सास)
4. किरन पुत्री श्यामलाल

निवासीगण–रजपुरा, तहसील व थाना, भदोही, सरन, भदोही

विपक्षीगण

प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है–

दफा–01 यह कि हम प्रार्थी की लड़की कुसुम की शादी विपक्षी नं. 1 विनय कुमार के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 11.5.11 को सम्पन्न हुई थी। शादी में हम प्रार्थी ने अपने हैसियत के मुताबिक खर्च किया था। शादी में हम प्रार्थी सोने की सिकड़ी एक भर की, सोने की अंगूठी चार आना भर, घड़ी, 50,000/– रू. नकद तथा आलमारी, रजाई–गद्दा, बेड, पलंग व अन्य सामान दिया था।

दफा–02 यह कि हम प्रार्थी की लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल गयी तो विपक्षी नं. 1 विनय कुमार व उसके पिता श्यामलाल व माता सुदेवी व बहन किरन हम प्रार्थी की लड़की को ताना देने लगे तथा कहने लगे कि तुम्हारे बाप ने दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपया देने को कहा था। नहीं दिया तुम अपने बाप से दहेज में मोटरसाइकिल व एकलाख नकद मांगकर दो। हम प्रार्थी लड़की का हाल–चाल लेने शादी के चार दिन बाद चौथी ले कर गए तो हम प्रार्थी की लड़की ने हम प्रार्थी से विपक्षीगण द्वारा मोटरसाइकिल व एक लाख रूपया दहेज में मांगने की बात बताया तो हम प्रार्थी ने समझाया कि घबराओं मत। धीरे–धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थी ने कहा कि गरीब आदमी हूं, मोटरसाइकिल व पैसा अब नहीं दे सकता। प्रार्थी की लड़की सब कुछ सहते हुए अपने

ससुराल में रहती रही और ससुराल के उसके पति, सास–ससुर व ननद मिलकर प्रार्थी की लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे तथा खाना–पीना ठीक ढंग से नहीं देते थे, न कपड़ा आदि देते थे। फिर भी प्रार्थी की लड़की सब कुछ सहते हुए रह रही थी। प्रार्थी की लड़की जब प्रार्थी के घर आयी तो प्रार्थी व अपनी मां अन्य लोगों से उपरोक्त प्रताड़ना के बारे में बतायी। हम प्रार्थी के घर विदायी कराने हेतु दिनांक 3.12.2010 को विपक्षी नं. 2 गया और हम प्रार्थी की लड़की को विदायी कराकर ले आया। हम प्रार्थी की लड़की जब विदा होकर ससुराल गयी तो पुनः दहेज में मोटर साइकिल व एक लाख रूपए की मांग कर जुमला विपक्षीगण प्रताड़ित करने लगे। हम प्रार्थी की लड़की ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट पर आमादा हो गए और दिनांक 5.12.12 को समय करीब 10 बजे रात प्रार्थी की लड़की के सारे जेवरात आदि लेकर प्रार्थी की लड़की के ऊपर मिटटी का तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास करने लगे। प्रार्थी की लड़की घर से बाहर भागकर प्रार्थी के घर मोबाइल से फोन किया तब घटना के बारे में बताया इस पर हम प्रार्थी के साले रजपुरा (थाना–भदोही) गए। चौकी पर घटना की सूचना दिए। रजपुरा पुलिस वहां पहुंच गयी। उसके कुछ देर बाद हम प्रार्थी के साले व गांव के लोग पहुंच गए और हम प्रार्थी अपनी लड़की को लिवा कर घर आया। हम प्रार्थी की लड़की भी हम प्रार्थी के घर पर रही है। बिना दहेज उपरोक्त के विपक्षीगण प्रार्थी की लड़की को अपने यहां नहीं रखना चाहे। न तो आज तक प्रार्थी की लड़की की कोई खोज–खबर लिए। पुलिस थाना भदोही चौकी रजपुरा से कई बार प्रार्थी मिला व कार्रवाई करने के लिए कहा परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए विपक्षीगण अब भी दहेज की मांग व जान से मारने की धमकी व गाली गुता दे रहे हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्तगण को तलब कर उन्हें दण्डित किए जाने की आज्ञा प्रदान हो, ताकि न्याय हो।

भवदीय

हस्ताक्षर

केस नं. – 4

प्रथम पक्ष– कुसुम देवी पत्नी विनय कुमार यादव पुत्री राकेश कुमार यादव, नि. रजपुरा, थाना–भदोही, हाल मुकाम भरवपुर थाना–औराई, स.र.न., भदोही

द्वितीय पक्ष– विनय कुमार यादव पुत्र श्री श्यामलाल उर्फ कोतल यादव

नि. ग्राम– रजपुरा, थाना–भदोही, स.र.न., भदोही

हम दोनों पक्ष की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 11.5.11 ई. को सम्पन्न हुई थी। हम दोनों पक्ष के बीच कुछ बातों को लेकर आपस में विवाद हो गया था जिसके फलस्वरूप प्रथम पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय, सं.र.न. भदोही के यहां 30.01.13 को दिया था, जिसके जांच हेतु दोनों पक्षों के पारिवारजन व संभ्रान्त व्यक्तियों को विभिन्न तिथियों पर महिला थाना में बुलाया गया तथा पुरानी बातों को भूलाकर नए सिरे से पति–पत्नी के रूप में जीवन यापन करने हेतु तैयार होने के लिए कहा गया परन्तु दोनों पक्ष बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छया स्वस्थ्य चित्त से वैवाहिक जीवन आगे चला पाने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं और अपनी–अपनी जिन्दगी स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं और विवाह विच्छेद कर अपनी–अपनी स्वतंत्र शादी करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच लेन–देन सम्बन्धी एक मुश्त

20,000 रू. नकद वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दिया गया। इस लेन–देन के बाद किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन किसी पक्ष का शेष नहीं रह गया है। इस लेखपत्र (विवाह–विच्छेद) के बाद कोई भी पक्ष किसी भी थाने या न्यायालय में कोई मुकदमा या वाद दाखिल नहीं करेगा। यदि कोई पक्ष किसी थाने या न्यायालय में मुकदमा या वाद दाखिल करता है तो वह मुकदमा या वाद इस लेख पत्र (विवाह–विच्छेद) के दाखिला के बाद गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। यदि कोई पक्ष किसी थाने या न्यायालय में किसी भी स्थान पर कोई वाद/मुकदमा दाखिल किया है, उसे उठा लेंगे, नहीं तो इस लेख पत्र के बाद स्वतः समाप्त होगा। इस लेख पत्र (विवाह विच्छेद) के बाद हम दोनों पक्ष अपनी–अपनी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें एक दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम दोनों पक्ष इस लेखपत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ चस्पा कर रहे हैं। लेखपत्र मजमून पढ़कर, सुनकर व समझकर अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। जो सनद रहे, वक्त पर काम आए।

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

केस नं. – 5

शकुन्तला देवी बनाम विनोद कुमार

सेवा में
श्रीमान महिला थानाध्यक्ष
ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, भदोही
महोदय,
निवेदन है कि प्रार्थी श्री बलवन्ता पुत्र शिवनाथ निवासी

जमुनीपुर अठगवां उर्फ मोढ़ सरन, भदोही का मूल निवासी हूं। प्रार्थी की लड़की शकुन्तला देवी की शादी विनोद कुमार पुत्र रामलाल (कल्लू) निवासी हरीपुर, थाना–सुरियावां, संत रविदास नगर भदोही के साथ हुई थी। कल दिनांक 15.4. 2013 को समय करीब 10 बजे दिन पति विनोद कुमार व केशा (सास) ननद मीरा व आरती सब लोग एक साथ मिलकर बाल पकड़कर लात–मुक्का से मारने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने बाप से 25 हजार रूपया और एक मोटर साइकिल लेकर आओ, नहीं तो इस बार मारकर ट्रेन के नीचे डाल देंगे। मेरी लड़की रोती बिलखती कर शाम को घर आयी तो विपक्षी द्वारा किए गए कार्यों को रोकर बताने लगी।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर अग्रिम कार्रवाई की जाने की आज्ञा प्रदान की जाए ताकि न्याय मिल सके।

प्रार्थी

बलवन्ता बिन्द

समझौता

प्रथम पक्ष– शकुन्तला देवी पत्नी विनोद कुमार बिन्द पुत्री बलवन्ता निवासी हरीपुर थाना–सुरियावां, सरन, भदोही, हाल पता जमुनीपुर अठगवां उर्फ मोढ़ थाना–भदोही, जिला सरन भदोही

द्वितीय पक्ष– विनोद कुमार बिन्द पुत्र रामलाल ग्राम हरीपुर, थाना–सुरियावां जनपद, सरन, भदोही।

हम दोनों पक्षों की शादी 2.6.2006 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी। हमदोनों के संसर्ग से तीन बच्चे पैदा हुए जिसमें एक लड़का व दो लड़की है। हम दोनों के बीच में कुछ आपसी बातों को लेकर विवाद हो गया था।

जिसके फलस्वरूप एक प्रार्थना पत्र प्रथम पक्ष द्वारा थाना महिला थाना ज्ञानपुर में दिनांक 16.4.2013 को दिया गया था। जिस पर दोनों पक्षों को व उनके पारिवारिक जन सम्भ्रांत व्यक्तियों को तलब कर महिला थाना से वार्ता की गयी और समझाया–बुझाया गया कि अपनी पुरानी बातों को भूलाकर नए सिरे से हम दोनों पक्ष पति–पत्नी के रूप में अपना भावी जीवन बिना किसी जोर दबाव के स्वच्छ मन से जीने हेतु स्वीकार कर रहे हैं। हम दोनों पक्ष एक दूसरे पक्ष को पूरी तरह से सहयोग करेंगे तथा दोनों पक्ष किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना नहीं देंगे। एक–दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्वक व्यवहार करेंगे। हम दोनों पक्ष पढ़–सुनकर समझकर अपना हस्ताक्षर कर दिया ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत पर काम आए।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

केस नं. – 6

सेवा में,

श्रीमान महिला थानाध्यक्ष

जनपद,संत रविदासनगर, भदोही।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी रिंकी देवी पुत्री धर्मराजपाल निवासी सीमई मरदोपटटी, थाना–चौरी, जिला–संत रविदास नगर भदोही, की निवासिनी है। हम प्रार्थिनी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के साथ दिनांक 19.6.07 ई. को शिवपूजन पुत्र पंचम पाल निवासी अहिरौली कुल्लूपुर थाना

नेवढ़िया जिला जौनपुर के साथ सम्पन्न हुई थी। उक्त शादी में हम प्रार्थिनी के पिता ने शिवपूजन को तिलक व वरक्षा में मु. 25000 रूपया नकद व शादी के अवसर पर शिवपूजन को सोने की अंगूठी, घड़ी, पलंग आदि सामान दिया था और प्रार्थिनी विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी तो हम प्रार्थिनी के पिता ने सोने–चांदी के जेवरात व कपड़े आदि दिए थे। प्रार्थिनी विदा होकर जब अपने ससुराल गयी तो प्रार्थिनी के पति शिवपूजन व उसके पिता पंचम पुत्र सुन्दर व उसकी मां चम्पा देवी पत्नी पंचम, भाभी गीता देवी पत्नी हीरालाल निवासी उपरोक्त हम प्रार्थिनी से कहने लगे कि शिवपूजन की दूसरी जगह शादी हेतु दहेज में मोटर साइकिल मिल रही थी। तुम्हारे पिता ने मोटर साइकिल दहेज में नहीं दिए मांगकर लाओ। हम प्रार्थिनी ने कहा कि हमारे पिता गरीब है और मेरे पिता की हैसियत मोटर साइकिल देने की नहीं है। आप लोग मोटर साइकिल न मांगे जिससे हम प्रार्थिनी से हम प्रार्थिनी के ससुराल वाले नाराज रहने लगे और मुझे शारीरिक व मानसिक यातनाएं देने लगे। खाना–पीना नहीं देने लगे। हम प्रार्थिनी के पिता ने कई बार हम प्रार्थिनी के ससुराल वालों को समझाए बुझाए, परन्तु हम प्रार्थिनी के ससुराल वाले बराबर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 3.10.11 को शिवपूजन, पंचम, चम्पादेवी, गीता देवी ने शाम को हम प्रार्थिनी को मारे–पीटे थे। जिसकी सूचना पर हम प्रार्थिनी का भाई योगेश कुमार मेरे ससुराल आया। योगेश कुमार को भी विपक्षीगण गाली गुफ्ता दिए और जबरदस्ती हम प्रार्थिनी के सभी जेवरात छीनकर रख लिया और मेरे भाई के साथ जबरदस्ती विदा कर दिया और अभियुक्त हम प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी दिया। हम प्रार्थिनी के पिता ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, संत रविदास नगर भदोही को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी सूरत में हम प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं विपक्षीगण के

विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

दिनांक : 6.4.13 ई.

हस्ताक्षर

नोटिस

श्री

निवासी

थाना

जनपद

1. आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विरुद्ध श्रीमती रिंकी द्वारा थाना–महिला, जनपद–संत रविदास नगर भदोही पर प्रार्थना पत्र दहेज के लिए प्रताड़ित करने के संबंध में... को प्राप्त हुआ है।

2. आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक... को नियत समय पर मध्यस्थता केन्द्र महिला थाना, संत रविदास नगर भदोही पर मध्यस्थता हेतु उपस्थित हों।

3. यदि आप नियत तिथि एवं समय पर अथवा मध्यस्थता केन्द्र पर नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कानूनी कार्रवाई एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।

हस्ताक्षर

समझौता

प्रथम पक्ष– श्रीमती रिंकी पाल पत्नी शिव पूजन पाल पुत्री धर्मराज पाल ग्राम हरदोपटटी पो.–बहरी, थाना– चौरी जिला–सरन, भदोही

द्वितीय पक्ष– श्री शिवपूजन पाल पुत्र पंचम पाल ग्राम–अहिरौली पो– कुतूपुर थाना–नेवढ़िया,

जिला–जौनपुर

हम दोनों पक्षों की शादी दिनांक. 19.6.07 को हिन्दू रीति–रिवाज के साथ हुई थी। हम दोनों पक्षों के बीच कुछ आपसी बातों को लेकर मनमुटाव होने के कारण कुछ विवाद हो गया था, जिसके फलस्वरूप एक प्रार्थना पत्र प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 6.4.13 को महिला थाना ज्ञानपुर में दिया गया। जिस पर दोनों पक्षों के परिवारजन व रिश्तेदार व सम्भ्रान्त व्यक्तियों को महिला थाना, ज्ञानपुर तलब कर हम दोनों पक्षों के बीच वार्ता की गई तो हम दोनों पक्षों ने पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से पति पत्नी के रूप में भावी जीवन जीने के लिए बिना किसी जोर दबाव के स्वच्छ मन से स्वीकार करते हैं। हम दोनों पक्ष किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ सौहार्द पूर्ण बर्ताव करते हुए पति–पत्नी के रूप में धर्म का निर्वहन करेंगे। कोई भी पक्ष यदि किसी न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया है तो उसे स्वतः उठा लेगा। यदि नहीं उठाता है तो इस लेखपत्र (समझौता) की प्रति दाखिल करने के बाद वाद या मुकदमा स्वतः समाप्त समझा जाएगा। दिए गए प्रार्थना पत्र पर अन्य कोई कार्रवाई न की जाए। हम दोनों पक्षों ने जो कहा, बोला, निर्णय लिया लिखा गया। पढ़वाकर, पढ़कर समझकर स्वच्छ मन से अपने–अपने हस्ताक्षर कर रहे है। समझौता पत्र लिख दिया, जो वक्त जरूरत पर काम आवे और सनद रहे।

हस्ताक्षर   हस्ताक्षर

केस नं. – 7

प्रीति सिंह बनाम राहुल सिंह

सेवा में,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
संत रविदास नगर, भदोही
महोदय जी,

निवेदन है कि प्रार्थिनी प्रीति सिंह ऊर्फ छाया सिंह पत्नी राहुल सिंह पुत्री वीरेन्द्र कुमार सिंह निवासिनी ग्राम–उमरी, थाना–सराय एमरेख, जिला– इलाहाबाद, हाल पता ग्राम अधपुर थाना–ज्ञानपुर, जिला–सरन, भदोही की निवासिनी है। प्रार्थिनी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज व धर्म के अनुसार राहुल सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह था,, निवासी उमरी, थाना–सरायममरेज, जिला–इलाहाबाद के साथ दिनांक 22.6.07 को हुई थी। प्रार्थिनी, दूसरे दिन अपने मायके से विदा होकर अपने पति के साथ ससुराल गयी और पत्नी धर्म का निर्वहन करती रही। प्रार्थिनी की शादी में उसके माता–पिता व परिवार वालों ने सोने की सिकड़ी, सोने की अंगूठी, सोने की कान की बाली, सोने का झुमका व चांदी की पेटी, चांदी की पैजनी, टीवी., पंखा व घर–गृहस्थी के उपयोग में आने वाली अन्य सामानों के अलावा 75 हजार रूपया नकद उपहार स्वरूप दिया था। प्रार्थिनी जब पहली बार अपने ससुराल गयी तो प्रार्थिनी के पति व सास–ससुर प्रार्थिनी की शादी में मिले सामानों से संतुष्ट नहीं हुए और प्रार्थिनी से कहे कि अपने माता–पिता से कहकर दहेज में मोटरसाइकिल दिलवाओ, तब प्रार्थिनी ने कहा कि मेरे माता–पिता की हैसियत अब मोटरसाइकिल देने की नहीं है। वे लोग अपने सामर्थ्य से ज्यादा मेरी शादी में खर्य कर दिए है। इस पर पति राहुल सिंह व ससुर रुद्र प्रताप सिंह व सास श्रीमती ललिता देवी निवासी ग्राम उमरी, थाना–सरायममरेज, जिला–इलाहाबाद ने प्रार्थिनी को दहेज के लिए बराबर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और प्रार्थिनी को ठीक ढंग से

खाना–कपड़ा नहीं दिया करते थे व प्रार्थिनी को बराबर मारने–पीटने लगे जिससे प्रार्थिनी की तबियत बराबर खराब रहने लगी। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना अपने मायके वालों को दिया तो प्रार्थिनी के पिता जी प्रार्थिनी के ससुराल आए तो विपक्षी ने उनसे भी दहेज में मोटर साइकिल की मांग किया तो वे विपक्षीगण से निवेदन किया कि मेरी हैसियत अब मोटर साइकिल देने की नहीं है। इस पर विपक्षीगण काफी नाराज हुए और प्रार्थिनी की विदायी प्रार्थिनी के पिता के साथ कर दिया।

प्रार्थिनी के मायके आने के बाद काफी दिनों तक विपक्षीगण ने प्रार्थिनी का कोई हाल–चाल नहीं लिया। काफी अनुनय विनय किया और पंचायत हुई। इसके बाद प्रार्थिनी को दोबारा ससुराल लिवा गए और लिवा जाने के बाद प्रार्थिनी को फिर से प्रताड़ित करना शुरु किया। प्रार्थिनी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती रही और प्रार्थिनी के पति के संसर्ग से एक बच्चा पलने लगा। उसी दरम्यान प्रार्थिनी शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। लेकिन विपक्षीगण ने दवा–इलाज नहीं कराया, तब प्रार्थिनी अपने पिता को सूचना दिया तो प्रार्थिनी के पिता ससुराल आए और अपने घर ग्राम–अधपुर ले गए और प्रार्थिनी का दवा इलाज बनारस में कराया और दवा चल रही है। दिनांक 22.11.2008 को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राज है, लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थिनी का कोई ध्यान नहीं दिया। रिश्तेदारों व अन्य लोगों के काफी कहने–सुनने के बाद विपक्षीगण प्रार्थिनी को ले गए लेकिन लिवा जाने के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित पुनः करने लगे। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व विपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थिनी के कमरे में आए और प्रार्थिनी से कहे कि दहेज में अपने पिता से मोटर साइकिल दिलवाओगी की नही। प्रार्थिनी ने कहा कि मेरे पिता की हैसियत मोटर साइकिल देने की नहीं है। इस पर सभी

विपक्षीगण प्रार्थिनी के समस्त गहने व कपड़े जबरदस्ती रख लिए और उसे गाड़ी पर बैठाकर देवनाथपुर बाजार के पास मारपीट कर गाड़ी से उतार दिया और धमकी दी कि जब तक मोटर साइकिल नहीं दिलवाओगी तब तक तुम अपने मायके में पड़ी रहो। यदि ससुराल आने का नाम लिया तो जलाकर मार डालेंगे। इस घटना को उपस्थित लोगों ने देखा और बीच–बचाव किया। प्रार्थिनी रोती–बिलखती अपने मायके गयी और आपबीती घटना के सम्बन्ध में बतायी तो माता–पिता ने कहा कि धीरज रखो बेटी। समय बीतने पर सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थिनी तभी से अपने मायके में रह रही है इस बीच कई बार पंचायत हुई। प्रार्थिनी को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। दिनांक 16.1.13 को देवनाथपुर बाजार थाना ज्ञानपुर में पंचायत रखी गयी, लेकिन विपक्षीगण उक्त पंचायत में नहीं आए और टेलीफोन से कहे कि हम पंचायत में नहीं आएंगे, क्योंकि दहेज में मोटर साइकिल नहीं मिला है और तुम्हारी बीमारी के कारण अब हमने दूसरी शादी कर लिया है और अपने मायके में पड़ी रहो। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना ज्ञानपुर में दिया लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर श्रीमान जी को घटना की सूचना दे रही हैं।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रभारी निरीक्षक, ज्ञानपुर को निर्देशित करें कि प्रार्थिनी का मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

भवदीय
हस्ताक्षर

सुलहनामा

श्रीमती प्रीति सिंह उम्र 30 वर्ष पुत्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,

निवासी ग्राम–अधपुर, थाना–भदोही, पोस्ट–देवनाथपुर, तहसील भदोही, स.र.न. भदोही, प्रथम पक्ष।

राहुल सिंह उम्र 32 वर्ष, पुत्र रुद्र प्रताप सिंह, निवासी–ग्राम उमरी, थाना–सराय इनायत, जनपद–इलाहाबाद। द्वितीय पक्ष।

मैं प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच जो प्रथम पक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र अधिकारीगण व माननीय न्यायालय में दिया गया था उसे हम लोग आपस में पंचों की माध्यम से महिला थाना–ज्ञानपुर जिला–सं.र.न., भदोही में समझौता/सुलह कर रहे हैं, जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं–

1. द्वितीय पक्ष राहुल सिंह द्वारा प्रथम पक्ष प्रीति सिंह को एक लाख 50 हजार रूपए दिया जा रहा है।

2. राज सिंह पुत्र राहुल सिंह बालिग होने के बाद अपने घर द्वितीय पक्ष में यहां जाएगा व अपने पिता राहुल, अपने दादा रुद्र प्रताप सिंह के हिस्से में आधा यानि 1/2 का हिस्सेदार होगा।

3. राहुल सिंह व प्रीति सिंह का आज दिनांक 9.4.2013 ई. से पति–पत्नी का सम्बन्ध समाप्त किया जाता है।

4. दोनों पक्ष अपनी–अपनी शादी रजामन्दी से कहीं भी कर सकते हैं।

5. यह समझौता/सन्धि पत्र बिना किसी जोर दबाव व स्वस्थ मस्तिष्क के किया जा रहा है।

6. समझौता लिख कर लिया गया कि जो समय पर काम आए।

हस्ताक्षर

केस नं. – 8

सेवा में

श्रीमान महिला थानाध्यक्ष महोदय

जनपद–संत रविदास नगर, भदोही।

महोदय

निवदेन है कि हम प्रार्थिनी मंजू देवी पुत्री रामधनी पत्नी विनोद निवासी श्रीपटटी थाना–चेतगंज, जनपद–मिर्जापुर, हाल मुकाम गोपीगंज पश्चिम मोहाल थाना– गोपीगंज, जिला– संत रविदास नगर, भदोही की निवासिनी है। प्रार्थिनी की शादी मुताबिक हिन्दू रीति–रिवाज सन 2007 में हुआ और विदाई दूसरे दिन यानि दिनांक 2.5.2007 ई. को हुई। प्रार्थिनी अपने पति के घर गयी, और अपने सास–ससुर व जेठ तथा पति की सेवा टहल करती रही। शादी के समय हम प्रार्थिनी के पिता ने 20,000 रूपया नकद, सोने की सिकड़ी, सोने की अंगूठी तथा बर्तन व आलमारी, बक्सा बड़ा आदि सामान दिया था। जब प्रार्थिनी अपने ससुराल गयी तभी से हम प्रार्थिनी के पति विनोद व सास गोटका व जेठानी व जेठ राजकुमार ने मिलकर यह कहना शुरु किया कि दहेज में सामान कम मिला है। अब जाने पर तुम अपने पिता से मोटर साइकिल मांगकर ले आओगी नहीं तो तुमको रहने नहीं देंगे। प्रार्थिनी परेशानी सहकर मेहना–ताना सुनती रही और पति के घर खाने–पीने का भी कष्ट मिलने लगा जिसे पिता से बुलाकर कहा। पिता जी ने ससुराल वालों को समझाया–बुझाया परन्तु वे बराबर अपने दहेज के मांग पर अड़े रहे और काफी दिनों से यानि दो वर्षों से घर से मारपीट कर निकाल दिया तभी से प्रार्थिनी अपने पिता के घर रह रही है और पिता प्रार्थिनी का काफी गरीब आदमी है, जिससे प्रार्थिनी को खाने–पीने की भी कठिनाई हो रही है। ऐसी सूरत में विपक्षीगण को तलब किया जाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जाना जरुरी है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विपक्षीगण को तलब किया जाकर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाए ताकि न्याय हो।

प्रार्थिनी
मंजू देवी

सुलह–समझौता

13 जुलाई 2013

प्रथम पक्ष– श्रीमती मंजू देवी पति श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्री श्री रामधनी गुप्ता, निवासी–ग्राम तिलढी पोस्ट–तिलढी, थाना–चील्ह, जनपद–मिर्जापुर, हाल मुकाम पश्चिम मोहाल, गोपीगंज, थाना–गोपीगंज, जनपद–संत रविदास नगर, भदोही।

द्वितीय पक्ष– विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व. लउधर गुप्ता, ग्राम व पोस्ट– तिलढी, थाना–चील्ह, जनपद–मिर्जापुर।

हम दोनों पक्षों की शादी दिनांक 1.5.2007 को हिन्दू रीति–रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ है। हम दोनों पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर मन–मुटाव हो गया था, जिसके फलस्वरूप एक प्रार्थना पत्र प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 3.7.13 को महिला थाने में दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में हम दोनों पक्षों के पारिवारिकजन सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विभिन्न तिथियों पर बुलाकर व बैठाकर बात की गयी तो हम दोनों पक्षों ने उपस्थित परिवारीजनों व सम्भ्रान्तजनों के बीच पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से पति–पत्नी के रूप में भावी जीवन के लिए संकल्प ले लिया। हम दोनों पक्ष एक–दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक व अनैतिक प्रताड़ना नहीं देंगे एवं सौहार्दपूर्वक एक–दूसरे के प्रति

व्यवहार करेंगे। हम दोनों पक्ष इस लेख पत्र को सुलह समझौता प्रथम को बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क से सोच–समझकर जो बोला वही लिखा गया, पढ़–पढ़वाकर, सुन व समझ कर अपने–अपने स्वेच्छा से हस्ताक्षर बना रहे हैं। प्रार्थना पत्र में अन्य कार्रवाई न किया जाए। यह लेखपत्र सुलह–समझौता पारिवारिकजन के उपस्थिति में लिख दिया कि सनद रहे व वक्त पर काम आए।

हस्ताक्षर

केस नं. – 9

सेवा में
श्रीमान महिला थाना
जनपद–सरन, भदोही
महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी कमला देवी पत्नी वंशीधर, ग्राम जद्दुपुर थाना–ज्ञानपुर, जनपद–स.र.न. भदोही की निवासी है। प्रार्थिनी के पुत्र शिवआसरे की शादी सन 2004 ई. में रीता देवी पुत्र फूलचन्द ग्राम रामचन्द्रपुर, थाना सुरियावां के साथ हुई है। शादी के बाद से प्रार्थिनी की बहू रीता देवी भाग–भाग कर बार–बार अपने मायके चली जाती हैं। अन्तिम बार भागते समय 10 हजार रुपए नकद व चार थान जेवर लेकर गयी। दिनांक 27.6.13 ई. को अपनी बहू रीता देवी को लेने के लिए ग्राम रामचन्दरपुर अपने पुत्र शिवआसरे व बड़ी बहू संजू देवी को लेकर गयी थी। विदाई के बातचीत के दौरान कहा सुनी होने लगी तो प्रार्थिनी की बहन रीता देवी, उसकी मां भी कहने लगी कि मेरी लड़की रीता देवी को यहीं पर खाने खर्चा दो वो यहीं पर रहेगी अथवा शिव आसरे अलग लेकर रहेगा, तब वह अपने ससुराल जाएगी। इस बात के इनकार पर रीता देवी पुत्री फूलचन्द,

सीमा पत्नी शिवा भालमन्ती पत्नी फूलचन्द, प्रार्थिनी तथा प्रार्थिनी की बड़ी बहू संजू देवी को लात–घूंसा मुक्का से मारने लगे तथा पीटा और पकड़कर जमीन पर पटक दिया व जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी का गला दबाने लगे तथा प्रार्थिनी को बर्तन चांदी की 200 ग्राम, कर्णफूल, 2 सोने का तथा सोने की सिकड़ी, 10 ग्राम की छीन लिए। रामचन्दरपुर गांव के लोगों ने जुटकर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की बहू ने जान बचाई तथा गांव के बाहर पहुंचाया। घटना दिनांक 27.6.13, 3.30 बजे की है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि घटना के सम्बन्ध में भगवन्ती पत्नी फूलचन्द, सीमा देवी पत्नी शिवा, रीता देवी पुत्री फूलचन्द स.र.न. भदोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई किए जाने की कृपा की जाए।

सुलह समझौता

शिव आसरे पुत्र श्री वंशीधर ग्राम जद्दुपुर, थाना– ज्ञानपुर, जिला–स.र.न., भदोही प्रथम पक्ष श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री फूलचन्द सरोज पत्नी शिव आसरे निवासी–रामचन्दरपुर, थाना–सुरियावां सरन, भदोही। द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आपस में संभ्रान्त व्यक्तियों के बीच आपस में बैठकर समझाया बुझाया गया व दोनों पक्षों में प्रेम से हिन्दू रीति–रिवाज से रहने के लिए कहा गया था व प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को विदाई के लिए जब भी प्रथम पक्ष के यहां से कोई जाएगा तो द्वितीय पक्ष वाले विदाई कर देंगे। (एक सप्ताह के अन्दर)

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष　　　　　　　　हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

अध्याय – नौ

निष्कर्ष

भारतीय समाज में स्त्री के विरुद्ध हिंसा को लेकर हलचल की कमी नहीं है। जरूरत है इसे सही और प्रभावी दिशा देने की। यह समझ बननी चाहिए कि पुरुष पर निर्भरता के रास्ते से स्त्री को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। स्त्री विरोधी हिंसा से मुक्ति का रास्ता स्त्री की स्वाधीनता से होकर ही जाएगा।

महिला आयोगों, महिला पुलिस थानों, महिला बसों, ट्रेनों, महिला बैंकों, डाकघरों, महिला शिक्षण संस्थानों आदि का स्त्री–सुरक्षा के संदर्भ में महत्व पूर्ण स्थान है।

लैंगिक स्वाधीनता के मुख्य तत्व होते हैं– सम्पत्ति और अवसरों में समानता, घर, समाज–कार्यस्थल पर निर्णय प्रक्रियाओं में स्त्री की बराबर की भागीदारी, कानून व्यवस्था में लगे तमाम राज्यकर्मियों, विशेषकर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का हर रूप में (व्यक्तिगत, सामाजिक, पेशेवर) स्त्री के प्रति संवदेनशील होने की पूर्व शर्त है गांवों और कस्बों से महानगरों में जाने वाली महिलाओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पीड़िता के पास न्याय के दरवाजे स्वयं चलकर आएं।

पिछले बीस वर्षों के दौरान महिलाओं के हक में भारत के कानूनी ढांचे में काफी सुधार हुआ है। किसी भी पैमाने पर

जारी हिंसा और धमकियां अब महिलाओं को घर की चारदीवारी में लौटने को मजबूर नहीं कर सकतीं। एक औसत भारतीय महिला कन्या भ्रूण हत्या, पैदा होते ही मार डाले जाने, कुपोषण, दहेज लोभियों की बलि चढ़ जाने, बाल विवाह, प्रसव के दौरान मौत, घरों में नौकरानी का काम करने, देह व्यापार में ढकेल दिए जाने, बलात्कार की शिकार होने, घर की झूठी इज्जत के नाम पर हत्या या दूसरी तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं।

अपेक्षित परिवर्तन हेतु महिलाएं पूरे साहस के साथ डाक्टर, वकील, पत्रकार, बैंकिंग सेवा, राजनीतिज्ञ, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थित दर्ज करा रही है।

सबसे दुःखद स्थिति है कि पूरे विश्व में बलात्कार की घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केवल कानून बना देने से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक पूरा समाज महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहेंगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर चिन्ता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने 'महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के वास्ते सक्रिय समाज की जरूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि लड़कियों और महिलाओं को सड़कों और यहां तक कि अपने घरों में हिंसा का जो सामना करना पड़ता है, उससे पूरा समाज स्तब्ध है। सरकार, संसद और पुलिस जैसी संस्थाओं को जहां अपनी भूमिका निभानी होती है, वहीं समग्र रूप से समाज को भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है।'

पुलिस एक्ट के अनुसार अपराध रोकना और अपराधियों को सजा दिलाना ही पुलिस का मुख्य दायित्व है। वर्तमान समय में महिला पुलिस और महिला थानों की भूमिका दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्डस ब्यूरो के अनुसार 2011 में भारत में दो सौ तैंतालीस महिलाओं को डायन बता कर उनकी हत्या कर दी गयी। 2012 में करीब पचास ऐसी महिलाएं, जो अकेली रहतीं और स्वतंत्र जीवन गुजार रही थीं, उनकी हत्या डायन बताकर कर दी गयी।

समाज में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना अति आवश्यक है। महिलाओं की भावनाओं की कद्र करना समाज और परिवार को सीखना होगा। लड़कियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलना चाहिए। घर के लड़के की तरह उसे खाने, पहनने, घूमने, सोचने से लेकर अपना भविष्य संवारने का मौका देना चाहिए। बालिकाओं एवं महिलाओं को वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए।

आज महिलाएं शिक्षित हैं, स्वावलम्बी है तथा अपना रास्ता स्वयं बनाना जानती है। अपेक्षित परिवर्तन हेतु महिलाएं जीवन और जगत के प्रत्येक क्षेत्र में दम–खम के साथ आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं सशस्त्र सेना में राष्ट्रीय ध्वज को फहराती हुई आगे बढ़ रही हैं। परिवर्तन की राह पर चल रही ऐसी महिलाओं को पूरा देश प्रणाम कर रहा है।

एक ओर महिलाएं परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ रही हैं तो दूसरी ओर उन्हें कई तरह की हिंसा का सामना भी करना पड़ रहा है। 'स्वचेतन' नामक स्वयसेवी संस्था ने वर्ष 2002 से 2007 के बीच दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा में आयी 1805 पीड़ित महिलाओं के मामलों का अध्ययन किया। इसके मुताबिक आमतौर पर चार साल से अधिक हिंसा झेलने के बाद ही महिलाएं पुलिस के पास शिकायत करने जाती हैं।

असम के गुवाहाटी शहर के पॉश इलाके में आटो का इंतजार कर रही 17 साल की लड़की के साथ 9 जुलाई 2012 को जिस तरह सरेआम भीड़ के द्वारा छेड़खानी की गयी, वह घटना शर्मनाक थी। अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के

शोषण से न केवल स्त्री का तन आहत होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। सालों लग जाते हैं इसी पीड़ा से मुक्त होने में और कभी–कभी ऐसा नहीं भी होता।

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में, चाहे मामले छींटाकशी के हों या पीछा करने, छेड़छाड़ करने या फिर दुष्कर्म करने के प्राथमिक स्तर की जांच बेहद संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ किए जाने की आवश्यकता है। आज यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए समर्पित महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए देश के प्रत्येक हिस्से में महिला थानों की स्थापना की आवश्यकता है।

देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज सम्बन्धी कारणों से मौत का शिकार होती हैं और साल 2007 से 2011 के बीच इस तरह के मामलों में काफी वृद्धि देखी गयी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से 2012 में दहेज हत्या के 8233 मामले सामने आए। आंकड़ों का औसत बताता है कि हर एक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की इस श्रेणी के तहत 2011 में हुई मौतों की संख्या 8618 थी।

आंकड़ों से पता लगता है कि 2007 से 2011 के बीच देश में दहेज हत्याओं के मामलों में तेजी आयी है। 2007 में ऐसे 8093 मामले दर्ज हुए, लेकिन 2008 और 2009 में यह आंकड़ा क्रम से 8172 और 8383 था।

उपरोक्त हिंसा के आंकड़ों को देखने के बाद तो और भी यह साफ हो जाता है कि समस्त राज्यों में महिला थानों की आवश्यकता क्यों है? मुम्बई जैसे शहर में जब एक तेईस वर्षीय फोटो पत्रकार के साथ बलात्कार की घटना घटित होती है या एक तथाकथित धर्म गुरु एक नाबालिक के साथ बलात्कार करता है तो एक अभिभावक पर क्या गुजरती

होगी? स्त्री के विरुद्ध होने वाली घृणित यौनिक हिंसा की ये पराकाष्ठाएं किसी भी अभिभावक को घृणा और असहायता से भर देती हैं। सही मायने में लड़कियों को सुरक्षित करना है तो उन्हें 'आजादी' देनी होगा और उनमें 'विवेक' का विकास करना होगा।

बालिकाओं को प्रारम्भ से ही दबाकर पालन–पोषण करने से उनके साथ जब कुछ अनहोनी घटित होता है तो वह उसे कह नहीं पाती है और उसका शोषण होता रहता है। यह कैसा विरोधाभास है कि एक ओर महिलाएं ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच रही हैं तो दूसरी ओर उन पर दिन पर दिन हिंसा बढ़ती जा रही है। महिलाएं अपनी समस्या के समाधान के लिए कोर्ट–कचहरी के चक्कर लगा रही है। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए तथा अपेक्षित परिवर्तन हेतु साहित्यकारों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक कार्यकर्ता आदि सभी प्रयत्नशील हैं। वर्ष 2013 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून आए उसमें युवाओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक कार्यकर्त्ता आदि सभी का सहयोग रहा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक ओर देश विदेश में महिलाएं अपेक्षित परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हैं तो दूसरी ओर अपने अधिकारों के लिए उन्हें कोर्ट–कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आने वाले समय में महिला थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी तथा यह संभव है कि उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाए।

अध्याय – दस

सुझाव

1. महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों को भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए।

2. पुलिस बल में पर्याप्त महिला पुलिस की भर्ती की जाए।

3. कानून में सुधार के लिए समय–समय पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट का अधिक से अधिक गठन किया जाए।

5. बलात्कार की घटना को रोकने का प्रत्येक तरह से प्रयास किया जाए।

6. बलात्कार की शिकार महिलाओं के संदर्भ में कानून का सख्ती से पालन किया जाए।

7. यौन हिंसा की घटनाओं को गम्भीरता से लिया जाए।

8. स्त्रियों पर जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए पाठयक्रमों में महिलाओं से सम्बन्धित कानून को जोड़ा जाय ताकि महिलाएं सशक्त एवं जागरुक बन सकें।

9. बालिकाओं को प्रारम्भ से ही अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए।

10. बालिकाओं को तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत

में शामिल किया जाना चाहिए। विशेषकर यौनिक विषयों पर।

11. हर 'बड़ा' व 'मानवीय' आदर के योग्य नहीं होता है। बालिकाएं अपने 'विवेक' का प्रयोग करती हुई समस्या का समाधान करें। यह बात उन्हें बचपन से ही बताया जाना चाहिए।

12. लम्बी, खर्चीली और थकाऊ कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगायी जाए तथा लम्बित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु ठोस उपाय किए जाए।

13. स्त्री विरोधी हिंसा से मुक्ति के लिए स्त्री का स्वाधीन होना जरुरी है।

14. परिवार, समाज और कार्यस्थल पर निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर शामिल किया जाए।

15. राज्यों के लिए नीति और योजना के स्तरों पर लैंगिक समानता का सिद्धान्त लागू करना अनिवार्य हो।

16. महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए।

17. पीड़िता को न्याय शीघ्रातिशीघ्र मिले।

18. महिलाओं को अधिक से अधिक स्वाधीन बनाया जाए।

19. महिलाओं के लिए समाज में एक सम्मानजनक माहौल बनाया जाए।

20. बालिकाओं को प्रारम्भिक अवस्था से ही सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए।

21. अपेक्षित परिवर्तन हेतु जिन महिलाओं ने देश और विदेशों में कार्य किया है, उनके कार्यों को अधिकाधिक लोगों के सामने लाया जाए।

22. देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में जिन महिलाओं ने सहयोग दिया है, उनके कार्यों को पाठयक्रमों में शामिल किया जाए।

23. महिलाओं पर हिसा करने वाले जिम्मेदार लोगों को

अधिकतम कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

24. पुलिस बल में महिला पुलिस की संख्या अधिक से अधिक बढ़ायी जाए।

25. जिस तरह से महिलाओं पर हिंसा हो रही है, उसे देखते हुए महिला थानों की संख्या में वृद्धि अति आवश्यक है। ऐसेबहुत से क्षेत्र हैं, जहां आज भी महिला थाना नही है।

26. महिला थानों में प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस की नियुक्ति की जाए।

27. महिला थानों में पुरुष पुलिसकर्मियों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

28. महिला थाने में नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को मूलभूत सुविधाएं अवश्य देनी चाहिए। जैसे– पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय, सुरक्षा आदि।

29. महिला पुलिस का अपने पुरुष पुलिस सहयोगियों द्वारा शोषण न हो, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

30. महिलाओं पर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

31. महिलाएं जब भी महिला थाने पर जाएं, उनके साथ आत्मीय व्यवहार किया जाए।

32. बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक एक किमी. की दूरी पर महिला पुलिस चौकी की स्थापना की जाए। प्रतिदिन समाचार पत्रों में यह पढ़ने को मिलता है कि शोहदों और शरारती तत्वों से तंग आकर किशोरी ने पढ़ाई छोड़ दिया या आत्महत्या कर लिया। ऐसी घटनाएं नहीं होने पाएं, इसके लिए महिला पुलिस को प्रत्येक स्कूल में समय–समय पर कार्यशाला करनी चाहिए।

33. महिलाओं के संदर्भ में पुरानी मानसिकता को छोड़कर एक नए समाज के निर्माण के लिए सम्पूर्ण समाज को एकजुट होना होगा।

34. महिला थाने पर वाहन की पर्याप्त सुविधा अवश्य

होनी चाहिए ताकि दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में वहां कार्यरत महिला पुलिसकर्मी किसी भी समय क्षेत्र में उसकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहुंच सके।

35. समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे– डायन प्रथा, सती प्रथा आदि।

36. आज महिलाएं घर–परिवार का कार्य करते हुए अन्तरिक्ष तक में पहुंच चुकी है। ऐसी महिलाओं के कार्यों का महिमामण्डन किया जाना चाहिए।

37. किरन बेदी, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, पी.टी. उषा, जैसी महिलाओं को आदर्श के रूप में समाज में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

38. महिला थाने केवल सुलह–समझौतों का ही केस न लें। महिलाओं पर हो रही हिंसा से सम्बन्धित जितने भी केस हों, उन सभी को प्राथमिकता से दर्ज करने का काम महिला थाने की पुलिस को करना चाहिए।

39. महिला थाने में कार्यरत महिला पुलिस को महिलाओं से सम्बन्धित सरकार के समस्त कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए। ताकि समय पर उसका लाभ उठाया जाए। विशेष रूप से पुनर्वासन, उन्नयन और विकास से जुड़े कार्यक्रम।

40. चूंकि महिलाओं की भूमिका आज समाज में बदल रही है और समाज संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। अतः महिला थानों में कार्यरत महिला पुलिस को अपनी सोच और विचार में परिवर्तन लाना होगा। पुलिस की पारम्परिक भूमिकाओं से हटकर उन्हें संवदेनशीलता के साथ महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना होगा।

41. प्रत्येक महिला थाने पर कानून के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी हो।

42. कानून के जानकार सामाजिक कार्यकर्ता जो पुलिस,

वकील और पीड़िता के मध्य मददगार की भूमिका निभा सकें, उनकी सेवाएं थाने पर आवश्यकतानुसार ली जाए।

43. प्रत्येक जिले में महिला थानों पर एक अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की जाए। जो प्रत्येक महीने महिलाओं पर होने वाले अपराधों का लेखा–जोखा तैयार करें, उसका विश्लेषण करें तथा अपराधियों के पूरे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों का विश्लेषण आंकड़ा तैयार करके उसकी जड़ों में पहुंचने का प्रयास करें। आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक जांच करके उन्हें परामर्शन सेवा प्रदान करें तथा अपराध को रोकने के लिए सुझाव दे सकें।

44. महिला थानों की स्थापना केवल शहरों में ही नहीं, प्रत्येक गांव में होनी चाहिए।

45. आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतम महिला थानों की स्थापना की जाए।

46. महिला थानों को पुराने ढर्रे पर नहीं चलकर एक नया प्रतिमान स्थापित करना चाहिए।

47. महिला थाने भ्रष्टाचार से मुक्त होने चाहिए।

48. ग्राम प्रधानों, सभासदों, ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर, समाज के अगुवा लोगों को महिलाओ सम्बन्धी कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। केवल महिला थानों की स्थापना से ही काम नहीं चलेगा।

49. जो महिला थाना अच्छा काम करें उन्हें पुरस्कृत और उसके कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए।

50. महिला पुलिस मित्र के रूप में जागरुक महिलाओं की नियुक्ति प्रत्येक बस्ती, मुहल्ले टोले में की जाए।

51. महिला थाना हर महीने महिलाओं से सम्बन्धित कानून के बारे में जागरुकता शिविर आयोजित करे, जिसमें कानून के विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और धर्मगुरु को जोड़ा जाए।

52. महिलाओं के प्रति स्वस्थ मनोवृत्ति के निर्माण व

विकास हेतु ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जन्म के बाद से लेकर प्रौढ़ होने तक के बीच में विभिन्न संस्थाओं जैसे– घर, विद्यालय आदि द्वारा किए जा रहे लिंगभेद के प्रति लोगों को जागरुक किया जाए।

53. तनाव में रह रही महिला पुलिस के 'तनाव प्रबन्धन' हेतु नियमित शिविर का आयोजन किया जाए।

54. महिलाओं के मुकदमों (हिंसा) को देखने के लिए अलग से न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे न्यायाधीशों को एकवर्षीय जेण्डर का कोर्स करना भी अनिवार्य हो।

55. महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गवाह मुकरने न पाए, इसके लिए कठोर उपाय किए जाने चाहिए। सबूतों के अभाव में आरोपियों का मुकरना न्याय व्यवस्था के लिए कैंसर की तरह है। आपराधिक मामलों की जांच में तेजी के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

56. प्रत्येक महिला थाने पर प्रशिक्षित परामर्शदाता की नियुक्ति होनी चाहिए।

57. अपेक्षित परिवर्तन हेतु कार्य करने वाली महिलाओं के कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए।

58. महिला पुलिस को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी छुटिटयों पर ध्यान दिया जाए।

59. कानून के स्तर पर एक नया लैंगिक दण्ड विधान बनाना होगा। इस दण्ड विधान में न्याय व्यवस्था के हर इन्टरफेस, पुलिस, काउन्सलिंग, अदालत, क्षतिपूर्ति, पुर्नवास, महिला थानों की थानाध्यक्ष आदि सभी को पीड़िता के पास चलकर जाना जरुरी हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ

• आधी आबादी का सच : असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के संदर्भ में, डा. मंजू देवी, पृष्ठ– 115–121.

सम्पादित पुस्तक में– उत्तरशती के विमर्श और हाशिए का समाज, सम्पादक कंचन यादव और गोविन्द दास, हिन्दी विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकीय महाविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद, वर्ष 2011.

• स्त्री विमर्श : इतिहास बोध का प्रश्न स्त्री विमर्श का भारतीय संदर्भ, प्रवीन कुमार यादव, पृष्ठ 177–182, सम्पादक एवं प्रकाशक– उपरोक्त

• आधी आबादी का सच– सामाजिक साहित्यिक संदर्भ, आभा त्रिपाठी, पृष्ठ–220–224, सम्पादक एवं प्रकाशक–उपरोक्त, 2011.

• वर्तमान समय, समाज और स्त्री विमर्श : एक गहन चिन्तन, उदारता भदौरिया, पृष्ठ– 260–263, सम्पादक एवं प्रकाशक– उपरोक्त।

• महिला सशक्तिकरण : विभिन्न आयाम, सम्पादक–डा. उमेश प्रताप सिंह और डा. राजेश कुमार गर्ग, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स–2012.

• ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य में नारी : कल आज और कल के संदर्भ में, डा. हसीना बानो, पृष्ठ– 10–15, सम्पादित पुस्तक, महिला सशक्तिकरण : विभिन्न आयाम, सम्पादक– डा. उमेश प्रताप सिंह और डा. राजेश कुमार गर्ग, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, वर्ष 2012.

• कानूनी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति, डा. दीपमाला मिश्रा, पृष्ठ 79–85, सम्पादक एवं प्रकाशक– उपरोक्त।

• लैंगिक असमानता का समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं महिला सशक्तिकरण, डा. मंजू देवी, पृष्ठ– 55–61, सम्पादक एवं प्रकाशक–उपरोक्त।

• राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में महिलाओं की भूमिका, डा. सविता शाही, पृष्ठ–21–25, सम्पादक एवं प्रकाशक– उपरोक्त।

• आधी आबादी का संघर्ष– राजस्थान में महिला आन्दोलन का इतिहास : एक झलक, आलेखन– ममता जेतली और श्रीप्रकाश शर्मा, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, वर्ष 2010.

• भारतीय पुनर्जागरण में अग्रणी महिलाएं, सम्पादक– सुशीला नैयर और कमला मनकेकर, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, वर्ष 2005।

• औरत : उत्तर कथा, सम्पादक– राजेन्द्र यादव और अर्चना वर्मा, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, वर्ष 2002.

• हम सभ्य औरतें, लेखिका– मनीषा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2008।

• दुर्गा द्वार पर दस्तक, लेखिका– कात्यायनी प्रकाशन, परिकल्पना, निराला नगर लखनऊ, वर्ष– 2004.

• नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे, सम्पादक–साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता प्रकाशन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, 2001.

• पश्चिम में नारी आन्दोलन का उदय : संदर्भ और मुद्दे, अनुपमा राय, सम्पादक– साधना आर्य, निवेदिता मेनने, जिनी लोकनीता प्रकाशन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, 2001.

• भारत में महिलाएं और हिंसा, उर्वशी बुटालिया।

• राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाएं : भूमिका के सवाल, लता सिंह।

• समकालीन भारत में महिला आन्दोलन, दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा।

• भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास, लेखक– डा. विमल चन्द्र पाण्डेय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी–2000.

• भारत में महिला सशक्तिकरण : ऐतिहासिक विवेचन, अजय शंकर पाण्डेय, सम्पादित डा0एस0 अखिलेश–महिला सशक्तिकरण : दशा एवं दिशा, गायत्री पब्लिकेशन, रीवां.

• छोटी सी आशा, सैय्यद मुबीन जेहरा, जनसत्ता, लखनऊ, 20 जनवरी, 2013.

• मेरे तीन सपने हैं ..., अहा अतिथि, टोनी मोरिसन, अहा जिन्दगी, मार्च–2012,

• दोहरी ज्यादती की त्रासदी, सी. उदय भाष्कर, 22 अप्रैल, 2013, दैनिक जागरण,

• राष्ट्र महिला, दिसम्बर, 12, खण्ड–1, संख्या–161, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।

• दुष्कर्म के विरुद्ध चाहिए एक अभियान, कमर वहीद नकवी, हिन्दुस्तान समचार पत्र, 24 अप्रैल, 2013,

• विकृत मन, गायत्री आर्य, 21 अप्रैल, 2012, रविवार जनसत्ता,

• तेजाब के फफोले, सीत मिश्रा, 21 अप्रैल, 2013, रविवारी जनसत्ता,

• बहादुरी का सच, कृतिश्री, जनसत्ता, 4 जून, 2013

• प्रगति के दौर में सावधानी जरुरी, कविता शर्मा, समाज कल्याण, वर्ष–58, अंक–8, मार्च–2013,

• आदमी की निगाह में औरत, लेखक– राजेन्द्र यादव, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, वर्ष–2006

• झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, धीरज पॉकेट, बुक्स, मेरठ, वर्ष– 2010.

• प्रगति के दौर में सावधानी जरुरी, कविता वर्मा, समाज कल्याण, वर्ष–58, अंक–8, मार्च–2013,

• नारी सभ्यता के विभिन्न आयाम, डा. आरती स्मित, समाज कल्याण, अंक–8, मार्च–2013,

• स्त्री चेतना, स्वतंत्रता, नारीवादी आन्दोलन और साहित्य, डा. सरस्वती माथुर, समाज कल्याण, अंक–8, मार्च–2013,

• पर्यावरण एवं महिलाएं, किरण बाला, समाज–कल्याण, वर्ष–58, अंक–11, जून–2013,

• अपनी बात, नमिता सिंह, वर्तमान साहित्य, अप्रैल–2013,

• शर्मिन्दगी का एक और मौका, कामिनी जायसवाल, दैनिक जागरण, 24 अगस्त, 2013,

• महिला सुरक्षा और महिला पुलिस, डा. दीपा जैन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007.

• महिला और पुलिस, अमिता जोशी, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

• महिला हिंसा और महिला पुलिस, प्रतिभा दूबे, पुलिस विज्ञान पत्रिका, जुलाई–सितम्बर, वर्ष 2012,

• महिला अपराध और टूटता दाम्पत्य जीवन, कु. प्रतिभा, पुलिस विज्ञान पत्रिका, जुलाई–सितम्बर, 2012,

• कैसे थमेगी स्त्री विरोधी हिंसा, विकास नारायण राय, जनसत्ता, 2 सितम्बर, 2013,

• यौन हिंसा की जड़ें, रूचिरा गुप्ता, जनसत्ता, 4 सितम्बर, 2013,

• दमनकारी पितृसत्ता की परतें, विकास नारायण राय, जनसत्ता, 27 सितम्बर, 2013,

• महिला पुलिस अन्तःक्रिया : सैद्धान्तिक व व्यावहारिक अध्ययन, डा. सीमा रानी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पुलिस विज्ञान पत्रिका, अक्टूबर–दिसम्बर, 2009.

• भारत में पुलिस सुधार, डा. एस.के. कटारिया, लोक प्रशासन के व्याख्याता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, पुलिस विज्ञान पत्रिका, अप्रैल–जून, 2009,

• सोशिएलाइजेशन ऑफ वीमेन इन इण्डिया, डा. मंजू देवी, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2004.

• भारतीय पुलिस : एक अध्ययन, शक्ति प्रसाद सकलानी, उत्तरा प्रकाशन, टी कैम्प, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड, 2007,

• भारतीय पुलिस, परिपूर्णानन्द वर्मा, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2000, पृष्ठ– 150–153.

• गांव की स्त्रियां, पत्रिका अन्तिम जन, डा. रंजना जायसवाल, वर्ष–1, अंक–4, मई, 2012,

• महाजन के घर में एक मजदूर आत्मा, इलाभटट, गांधी मार्ग, अहिंसा संस्कृति का द्वैमासिक, वर्ष–55, अंक–3, मई–जून, 2013,

• शोषण के हथकण्डे, सैय्यद मुबीन जेहरा, जनसत्ता, 12 मई, 2013,

• ग्रामीण इलाकों में महिला डाकघर खोलेगी सरकार, दैनिक जागरण, 15 अप्रैल, 2013.

• बन्धुआ मजदूर रही, हिन्दू महिला लड़ रही चुनाव, दैनिक जागरण, दिनांक–15.4.13, दैनिक जागरण।

• महिलाओं के प्रति कारपोरेट जगत की बदलती सोच, लेखिका– अलका आर्य, दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान–2013.

• Women police Stations, A worldly Perspective, Muhammad uzair Niazi, Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad.

• Women's Struggles : A History of All India Women's Conference, 1927-1990. N.D. Mahohar, 1990, pp. 206.

• कानून के बावजूद क्यों नहीं रुकती घरेलू हिंसा, अंजली सिन्हा, हिन्दुस्तान, अगस्त, 2012.

• स्त्री विमर्श की चुनौतियां, डा. चौथीराम यादव, उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज, सम्पादक– कंचन यादव और गोविन्द व्यास, 2010.

• बाहर और भीतर की दुनिया, प्रभा खेतान, औरत : उत्तर कथा, सम्पादन– राजेन्द्र यादव और अर्चना वर्मा, 2007.

दंड विधि संशोधन विधेयक–2013

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड विधि (संशोधन) अधि
ानियम, 2013 है।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है तथा इस विधेयक की जानकारी देश के सभी नागरिकों को होनी चाहिये। विशेष रुप से न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस, महिला थाने की पुलिस, सामाजिक कार्यकत्ताओं तथा प्रशिक्षकों को। स्वेच्छ या अम्ल फेंकना या फेंकने के लिये प्रयत्न करना, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिये दंड, निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, शोषण, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन, सामूहिक बलात्संग, दृश्यरतिकता, पीछा करना, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। दंड विधि संशोधन विधेयक 2013 इन्टरनेट और बाजार में उपलब्ध है, जिसे पढ़ा जा सकता है।

साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली

1. नाम
2. उम्र पद
3. शिक्षा
4. पता
5. लिंग
6. अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं/देखती हैं?

1. ऐतिहासिक परिवर्तन में ....
2. साहित्यिक परिवर्तन में ....
3. आर्थिक परिवर्तन में ....
4. मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में ....
5. राजनैतिक परिवर्तन में ....
6. पर्यावरण संरक्षण में ....

7. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका क्या रही है? ....
8. क्या देश में प्रत्येक राज्य में महिला थानों की आवश्यकता है? ....
9. जहां कहीं महिला थाना है, वहां क्या महिला थानों ने समस्याओं के समाधानमें अपनी भूमिकाओं को निभाया है? ...

....

10. महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध के क्या कारण है? ....

....

11. अन्य सुझाव ....

....

डा. मंजू देवी

एम.ए., पीएच. डी., (बी.एच.यू., वाराणसी)

सामाजिक चिन्तक। महिलाओं के साथ लम्बे समय तक कार्य करने का अनुभव। गांधी विद्या संस्थान, राजघाट, वाराणसी में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के साथ कार्य। महिला अध्ययन केन्द्र, बी.एच.यू. में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना में शोध एवं एक्शन कार्यक्रम में कार्य करने का अनुभव।

सेन्टर फार सोशल रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा संचालित कानपुर के जाजमऊ इलाके में मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए कार्यक्रम का संचालन। महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश द्वारा बनारस जिले के सेवापुरी और चकिया ब्लॉक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरुकता, संघर्ष, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी एवं अन्य कार्यक्रमों का दिशा–निर्देशन।

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय (उ.प्र.) से सम्बद्ध कालेज राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर तथा काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, स.र.न., भदोही में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य।

पिछले बीस वर्षों से विभिन्न सामाजिक विषयों पर लेखन। लेख, कविताएं, प्रतिक्रियाएं आदि प्रकाशित। आकाशवाणी वाराणसी से वार्ताएं प्रसारित। विगत तीन वर्षों से किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए पुलिस के व्यवहार को नजदीक से देखने का अच्छा एवं सुखद अनुभव।

अनेक शोध आलेख प्रकाशित एवं सेमिनार/कान्फ्रेसेस में भागीदारी।

दो पुस्तकें प्रकाशित। (1) सोशिएलाइजेशन आफ वीमेन

इन इण्डिया, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली (2) आजादी पर उठते सवाल : नाली पर मोची, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली (3) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर एक पुस्तक प्रकाशन के लिए तैयार।

संशोधित एवं परिमार्जित पुस्तक–

1. बच्चों की प्रतिभा को कैसे उभारें ? पुस्तक, महल, नयी दिल्ली।

वर्तमान समय में के.एन.पी.जी. कालेज, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, भदोही उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान के पद पर कार्यरत।

स्थायी पता–

ए–9/123, प्रहलाद घाट, वाराणसी–221001

संपर्क–(0542) 2436714

मोबाइल–09839527783